चतुर्थ माला, खंड 34, अंक 11 सोमवार, 1 दिसम्बर, 1969/10 अग्रहायण, 1891 (शक)
Fourth Series, Vol. XXXIV. No. 11 Monday, 1 December, 1969/Agrahayana 10, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 1 दिसम्बर, 1969/10 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 11, Monday December 1, 1969/Agrahayana 10, 1981 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
302	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को सहायता।	Assistance to Exporters by Nationalised Banks	2–5
303	मुद्रा निकालने के विशेष अधिकारों का उपयोग	Use of SDR (Special Drawing Rights) ...	6–7
304	गुजरात राज्य के दंगा पीड़ित लोगों को नकद सहायता	Cash Relief to riot victims in Gujarat ...	7–11
307	वित्त संस्थाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रमों के विशेषज्ञों का मनोनीत किया जाना	Nomination of experts by Financal Institutions on Boards of Industrial Enterprises	11–14
309	ऋणों को साम्य पूंजी में परिवर्तन करना	Conversion of loans into equities	14–16
311	ऋणों का साम्य पूंजी में बदलना	Conversion of loans into equity Capital ...	16
312	ऋणों का साम्य अंशों में बदलना	Conversion of loans into equity shares ...	17–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

ता. प्र. सं./S.Q Nos.	विषय	Subject	Pages
301	गैर-सरकारी उपक्रमों को दिये गये ऋणों को साम्य पूंजी में बदलना	Conversion of loans to private enterprises into equity	20

---

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
305	सरकारी कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश छोड़ने के बदले में नकद धनराशि देना	Cash payment in lieu of Earned Leave surrendered by Government Employees...	20
306	सरकारी उपक्रमों के आस-पास सहायक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ancillary Units around Public Undertakings	20–21
308	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बड़े उद्योगपतियों को दिया गया ऋण	Loans granted by Industrial Finance Corporation to big industrialists	21
310	जस्ता पिघालने का कारखाना, उदयपुर के रोस्टर संयंत्र का बार बार बन्द होना।	Frequent closure of Roaster Plant of Zinc Smelter Plant, Udaipur	21–22
313	सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की बहाली, पदोन्नति तथा बर्खास्तगी संबंधी नियम	Rules regarding Reinstatement, Promotion and Dismissal of Employees in Public Undertakings ..	22–23
314	विभिन्न वस्तुओं और कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of various commodities and Raw Materials	23–24
315	विश्व बैंक के मूल्यांकन दल की भारत यात्रा	Visit by World Bank Appraisal Mission to India ...	24
316	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकापियों की मांगें	Demands of Central Excise Officers ...	24–25
317	कर अपवंचन को रोकने की योजना	Scheme to check Tax Evasion	25
318	महाराष्ट्र की बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Projects in Maharashtra	25–26
319	संयुक्त राष्ट्र महासभा के 23वें अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल पर व्यय	Expenditure on Delegates who Participated in 23rd Session of U. N. Assembly ...	26

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
320	कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बंगला एलाट करना	Allotment of Bungalow to Congress President	26–27
321	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना का अन्य स्थानों में विस्तार करना	Extension of CGHS Scheme to other Places...	27
322	आसाम में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex for Assam	27–28
323	फरक्का बांध परियोजना के फालतू कर्मचारियों को तीस्ता नियंत्रण परियोजना में नियुक्त करना	Absorption of Surplus Staff for Farakha Barrage Project in Teesta Control Project	28–29
324	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग	Demand of Wage Increase by Employees of Nationalised Banks	29
325	जमा दरों का पैटर्न	Pattern of Deposit Rates ...	29–30
326	भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप भारत में विदेशी बैंकों को लाभ	Advantages to Foreign Banks in India as a result of Nationalisation of Indian Banks	30
327	ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों को विशेष प्रोत्साहन	Special Incentive to Doctors to work in Rural Areas	30–31
328	दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में टेलीफोन कालों पर खर्च	Expenditure on Telephone Calls in Government Offices in Delhi	31–32
329	साउथ अरब में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Joint Enterprises in South Arabia	32
330	राष्ट्रीयकृत बैंकों से राजनीतिक दलों को ऋण का दिया जाना	Advancing of Loans to Political Parties by Nationalised Banks	32–33
अता.प्र. सं./U.S.Q.Nos.			
2001	भारतीय फिल्मों की तस्करी	Smuggling in Indian films	33–34

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2002	अधिक उर्वरक, कारखानों का स्थापित किया जाना	Setting up of more fertiliser plants	34
2003	गुजरात में पेट्रो-रसायन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	Establishment of Petro-Chemical Training Institute in Gujarat	34–35
2004	पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complexes	35–37
2005	एंटीबायटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Workers of Antibiotics Factory, Rishikesh ...	37–39
2006	गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम की असफलता	Failure of Goitre Control Programme ..	39–40
2007	औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गुजरात को ऋण	Loans by I. F. C. to Gujarat for Industrial Development	40
2008	गुजरात में अस्पताल तथा औषधालय	Hospitals and Dispensaries in Gujarat ...	40–41
2009	गुजरात में खनिज उत्पादन	Mineral Production in Gujarat ...	41–42
2010	125–155 रुपये के वेतन मान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Categories of Central Government Employees in the scale of Rs. 125–155	42
2011	ग्वालियर महाराजा की सम्पत्ति का अनुमान	Assessment of Gwalior Maharaja's Wealth ...	42–43
2012	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाना	Mobilization of Resources for Fourth Five-Year Plan	43–44
2013	विदेशी वस्तुओं और सोने का तस्कर व्यापार	Smuggling of foreign goods and gold... ...	44
2014	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के लिए मशीनरी का आयात	Import of Machinery for Trombay Fertilizer Factory	45

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2015	भांखड़ा बांध के क्षेत्र से हटाये गये लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Oustees of Bhakra Dam ...	45
2016	जेपेनीज ग्लास मेनुफेक्चरिंग कम्पनी द्वारा निश्रो-प्लास्टिक का निर्माण	Manufacture of New Plastic by Japanese Glass Manufacturing Company	45–46
2017	ऋणों का ईक्विटी शेयरों में परिवर्तन	Conversion of loans into equity shares ...	46–47
2018	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम्पनियों को ऋण	Loans to Companies by Industrial Finance Corporation	47–48
2019	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को स्वायत्तता प्रदान करना	Automony to Public Sector Industries ...	48–49
2020	कुवैत उर्वरक परियोजना की स्थापना में विलंब	Delay in setting up Kuwait Fertilizer Project	49–50
2011	भारत में प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि	Increase in Per Capita Debt of India... ...	50
2022	तरल उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fluid Fertilizers	50
2023	फीरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर माल की तस्करी	Smuggling of Goods at Indo-Pak Border at Ferozepur	51
2024	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	Representation of Minorities in Public Sector Undertakings	51
2025	सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के राजनैतिक लगाव	Political Affiliation of Employees of Public Undertakings	51
2026	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड द्वारा राक फास्फेट से क्रयोलाइट निकालने की प्रक्रिया का विकास	Development of Process of Recovering Cryolite Rock Phosphate by Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	52

2027	इस्पात तथा अन्य वस्तुओं के लिए धारण मूल्य	Retention Price of Steel and other Commodities	52
2029	रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन	Chemical Fertilizer Production ...	53–54
2030	खाद्य पदार्थों में मिलावट	Adulteration of Foodstuffs	54
2031	वर्ष 1974 तक पूर्वी क्षेत्र में बिजली की पूर्वानुमानित कमी	Anticipated Shortage of Power in the Eastern Region	54-55
2032	त्रिपुरा में तेल निकालने की परियोजना	Oil Drilling Project in Tripura	55–56
2033	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Class IV Staff of Geological Survey of India	56
2034	कीटनाशक दवाइयों तथा औषधियों का निर्माण	Manufacture of Antibiotics and Drugs ...	56–57
2035	गंडक परियोजनायें बिहार	Gandak Projects Scheme, Bihar	57
2036	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य संचालन	Operations by Geological Survey of India ...	58
2037	राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ की मांगें	Demands made by National Coal Organisation Employees Association	58–59
2038	तेल के मूल्य नियत करने की नयी पद्धति	New S}stem of Fixing Oil Prices	59
2039	महाराष्ट्र के लिये सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes for Maharashtra	59–60
2040	महाराष्ट्र की पेय जल सम्भरण योजनायें	Drinking Water Supply Schemes of Maharashtra ...	60
2041	भारत-बर्मा सीमा के निकट मार्थ शहर से तस्करी के माल की बरामदगी	Recovery of Smuggled Goods from Morth City near Indo-Burma Border	60–61

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2042	पेंशनों में वृद्धि	Increase in Pensions	61
2043	मध्यम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को ऋण	Loans to Middle Class Government Employees	61-62
2044	पेंशनभोगियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना	C. G. H. S. Scheme for Pensioners	62
2045	आयकर के अनिर्णित मामलों में वृद्धि	Increase in pending Income-tax cases ...	62-63
2046	ईरान में अमोनिया कारखाना	Ammonia Factory in Iran	63-64
2047	नवाब रामपुर द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Rules by Nawab of Rampur	64
2049	हथकरघा बुनकरों पर उत्पादन शुल्क तथा पंजीकरण कर	Excise Duty and Registration Tax on Handloom Weavers	64
2050	भारतीय तेल निगम द्वारा पंजाब में 'ज्योति शिला' के निकट खुदाई कार्य	Drilling near 'Jyoti Shikha' in Punjab by Indian Oil Corporation	64-65
2051	औद्योगिक नगरों में नगरीय भूमि के अत्यधिक ऊंचे मूल्य	Soaring Prices of urban Land in the Industrial Cities	65
2052	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद नयी ऋण नीति	New Credit Policy after Bank Nationalisation	66
2053	यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध तस्करी के आरोप	Smuggling Charges against Administrative Officer of UNESCO Office, New Delhi ...	66-67
2055	मेथेनोल की कमी	Shortage of Methanol	67
2056	विदेशी ऋण भार	Cost of Foreign Debt Service	67-68

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2057	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा छोटी सिंचाई के लिये चार्टों का तैयार किया जाना	Preparation of Charts for Minor Irrigation Programme by Geological Survey of India	68–69
2058	भारतीय रक्षित बैंक के अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees of Reserve Bank of India	69
2059	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी स्टाफ के वेतनमान का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Supervisory Staff of State Bank of India	70
2060	मैसर्स रूबी जनरल इंशोरेन्स कम्पनी द्वारा कमीशन के रूप में मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स को दी गई अत्यधिक धन–राशि	Fabulous amounts paid to M/s. Birla Brothers by M/s Ruby General Insurance Co. by way of Commission	70–71
2061	छोटे उद्यमकर्ताओं को ऋण की सुविधायें	Credit Facilities to Small Entrepreneurs ...	71
2062	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजनायें	Housing Schemes for Urbrn and Rural Areas	71–72
2063	छोटा परिवार प्रतिमान समिति की सिफारिश	Recommendation of Small Family Norms Committee	72–73
2064	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री में काम का नुकसान	Loss of work in the Hindustan Housing Factory	73
2065	जीवन बीमा निगम के उत्तर जोन के क्षेत्रीय (जोनल) प्रबन्धक के विरुद्ध आरोप	Allegations against Zonal Manager of North Zone of LIC	73
2066	जीवन बीमा निगम में उत्तर दिये जाने के लिये पड़े पत्र	Letters pending for replies by LIC. ...	73
2067	बैलाडिला परियोजना में घाटा	Bailadilla Project running in loss ...	74

2068	दवाइयां तथा गर्भ-निरोधक पदार्थों का आयात	Import of Medicines and Contraceptives ..	75
2069	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा सिंहभूम जिले में तांबा खनन	Copper Mining in Singbhum District by Hindustan Copper Ltd. ...	75
2070	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया सोना और मुद्रा	Seizure of Gold and Currency by Customs Authorities	75-76
2071	मंत्रियों के करदायित्व का निर्धारण	Assessment of Tax Liability of Ministers ...	76
2072	दक्षिण अरबिया में तट-दूर तेल की खुदाई में रियायत देने की पेशकश	Offer of Off-shore Drilling Concession for South Arabia	76-77
2073	तम्बाकू पर पुनः उत्पादन शुल्क लगाना	Reimposition of Excise duty on Tobacco ...	77
2074	त्रिपुरा में तेल खुदाई	Oil Drilling in Tripura ..	77-78
2076	दिल्ली में अस्पताल तथा औषधालय	Hospitals and Dispensaries in Delhi	78
2077	पश्चिम बंगाल में बोरदा में तेल की खुदाई	Oil drilling at Borda in West Bengal ..	78-79
2078	पश्चिम बंगाल के पोलाशपुरम क्षेत्र में गैस का पाया जाना	Gas found in Polashpur area of West Bengal	79
2079	तेल तथा गैस के लिए अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वेक्षण	Survey of Andaman and Nicobar Islands for Oil and Gas	79
2080	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खनिज का सर्वेक्षण	Mineral Survey of Andaman and Nicobar Islands ...	80
2082	भारत द्वारा विकासशील देशों के सहयोग से उद्योगों की स्थापना का विश्व बैंक द्वारा विरोध	World Bank's opposition for Establishment of Industries by India in Collaboration with Developing Countries	80

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2083	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling	80–81
2084	मंत्रियों द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाना	Filing of Income-tax returns by Ministers ...	81
2085	जनता द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से धन	Advance taken by People from Nationalised Banks	81–82
2086	राज्यों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण	Revision of Policy regarding Financial Assistance to States	82
2087	कोलार तथा हट्टी सोना खानों के सोने का मूल्य	Prices of Gold of Kolar and Hatti Gold Mines ...	82–83
2088	हट्टी सोना खानें	Hatti Gold Mines ..	83
2089	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा तैयार किया हल्दिया उर्वरक परियोजना के लिये प्रक्रम (प्रोसेस) डिजाइन	Process design for Haldia Fertilizer Project developed by Fertilizer Corporation ..	83–84
2090	लोह अयस्क पैलेटाइजेशन कारखाने की स्थापना	Setting up of Iron Ore Palletisation Plants ...	84–85
2091	अफ्रीकी देशों के खनिज संसाधनों के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी	Indian Know-how for Mineral Resources of African Countries	85
2092	भारत में तेल की खोज के लिए रूस से सहायता	Soviet assistance for Oil Exploration in India	85–86
2093	सरकार द्वारा गैर–सरकारी अस्पतालों के पलंगों का आरक्षण	Booking of Beds in Private Hosiptals by Government	86–87
2094	अधिक बड़े बिजली घरों की स्थापना तथा पारेषण (ट्रांसमिशन) व्यवस्था	Setting up of Bigger Power Station and Transmission System	87
2095	राज्यों के खर्चे में कमी	Reduction in Expenditure of States	87–88

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2096	फिल्मी सितारों से पकड़ा गया लेखा–बाह्य धन	Seizure of Unaccounted Money from Film Stars	88
2097	एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के पुत्र के आय कर संबंधी कागजात का गुम होना	Missing of Income Tax Documents in respect of a Former Chief Minister's son ...	88–89
2098	भटिंडा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant of Bhatinda	89–90
2099	आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना	Writing Off the Outstanding Income Tax Arrears	90
2100	मोतीपुर (बिहार) में नया तापीय बिजली घर लने पर लगाई गई पूंजी	New Thermal Power Station at Motipur (Bihar)	90–91
2101	चम्पारन जिले में गण्डक नहर क्षेत्रों में पानी जमा हो जाने के विरुद्ध विधायकों का अभ्यावेदन	Representation of Legislators against the accumulation of water on the Gandak Canal ares in Champaran District ...	91–92
2102	गण्डक परियोजना के लिये अधिक धन	More funds for Gandak Project	92
2103	कृषि क्रान्ति को तेज करने के लिये भारतीय तेल निगम द्वारा लाइट डीजल पम्पों का लगाया जाना	Installation of Light Pumps by Indian Oil Corporation for Boosting Green Revolution	92–93
2104	हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर	Hindustan Zinc Smelter	93–94
2105	हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर	Hindustan Zinc Smelter ..	94
2106	विदेशों की यात्रा के लिये संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Members of Parliment and others to visit Foreign Countries ...	94–95
2107	कलकत्ता में निजाम पैलेस सेंट्रल गवर्नमेंट होस्टल	Nizam Palace Central Government Hostel at Calcutta	95–96
2108	तस्करी का माल पकड़ने के लिये पुरस्कार	Awards for Seizure of Smuggled Goods	96–97

2109	उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Pauri Garhwal of U. P.	97
2110	पौड़ी गड़वाल का पौड़ी अस्पताल	Pauri Hospital of Pauri Garhwal	97-98
2111	मोदी उद्योग समूह पर सरकार की बकाया आयकर की राशि	Income Tax due to Government from Modi Enterprises	98
2112	5 लाख रुपये से अधिक आय कर की बकाया राशि	Arrear of Income Tax above Rs. 5 lakhs .	98
2113	उच्च अध्ययन के लिए डाक्टरों का विदेश जाना	Doctors going Abroad for Higher Studies ...	98-99
2114	उड़ीसा में हीरे, निफल और सीसे के निक्षेप	Deposits of Diamonds, Nickel and Lead in Orissa	99
2115	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास आरक्षित करना	Reservation of Government Accommodation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees	99-100
2116	उत्तरी क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी मांग पूरी करने के लिये आवश्यक उपकरण की सप्लाई	Supply of Essential Nquipment to meet Power needs of Northern Region	100
2117	जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन	LIC Investments in Private Sector ...	100-101
2118	पी. एल 480 निधियों का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग	Diversion of PL 480 Funds ...	102
2119	उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों का गुण स्तर तथा प्रभाव कायम रखने की आवश्यकता	Need for Maintenance of Quality and strenght of Fertilizers and Pesticides	103

2121	राष्ट्रीयकृत बैंकों की नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Urban and Rural afeas	103
2122	बिड़ला कम्पनी को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Birla Company ...	103–104
2123	विभिन्न बैंकों से कांग्रेस दल द्वारा लिया गया ऋण	Loans taken by Congress Party from various Banks	104
2124	जून, 1969 में हुए साम्यवादी पार्टियों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मंजूर की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange sanctioned for International Conference of Communist Parties held in June, 1969	104
2125	अशोक मार्केटिंग लिमिटेड के निर्देशकों पर आय-कर निर्धारण	Income Tax assessment of the Directors of Ashoka Marketing Ltd.	105
2126	वर्ष 1969–70 में राजस्व की प्राप्ति	Revenue Receipt during 1969–70	105–106
2127	अन्तरिम बजट तैयार करना	Formulation of Interim Budget ...	106
2129	फर्मों, कम्पनियों तथा उद्योगपतियों द्वारा आय-कर का भुगतान	Payment of Income-tax by Firms, Companies and Industrialists	106–107
2130	तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods	107
2132	हुन्डी सौदे	Hundi Transactions	107–108
2133	बर्मा आयल कम्पनी द्वारा आयल इंडिया लिमिटेड का नियंत्रण	Controlling of Oil India Ltd. by Burmah Oil Company	108
2134	बैंकों द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस को जमा से अधिक राशि दी जाना	Overdraft to All India Congress Party by Banks ...	108–109

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

2135	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजनैतिक दलों को ओवरड्राफ्ट (जमा से अधिक राशि देने) के सम्बन्ध में नीति	Policy regarding Overdraft to the Political Parties by the Nationalised Banks	109
2136	श्रीमती स्वेतलाना द्वारा कालाकोंकर में बनाया गया प्रसूति अस्पताल	Maternity Hospital at Kalakankar built by Madam Svetlana	109
2137	ताप बिजलीघर बोकारो को उपकरण सप्लाई करने के लिए रूस के मंत्री के साथ वार्ता	Talks with Soviet Minister for supply of Thermal Power Station Bokaro ...	110
2138	मंगलौर तथा कांडला उर्वरक परियोजनाओं के लिये ब्रिटेन से सहायता	U. K. Aid for Mandla Fertilizer Projects ...	110
2139	देहरादून में तिब्बती मठ	Tibstan Monestery in Dehra Dun	110–111
2140	नांगलोई (दिल्ली) ले-जाये गये अनधिवासियों की दयनीय स्थिति	Miseries faced by the Squaniters shifted to Nangloi (Delhi)	111
2141	मध्य प्रदेश में मन्दसौर नगर के जलमग्न भाग के लोगों को अन्यत्र बसाना	Shifting of inundated part of Mandsaur City, Madhya Pradesh	111–112
2142	मध्य प्रदेश में हीरे निकालने पर लगाई पूंजी	Capital Invested on Exploration of Diamonds in Madhya Pradesh	112
2143	कांगड़ा ग्रिड स्टेशन	Kangra Grid Station ...	112–113
2144	कर्मचारियों को क्षेत्रीय ग्रिडों के कार्यसंचालन का प्रशिक्षण	Training to personnel on the working of the Regional Grids	113–114
2145	बिहार बैंक का भावी संगठन	Future Organisation of Bihar Bank ...	114
2146	अमझोर (बिहार) से गंधक कारखाने का दिल्ली के निकट फरीदाबाद को स्थानान्तरण	Shifting of Sulphur Factory from Amjhore (Bihar) to Faridabad near Delhi ...	114

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

2147	बिहार में भारी बाढ़ के संबंध में संसद सदस्यों तथा विधायकों द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister on Heavy Floods in Bihar by M. Ps. and M. L.As.	114–115
2148	बरौनी उर्वरक परियोजना का निर्माण–कार्य	Construction of Barauni Fertilizer Project ...	116
2149	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में काम करने वाले आशुलिपिकों के वेतनमान	Pay scales of stenographers attached to Income tax appellate tribunals	116
2150	भारत के रिजर्व बैंक से निकाली गई अधिक धनराशि को चुकाने के लिए राज्यों को दिया गया धन	Amount given to states for clearing their overdrafts with Reserve Bank of India ...	117
2151	त्रावनकोर-कोचीन केमिकल्स, अलवाये के कार्य-संचालन में कथित हस्तक्षेप	Alleged interference in the working of Travancore-Cochin Chemicals Alwaye	118
2152	जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट	UNO report on population explosion	118–119
2153	जीवन बीमा निगम द्वारा अदा की गई पालिसियों की धन राशि	Amount of policies paid by LIC	119–120
2154	देश में हृदय रोग के विशेषज्ञों की कमी	Shortage of heart specialists in the country...	120
2155	खेतरी तांबा क्षेत्रों के पट्टे धारियों को मुआवजे की अदायगी	Payment of Compensation to leasees of Khetri Copper Fields	120–121
2156	धनकर के लम्बित मामलों का निपटारा	Disposal of pending wealth tax Cases... ...	121–122

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2157	जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त शिकायतें तथा उन पर कर्यवाही	Complaints received and disposed of by Life Insurance Corporation	122–123
2158	जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगों को ऋण	Loans to Industries through LIC	123
2159	पश्चिमी बंगाल में आय-कर, केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पादन-शुल्क की वसूली	Realisation of Income Tax, Central Sales Tax and Excise Duties in West Bengal ...	123–124
2160	विदेशी मार्के वाली विलास की वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of Luxury Goods of Foreign-make	124–125
2161	बाढ़ के कारण रामगंगा परियोजना (कालागढ़) को क्षति	Damage to Ramganga Project Kalagarh due to floods	125–126
2162	गन्दी बस्तियों के निवासियों को आधारभूत सुविधायें	Basic Amenities to Slum Dweller	126–127
2163	मंगलौर तथा कांडला उर्वरक कारखानों के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank Assistance for Fertiliser Factories at Mangalore and Kandla ... —	127
2164	शान-शौकत के खर्च को अवरुद्ध करने का प्रभाव	Effect of Restraint on Conspicuous Spending ..	127–128
2165	महाजनों से ऋण लेना	Private Money Lending	129–130
2166	मिट्टी हटाने वाली सरकारी मशीनों का उपयोग	Utiliation of Earth Moving Machines owned by Government	130–131
2167	बंगलौर की कैंसर निवारण संस्था तथा मानसिक रोगों के अस्पताल के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grants for Cancer Relief Institute and Menal Hospital, Bangalore	131
2168	राष्ट्रमंडल वित्त मंत्री सम्मेलन	Commonwealth Finance Ministers Conference	131–132

2169	गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी-निवेश	Investments by Life Insurance Corporation in Private Sector	132
2170	प्रधान मंत्री के निवास स्थान की मरम्मत तथा नवीकरण पर खर्च	Expenditure on Repairs and Renovation of Prime Minister's House	132–133
2171	राजस्थान में व्यक्तियों/फर्मों के नाम आय-कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears of Persons/Firms in Rajasthan	133
2172	नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत क्षेत्र को सुन्दर बनाना	Beautification of the area covered by New Delhi Municipal Committee ...	133
2173	सहकारिता क्षेत्र का विकास	Development of Co-operative Sector... ...	134
2174	मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Madhya Pradesh	134
2175	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच	Probe into allegations against Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd.	134–135
2176	सरकारी क्षेत्र में कार्य-कुशलता बढ़ाना	Improving of efficiency in Public Sector ...	135
2178	जस्ते और ताम्बे की कमी	Shortage of Zinc and Copper	136–137
2179	जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन	Annual Reports of Life Insurance Corporation	137
2180	दिल्ली में मोम की कीमतें निश्चित करना	Fixation of rates of Wax in Delhi	137–138
2181	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programe in Hills areas of U. P.	138–139
2182	मैसर्स फाइजर एण्ड कंपनी द्वारा ट्रेट्रा-साइक्लीन की बिक्री में कथित धोखा	Alleged cheating by M/s. Pfizer and Company through sale of Tetracycline	139

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2183	विदेशी बैंकों में जमा काले धन को कानून समस्त धन में परिवर्तित करना	Conversion of blackmoney in Foreign Banks into white money	139–140
2184	बरौनी से पूर्णिया (बिहार) तक जाने वाली विद्युत का किशनगंज सबडिवीजन तक विस्तार	Extension of Power from Barauni to Purnea upto Kisnan Ganj Sub-Division	140
2185	कोसी बांध परियोजना से बिजली	Electricity from Kosi Dam Project ...	140
2186	उत्तर प्रदेश से बिहार तक नहर का निर्माण	Cnstruction of Canal from U.P. to Bihar ...	140-141
2187	चौथी योजना में सम्मिलित मैसूर सिंचाई परियोजनायें	Mysore Irrigation Projects included in Fourth Plan	141
2188	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पुस्तिकायें तथा विवरणिकायें	Pamphalets and Brochures on Bank Nationalisation	142
2189	सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Fertilizer Factories in Public Sector	142–143
2190	विभिन्न पत्तनों पर पकड़े गये विदेशी सामान का मूल्य	Value of Foreign Goods seized at Various Ports	143–144
2191	नेताजी नगर स्थित केन्द्रीय गोदाम से सीमेंट की चोरी	Theft of cement from Central Stores, Netaji Nagar, New Delhi	144
2192	सरोजनी नगर, नई दिल्ली की ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड के समीप गंदगी की स्थिति	Insanitary conditions near Brigadier Hoshiar Singh Road, Sarojini Nagar, New Delhi	144
2193	गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में स्वर्ण की तस्करी	Gold smuggling along Gujrat coastiine ...	144–145

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2194	सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के लेखे।	G. P. F. Accounts of Government Employees ...	145–146
2195	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खाद्यान्नों के क्रय के लिये धन दिया जाना	Financing of Purchases of Foodgrains by Nationalized Banks	146
2196	सिंचाई कार्यों के लिये भूमिगत पक्की नहर	Under Ground Pucca Canal for Irrigation Purposes	146-147
2197	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्यालय रिकार्ड को हिन्दी में रखना	Maintenance of Office Records of Class IV Staff in Hindi	147
2198	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in office work relating to class IV Employees of Ministry of Health and Family Planning	147-148
2199	सरकारी प्रकाशनों का दो भाषाओं में प्रकाशन	Printing of Government Publications in Diglot Form	148
2200	वित्त मंत्रालय में हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन कार्य	Noting and Drafting in Hindi in Finance Ministry	148
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	149
	इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा	Statue of Mahatma Gandhi at India Gate	
	श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	149
	श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Muthi	

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	...	...	157
सभा का कार्य	Business of the House		...	159
सदस्यों द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Members		...	159
(1) श्रीमती नन्दिनी सत्पथी	Shrimati Nandini Satpathy	...	...	159
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	...	...	160
शपथ विधेयक	Oaths Bill	...	...	160
खंड 7 से 9 और 1	Clauses 7 to 9 and 1	..	...	163–167
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	...	...	168
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	...	...	169
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	..	...	169
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	...	...	169
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	...	..	169
भारतीय रजिष्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक	Indian Registration (Amendment) Bill		...	171
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed dy Rajya Sabha	...	...	171
श्री गोविन्द मैनन	Shri Govinda Menon	...	...	171
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	...	...	172
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as Amended	...	:	178
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	...	...	178
चाय (संशोधन) विधेयक	Tea (Amendment) Bill	...	...	179
बिचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	...	...	179
चौधरी राम सेवक	Chowdhary Ram Sewak	...	...	179

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu ...	180
श्री जे. एन. हजारिका	Shri J. N. Hazarika ...	182
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	183
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh ...	185
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	186
पश्चिमी बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का बसाया जाना	Settlement of East Pakistan Refugees in West Bengal	186
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	186
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	190–192

लोक-सभा
LOK--SABHA

सोमवार, 1 दिसम्बर, 1969/10 अग्रहायण, 1891 (शक)
Monday, December 1, 1969/Agrahayana 10, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न लेगें। पहला प्रश्न संख्या 301 है।

Shri Deven Sen : Mr. Speaker, Question No. 309 is also similar, so it may also be taken up with it.

Shri Rabi Ray : Question No. 311 is also just the same, so it may also be taken up simultaneously.

श्री सं० चं० सामन्त : 312 भी साथ ही ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने वाले सदस्यों में से कोई भी उपस्थित नहीं है।

Shri Madhu Limaye : When none of them is present, let me ask a question. Question No. 311 is similar.

Mr. Speaker : It will be taken up when your turn comes.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को सहायता

+

*302. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का किस प्रकार से अधिकतम उपयोग निर्यातकों को सहायता दिलाने के लिये किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) इन बैंकों से निर्यातकों को सहायता दिलाने के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) . राष्ट्रीयकृत बैंक, निर्यातकों को सहायता देने के उद्देश्य से ऋणों की व्यवस्था करने के काम को उच्च-प्राथमिकता देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है । फिर भी, निर्यातकों को बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं पर बराबर नजर रखी जाती है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या सरकार कया ध्यान कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डा० वालिस द्वारा 5 नवम्बर को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जब तक सरकार सामाजिक आयोजन पर अधिक बल नहीं देती है बैंकों के राष्ट्रीयकरण मात्र से भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं हो सकता और यदि हां, तो क्या यदि सामाजिक आयोजन नहीं किया जाता, तो यह एक अच्छी राजनैतिक कार्यवाही होगी ? इस तर्क के समर्थन में उन्होंने कहा है कि फ्रांस और इटली आदि देशों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं । यदि हां, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछने के स्थान पर उद्धरण क्यों देते हैं ? प्रश्न निर्यातकों को सहायता के बारे में है ।

श्री प्र० चं० सेठी : प्रश्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से निर्यातकों को सहायता के बारे में है, माननीय सदस्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में किसी का वक्तव्य उद्धृत कर रहे हैं । जहां तक निर्यात सहायता का सम्बन्ध है, मैंने मुख्य उत्तर में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या सरकार विशेष निर्यात सैल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो निर्यातकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के हेतु सरकार विशेष निर्यात बैंक क्यों नहीं बनाती ? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कितने छोटे उत्पादकों को निर्यात के

लिये सुविधायें दी गई हैं और निर्यात के लिये छोट उत्पादकों के चयन के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक निर्यात के लिये दी जाने वाली सुविधाओं का सम्बन्ध है, वे सभी राष्ट्रीयकृत तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम ब्याज पर आसान शर्तों पर ऋण के रूप में दी जाती हैं, इसके अलावा निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम द्वारा गारन्टी है और इसके अतिरिक्त बैंक स्वयं आसान शर्तों पर गारन्टी दे रहे हैं। जहां तक पृथक निर्यात-आयात बैंक का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर बैंकिंग आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विचार किया जायेगा परन्तु जहां तक इस समय दी जा रही सुविधाओं का सम्बन्ध है, उनका बड़े और छोटे दोनों प्रकार के निर्यातकों द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है और वे विभिन्न प्रयोजनों के लिये हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : अब तक कितने निर्यातकों को यह सहायता मिली है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मेरे पास निर्यातकों की संख्या तो नहीं है परन्तु मैं राशि बता सकता हूं। सभी गारन्टियों की राशि 1967 में 66.16 करोड़ रुपए की तुलना में 1968 में लगभग 109 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया राशि जून, 1968 के अन्त में 173.75 करोड़ रुपए की और मई, 1969 के अन्त में यह बढ़कर 260.86 करोड़ रुपए हो गई।

श्री मयावन : राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योगों की किस प्रकार सहायता कर रहे हैं और क्या बैंक निर्यात ऋण नियमों और विनियमों तथा औपचारिकताओं के बारे में मार्ग दर्शन करते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा मैं बता चुका हूं, यह छोटे और बड़े दोनों प्रकार के निर्यातकों को दी जा रही है। यह ऋण लेने के लिये दी जा रही है और निर्यात हेतु माल खरीदने और तैयार करने के लिये निर्यातकों को ऋण सुविधायें दी जाती हैं। माल भेजने के बाद निर्यात किये गये माल का मूल्य प्राप्त होने तक के लिये निर्यातकों को निर्यात-उपरान्त ऋण सुविधायें दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उपकरण आदि खरीदने के लिये दीर्घकालीन ऋण भी दिया जाता है।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या निर्यातक इस सहायता का लाभ उठा रहे हैं और अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है ? क्या इन निर्यातकों के परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं और क्या वे इसका स्वागत कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये धन के आंकड़े दिये थे। 1968 में 109 करोड़ रुपए और 1967 में यह राशि 66.16 करोड़ रुपए थी। गारन्टियों के विरुद्ध राशि गत वर्ष 173.75 करोड़ रुपए थी और इस वर्ष यह 260.86 करोड़ रुपए है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, it is clear from the reply that the nationalisation of banks can go a long away in helping India's export trade in the opinion of

Government. During the discussion on Nationalisation Bill when a demand was made for nationalisation of foreign banks, the Prime Minister had told us that the foreign banks were of great help to us in our export and import trade. Will the Finance Minister kindly state the percentage of India's trade assisted by the foreign banks and the nationalised banks, separately ?

श्री प्र० चं० सेठी : मेरे पास ब्यौरा नहीं है । जहां तक निर्यात के लिये विदेशी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायता दिये जाने का सम्बन्ध है, उस समय यह कहा गया था कि विदेशी बैंकों को इसलिये छोड़ दिया गया कि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक अच्छा अनुभव प्राप्त है और उनके अच्छे सम्पर्क हैं। इसके अतिरिक्त वे पर्यटकों को सहायता दे रहे हैं और विदेशी बैंकों को छोड़ देने का यह भी एक कारण है । साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं कि भारतीय बैंक भी वाणिज्यिक तथा राष्ट्रीयकृत निर्यातकों को सुविधायें दें ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : हाल में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि निर्यात संवर्धन के लिये सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से विशेष सुविधायें देगी । क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद निर्यात संवर्धन के इस विशिष्ट प्रयोजन के लिये कोई विशेष नियम बनाये गये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं बता चुका हूं कि निर्यातकों को ऋण सुविधायें दी जा रही हैं और इस मामले पर बराबर नजर रखी जाती है कि क्या और अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता है, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इस समय दी गई सहायता पर अधिक से अधिक 6 प्रतिशत ब्याज लिया जा सकता है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : दो बातों के लिये विशेष प्रयास और प्रोत्साहन की आवश्यकता है । एक है इस समय आस्थगित भुगतान के आधार पर वस्तुएं खरीदने तथा सेवायें प्राप्त करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और दूसरी है लघु उद्योगों को अधिक सहायता देने की आवश्यकता, जो निर्यात के सम्बन्ध में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को सामान्यतः पूरा नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार ने इन दो बातों के लिये कोई नई नीति बनाई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक आस्थगित भुगतान की शर्तों के लिये वित्त की व्यवस्था का प्रश्न है, औद्योगिक विकास बैंक 5 वर्ष के लिये पूंजीगत माल के मामले में सहायता दे रहा है, परन्तु उपयुक्त मामलों में यह अवधि 7 अथवा 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : निर्यात के लिये लघु उद्योगों को सहायता के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री प्र० चं० सेठी : उन्हें सहायता दी जा रही है ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : कीमती पत्थरों और हीरों का निर्यात अब बढ़ रहा है और भारतीय हीरों और कीमती पत्थरों की बहुत मांग है । क्या सरकार की नीति इनके निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का हीरों से कोई सम्बन्ध है।

श्री हेम बरुआ : क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की अब तक कोई ऋण नीति निर्धारित की गई है और यदि हां, तो क्या हम यह समझें कि इस नीति में निर्यात प्रोत्साहन को पर्याप्त स्थान दिया गया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमों के चलने के कारण हम कोई निदेश नहीं दे सकते हैं लेकिन हमने 'कस्टोडियनों' तथा अन्य लोगों को अपने विचार बताये हैं और सलाह दी है। यह भी उसमें शामिल है, मैं पहले यहां बता चुकी हूं कि किसको ऋण दिये जाने चाहियें। निर्यात भी इसका भाग है। मैं यह भी बता चुकी हूं कि जनसंख्या के निचले वर्ग के लोगों, किसानों, लघु उद्योगों तथा अन्य की सहायता करने के लिये ऋण दिये जाने चाहियें।

श्री ई० के० नायनार : चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात और आयात के बीच अन्तर कम हो जाने की संभावना है। इसका मुख्य कारण आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि की 7 प्रतिशत की प्रत्याशित दर के विरुद्ध केवल लगभग 3 प्रतिशत वृद्धि होना है। यदि पांच वर्ष की अवधि में अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात दुगना करने का लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो योजना बनाने वाले व्यक्तियों के अनुमान गलत हो सकते हैं। लेकिन यह विदेशी धन के बढ़ाये जाने पर निर्भर करता है। इस्पात और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन स्थिर रहा है। निर्यात अभियान को सफल बनाने हेतु सरकार किसानों और लघु उद्योगों को कहां तक सहायता दे सकती है और विदेशी बैंक निर्यात संवर्धन के लिये कहां तक सहायता दे सकते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : गत वर्ष निर्यात में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह सच है कि इस वर्ष के शुरु के महीनों में निर्यात में केवल 3½ प्रतिशत वृद्धि हुई है लेकिन हम आशा करते हैं कि आगामी महीनों में परिणाम अच्छे होंगे तथा 5½ से 6 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। लेकिन हम देखेंगे कि स्थिति में किस प्रकार सुधार होगा।

छोटे निर्यातकों को सहायता के प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि निर्यात ऋण गारन्टी निगम की गारन्टी 66.2/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है।

Shri O. P. Tyagi : Have Government adopted any policy under which special assistance may be given to such export items with maximum employment opportunities in accordance with their announced policy of Socialistic pattern ?

श्री प्र० चं० सेठी : निर्यात प्रयोजनों के लिये ऋण सुविधाओं पर निरन्तर नजर रखी जाती है और हम इन्हें काफी परिवर्तनशील रखते हैं। उदाहरण के लिये तम्बाकू के लिये पैकिंग कागज और चमड़े की वस्तुओं को, जो पहले शामिल नहीं थीं, अब शामिल कर लिया गया है। जहां कहीं हम समझते हैं कि सहायता दी जानी चाहिए, हम क्षेत्र का विस्तार कर देते हैं।

मुद्रा निकालने के विशेष अधिकारों का उपयोग

***303. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने वैदेशिक व्यापार की कठिनाइयों को कम करने के लिये मुद्रा निकालने के विशेष अधिकारों (पैपर गौल्ड) का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो लाभकारी व्यापार संतुलन प्राप्त करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में विशेष रूप से सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड के फैसले के अनुसार, सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकारों का नियतन 1 जनवरी, 1970 से ही किया जायगा।

चौथी आयोजना में, अन्न के रियायती आयात को समाप्त करके और निर्यात की वृद्धि की दर को आयात की वृद्धि की दर से अधिक करके, व्यापारिक घाटे को विशेष आहरण अधिकारों की सहायता के बिना ही कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने, निर्यात को बढ़ाने और आयात-प्रतिस्थापन के लिए किये गये विभिन्न उपायों से इस लक्ष्य की पूर्ति में साहयता मिलने की आशा है।

Shri Shiv Chandra Jha : I want to know whether by the introduction of the system of Special Drawing Rights, the developed countries would get more facilities as compared to India or any other under-developed countries; and if so, what suggestions have been made by India so as to get more facilities for under-developed countries on account of the introduction of this Special Drawing Rights' system ?

श्री प्र० चं० सेठी : मुद्रा निकालने के विशेषाधिकारों के अधीन मुद्रा निकालना विभिन्न सम्बन्धित देशों के लिये निर्धारित कोटे पर निर्भर करेगा। यह सच है कि पंचवर्षीय पुनरीक्षण के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस कोटे में संशोधन करने वाला है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमने यह मामला उठाया है कि विकासशील देशों के बारे में कोटे में संशोधन करते समय, विकासशील देशों को विशेष रियायत दी जानी चाहिये, परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि आहरण अधिकार किसी देश के कोटे पर निर्भर करेगा। मुद्रा लेने के ये विशेष अधिकार किसी देश द्वारा अपनी अदायगी तथा आरक्षण-स्थिति में सुधार करने के लिये प्रयोग में लाये जायेंगे। इसलिये, यद्यपि इन विशेषाधिकारों के अधीन विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में कम धन मिलेगा, परन्तु उन्हें इसकी तभी आवश्यकता होगी जबकि उनकी आरक्षण स्थिति अनुकूल नहीं होगी।

Shri Shiv Chandra Jha : The hon. Minister has stated that he has his own way of increasing the balance of trade by increasing exports during the Fourth Five Year Plan. If his statement is correct, I want to know whether he has initiated negotiations with other countries, particularly the developed countries, to the effect that they should compulsorily purchase non-traditional good e.g. engineering goods, for meeting their

shortage so that we are able to assess the increase during the Fourth Five Year Plan ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक निर्यात की विभिन्न मदों का प्रश्न है, कभी कभी यह दो देशों के मध्य द्विपक्षीय आधार पर होता है, और इसीलिए यह किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के माध्यम से किसी समझौते या करार के रूप में नहीं हो सकता। साथ ही, माननीय सदस्य जानते हैं कि जहां तक परम्परागत तथा गैर-परम्परागत मदों का प्रश्न है, हम निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गैर-परम्परागत मदों के निर्यात के सम्बन्ध में हम काफी कुछ कर चुके हैं। हमें आशा है कि चौथी योजना में निर्यात में 7 प्रतिशत की वृद्धि करने से हम पहले कि अपेक्षा अधिक निर्यात कर रहे होंगे।

Shri Shiv Chandra Jha : My point is not yet clear. Has the hon. Minister raised any issue in the UNCTAD to the effect that the developed countries must purchase one percent or a certain percentage of the goods from our country ?

श्री प्र० च० सेठी : मैंने इसका उत्तर दे दिया है। यह परस्पर दो देशों में द्विपक्षीय आधार पर होता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से नहीं।

श्री लोबो प्रभु : स्वाधीनता के समय विदेशी मुद्रा की 850 करोड़ रुपये की आरक्षण धनराशि हमारे हक में थी जबकि आज 7000 करोड़ रुपये का हमें घाटा है। यह मुख्यतः केवल इसी कारण है कि हमारे उद्योग आधी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। दूसरा तथ्य यह है कि आज आयात और निर्यात के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा के बारे में 500 करोड़ रुपये का अन्तर है। आपके पास इतनी ही धनराशि के समान विदेशी मुद्रा की आरक्षित धनराशि है।

इन परिस्थितियों में, मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिये बेहद दौड़-धूप नहीं की जानी चाहिये। हमें अपने ऋणों में ऐसी वृद्धि नहीं करनी चाहिये कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस महत्वहीन पूंजी का भुगतान करना पड़े तथा जिससे वर्तमान मूल्यों में, विश्व मूल्यों की तुलना में, 100 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य को मालूम है कि भारत के निर्यात तथा आयात के बारे में व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहा है। यह सच है कि जहां 1966-67 में यह राशि 921 करोड़ रुपये थी, अब यह घट कर 502 करोड़ रुपये रह गई है। फिर ऋण तथा ब्याज की अदायगी का भी प्रश्न है। योजना सम्बन्धी कागजों में किये गये हिसाब-किताब के अनुसार हमें आशा है कि 1978-79 तक इस प्रतिकूल व्यापार-संतुलन को समाप्त कर दिया जायेगा। हां, जब तक हमारा व्यापार—संतुलन प्रतिकूल रहेगा और हमें ऋणों और उन पर ब्याज देना पड़ेगा, तब तक हमें विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में यह प्रतिकूल अन्तर कम होता जा रहा है।

गुजरात राज्य के दंगा-पीड़ित लोगों को नकद सहायता

***304. श्री रा० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने दंगा-पीड़ित लोगों को नकद सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस व्यय को वहन करने के लिये केन्द्र से ऋण अथवा सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस राज्य को कुल कितनी राशि दी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि दंगों के कारण राहत-कार्यों पर किये जाने वाले खर्च के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार जो भी उचित अनुरोध करेगी उस पर भारत सरकार राज्य सरकार की आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी।

श्री सेझियान : (घ) भाग का क्या उत्तर है ?

श्री रा० बरुआ : यहां दो पहलू हैं। पहला, तुरन्त राहत तथा पुनर्वास प्रदान करने सम्बन्धी है। दूसरा, उन लोगों को बसाने का है जिनका व्यवसाय समाप्त हो गया है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ? तुरन्त राहत में कितनी धनराशि दी गई है ? दूसरे, उपद्रवों के शिकार व्यक्तियों को बसाने हेतु कितनी राहत दी गई है ?

श्री र० के० खाडिलकर : जहां तक पुनर्वास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया है तथा प्रत्येक परिवार को 500 रुपये दिये जा रहे हैं जिनको कि प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी 500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं।

उन्हें 4 प्रतिशत की दर पर 5000 रुपये का ऋण भी दिया जा रहा है तथा 6 प्रतिशत की दर पर बैंक भी उन्हें ऋण दे रहे हैं। यह स्थिति है.... **(व्यवधान)**

श्री रा० बरुआ : उन लोगों के बारे में क्या किया जा रहा है जिनके धंधे समाप्त हो गये हैं ?

श्री र० के० खाडिलकर : यह मामला राज्य से सम्बन्ध रखता है। परन्तु फिर भी मैं ने कहा है कि राज्य सरकार 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर 5,000 रुपये का ऋण तथा बैंक 6 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दे रहे हैं।

डा० रानेन सेन : समाचार पत्रों में इस आशय के निरन्तर समाचारों को देखते हुए कि गुजरात में हुए दंगों की रोक थाम के बारे में राज्य सरकार कारगर उपाय करने में असफल रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन राहत प्रबन्धों की जांच करेगी,

और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे कि समुचित राहत तथा पुनर्वास का कार्य ठीक से हो ?

श्री र० के० खाडिलकर : जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकार को हर प्रकार की अपेक्षित सहायता देने को तैयार हैं।

श्री मनुभाई पटेल : गुजरात सरकार ने दंगों के शिकार लोगों के लिये शीघ्रता से राहत कार्य किये तथा मकान बनवाये और शरणार्थियों को कुछ ही दिनों में उनकी इच्छा-नुसार उन के घरों को भेज दिया। इस पर काफी धनराशि खर्च हुई तथा गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है। यह एक राज्य का संकट नहीं है बल्कि सारे राष्ट्र का संकट है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री मनुभाई पटेल : यह एक राष्ट्रीय संकट है। केवल उक्त राज्य ही नहीं बल्कि इसके लिये सारा देश उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार को विशेष सहायता देनी चाहिये। क्या वित्त मंत्रालय राज्य सरकार की सहायता की मांग को स्वीकार करेगा और क्या सरकार वहां लगाई गई सेना के खर्च का भार राज्य सरकार पर नहीं डालेगी ?

श्री र० के० खाडिलकर : जहां तक राहत-कार्यों का सम्बंध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है, राज्य सरकार ने कुछ उपाय किये हैं। उन्होंने भी सहायता देने के लिये हमें लिखा है। वहां हुई हानि का कुल अनुमान 3 करोड़ रुपये है। उस में से 20 लाख रुपये का भुगतान अब तक हो चुका है। यदि पूरी तरह विचार करने के बाद हानि के अनुमान में वृद्धि होती है, तो जैसा कि मैंने कहा है, केन्द्रीय सरकार सहायता देगी। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते····**(अन्तर्बाधा)**

श्री पीलू मोडी : वह संख्या क्या है श्रीमन्, हम सुन नहीं सके ?

श्री र० के० खाडिलकर : मैंने कहा है कि दंगों के दौरान हुई हानि का अनुमान 3 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने 16 नवम्बर तक 20 लाख रुपये खर्च किये हैं।

श्री प्र० के० देव : क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं संतुष्ट हूं अथवा नहीं, यह कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं और मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : गुजरात में दंगे होने से पूर्व देश के कई अन्य भागों में भी दंगे हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों को भी, जहां दंगे हुए थे, उसी प्रकार सहायता दी गई है जिस प्रकार गुजरात को दी जा रही है ?

श्री र० के० खाडिलकर : प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त देश में आन्तरिक दंगों के सम्बन्ध में केन्द्र भूतकाल में सहायता की एकसी पद्धति को अपनाता रहा है। यह बंगाल

तथा उड़ीसा को दी गई थी। यहां भी, क्योंकि ये दंगे विशिष्ट प्रकार के हैं, हम उनकी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। गुजरात में जब सूखा पड़ा था तब हमने $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये दिये थे।

श्री हेम बरुआ : मैं बहुत खुश हूं कि सरकार का विचार गुजरात में दंगों के पश्चात् उत्पन्न स्थिति के लिए वित्तीय सहायता देने का है। लेकिन आपत्ति यह है कि जब 26 जनवरी, 1961 को आसाम में गोहाटी में दंगे हुए थे तो इस सदन में कहा गया था कि पीड़ितों की सहायता के लिए आसाम को कुछ नहीं दिया जायेगा। गुजरात और आसाम के लिए दो मापदण्ड क्यों अपनाये जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister of State has stated that the loan by the banks will be given at the rate of 4 percent. May I know whether this rate is not high? You give loan at the rate of 4 percent to establish industries. The persons who have become homeless and whose business have gone to dogs in the riots should be given loan at a lower rate and particularly when the banks have been taken over by the Government.

श्री र० के० खाडिलकर : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री हेम बरुआ . मंत्री महोदय हलकी आवाज में बोल रहे हैं, अतः हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात स्पष्ट नहीं है कि दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों में जितनी हानि हुई है उसका अब तक समुचित आंकलन तथा मूल्यांकन किया गया है कि नहीं। क्या उनका यह विचार है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक उनको जो जानकारी दी गई है वह अधूरी है और भारत सरकार वहां जो नुक्सान हुआ है उसका अपने आप मूल्यांकन करेगी ?

श्री र० के० खाडिलकर : जैसा मैंने कहा, गुजरात सरकार ने उतना अनुमान लगाया है, जितना राहत उपायों के लिए आवश्यक होगा और उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये बताया है, यही गुजरात सरकार ने बताया है। हमने स्वतंत्र रूप से कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : May I know whether arrangements for any special help will be made for the persons who have become disabled in the riots and for the public institutions ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : So far as the details and the questions of quantum of help is concerned, it is looked into by the State Government. We have mainly stated that if they will require we will try to give them full help.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister of State has stated in his reply to a question that they will help if Gujrat Government will desire so. Gujrat Government has spent Rs. 20 lakhs while damage is to the extent of Rs. 3 crores. If Gujrat Government do not ask for help, why do not you help them and advance loans? May I know whether you have given any financial help to them; if not the reason therefor ?

Whether it is a fact that the Government of Gujrat is a supporter of syndicate and therefore, they are not given any help.

Shrimati Indira Gandhi : This is not the fact. There are many types of Governments in our country. They may or may not be with us. The Central Government have always been impartial to all the forms of Governments. There are peoples of other parties also among them and we never made any discrimination.

We have not given any relief to Gujrat Government directly so for. Previously whenever such thing happened, we left that on the State Government. They should spend whatever is necessary. If they require anything and ask us for that, we look into that ......

Shri Hukam Chand Kachwai : Why help was not given ?

Shrimati Indira Gandhi : Because the riots took place hereon a large scale, so we said to them that if they require we will help them . Just now Shri Vajpayee talked about banks, The Government is giving loan at therate of six percent. The first five hundred of each loan are free of interest, repayable after ten to twenty years.

Shri Atal Bihari Vajpayee : At what rate the banks will advance loans?

Shrimati Indira Gandhi : In the matter of relief, banks do not come directly. If it is required, we can help the State Governments.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It appears that the reply given by the Prime Minister is different from the reply given by the State Minister.

The hon. State Minister has stated that the banks are giving loans at the rate of 6 percent. The hon. Prime Minister has stated that banks are not giving loans.

Shrimati Indira Gandhi : This is not the fact. They are giving loans. We are not directly concerned with that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are at a loss to know what is this.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is no co-ordination.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

वित्त संस्थानों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों में विशेषज्ञों का मनोनीत किया जाना

***307. श्री एम० आर० दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थानों की औद्योगिक उपक्रमों के लिए विशेषज्ञ मनोनीत करने का निर्देश देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे औद्योगिक प्रबन्ध विशेषज्ञ इस समय वित्तीय संस्थानों में कार्य कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितने विशेषज्ञ इस समय उपलब्ध हैं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध के विषय में उनकी अर्हतायें क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये तथा कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ङ) . औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि जब किसी गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक कम्पनियों को सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता दी जाय तो प्रायोजना को निश्चित रूप से 'संयुक्त क्षेत्र' की प्रायोजना माना जाय और उसके प्रबंध में सरकार को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय । इस प्रायोजन के लिए समिति ने पूर्णकालिक सरकारी निदेशकों के एक संवर्ग (केडर) के निर्माण का सुझाव दिया है । ये निदेशक ऐसी कम्पनियों में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे । समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) . इस समय वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों में औद्योगिक प्रबन्ध के विशेषज्ञों की संख्या पर्याप्त नहीं है । फिर भी, सरकार का यह विचार है कि कुछ समय बाद सरकारी निदेशकों का एक संवर्ग (केडर) बनाया जा सकता है ।

श्री एस० आर० दामानी : मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार ने निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई आधार निर्धारित किया है अथवा आधार निश्चित करने जा रही है, और यदि हां, तो वे आधार कौन से हैं ?

श्री प्र० च० सेठी : निदेशकों की नियुक्ति के लिए आधार यह होगा कि जिनको निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है उनको सम्बन्धित उद्योग के बारे में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए अथवा उनको प्रबन्ध विशेषज्ञ होना चाहिए ।

श्री प्र० के० देव . हारे हुए मंत्री !

श्री प्र० च० सेठी : यदि वे योग्य व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से उनके सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा ।

श्री एस० आर. दामानी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह समवाय अथवा यूनिट के कार्यकरण के आधार पर होगा अथवा उपलब्ध विशेषज्ञों के आधार पर ।

श्री प्र० च० सेठी : इस विशिष्ट मामले में, हमें यदि वहां हैं तो, सरकारी क्षेत्र, वर्तमान संस्थाओं, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा वित्तदाता संस्थाओं से विशेषज्ञ लेने होंगे । इस बात को सब जानते हैं कि जहां तक उच्च श्रेणी के प्रबन्धकों का सम्बन्ध है तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों की कमी है और हम उनका एक पूल बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री एस० आर० दामानी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान समवाय कानून के अन्तर्गत सरकार को उद्योग अथवा समवाय पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, मैं जानना चाहता हूँ ऐसी नियुक्तियों से क्या लाभ होगा ?

एक माननीय सदस्य : और भी विलम्ब ।

श्री प्र० च० सेठी : वर्तमान समवाय अधिनियम की धारा 81(3), के अन्तर्गत, यदि मूल ऋण करार में निदेशकों की नियुक्ति का उपबन्ध है तो हम निश्चित रूप से उस हद तक इसका आश्रय ले सकते हैं । लेकिन दत्त समिति ने कहा है कि हमें इस पूरे प्रश्न की जांच करनी चाहिए । इस लिए मैंने उत्तर के मुख्य भाग में कहा कि निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पूरे प्रश्न की जांच की जा रही है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या हमेशा किसी कर्जदार कम्पनी में सरकार के हित की निगरानी करने के लिए नाम निर्देशित निदेशक नियुक्त करने की नीति नहीं रही है ? यह आम रीति से विचलन नहीं है ।

श्री प्र० च० सेठी : मैंने अभी बताया कि समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 81(3) के अन्तर्गत ऐसा उपबन्ध पहले ही है कि यदि मूल ऋण करार में वित्तीय संस्थाओं से निदेशकों की नियुक्ति करने के बारे में उपबन्ध है तो उस हद तक इसका आश्रय लिया जा सकता है, लेकिन यदि करार में उपबन्ध नहीं है तो उस हद तक ऐसा उपबन्ध नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दत्त समिति के प्रतिवेदन में की गई इस सिफारिश को कि सरकार को इन बड़े एकाधिकार गृहों में वित्तीय संस्थाओं से निदेशक नामजद करने चाहिए ताकि कुछ नियंत्रण हो सके, क्रियान्वित करने में काफी समय लग जायेगा क्योंकि सरकार के पास अपेक्षित योग्य व्यक्ति नहीं है । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि इन बड़े एकाधिकार गृहों में इन वित्तीय संस्थाओं के लिए तथा इनकी ओर से स्वतंत्र व्यक्तियों को नामजद करने के लिए, ताकि उनकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके, कौन बाधा उपस्थित कर रहा है ?

श्री प्र० च० सेठी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां कहीं भी वित्तीय संस्थाओं ने ऋण दिये हैं, जिस हद तक दत्त समिति की सिफारिशें सरकार के सामने जांच के लिए है यदि उस समिति के प्रतिवेदन को हमने अपनाना है तो हमें निदेशकों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र व्यक्तियों सहित सभी समुदायों से कर्मचारी लेने पड़ेगें, जो कि उद्योग के बारे में उनके विशिष्ट ज्ञान पर निर्भर होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Why do not you make such an arrangement that so long you do not have expert people any you do not take any final decision regarding Dutt Committee's report, persons should be appointed in the big business houses as an interim arrangement. My second question is that when will you take a decision on the Dutt Committee's report ?

Shri P. C. Sethi : There are two parts of this question loan advanced so far by the Industrial Financial Corporation or other institutions and secondly, the loans

to be advanced in future. So far as the question of loan to be advanced in future is concerned, this provision should be made in the agreement made with them regarding loan to be advanced in future. But so far as the old loan is concerned, Government should think over it. The decision will be taken after we have reached some conclusion.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : कम्पनी कानून में संशोधन किया जा सकता है, What is difficulty in it ?

श्री प्र० च० सेठी : मैंने कहा है कि सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है, जैसे ही इस पर निर्णय लिया जायेगा, हम सभा को सूचित करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question was when the decision would be taken. Are you making interim arrangement or not ?

Shri P. C. Sethi : As far as the granting of loans in future is concerned, it can be done after considering in this way but as far as the loan, which was already granted, is concerned, it can be done if there is a provision in loan agreement in accordance with section 81 (3) of the Companies Act.

Shri Kanwar Lal Gupta : When the decision will be taken ?

श्री कार्तिक उरांव : क्या वित्तीय संस्थाएं आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक उपक्रमों के बोर्ड में नामांकन के लिए विशेषज्ञों की एक नियमित तालिका रखते हैं बजाए इसके कि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने से पूर्व महीनों तक ऐसे कर्मचारियों की खोज की जाए और इस प्रकार इतना अधिक समय लिया जाये ?

श्री प्र० च० सेठी : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हमने सरकारी उपक्रमों के कार्यालय में ऐसे व्यक्तियों की तालिका बनाने की व्यवस्था की है। जहां तक वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और हम इसके लिए विशेषज्ञों की तालिका बनाना चाहेंगे।

ऋणों को साम्य पूंजी में परिवर्तन करना

*309. **श्री देवेन सेन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के नाम क्या हैं, जिनको सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों को साम्य पूंजी में परिवर्तित किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निम्नलिखित तीन कम्पनियों को दिये गये ऋणों की कुछ रकम को शेयर पूंजी में परिवर्तित किये जाने की संभावना है :—

(i) शिवानन्द स्टील्स लिमिटेड, कोयम्बतूर

(ii) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता

(iii) मान्दय नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड बंगलौर

इन कम्पनियों के पूंजीगत ढांचे को पुर्नगठित करने की योजनाओं के एक भाग के रूप में इन ऋणों की कुछ रकम को शेयर पूंजी में परिवर्तित किया जा रहा है।

सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की उन सिफारिशों से है जिनमें उनसे यह बात कही है कि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दिये गये ऋणों को उनकी सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया जाय। सरकार इन सिफारिशों पर अभी विचार कर रही है।

Shri Deven Sen : I want to know whether the Birla firms were given maximum foreign currency ? If so, whether Birlas have refunded any amount or not ? If not, whether their loan would be converted in to equity or not.

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न उन बड़े औद्योगिक संस्थानों के नामों के बारे में है जिनका सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण साम्य पूंजी में परिवर्तित कर दिया जायेगा और मैंने इसका उत्तर दे दिया है। यह अनुपूरक प्रश्न इससे नहीं उठता है। यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न पूछना चाहें तो मैं निश्चिय ही उत्तर दूंगा।

Shri Deven Sen : This question arises because I asked which firms have refunded the amounts ? I want to know whether the Birlas have refunded any amount or not ? You should reply to it

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने संख्या के बारे में पूछा है न कि ब्यौरे के बारे में।

श्री देवेन सेन : संख्या और नामों के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने संख्या के बारे में पूछा है।

श्री देवेन सेन : मैं संख्या के बारे में नहीं अपितु नामों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० कृष्णा।

Shri Deven Sen : Has the loan in the form of foreign exchange, which was granted to Birla, been refunded or not ? If not, whether it would be converted into equity or not.

श्री एस० एम० कृष्ण : ऐसा कहा गया है कि सरकार मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, को दिए गए ऋण को साम्य पूंजी में परिवर्तित करके अपने अधिकार में लेना चाहती है। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि मांड्या नेशनल पेपर मिल्स में बड़े पैमाने पर हुए कुप्रबन्ध और गड़बड़............

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है, आप इसके लिए अलग से सूचना दे सकते है।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह मन्त्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर से उठता है। अतएव, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सरकार द्वारा गारंटी अथवा ऋण देने से पूर्व मांड्या नेशनल पेपर मिल्स् में हुए कुप्रबन्ध की जांच करवाई है ?

श्री प्र० च० सेठी : जहां तक उन तीन कम्पनियों का, जिनका मैंने उल्लेख किया है, सम्बन्ध है, उनके साथ किये गये मूल ऋण करार में यह व्यवस्था थी कि प्रबन्धक ऋण को साम्य पूंजी में परिवर्तित करने में समर्थ हो सकेंगे और इन कम्पनियों की पूंजी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में यह कम्पनियों की स्थिति को सुधारने के लिए किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तुलसीदास जाधव, श्री लिमये ।

श्री मधु लिमये : 311

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न 311 और 312 को लेंगे ।

ऋणों का साम्य पूंजी में बदलना

311\. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों को दिये गये सरकारी ऋणों/अग्रिम धन को साम्य अंशों में बदलने सम्बन्धी विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के बारे में जनता के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया प्राप्त की है ; और

(ग) सरकार का कब ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग) . समवाय अधिनियम 1956 में पहले से ही कानूनी उपबन्ध दिये गये हैं, जिनके अन्तर्गत ये व्यवस्थाएं की गयी हैं; अर्थात

(i) कोई वित्तीय संस्था किसी कम्पनी को दिये गये ऋणों को सामान्य शेयरों में बदल सकती है बशर्ते कि ऋण की शर्तों में इस प्रकार का परिवर्तन करने का विकल्प हो ; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, किसी कम्पनी को सरकार द्वारा दिये गये ऋणों को, लोकहित में, शेयर पूंजी में परिवर्तित करने का निर्देश दे सकती है चाहे ऋण देते समय इस प्रकार के परिवर्तन की कोई पूर्व-व्यवस्था न हो ।

फिर भी, औद्योगिक लाइसेन्स नीति विषयक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि जब गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सरकारी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता दी जाये तो वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं को इस बात पर जोर देना चाहिए कि उनके द्वारा दिये गये ऋणों के पूरे या कुछ भाग को उनकी इच्छा के अनुसार, कम्पनी की सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित कर लेने दिया जाये और यदि आवश्यक हो तो ऐसा करने के लिए कानून में संशोधन भी किया जाना चाहिये । समिति की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है ।

ऋणों का साम्य अंशों में बदलना

***312. श्री स० चं० सामन्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वित्तीय उपक्रमों द्वारा पूंजी निवेश को अंशों में बदल दिये जाने के मामले में अक्तूबर, 1969 के अन्त तक क्या कार्यवाही की गयी थी और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) ऐसे उपक्रमों के प्रबन्धकों और प्रशासकों तथा सरकारी प्रतिनिधियों को क्या अनुदेश जारी किये गये हैं ; और

(ग) ऐसा परिवर्तन करने से क्या लाभ होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति का उस सिफारिश से हैं जिसमें समिति ने यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋणों को सहायता प्राप्त कम्पनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाये। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

(ग) इन ऋणों को शेयर पूंजी में परिवर्तित किये जाने की शर्त का उल्लेख वित्तीय संस्थाओं और सम्बद्ध कम्पनी के बीच किये जाने वाले ऋण-करारों में किया जाता है। यदि इन शर्तों के आधार पर, कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश, कम्पनी द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज की दर से अधिक हो तो जाहिर है कि वित्तीय संस्थाओं को इस तरह का परिवर्तन करने में लाभ होगा। अतः संस्था इस प्रकार से परिवर्तित किये गये शेयरों के मूल्यों में भविष्य में होने वाली वृद्धि में भी भागीदार होगी।

Shri Madhu Limaye : If it is the policy of the Government to expand the public sector, what is the reason that Government do not take immediate decision regarding the conversion of loans, given by Public Financial Institutions, into shares in a particular period ?

Shri P C. Sethi : As far as the Government loan is concerned, as I have just stated, there is a provision in the law that Government loans can be converted into shares. The main question is whether the loans given by institutions like Industrial Finance Corporation etc. can be converted or not. I have stated that the concerned report is under the consideration of the Government and the Government would take immediate decision on it.

Shri Madhu Limaye : But why does not the Government take decision to this effect that it would be done during a specific period.

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कहा है कि सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है और हम इस पर शीघ्र निर्णय लेंगे। हम समय सीमा निश्चित नहीं कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : This is the socialistic image of the Government.

The banks, which were nationalised, had shares of Financial Institutions. About payment of compensation to them, it was stated in the Financial memorandum that Rs. 75 crores would have to be granted. But now we have come to know that Government would have to give loans to the tune of more than Rs. 150 crores. When Government had twenty five percent shares in their hands, what are the reasons that the Government did not take action to take over those companies without giving compensation, while the Government say that they have got right to do so ? I will request the Government to take immediate decision and give assurance to the House that it would be done by budget session. If the Government do not give this assurance then their talks of socialism will not have any effect on the country.

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया है कि इन वित्तीय संस्थाओं का बैंकिंग कम्पनियों में अंश है। जहां तक वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, जैसा कि यह इस समय है, ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि उनको अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है जब तक कि वे मूल ऋण करार का भाग न हो। मैंने बताया है कि केवल सरकारी ऋणों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम में व्यवस्था है कि इनको साम्य पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने यह भी बताया है कि सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है और हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे। परन्तु माननीय सदस्य नाटकीयता लाना चाहते हैं और भाषण देना चाहते हैं। यह एक भिन्न मामला है।

Shri Madhu Limaye : That is my work. The people have sent me here to let them know that there is a wide gap between preceps and practice of the Government.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि औद्योगिक विकास निगमों के नियम तथा विनियम विभिन्न राज्यों में एक जैसे हैं ? यदि नहीं, तो सभी राज्यों में उन्हें समान बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक 20 लाख रुपये से कम के ऋणों का सम्बन्ध है, वे उन पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि वे राज्य वित्तीय संस्थाओं के भाग बन जाते हैं। बीस लाख रु० से अधिक के ऋण व्यक्ति की सामर्थ्य आदि पर निर्भर करते हैं। इसकी जांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा होती है। ये स्वायत्तशासी निकाय होते हैं और प्रत्येक मामले के गुण-क्षेत्र पर विचार करने का उन्हें अधिकार है। उन्होंने ऋण देने के लिये कुछ नियम बनाए हैं.

श्री एस० आर० दामानी : त्री मंमहोदय ने बताया है कि यह पूरा मामला सरकार के विचाराधीन था। क्या मैं जान सकता हूँ कि एल. आई. सी., आई. सी. आई. सी., आई. एफ. सी., आई. डी. ए. आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं से सलाह-मशविरा किया गया था और यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : उन संस्थाओं को भी अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा गया है।

श्री पी० राममूर्ति ; हम सभी जानते हैं कि ऋणों को साम्य पूंजी में परिवर्तित करने का उपबन्ध है। वास्तव में इस अधिनियम में 1950 में संशोधन किया गया था और टाटाओं

को 10 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था और उन्होंने उस ऋण को वापिस नहीं किया है। क्या उन्होंने गत 14 वर्षों में जब से यह ऋण दिया गया है तब से कभी इस ऋण को साम्य पूंजी में परिवर्तित करने के बारे में निर्णय लिया है और यदि कुछ नहीं किया गया है तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री प्र० च० सेठी : मेरे पास टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बकाया ऋण की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है परन्तु जहां तक मुझे याद आता है कि यह कम्पनी बकाया ऋण चुका रही है। अतएव सरकार के समक्ष यह प्रश्न सक्रिय विचार के लिए आया था। इस तथ्य को देखते हुए कि ऋण की अदायगी हो रही है और हम इस अदायगी के बारे में एक विशेष स्थिति तक पहुँच चुके हैं, ऐसा नहीं किया गया।

डा० सुशीला नैयर : क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व सरकार अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास इन बैंकों के 40 प्रतिशत अंश हो सकता है कि यह 35, 38 अथवा 40 प्रतिशत हो। मंत्री महोदय सही प्रतिशत बता सकते हैं। अब यदि हां, तो सरकार को और अधिक अंश लेने से किसने रोका ताकि इन संस्थाओं में उसके अधिकतम अंश हो और उन पर बिना क्षति-पूर्ति दिये नियंत्रण हो सके, बजाए इसके कि इस प्रकार की कार्य-वाही की जाए जिसमें हमें 150 करोड़ रुपये देने पड़े ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न है, हम इस समय किसी निश्चित आंकड़ों पर नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि इसको अभी निश्चित करना है। 75 करोड़ रुपये के आंकड़े का अनुमान उस समय लगाया गया था परन्तु इस मामले की जांच करनी है कि क्या 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा सही है या गलत, और इस पर बाद में विचार किया जायेगा। जहां तक विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकिंग कम्पनियों को दी गई सहायता को परिवर्तित करने का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा है कि 1956 के अधिनियम में ऐसा नहीं है। जब तक कि यह करार का भाग न हो और जब तक इस अधिनियम को न बदला जाये, ऐसा करना संभव नहीं है।

बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर कई और विचार थे जैसे कि अर्थ-व्यवस्था की धुरी पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इसलिये हमने सामाजिक नियंत्रण से एक कदम और आगे रखा तथा बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

डा० सुशीला नैयर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यह परिवर्तन के बारे में नहीं है, आप और अधिक अंश नहीं खरीदते।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गैर-सरकारी उपक्रमों को दिये गये ऋणों को साम्य पूंजी में बदलना

*** 301. श्री श्री निवास मिश्र : श्री ए० श्रीधरन :**
श्री मंगलाथुमा डोम : श्री क० लकप्पा :
श्री पी० विश्वम्भरन : श्री लखन लाल कपूर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–सरकारी उपक्रमों को दिये गये ऋणों को साम्य पूंजी में बदलने के बारे में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . इस सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश छोड़ने के बदले में नकद धनराशि देना

***305. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने अर्जित अवकाश को छोड़ देने वाले कर्मचारियों को नकद धन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, उनकी जमा छुट्टी के कुछ भाग को अवकाश–वेतन के बदले में समर्पण करने की अनुमति देने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

सरकारी उपक्रमो के आस पास सहायक उद्योगों की स्थापना

***306. श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री जनार्दनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आस-पास सहायक उद्योगों को स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969–74) के मसौदे के अनुसार सरकारी उद्यमों को, सहायक उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे वे कलपुर्जों सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

(ख) मार्च 1966 में सरकारी उद्यमों को परामर्श दिया गया था कि वे अपने उपक्रमों के आस-पास सहायक उद्योगों के विकास के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में, अगस्त, 1969 में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर फिर से जोर दिया गया था और उन्हें अनुरोध किया गया था कि वे कार्यान्वयन सम्बन्धी रिपोर्ट सीधे लघु उद्योगों के विकास आयुक्त बन को प्रस्तुत करें जो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर नजर रखते हैं।

Loans Granted by Industrial Finance Corporation to Big Industrialists

*** 308. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the last few years, the Industrial Finance Corporation has granted loans of large amounts to the big industrialists; and

(b) if so, the reasons for which the public sector has helped such industrialists as they can meet their requirements through their own resources in building their monopoly by expanding their business ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The Industrial Finance Corporation generally provides assistance to large scale industrial projects. Smaller projects, where the assistance required is below Rs 20 lakhs, are dealt with by the State Financial Corporation. Of the assistance provided by the Industrial Finance Corporation upto 30th June, 1968, about 36 per cent has gone to large industrial groups, 19 per cent to industrial cooperatives and 45 per cent to others. It is the endeavour of the Corporation to see that in the case of large industrial houses, their own contribution in a project is proportionately higher compared to medium scale or new enterprises. Also before giving them loan-assistance, the public financial institutions concerned are expected to ensure that the large industrial groups do make an effective contribution from their own resources and depend upon the financial institutions only to the extent regarded as necessary. Assistance to large industrial groups has been generally given for priority industries such as fertilisers, cement and petro-chemicals.

जस्ता पिघलाने का कारखाना उदयपुर के 'रोस्टर संयंत्र' का बार-बार बन्द होना

***310. श्री तुलसी दास जाधव** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर स्थित जस्ता पिघलाने के कारखाने का 'रोस्टर संयंत्र' बार-बार बन्द हो जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए हर बार कितना गन्धक लगता है और उस पर कितना खर्च आता है;

(ग) पिछले छः महीनों में इसके बार-बार बन्द होने के कारण उत्पादन में अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई तकनीकी जांच कराने का विचार है और इस 'रोस्टर संयंत्र' की खराबियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) ये खराबियां कब तक दूर हो जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह सच नहीं है कि रोस्टर संयंत्र बार-बार बन्द हो जाता है, लेकिन सारे रोस्टर अनुभाग से सम्बन्धित सहायक यन्त्रों अर्थात् फालतू–ताप बॉयलर और एसिड संयंत्र या राख ले जाने की प्रणाली में जब भी कोई खराबी आ जाती है, संयंत्र को संकटकालीन रख–रखाव के लिये थोड़ी अवधियों के लिये बन्द कर दिया जाता है। बार बार होने वाली बिजली की खराबियों के परिणाम स्वरूप भी रोस्टर को छोटी अवधियों के लिये बन्द करना पड़ता है।

(ख) तकनीकी परामर्शदाताओं की सलाह तथा बन्द हो जाने के पश्चात् रोस्टर संयंत्र को फिर से चालू किये जाने की क्रियाविधि के अनुसार ताप (उचित तापमान) को वापिस पाने के लिए गंधक को कच्चे रूप में उपयोग में लाना आवश्यक है। इसकी मात्रा सामान्यता बन्द की गई अवधि तथा सम्बन्धित संयंत्रों में कठिनाइयों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तथापि, बन्द किये जाने के कारण जब भी तापमान 750° सें० से नीचे गिर जाता है तभी लगभग 1.5 से 2 मैट्रिक टन गन्धक की आवश्यकता होती है। रोस्टर को फिर से चालू करने के लिए गन्धक जलाने के खर्चे का अनुमान लगभग 600/– रुपये है।

(ग) जस्ता प्रद्रावक सितम्बर 1968 से अपनी निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत पर चल रहा है। रोस्टर अनुभाग के बाद राख को जमा करने की व्यवस्था है, जो रोस्टर एकक के छोटी अवधि के लिए बन्द हो जाने के दौरान इलैक्ट्रोलाइसिस संयंत्र को चालू रहने में सहायता करती है। अतः उपरि–निर्देशित बन्द किये जाने के अवसरों को, जो दुर्घटनास्वरूप की जाने वाली मरम्मतों या आयोजित निवारक रखरखाव या बिजली की खराबी के कारण आते हैं, उत्पादन में हानि के लिये उत्तरदायी नहीं बताया जा सकता।

(घ) और (ङ). हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि रोस्टर संयंत्र में मूलतः कोई खराबी नहीं है। कुछ यांत्रिक मरम्मतें, जिन्हें आवश्यक पाया गया, अब कर ली गई है और यह बताया गया है कि रोस्टर संयंत्र पुनरारम्भ कर दिया गया है और सामान्य रूप से चल रहा है। अतः इस सम्बन्ध में कोई तकनीकी जांच करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

Rules Regarding Reinstatement Promotion and Dismissal of Employees in Public Undertakings.

*313. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any suggestion was made throug a letter by a Member of the Parliament in the first week of September, 1969 in connection with the rules of reinstatement, promotion and dismissal in Public Undertakings:

(b) whether there was any mention of prevalent irregularities and arbitrary acts in the letter; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P C. Sethi) : (a), (b) and (c). The Hon'ble Member had himself addressed letters to the Prime Minister and the Minister of Petroleum and Chemicals, making some observations on certain aspects of management of Public Enterprises such as appointment recuitment and promotion Policy, and the question of having Service Commission for Public Enterprises.

The suggestions have been examined in the context of the relevant policy decisions, some of which were finalised after taking into account the recommendations of the Administrative Reforms Commission in their Report on "Public Sector Undertakings".

The letter also referred to allegations of arbitrary and unfair decisions which has been brought to the Member's notice in regard to personnel matters. It made specific mention of a particular appointment made in a Public Enterprise. Although the appointment falls within the autonomous control of the Corporation concerned, the Ministry made enquiries in the matter on receipt of the Member's letter in question. They have been informed that the particular officer appointed was the first name in the select list of candidates and was considered otherwise too suitable for the appointment.

विभिन्न वस्तुओं और कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि

*** 314. श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री महेन्द्र माझा :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री दे० अमात :
श्री रा० को० अमीन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई/अगस्त, 1969 में विभिन्न वस्तुओं तथा कच्चे माल के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में "इकनॉमिक टाइम्स" द्वारा किये गये सर्वेक्षण, जो उस पत्र में 7 सितम्बर, 1969 को छपा था, की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण पारिवारिक बजट में हुई वृद्धि का सरकार द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। थोक मूल्यों का मासिक औसत सूचकांक जुलाई 1969 में, 1.5 प्रतिशत बढ़ गया था पर अगस्त 1969 में वह 0.2 प्रतिशत घट गया। इसी तरह औद्योगिक कच्चे माल की कीमत भी जुलाई, 1969 में, 2.7 प्रतिशत बढ़ गयी और बाद में, अगस्त, 1969 में वह 1.7 प्रतिशत घट गयी।

(ख) सरकार ने "वस्तु मूल्य सर्वेक्षण–(कामोडिटी प्राइसेज़सर्वे) अगस्त, 1969" नामक लेख देखा है जिसे 'इकनॉमिक टाइम्स' 5 सितम्बर, 1969 के अपने अंक में, न कि 7 सितम्बर, 1969 के अंक में, प्रकाशित किया था।

(ग) और (घ) . उपलब्ध सूचना, अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है । तीन महीनों में, (जुलाई से सितम्बर तक) जिनके सम्बन्ध में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) ज्यों-का-त्यों अर्थात् 179 रहा ।

विश्व बैंक के मूल्यांकन दल की भारत यात्रा

***315. श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी/फरवरी, 1969 में विश्व बैंक का मूल्यांकन दल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या क्या सिफारिशें की थीं; और

(ग) विश्व बैंक ऋण विस्तार योजनाओं की अविलम्ब आवश्यकताएं कहां तक पूरी करेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । विश्व बैंक के मूल्यांकन दल ने तीसरी दूर संचार–प्रायोजना का मूल्यांकन करने के लिए जनवरी-फरवरी, 1969 में भारत का दौरा किया था ।

(ख) विश्व बैंक समूह ने, उक्त दल के मूल्यांकन के आधार पर, भारत को दूर-संचार प्रायोजना के लिए 550 लाख डालर की, जो 41.25 करोड़ रुपये के बराबर है, (जिसमें विश्व बैंक और उससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का अंशदान बराबर बराबर है) विदेशी मुद्रा की सहायता देने का वचन दिया । इस सहायता के लिए, 18 जून, 1969 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ग) विश्व बैंक समूह से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की सहायता से, डाक-तार विभाग द्वारा सीधे आयात की जाने वाली वस्तुओं का खर्च तीन वर्षों (1969–70 से 1971-72 तक) और दूर-संचार उपकरण बनाने वाले देशी कारखानों के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों पर होने वाला खर्च दो वर्षों (1969–70 से 1970–71 तक) तक पूरा किया जायगा ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की मांगें

***316. श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा भारत में अन्य स्थानों पर नियुक्त उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने "सैल्फ रिमूवल प्रोसीजर" नामक योजना के लागू होने के विरुद्ध, तथा भारत सरकार को पेश की गई अपनी कुछ मांगों के समर्थन में जो कि सरकार ने स्वीकार नहीं की थी, 1 अगस्त, 1969 को अपना वेतन लेने से इन्कार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है, तथा कुल कितने उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने अपना वेतन लेना अस्वीकार कर दिया था; और

(ग) इन अधिकारियों के साथ समझौता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र. चं सेठी) : (क) जी नहीं। परन्तु, दिल्ली और कुछ अन्य समाहर्ता-कार्यालयों में तैनात, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के (कुल 20,000 में से) कोई 4000 अराजपत्रित कार्यकारी अधिकारियों ने 1 अगस्त, 1969 को अपना वेतन नहीं लिया।

(ख) और (ग) . एक विवरण पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2157/69]**

कर अपवचन को रोकने की योजना

***317. श्री कं. हाल्दर : श्री गणेश घोष :**
श्री धि० कु० मोडक : श्री भगवान दास ।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कर अपवंचन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) अब तक की गई कार्यवाहियों के क्या ठोस परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एक नई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . सदन की मेज पर एक विवरण पत्र रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2158/69]**

(ग) और (घ) . कर अपवंचन की समस्या और उसको हल करने के उपायों की ओर सरकार का ध्यान निरन्तर लगा हुआ है। कर–अपवंचन की समस्या की छानबीन करने के लिए नियुक्त की गयी विभागीय समिति की रिपोर्ट पर, आगे की कार्यवाही करने की दृष्टि से सरकार विचार कर रही है।

महाराष्ट्र में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं

***318. श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र के लिए तथा देश में, कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई और कितनी-कितनी लागत की;

(ख) इन परियोजनाओं के परिणाम-स्वरूप महाराष्ट्र में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी; और

(ग) महाराष्ट्र में इस समय बड़ी और मध्यम परियोजनाओं द्वारा वस्तुतः कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) . महाराष्ट्र में 54.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पिछले तीन वर्ष के दौरान (अर्थात अप्रैल, 1966 से मार्च

1969 तक) 18 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गई है । इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण देश के लिये 209.2 करोड़ रुपये की कुल लागत की 64 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गई थी ।

(ख) 4.9 लाख एकड़ ।

(ग) वृहत और मध्यम परियोजनाओं से (योजना से पहले की परियोजनाओं को मिला कर) 1968–69 के अन्त तक महाराष्ट्र में सिंचित क्षेत्र का अनुमान 11.9 लाख एकड़ लगाया गया है और मार्च 1969 तक स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल 31.4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ।

Expenditure of Delegates who participated in 23rd Session of U. N. Assembly.

***319. Shri J. Sundar Lal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of officers went to New York to participate in the 23rd Session of U. N. Assembly;

(b) the number of non-official delegates, besides official delegates who went to New York at the time of the 23rd Session; and

(c) the total expenditure incurred by Government on official and non-official delegates ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Six

(b) Nine, including the Minister of State in the Ministry of External Affairs, the Minister for Finance & Industries, Government of Gujarat and five Members of Parliament.

(c) Rs. 6,40,986.00 (appr.)

कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बंगला एलाट करना

***320. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा के निवास के लिए एक बड़ा और विशाल बंगला एलाट किया गया है;

(ख) क्या अन्य राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अध्यक्षों को भी ऐसे बंगले दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) बंगले का आवंटन श्री निजलिंगप्पा के दामाद, श्री एम० वी० राजेश्वर, संसद् सदस्य के नाम किया गया है ।

(ख) कुछ राजनैतिक पार्टियों के अध्यक्षों (प्रेसीडेन्ट्स/चेयरमैन) को संसद् सदस्य की हैसियत से बंगले आवंटित किये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Extension of CGHS Scheme to other Places

***321. Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the places where the Central Government Health Service Scheme is working these days; and

(b) the names of the places where the scheme would be introduced within the next one year, two years ond three years, respectively ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The Central Government Health Scheme is at present operating in Delhi, Bombay and Allahabad.

(b) For the present, a modified scheme for Calcutta is under consideration. The extension of the scheme to other places is still under consideration.

आसाम में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

***322. श्री हुचे गौड़ा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में वर्तमान तेल क्षेत्रों के आसपास काफी मात्रा में तेल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आसाम में एक अन्य तेल शोधक कारखाना चालू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिये आसाम में, कोई पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह चालू करने की सरकार की कोई योजना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). आसाम के कच्चे तेल के संसाधनों, कुछ क्षेत्रों के उत्पादन के वार्षिक दर तथा पूर्वी भारत के मौजूदा शोधक कारखानों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के बाद शेष उपलब्ध मात्राओं को ध्यान में रखते हुये, एक नये शोधक कारखाने की स्थापना या मौजूदा संयंत्रों में से एक या दो संयंत्रों के विस्तार की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता और तुलनात्मक लाभप्रदता का अध्ययन करने के लिये, सरकार ने अप्रैल 1969 में **विशेषज्ञों**

की एक समिति नियुक्त की थी । समिति की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है, किन्तु इस बीच विशेषज्ञों की समिति के निष्कर्षों से उत्पन्न, कुछ अध्ययन आरम्भ कर दिये गये हैं और इनमें प्रगति हो रही है । आसाम के सिवसागर जिले में मोरेन-लाकवा नामक स्थान पर पैट्रो-रसायन यूनिटों की स्थापना के लिये आसाम इंडस्ट्रियल डवलपमैन्ट कारपोरेशन को एक आशय पत्र दे दिया गया है । मद तथा उत्पादन क्षमताएं, जिनके लिये आसाम इंडस्ट्रियल डवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड को आशय पत्र दिया गया है, निम्न प्रकार है :—

मद	क्षमता (प्रति वर्ष मीटरी टनों में)
1. मैथेनोल	7,500
2. फोरमालिन	12,000
3. नान–कांनसैन्ट्रेटिड गलू (50 प्रतिशत)	12,000
4. कांनसैन्ट्रेटिड गलू (75 प्रतिशत)	13,000
5. यूरिया फार्मलडीहाइड मोलडिंग पाऊडर	1,000
6. पी. बी. सी. प्रोसैस्ड माल (गुडस)	6,000

फरक्का बांध परियोजना के फालतू कर्मचारियों का तीस्ता नियन्त्रण परियोजना में नियुक्ति करना

***323. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद कितने कर्मचारी और श्रमिक फालतू हो जायेंगे;

(ग) क्या निकट भविष्य में उत्तर बंगाल में तीस्ता नदी के नियंत्रित करने हेतु कार्य आरम्भ करने की कोई योजना है;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या फरक्का परियोजना के फालतू कर्मचारियों को तीस्ता नियंत्रण परियोजना में नियुक्त करने का सरकार का कोई विचार है; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो (1) क्या सरकार का विचार तीस्ता नियंत्रण परियोजना को आरम्भ करने का है और (2) फरक्का बांध परियोजना के फालतू कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये क्या कोई प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ला० राव) : (क) फरक्का बराज के कार्य काफी हद तक 1970–71 तक पूर्ण हो जाएंगे ।

(ख) ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि रखरखाव संगठन पर जिसकी परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकता होगी और जिसमें वर्तमान स्टाफ में से कुछ लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, अभी विचार हो रहा है ।

(ग) से (घ) . केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री और पश्चिम बंगाल के सिंचाई तथा जलमार्ग मंत्री के बीच हाल ही में हुए विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गई तीस्ता बराज परियोजना रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संशोधित की जा रही है । इसके पश्चात केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इसकी जांच करेगा । परियोजना की उपयुक्त अवस्थाएं क्या क्या होंगी इस पर विचार हो रहा है । इस परियोजना पर सलाहकार समिति का अनुमोदन और योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात इसे राज्य की चौथी योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा । फरक्का बराज परियोजना के फालतू स्टाफ को तीस्ता परियोजना में खपाने का प्रश्न, परियोजना के स्वीकृत होने पर उठेगा । इस बीच उस स्टाफ को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन विविध संस्थाओं में यथा संभव उपयुक्त नौकरियां दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो कि फालतू घोषित हो जाएगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग

***324. श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के संघों ने वेतन वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने समस्त बैंक कर्मचारियों की ओर से जिनमें सम्बद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी भी शामिल हैं, भारतीय बैंक संघ को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें मजदूरी में वृद्धि करने की मांग भी की गई है ।

(ख) और (ग) . इस समय भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से भी, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बात-चीत कर रहा है । इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि करने की मांग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार किए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

जमा दरों का पैटर्न

***325. श्री अजमल खां :** **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री घी० ना० देव : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने बैंकों को हाल में निदेश जारी किए हैं कि वे उन जमा-दरों के पैटर्न को स्वीकार करले और यथासम्भव शीघ्र लागू कर लें जो उसने निर्धारित किए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) रिजर्व बैंक के जिस निदेश में विभिन्न प्रकार की जमा रकमों पर ब्याज की दरें निर्धारित की गई हैं, उसके प्रति राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है।

Advantages to Foreign Banks in India as a result of Nationalisation of Indian Banks

***326. Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Ranjeet Singh Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the foreign banks situated in India are likely to take undue advantage of the nationalisation of the banks; and

(b) if so, the steps taken by Government to prevent it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों को विशेष प्रोत्साहन

*327. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रोत्साहन क्या हैं और क्या ये प्रोत्साहन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जायेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें सुधारने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए कितनी सहायता देगी और इसमें प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र का भाग कितना होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). राज्यों / संघ क्षेत्रों द्वारा ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: —

(1) ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों के लिए समेकित काडरों का बनाना;

(2) ग्राम भत्ता, निःशुल्क आवास, पीने के पानी, बिजली आदि की व्यवस्था, जैसे सभी प्रोत्साहन देना;

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भौतिक सुविधाएं विशेषतया भवनों और आवासिक क्वार्टरों में सुधार करना;

(4) ग्राम क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक सेवा निवृत्ति डाक्टरों को दो–बारा रोजगार देना;

(5) अग्रिम वेतन वृद्धियों की मंजूरी देना;

2. कुछ राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा छात्रों को कतिपय वर्षों के लिए ग्राम क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से काम करने के लिए छात्रवृत्तियां / वजीफे देने की व्यवस्था करना।

3. सुदूरवर्ती, पिछड़े तथा कठिन क्षेत्र समझे जाने वाले 400 विशिष्ठ क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को 150 रुपये प्रतिमास भत्ता देने के हेतु एक योजना तैयार की जा रही है। जिसके अन्तर्गत सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्यों को सौ प्रतिशत सहायता देगी। ग्रामों को मुख्य सड़कों से मिलाने वाली सड़कों, पीने के पानी तथा बिजली जैसे विशेष विकास कार्यों के लिए भी इस योजना में व्यवस्था करने का विचार है।

(ग) और (घ). ग्राम क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उन 508 विकास खण्डों में जिनमें इस समय कोई प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र नहीं है ऐसे केन्द्रों की स्थापना के कार्य को पूरा करने का विचार है।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों को राज्य प्लान में सम्मिलित किया गया है। किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध बुनियादी सेवाओं को सशक्त करना केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना में वर्गीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उन खण्डों में जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के रख-रखाव चरण में पहुँच चुके हैं। स्टाफ को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुमोदित स्टाफ के अनुरूप करने के निमित्त नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त स्टाफ पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए राज्यों को शत–प्रतिशत सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है।

Expenditure on Telephone Calls in Government Offices in Delhi.

*328. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the expenditure on telephone calls in the Central Government Offices located in Delhi has been increasing since the introduction of S. T. D. System;

(b) if so, the orders issued by Government to reduce this expenditure; and

(c) the amount of expenditure incurred on telephone calls during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The S. T. D. system, first introduced between Delhi and Agra about seven years ago, has been extended to other stations (about a dozen in all) over a period of time. It would,

therefore, be difficult to make any comparative study with reference to a specific point of time. Further, during the above period the activities of various offices have increased, which wou'd have led to more telephone calls even in the normal course. In the circumstances, it would not be possible to say definitely that the introduction of S. T. D. system by itself has led to increase in telephone expenditure in Central Government offices in Delhi.

(b) In view of (a) this does not arise. However, Government have issued orders with a view to reduce the expenditure on calls made from residential telephones. A ceiling on these calls has been imposed, beyond which the concerned officers have to pay.

(c) The information is not centrally available in the Ministry of Finance and is being collected from all the Ministries. It will be laid on the Table of the House as early as possibie.

साऊथ अरब में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

***329. श्री चां० चु० देसाई : श्री ग्र० दीपा :**
श्री गु० च० नायक : श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधिकारियों का एक दल हाल में साउथ अरेबिया गया था :

(ख) क्या तेल की खोज तथा अन्य कामों के लिए भारत और साऊथ अरेबिया का संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में उन्होंने कोई प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिशों के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) (क) जी हां।

(ख) और (ग). दोनों देशों की दो पार्टियों के बीच तेल की खोज तथा उर्वरक उद्योग में सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में बहुत साधारण रूप से बातचीत हुई है। मामले की पैरवी शायद कुछ देर बाद की जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से राजनीतिक दलों को ऋण का दिया जाना

***330. श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अधिकार में लिए गए बैंकों में से कुछ बैंकों ने हाल के मध्यावधि चुनावों में अनेक राजनीतिक दलों तथा व्यक्तियों को ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) दल तथा व्यक्ति-वार कितनी राशि दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . जैसा कि बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1969 की धारा 16 (1) में व्यवस्था की गई है, बैंकों के किन्हीं विशेष खातेदारों के बारे में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती।

भारतीय फिल्मों की तस्करी

2001. श्री बाबूराव पटेल :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री वासुदेव नायर :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दमन और वापी के रास्ते दुबाई को कितनी और कौन कौन सी भारतीय फिल्मों को चोरी छिपे भेजा गया;

(ख) क्या यह सच है कि वापी की ओर जा रहे एक ट्रक से हाल ही में 50 फिल्में पकड़ी गई थीं, यदि हां, तो वे फिल्में किस तारीख को पकड़ी गई थीं और पकड़ी गई फिल्मों तथा इस सम्बन्ध में बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) इस योजनाबद्ध तस्करी के परिणाम स्वरूप भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को उक्त अवधि के दौरान अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी; और

(घ) तस्करी की रोक-थाम के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पिछले तीन वर्षों में दमन और वापी होकर डुबाई को चोरी छिपे ले जाए गए भारतीय चलचित्रों की संख्या और उनके नामों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन, 12 अक्टूबर 1969 को दमन के श्री मोहम्मद इस्माइल गांची के स्थानों से इस आधार पर 22 भारतीय चलचित्र पकड़े गए थे कि वे चलचित्र डुबाई से अवैध निर्यात किए जाने के लिए थे। चलचित्रों का मूल्य 1,27,800 रुपए है। दमन में पकड़े गए चलचित्रों के नाम अनुबन्ध 'क' में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2159/69**]

(ख) यह सच नहीं है कि तेज रफ्तार से वापी की तरफ जाते हुए एक ट्रक में से हाल में 50 चलचित्र पकड़े गए थे। लेकिन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 4 अगस्त 1969 को कोलाबा जिले में माण्डवा-दस्तूरी के निकट सड़क के परे खड़े किए गए लेखन सामग्री के एक ट्रक में से 8,77,000 रुपए के मूल्य के 59 चलचित्र और चमकीली जरी के 120 बन्डल पकड़े गए थे। यह ट्रक चालू हालत में नहीं था। इस मामले में अब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोलाबा जिले में पकड़े गए चलचित्रों के नाम अनुबन्ध 'ख' में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त अवधि में, तस्कर आयात निर्यात के कारण इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को हुई विदेशी मुद्रा की हानि के सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) विशेषत: समुद्रतटीय क्षेत्रों में तस्कर–विरोधी अभियान को काफी सुदृढ़ बना दिया गया है। तस्कर आयात–निर्यात को रोकने के लिए किए गए उपायों में ये उपाय शामिल हैं:– समुद्र तट के किनारे गश्त लगाना, मार्ग में मोटर गाडियों की तलाशी लेना, गुप्त सूचना इकट्ठी करना तथा तस्करों के अड्डों पर छापों का आयोजन करना। समुद्र में गश्त लगाने के लिए निवारक कर्मचारी वर्ग को लांचेज की व्यवस्था करदी गई है। तस्कर विरोधी उपायों में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिए सुगमता से पार किए जाने योग्य क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस एकक भी तैनात किए गए हैं।

अधिक उर्वरक कारखानों का स्थापित किया जाना

2002. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सामान्य उर्वरक कारखाना स्थापित करने पर कितनी लागत आती है; और

(ख) उर्वरक की सप्लाई में आत्मनिर्भर होने के लिए देश में और उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नेफथा पर आधारित तथा प्रति वर्ष 330,000 मीटरी टन यूरिया की क्षमता के एक उर्वरक कारखाने पर लगभग 45.0 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

(ख) दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास तथा बरौनी की नई उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। नाम रुप तथा उद्योगमण्डल स्थित कारखानों की विस्तार योजनाओं सम्बन्धी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निम्नलिखित स्थानों पर उर्वरक परियोजनायें स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमति दे दी गई है।

(1) कांडला
(2) कोर्वा
(3) रामागुडंम
(4) तालचर
(5) गोआ
(6) ट्राम्बे (विस्तार)
(7) सेवा–नौहवा
(8) मंगलौर
(9) मिर्जापुर
(10) विशाखा पत्तनम
(11) मथुरा
(12) काम्पटी
(13) तूतीकोरिन

इसके अतिरिक्त, मीठापुर, हल्दिया और पारादीप में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। नंगल तथा कोचीन स्थित परियोजनाओं के विस्तार पर भी विचार हो रहा है।

गुजरात में पेट्रोरसायन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

2003. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में पेट्रो–रसायन सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) इस दृष्टि से कि गुजरात ऐसा राज्य है जहां पेट्रो–रसायन उद्योग का संवर्धन किया जाएगा, क्या वह ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उचित स्थान नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) से (ग) : गुजरात या किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षण संस्थान (विशेषकर पेट्रो–रसायन के लिए) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आशा है कि पेट्रो–रसायन उद्योगों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकतायें इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून द्वारा, जहां सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है, पूरी की जायेंगी। विभिन्न कैमिकल उद्योगों ने भी तकनीकी व्यक्तियों को संयंत्र प्रशिक्षण देने के प्रोग्राम बनाये हैं। इसके अलावा, सम्बन्धित कारखानों के विदेशी सहयोग-करारों में तकनीकी पदों के लिए भारतीयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

पेट्रो–रसायन उद्योग समूह

2004. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक कौन कौन से पेट्रो–रसायन उद्योग समूह स्थापित किए गए हैं और उनकी मदवार तथा कारखानावार उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) उनमें उत्पादित माल को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है और देश में अन्य उद्योगों को उनसे क्या लाभ हैं; और

(ग) देश में कितना कच्चा माल उपलब्ध है और किन स्थानों पर इन उद्योगों की स्थापना लाभप्रद है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) : अब तक बम्बई क्षेत्र में दो पेट्रो–रसायन उद्योग समूह स्थापित किए गए हैं। वे निम्नलिखित हैं :–

1. मैसर्स यूनियन कारबाइड आफ इन्डिया।
2. मैसर्स नेशनल आर्गेनिक केमिकल इन्डस्ट्रीज लि०।

प्रत्येक उद्योग समूह की क्षमता निम्नलिखित हैं :—

यूनियन कारबाइड आफ इन्डिया :

पौलियाइलीन	9,000 टन प्रतिवर्ष
बेन्जीन	3,000 टन प्रतिवर्ष

इस क्रेकर से मैसर्स हरडिल्लया केमिकल्स लि० को फिनोल (10,000 मीटरी टन प्रति वर्ष), एसिटोन (6,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष) बनाने के लिए प्रोपाइलिन की सप्लाई की जाती है। पथालिक एनहाइडराइड (6,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष) के उत्पादन के लिए फर्म के पास लाइसेंस है। यह आयातित पेट्रो–केमिकल आर्थोजाइलिन पर आधारित है।

नेशनल आर्गेनिक केमिकल इन्डस्ट्रीज लि०

निम्नलिखित वस्तुयें बनाने के लिए इस फर्म को लाइसेंस दिया गया है :–

		(मीटरी टनों में)
(क)	इथाइलिन आकसाइड	12,000 प्रति वर्ष
	1. फ्री इथालिन आक्साइड	4,000 प्रति वर्ष
	2. इथाइलन गलाइकोल	10,000 प्रति वर्ष
	3. आइप्रोडक्ट–डीइयाइलिन गलाइकोल	6,000 प्रति वर्ष
	4. पोलिइयाइलिन गलाइकोल	1,000 प्रति वर्ष
(ख)	वीनाइल क्लोराइड मौनोमर	30,000 प्रति वर्ष
(ग)	पी० वी० सी०	20,000 प्रति वर्ष
(घ)	प्रोसैस्ड पी० वी० सी० का माल	5,000 प्रति वर्ष
(ङ)	इयाइलिन डीक्लोराइड	3,000 प्रति वर्ष
(च)	इसोप्रोपानोल	1,500 प्रति वर्ष
(छ)	एसिटोन	11,000 प्रति वर्ष
(ज)	डीएसिटोन अल्कोहाल	2,800 प्रति वर्ष
(झ)	एम० आई० बी० के०	3,700 प्रति वर्ष
(ट)	बूटानोल	88,000 प्रति वर्ष
(ठ)	2–इथाइल हेक्सानोल	8,000 प्रति वर्ष
(ड)	बैन्जीन	14,000 प्रति वर्ष
(ढ)	डीसाइक्लोपैन्टाडाइन	700 प्रति वर्ष
(न)	बूटाडाइन	7,200 प्रति वर्ष
(त)	मोथेन	2,700 प्रति वर्ष

इथाइलिन की सप्लाई

मैसर्स पोलिओलिफिन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को, हाई डेन्सिटी पोलिइथाइलिन के निर्माण के लिये, इस समूह से की जाती है–इस यूनिट की लाइसेंस की गई क्षमता 20,000 मीटरी टन प्रति वर्ष है।

बेन्जीन एवं इथाइलिन की सप्लाई मैसर्स पोलिकैन को स्टाइरिन/पोलिस्टाइरिन बनाने के लिए की जाती है।

(ख) इन कैंकरों से उत्पादित उत्पादों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

1. **प्लास्टिक्स**

(1) हाई डेन्सिटी तथा लो डेन्सिटी पोलिइयाइलिन

(2) पोलिस्ट्रीन

(3) पी० वी० सी०

इनका प्रयोग निम्न के लिए होता है :–

(क) पेकेजिंग फिल्म, बोटलज वायल्ज इत्यादि।

(ख) मशीन के पुर्जे, बाल्टियां, स्नान–टब इत्यादि मोल्ड की गई वस्तुएँ।

(ग) निर्माण कार्य, नालियों, पानी के वाहनों, संक्षारक तरल पदार्थ को लाने-ले जाने आदि में इस्तेमाल होने वाले पाइपों, पार्श्व चित्रों, छड़ों इत्यादि निःस्त्रावित उत्पादों।

(घ) चादरें, फोम शीट आदि कैलैंडरड तथा लेपित कपड़ा (रेकसिन)

(ड) खिलौने/उपहार वस्तुयें आदि

2. **सोल्वैन्टस**

(1) आइसो प्रोपेनोल

(2) एसिटोन

(3) डीएसिटोन

(4) बूटानोल

(5) एम० आई० बी० के०

इनका इस्तेमाल पेन्ट, फार्मास्यूटिकल रंजक पदार्थ तथा कैमिकल उद्योगों में होता है।

3. **बूटाडाइन**

इसका इस्तेमाल सिन्थैटिक रबर बनाने के लिए होता है।

4. **कैमिल इन्टमिजियेटस**

इ० डी० सी०, इथाइलिन आक्साइड, इथाइल गलाइकोल, एसिटोन, बेन्जीन, डीक्लोराइड, इथाइल हैक्सानोल।

इनका इस्तेमाल अन्य कैमिकल्स, प्लास्टिसाइजरस फाईवर्ज आदि बनाने के लिए होता है।

(ग) स्थापित किए जाने वाले लाभदायक तथा विकासक्षम पेट्रो–कैमिकल उद्यो समूह के लिए 300–400 हजार मीटरी टन नेफथा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होगी। एरोमैटिक्स के निर्माण के लिए उपयुक्त किस्म के नेफथा की जरूरत है, नेफथा सम्बन्धी यह जरूरतें गुजरात, बरौनी तथा आसाम के शोधन कारखानों से उपलब्ध होने की सम्भावना है। गुजरात, एरोमेटिक्स तथा नेफथा क्रैकर संयन्त्रों की योजनाए प्रगत अवस्था में हैं। आसाम तथा बरौनी नेफथा पर वैश्लेषिक कार्य शुरू किया जा रहा है।

एन्टीबायटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना

2005. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) एन्टीबायटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश के उन बारह प्रमुख कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध 28 मई, 1969 को सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के कारण मुकदमा चलाया गया है और मुकदमा किन धाराओं के अन्तर्गत चलाया गया है;

(ख) किस प्रकार की और कितने मूल्य की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई गई और कितने कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया, मुअत्तिल किया गया अथवा आरोप-पत्र दिया गया;

(ग) इन कर्मचारियों का आपत्तिजनक आचरण क्या था और उसका क्या कारण था; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ युवा महिला कर्मचारियों से छेड़-छाड़ की थी और उसके फलस्वरूप गड़बड़ आरम्भ हुई थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) (क) एण्टीबायटिक्स कारखाना, ऋषिकेश के एक अनियत कर्मचारी को शामिल करते हुए 15 निम्न कर्मचारियों पर जिला प्राधिकारियों ने भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न धाराओं अर्थात् धाराएं 147/323/332/427/436 के अन्तर्गत, एक अपराधिक केस तथा मुकदमा किया :

1. **सर्व श्री** आशासिंह
2. ,, जाकीर हुसैन
3. ,, भक्त बहादुर
4. ,, सुभाष चन्द कपूर
5. ,, ओ० को०
6. ,, एच० एन० चतुर्वेदी
7. ,, ओ० पी० अरोड़ा
8. ,, विश्वेस चन्द
9. ,, बी० एन० शर्मा
10. ,, ए० एम० शाह
11. ,, जे० के० कोहाली
12. ,, एस० के० श्रीवास्तव
13. ,, मोहन लाल
14. ,, कुन्दनसिंह
15. ,, मनजीत सिंह

(ख) सम्पत्ति को पहुँचाई गई क्षति में, प्रशासनिक भवन, टाईम आफिस, रिहायशी क्वाटरों, गलियों में लगे बम्बों तथा मुख्य जल बम्बों (नलकों) के शीशों की तोड़ फोड़ तथा एक कमरे में फर्नीचर एवं पर्दों और एक अफसर के स्कूटर की आगजनी तथा बड़े विद्युत वितरण केन्द्र में शीशों एवं बल्बों की तोड़-फोड़ शामिल है। प्लांट के विद्युत वितरण केन्द्र में कण्ट्रोल पैनलस को एक एक करके बन्द कर दिया गया, इस प्रकार समस्त पद्धति को अस्त-व्यस्त करते हुए उत्पादन को ठप कर दिया। कुछ अफसरों तथा परिचालन स्टाफ को भी मारा पीटा गया।

सम्पत्ति की अनुमानित हानि 0.20 लाख रुपये है। प्रक्रिया में सामग्री की हानि के रूप में, उत्पादन-क्षति 5 लाख रुपये थी और कारखाने के बन्द रहने के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों के दौरान उत्पादन-क्षति के रूप में 15 लाख रुपये हानि की हुई।

प्रबन्धकों ने 79 व्यक्तियों को मुअत्तिल किया। इनमें से 54 व्यक्तियों को प्रारंभिक जांच के बाद बहाल किया गया। शेष 25 व्यक्तियों को, जिनमें वे 15 व्यक्ति भी (जो जिला प्राधिकारियों द्वारा कैद किए गए तथा जिन पर मुकदमा चलाये गए थे) शामिल हैं; आरोप-पत्र दिए गए। जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा लगाये गये आरोप निम्न लिखित हैं :–

एक राय से तथा आपस में षडयन्त्र से ट्रैफिक स्टैण्ड पर कानून–विरुद्ध इकट्ठे होकर, वहां से नारे लगाते हुए कर्मचारी रवाना हुए और 28–5–1969 को 5 बजे अपराहन से 7 बजे अपराहन तक प्रशासनिक भवन पर धावा बोल दिया। उन्होंने प्रशासनिक ब्लाक, टाइम आफिस, एस० ओ० के० आफिस, डी० एस० आई०, जनरल मैनेजर के कमरा, उप–प्रधान प्रबन्धक के कमरे की सम्पत्ति को हानि पहुँचाई। उन्होंने सामान्य कार्य में रुकावटें डालीं और अफसरों की घेराबन्दी तथा प्रहार किया और उन्हें अपनी इच्छाओं के विरुद्ध आचरण करने पर बाध्य किया और कारखाने की ओर जाने वाली सड़क की नाका बन्दी की और बिजली की सप्लाई को बन्द कर दिया। ऐसे कार्यों से अपराधियों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई।

आपत्तिजनक आचरण के लिए कर्मचारियों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किय। एक बस क्लीनर का कथित कदाचार के लिए सेवा से निलम्बन तत्काल उत्तेजना का कारण प्रतीत होता है, यद्यपि प्रबन्धकों ने यह आश्वासन दिया था कि इस मामले का फैसला 24 घण्टों के अन्दर किया जाएगा।

(घ) जी नहीं। यह आरोप पूर्णतया तथ्यहीन है।

गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम की असफलता

2006. श्री बाबूराव पटेल : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गलगण्ड नियंत्रण समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 35 लाख रुपये की लागत वाला गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम पूर्ण रूप से असफल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिला बिजनोर (उत्तर प्रदेश) में कुछ सहसा लिये गये नमूनों से पता चला है कि वे लगभग सभी नियत स्तर से निम्न स्तर के थे अर्थात् नमक के प्रति दस लाख अंशों में आयोडिन के 15 अंश;

(ग) राज्यों में नमक बेचने वाली नामांकित फर्मों आदि को आयोडा मूल नमक न देने के क्या कारण हैं;

(घ) 11 वर्ष की अवधि में तीन सर्वेक्षण दलों द्वारा डिफ, गोरीपुर और सिवसागर (आसाम) के एक भी जिले का सर्वेक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लोगों को आयोडाइज्ड नमक के गुण बताने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) बिजनोर जिले में एकत्र किए गए 12 नमूनों में से 11 नमूने विहित स्तर से नीचे स्तर के पाये गए थे । इनकी जांच की जा रही है ।

(ग) राज्य में नमक बेचने वाली नामांकित फर्में मुख्यतः नियतित पूरे कोटे को नहीं उठाते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं की मांग उनके कोटे से कम है । तथ्य यह है कि गलगण्ड रोग से पीड़ित क्षेत्रों के लोग अभी आयोडाइज्ड नमक के प्रयोग के पूर्णतः आदी नहीं हैं ।

(घ) अपेक्षित सूचना असम सरकार से मंगाई गई है जिसके अधीन सर्वेक्षण दल कार्य कर रहे हैं और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ.) गलगण्ड इलाकों में राज्य स्वास्थ्य निदेशकों को कह दिया गया है कि वे इन क्षेत्रों के लोगों को आयोडाइज्ड नमक के फायदे तथा महत्व की जानकारी देने के लिए प्रचार कार्यक्रम तीव्र करदें ।

औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गुजरात को ऋण

2007. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **वित्त** त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने गुजरात राज्य में उद्योग विकास के लिये वर्ष 1967–68 में उस राज्य के उद्योगों के लिए कितने ऋण मंजूर किए तथा दिए; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे ऋणों की शर्तों को उदार बनाने का है ताकि गुजरात राज्य में अधिकाधिक अल्प-विकसित उद्योग इससे लाभान्वित हो सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने जुलाई, 1967 से जून, 1968 के दौरान गुजरात में 7 औद्योगिक कम्पनियों को कुल मिलाकर 383.27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी । इन मंजूरियों के अनुसार इस अवधि के दौरान 2 कम्पनियों को 110 लाख रुपये की सहायता का भुगतान किया गया था । इसके अलावा पिछली मंजूरियों के आधार पर 10 कम्पनियों को 139.98 लाख रुपये दिये गये थे ।

(ख) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं । फिर भी, औद्योगिक वित्त निगम ने, पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को सहायता देने की शर्तों को उदार बनाने की एक योजना अस्थायी तौर पर तैयार की है । इस सम्बन्ध में, लोक-सभा के 24 नवम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

गुजरात में अस्पताल तथा औषधालय

2008. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय देहाती तथा नगरीय क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है और राज्य में ऐसे गैर-सरकारी औषधालयों और अस्पतालों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार अनुदान देती है ;

(ख) गुजरात में सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या कितनी है और राज्य में अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कितने डाक्टरों की मांग की है; और

(ग) राज्य में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकारी अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों तथा ऐसे अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं, की वर्तमान संख्या इस प्रकार है:–

		अस्पताल		डिस्पेन्सरियां	
		शहरी	ग्राम	शहरी	ग्राम
(i)	सरकारी	81	6	15	3
(ii)	सरकार द्वार सहाय्यित	45	–	7	186 (पंचायती) 53–निजी

(ख) सरकारी अस्पतालों में इस समय डाक्टरों की संख्या 380 है । राज्य सरकार ने राज्य में स्थित अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध नहीं किया है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में खनिज उत्पादन

2009. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान कुल कितना खनिज उत्पादन हुआ;

(ख) पूर्वगामी तीन वर्षों की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उस राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) . गुजरात राज्य का पिछले पांच वर्षों (कैलेन्डर वर्ष) का खनिज उत्पादन नीचे दिया है :–

वर्ष	खनिज उत्पादन का मूल्य* (हजार रु० में)
1964	128,647
1965	159,483
1966	293,067
1967	358,810
1968	358,366**

*साधारण नमक सहित परन्तु आणविक खनिजों को निकाल कर।

**गौण खनिजों को निकाल कर।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों को विशेष रूप से खनिज उत्पादन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, 1969–70 वर्ष से प्रारंभ होने वाली चौथी योजना की हर एक वार्षिक आयोजना के लिए एक मुश्त केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। यह राशि अनुदानों (30 प्रतिशत) और ऋणों (70 प्रतिशत) के रूप में होगी। व्यक्तिगत क्षेत्रों और कार्यक्रमों के लिए इन राशियों के ब्यौरे नहीं बताये जा सकेंगे।

Categories of Central Government Employees in the Scale of Rs. 125-155

2010. Shri Ram Charan :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the categories of employees for whom pay scale of Rs. 125–3–131-4-155 has been prescribed by Government;

(b) whether any educational qualifications have been prescribed for the above mentioned grade;

(c) if so, the particulars thereof; and

(d) whether the said grade can be given to a person after he is declrred fit by a Selection Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). The information is being collected from the various Ministries and will be laid on the Table of the House in due course.

ग्वालियर महाराजा की सम्पत्ति का अनुमान

2011. श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री लखनलाल कपूर :
श्री कं० हाल्दर :
श्री सरजू पांडेय :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :
श्री शशि भूषण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्वालियर के महाराजा की सम्पत्ति का सही मूल्यांकन करने के बारे में सरकार ने फिर से जांच की है ;

(ख) क्या यह जांच वर्तमान महाराजा के पिता महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की मृत्यु के तुरन्त बाद की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो फिर से जांच तथा मूल्यांकन के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत, ग्वालियर के स्वर्गीय महाराजा जीवाजी राव एम० सिंधिया के कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 1957–58 से अनिर्णीत पड़े हैं, क्योंकि परिसम्पत्तियों की विभिन्न पदों के मूल्यांकन के बारे में जांच की जा रही है। इसलिये, सरकार द्वारा धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत नये सिरे से जांच-पड़ताल शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु, सम्पदा-शुल्क अधिनियम के अधीन स्वर्गीय महाराजा की सम्पदा का निर्धारण, जो 22–9–1966 को पूर्ण किया गया था, आयकर विभाग द्वारा हाल ही में पुनः चालू किया गया है।

(ग) सम्पदा–शुल्क निर्धारण के मामले को फिर से चालू करने के कारण ये हैं:–

(i) मृतक की सही हैसियत, अर्थात् व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का अपनाया जाना; और

(ii) परिसम्पत्तियों का सही मूल्यांकन।

Mobilization of Resources for Fourth Five-Year Plan

2012. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Government have not so far taken any decision in connection with the resources to be mobilised for the Fourth Five Year Plan;

(b) whether it is also a fact that the Planning Commission propose to fix ceiling on land per family in the rural area and also on the urban property with a view to mobilise resources for the Plan;

(c) if so, the reaction of Government thereto;

(d) the ceiling likely to be fixed on the land per family in rural area and on the urban property; and

(e) the extent to which Government's declared aim of a socialistic pattern of society would be hampered in case Government do not propose to mobilize the said resources ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Estimates of resources to be mobilised over the Fourth Plan period were indicated in the Draft of the Fourth Five Year Plan. The Planning Commission is currently engaged in a reassessment of resources for the Fourth Plan. The final picture will emerge after the Planning Commission has completed discussions which it is presently having with State Chief Ministers.

(b), (c) & (d) . The fixation of ceiling on land per family in the rural areas is the responsibility of State Governments. The land policy to be pursued by State Governments as part of the national Plan has, however, been set out in the successive Five Year

Plans. By the end of the Second Five Year Plan, a ceiling on existing holding had been imposed in Assam, Jammu & Kashmir, Kerala. West Bengal, Delhi, Himachal Pradesh, Manipur and Tripura. Since 1961, legislation regarding ceilings has been enacted in the remaining States. In Some States Such as Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh and Weste Bengal the ceiling applies to individuals whereas in the case of several other States the ceiling has been fixed in relation to the aggregate area held by a family.

As regards imposition of limits on urban incomes and property, various specific suggestions are under close and active consideration of Government.

(e) Does not arise.

Smuggling of Foreign Goods and Gold

2013. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a large quantity of foreign goods and gold is being smuggled into the country;

(b) whether it is also a fact that Government has failed to check this smuggling; if so, reasons therefor;

(c) whether it is also one of the reasons for this failure that the smugglers concerned are not awarded severe punishment; and

(d) if not, the quantity of gold seized and the number of persons punished during the last two years and other details there of ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) & (b). Seizures made under the Customs law by the concerned authorities from time to time, while being suggestive of persistence of smuggling, are also an indication of the success of the efforts of the preventive and enforcement agencies to check smuggling. Government have been exercised about the problem posed by smuggling and have been taking such measures as are found necessary to effectively combat it. Preventive and anti-smuggling efforts have been intensified; better vigilance is exercised in the coastal areas and at other vulnerable points supported by better collection of intelligence. re-deployment of staff etc. Recently, the Customs Act, 1962 was also amended with a view to checking smuggling and facilitating the detection of smuggled articles.

(c) Under the Customs Act, 1962, smuggled goods are liable to confiscation by Customs authorities Persons concerned in the offence of smuggling are also liable to personal penalty. Besides, such persons can be prosecuted in a court of law and sentenced in certain circumstances to imprisonment for a term extending upto five years and fine.

Confiscation of smuggled goods, imposition of penalties and launching of prosecutions against smugglers is regularly done. In appropriate cases in which punishments awarded by the Courts are considered to be inadequate, the department has been going in appeal.

(d) 6303 Hgs. of gold worth Rs. 532 lakhs and 4573 Kgs. of Gold worth Rs. 386 lakhs at the international rate was seized during the years 1967-68 and 1968-69 respectively.

The information in respect of number of persons punished is not readily available and will be laid on the table of the Sabha.

Import of Machinery for Trombay Fertilizer Factory

2014. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of the countries with which agreements for the import of machines have been reached with a view to expand the Trombay Fertilizer Factory with details of the agreements; and

(b) whether Ammonia, Urea, complex fertilizer and the machines would be purchased direct from the firms or tenders would be invited separately ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). No agreements for the import of machinery for the Trombay expansion project have been concluded so far. The mode of purchase will be decided only after the source of procurement which is under study at present, is finally settled.

भाखड़ा बांध के क्षेत्र से हटाये गये लोगों का पुनर्वास

2015. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध के क्षेत्र से हटाये गये लोगों को अभी तक पुनः बसाया नहीं गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोगों को दिया गया मुआवजा इतना कम था कि वे उससे अपने जीवन निर्वाह के साधन फिर से नहीं जुटा सकते;

(ग) यदि हां, तो पुनः बसाये गये और नहीं बसाये गये लोगों की संख्या कितनी-कितनी है और उनके पुनर्वास में सरकार कितना समय लगायेगी; और

(घ) उन लोगों को अतिरिक्त मुआवजा देने की दिशा में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कुछ भूमिहीन काश्तकारों को छोड़कर, सभी विस्थापितों को बसा दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जैपेनीज ग्लास मैनुफेक्चरिंग कम्पनी द्वारा निओ प्लास्टिक का निर्माण

2016. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जपेनीज ग्लास मैनुफेक्चरिंग कम्पनी नामक प्रसिद्ध कम्पनी ने

'पोलीविदिल' प्लास्टिक नामक एक नयी किस्म के प्लास्टिक का विकास किया है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह इस्पात से भी अधिक दृढ़ है;

(ख) क्या इसके बनाने के तरीके लागत, इसके प्रयोग के बारे में और उसका एक नमूना प्राप्त करने के लिए कोई पूछताछ की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञों ने इसके नमूने की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके उपयोग पायदार होने और उसके भारत में बनाए जाने की संभावना के बारे में उनके विचार क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा. रा. चव्हाण): (क) और (ख) : जापान में 'पोलीविनाइल' नामक एक नए प्लास्टिक के उत्पादन के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। लेकिन यह ज्ञात है कि तन्तु ग्लास प्रबलन (फाइबर ग्लास री-इनफोरस मैण्ट) सहित कुछ पोली-विनायल क्लोराइड वस्तुओं का जापान और दूसरे देशों में निर्माण किया गया है। प्रबलन कृत प्लास्टिक सामान्य पी वी सी की तुलना में अधिकतर दृढ़ हैं। अतः कोई विशेष जांच नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

ऋणों का इक्विटी शेयरों में परिवर्तन

2017. श्री जय सिंह : **श्री नि० रा० लास्कर :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री रां० बरुआ :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री मि० सू० मूर्ति : **श्री मयावन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री जी० एल० मेहता और जीवन बीमा निगम के चेयरमैन श्री एम० आर० भिडे द्वारा सितम्बर, 1969 में, ऋणों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों के बारे में दिए गए वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है;

(ख) उन्होंने किन-किन कठिनाइयों का उल्लेख किया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . जी, हां। औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्रालय ने 20 सितम्बर, 1969 को केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद की जो विशेष बैठक औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बुलाई थी, ये वक्तव्य उसमें दिए गए थे, जिसमें भारतीय

औद्योगिक ऋण निवेशनिगम के अध्यक्ष, श्री जी० एल० मेहता और भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष, श्री एम० आर० भिड़े को आमंत्रित किया गया था।

बैठक में श्री जी० एल० मेहता ने यह कहा कि औद्योगिक कम्पनियों को दिए गए ऋणों को सामान्य-शेयर–पूंजी में बदलने का अधिकार, सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं और कम्पनियों के बीच संविदात्मक अधिकारों (कान्ट्रेक्च्युल राइट्स) से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इसके परिणामस्वरूप कम्पनियों के शेयरों में पूंजी लगाने वाले लोगों का विश्वास कम हो जाय। इस स्थिति में वित्तीय संस्थाएं भी अपनी निधियों का संचालन सरलता से नहीं कर सकेंगी। विशेष रूप से जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यदि जीवन बीमा निगम द्वारा किसी कम्पनी में किए जाने वाला निवेश, निवेश किए जाने की मौजूदा सांविधिक सीमा से, सहायता प्राप्त कम्पनियों के सामान्य शेयरों में प्रस्तावित रूपान्तरण के जरिये अधिक हो जाता है, तो यह जीवन बीमा निगम या इसके पालिसीधारियों के हित में नहीं होगा। इसलिए उनका विचार था कि उचित यह होगा कि सिफारिश के इस भाग को किसी विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया जाय।

श्री एम० आर० भिड़े ने, जो इसके बाद बोले थे, कहा कि वह श्री जी० एल० मेहता द्वारा प्रकट किए गए विचारों से सहमत हैं। उन्होंने जो विचार प्रकट किए, उनमें से अधिकांश का संबंध, ऋणों को सामान्य पूंजी में बदलने के विषय से भिन्न विषयों से था। लेकिन उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि सरकार नीति संबंधी कोई फैसला करेगी तो जीवन बीमा निगम स्वाभाविक रूप से उसका पालन करेगा।

(ग) ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने से संबंधित मामलों पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जा रहा है।

Loans to companies by industrial Finance Corporation

2018. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Finance be pleased to state the total amount of loans granted by the industrial Finance Corporation during the last three years to those Companies in which the Directors of the Corporation have a stake and the number of those companies ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : During the last three accounting years, (July 1966-June 1967), July 1967-June 1968 and July 1968-June 1969), the Corporation had sanctioned loans aggregating to Rs. 1.79 crores to companies where the directors of the Corporation, (as on the 30th June 1969), were interested as directors, as per particulars given below :

Period	No. of directors.	No. of concerns.	Amount of loans (Rs. in lakhs)
July 1966-	1	2	85.00
June 1967	1	1	50.00
July 1967-			
June 1968	1	1	28 15
July 1968-			
June 1969	1	1	16.00

During the same period under reference, the Corporation had also sanctioned loans aggregating to Rs. 12.14 crores to concerns in which two of the directors of the corporation hold some shares.

Period	No. of directors	No. of concerns	Amount of loans (Rs. in lakhs)
July 1966-	1	3	301.96
June 1967	1	5	170.10
July 1967-	1	3	90.48
June 1968	1	1	307.87
July 1968-	1	3	163.55
June 1969	1	4	179.62

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वायत्तता प्रदान करना

2019. श्री शिवचन्द्र झा : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री सोमचन्द्र सोलंकी : श्री न० र० देवधरे :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर अधिक स्वायत्तता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में होने वाली हानियों तथा इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में सरकारी उपक्रमों के बारे में की गयी सिफारिशों पर जो निर्णय किये गये थे उनके अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षाकृत जो अधिक अधिकार दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं:–

वित्तीय अधिकार

(i) सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डलों को, यह अधिकार दे दिया गया है कि वे सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही उपक्रमों के अनुमोदित उद्देश्यों के अन्तर्गत आने वाले कार्यों और योजनाओं पर होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत रकम मंजूर कर सकेंगे। जिन मामलों में सरकार ने विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को अनुमोदन कर दिया हो उनके सम्बन्ध में मण्डलों को सभी पूंजीगत व्यय की स्वीकृतियाँ देने और उनके अनुमानों में परिवर्तन करने का पूरा पूरा अधिकार होगा, किन्तु यह परिवर्तन किसी एक मद पर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) जिन उपक्रमों के बजट में घाटा हो और सरकार से उस घाटे की पूर्ति किये जाने की आशा की गई हो, उनको छोड़कर अन्य उपक्रमों को अपना आय-व्यय का बजट सरकार के पास उसके पूर्व अनुमोदन के लिए भेजना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) आगे यह भी निर्णय किया गया है कि सरकारी उपक्रम, अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि इन उपक्रमों के पास पर्याप्त अन्तरिम साधन हों और उन्होंने लाभांश घोषित किया हो और वे अपने भावी विस्तार कार्यक्रमों के लिए सरकार से वित्तीय सहायता न मांगे ।

प्रशासनिक अधिकार

(i) अब सरकारी उपक्रमों को, सरकार की अनुमति के बिना, निदेशक-मण्डल स्तर से नीचे के सभी पद (घटक एककों के महाप्रबन्धकों के पदों को छोड़कर) चाहे उनका वेतन कितना ही क्यों न हो, बनाने और उन पदों पर नियुक्तियां करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा । वित्तीय सलाहकारों की नियुक्तियां भी मण्डल ही करेगा । सरकार भविष्य में, केवल निदेशक मण्डलों के अध्यक्षों/सदस्यों और घटक एककों के महाप्रबन्धकों की नियुक्तियां ही करेगी । किन्तु 2500 से 3000 रुपये और इससे ऊपर के वेतन मान वाले पदों पर 58 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

(ii) जहां तक सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का सम्बन्ध है, यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि उन्हें समान रूप से वेतन और भत्ते देना सम्भव नहीं है फिर भी जहां पर वेतन और भत्तों को युक्तिसंगत बनाना सम्भव होगा वहां युक्तिसंगत बनाया जायेगा ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कुवैत उर्वरक परियोजना की स्थापना में विलम्ब

2020. श्री चेगलराया नायडू :
" श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबात में हुए इस्लाम शिखर सम्मेलन और उसके परिणाम-स्वरूप भारत और कुछ अरब देशों के सम्बन्ध में आये अन्तर के कारण भारत सरकार द्वारा 36 करोड़ रुपये की लागत वाली कुवैत उर्वरक परियोजना को अनुमोदन देने में बाधा उत्पन्न हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना पर निर्णय लेने में विलम्ब होने के कारण भारत को कुल कितनी हानि होगी ; और

(ग) यह परियोजना शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परियोजना विचाराधीन है ।

Increase In Per Capita Debt of India

2021. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Finance be pleased to state whether it is a fact that the debt of the country has increased to Rs. 200 per capita ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : No Sir. According to the latest study by the Reserve Bank of India available date show that during 1967-68 India's net external indebtedness as at the end of March. 1968 amounted to Rs. 5751 crores excluding the effect of the devaluation of the rupee in June, 1966 and of the pound sterling in November, 1967. On this basis the per capita figure comes to about Rs. 109 for 1967-68.

तरल उर्वरकों का उत्पादन

2022. श्री रामावतार शर्मा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तरल उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे तरल उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो मानसून के दिनों में नहीं पिघलते जब कि ठोस उर्वरक उन दिनों पिघल जाते हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) तरल उर्वरकों के उत्पादन कार्य को अब तक हाथ में नहीं लिया है ; क्योंकि ऐसे उर्वरकों के इस्तेमाल में सोफिस्टीकेशन और कृषि यन्त्रीकरण की आवश्यकता है और किसानों को ऐसे उर्वरकों के प्रयोग में अपनाये जाने वाले तरीकों के ज्ञान के अतिरिक्त, विशेष लागकों (एपलीकेटरज) की जरूरत है । तरल उर्वरकों के प्रयोग की लाभप्रदता, बड़े आकार वाले फार्मों में और प्रति एकड़ में उच्च उर्वरकों के उपयोग में दिखाई देती है ।

(ग) सरकार को तरल उर्वरकों के प्रयोग के महत्व की जानकारी है । भारतीय उर्वरक निगम लि० और अन्य संस्थान विशेष लागकों का विकास कर रही है । परीक्षण और तजुर्बे हेतु कुछ लागक आयात के लिए प्रस्तावित हैं । यदि तरल उर्वरकों का प्रयोग कम खर्चीला पाया जाता है तथा विख्यात हो जाता है, उन के उत्पादन में गम्भीर समस्याओं के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि मूल सामग्री उर्वरक सन्यनत्रों से उपलब्ध होगी ।

फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर माल की तस्करी

2023. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने गत तीन वर्षों में 30 अक्तूबर, 1969 तक फीरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर कितनी मात्रा में तस्करी का माल पकड़ा; और

(ख) अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 30 अक्तूबर, 1969 तक पिछले तीन वर्षों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर फिरोजपुर में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्कर आयात-निर्यात माल का मूल्य नीचे बताये अनुसार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	माल का मूल्य
1967	45	17,000 रु० लगभग
1968	130	161,000 रु० लगभग
1969 (1 अक्तूबर तक)	84	304,600 रु० लगभग

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अल्प संख्यकों का प्रतिनिधित्व

2024. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों अथवा निदेशक मण्डलों में अल्पसंख्यक जातियों के लोगों को 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कई सौ निदेशकों या प्रवन्धकों के सम्बन्ध में जातियों के अनुसार ब्यौरा नहीं रखती। सदन इस बात को महसूस करेगा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस स्तर के पदों पर नियुक्तियां करते समय मुख्यतः चुने गये व्यक्तियों की समूचित योग्यता और सब को समान अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

Political Affiliation of Employees of Public Undertakings

2025 Shri Deven Sen : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officers working in the Public Industrial Undertakings and other Public sectors have been asked to disclose the names of the political parties with which they have affiliations ; and

(b) if so, the purpose of collecting such information ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). We are not aware of any instructions issued to the Public Undertakings to obtain from their officers the names of political parties to which the officers are affiliated.

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड द्वारा राक फास्फेट से क्रयोलाइट निकालने की प्रतिक्रिया का विकास

2026. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड ने राक फास्फेट से क्रयोलाइट निकालने की प्रक्रिया का विकास किया है, जिससे भारत न केवल कीमती विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेगा अपितु विदेशों से भी धन अर्जित कर सकेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्य देशों ने भी पूछताछ की है ; और

(ग) क्या विदेशी फर्मों से लाइसेन्स प्राप्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स त्रावनकोर लिमिटेड ने राक फास्फेट से निकले गये गीले फास्फोरिक एसिड से क्रयोलाइट के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। क्योंकि क्रयोलाइट की, जो गीले फास्फोरिक एसिड से उत्पादित की जायेगी, सम्पूर्ण मात्रा अन्दरुनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित होगी, अतः उत्पादन की मात्रा तक विदेशी मुद्रा में बचत होगी। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए क्रयोलाइट के निर्यात की तत्काल सम्भावना नहीं है।

(ख) और (ग). कुछ पूछताछ प्राप्त हुई है तथा कम्पनी के परीक्षाधीन है।

इस्पात तथा अन्य वस्तुओं के लिये धारण मूल्य

2027. श्री कं० हाल्दर :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवानदास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात का अखिल भारतीय धारण मूल्य निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) किन-किन अन्य वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय धारण मूल्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) क्या ऐसे अखिल भारतीय धारण मूल्य कपड़ा, उर्वरक, भारी-रसायनों तथा चीनी के लिये भी निर्धारित किये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस समय लोहे और इस्पात पर कोई सांविधिक मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है।

रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन

2029. श्री कं० हाल्दर : श्री बदरुद्दुजा :
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में रासायनिक उर्वरकों की वर्तमान मांग तथा उत्पादन कितना है और इस समय कितना उत्पादन होता है ;

(ख) वर्तमान उत्पादन में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना-कितना हिस्सा है ;

(ग) वर्तमान आयात कितना तथा कितने मूल्य का है ;

(घ) अगामी तीन वर्षों में भारत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग रासायनिक उर्वरक उद्योग का विकास करने का क्या कार्यक्रम है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में विदेशी सहयोगियों की सूची सहित गैर-सरकारी पक्षों से प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1969-70 की अनुमानित मांग और उत्पादन निम्न प्रकार हैं:—

	मांग	उत्पादन
	(मिलियन मीटरी टनों में आंकड़े)	
(1) नाइट्रोजनी उर्वरक	1.40	0.75
(2) फास्फेटिक उर्वरक	0.50	0.25
(3) पोटाश	0.20	शून्य

(ख) 1969-70 के अनुमानित उत्पादन में सरकारी और गैर-सरकारी हिस्से निम्न प्रकार हैं:—

	नाइट्रोजानी उर्वरक	फास्फेटिक उर्वरक	पोटाश —
	(मिलियन मीटरी टनों में आंकडे)		
सरकारी	0.45	0.042	शून्य
गैर-सरकारी	0.30	0.208	शून्य

(ग) 1969-70 का आयात कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

नाइट्रोजनी उर्वरक	6.78 लाख मीटरी टन
फास्फेटिक उर्वरक	1.13 लाख मीटरी टन
पोटाश	1.08 लाख मीटरी टन

(घ) और (ङ). दो विवरण पत्र संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2160/69**]

खाद्य पदार्थों में मिलावट

2030. श्री कं० हाल्दर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री ईश्वर रेड्डी :
डा० कर्णसिंह :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये सरकार द्वारा अब तक जो उपाय किये गये हैं उनके वांछित परिणाम नहीं निकले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को पूर्णतया समाप्त करने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) गत कुछ वर्षों में राज्य तथा संघ क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कमी होती जा रही है ;

(ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण के एक केन्द्रीय एकक की स्थापना की जा रही है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 9 के अन्तर्गत निर्धारित अन्तर्राज्य अपराधों के मामले में यह एकक मुख्यत: खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 9 में उल्लिखित कार्यों से ही सम्बन्धित होगा और राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन देने में सहायता देगा।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को और अधिक कठोर बना दिया गया है और राज्यों को इस अधिनियम को समुचित रूप से लागू करने के लिए कह दिया गया है।

चौथी योजना में प्रशिक्षण, प्रचार आदि की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है।

वर्ष 1974 तक पूर्वी क्षेत्र में बिजली की पूर्वानुमानित कमी

2031. श्री जि० मो० विस्वास :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री कं० हाल्दर :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या वर्ष 1974 तक पूर्वी क्षेत्र में बिजली की भारी कमी होने की सम्भावना है;**

(ख) क्या पूर्वी क्षेत्र के बिजली बोर्ड की हाल में हुई **बैठक में केन्द्रीय सरकार तथा** सम्बन्धित राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बिजली का अतिरिक्त उत्पादन करने तथा उसके प्रेषण हेतु लाइनों की व्यवस्था करने के लिये एक अविलम्बनीय कार्यक्रम आरम्भ किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र में बिजली के उत्पादन की पूर्वानुमानित कमी को पूरा करने के लिए राज्यों के परामर्श से कोई कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हाल ही में लगाए गये अनुमान के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में 1973-74 के अन्त तक बिजली में 642 मैगावाट की कमी हो जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रत्याशित कमी को कम करने के लिए, बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि भागीदार राज्यों में कुछ नई ताप और पन बिजली स्कीमों को कार्यान्वित किया जाए जिनकी कुल क्षमता 1909 मैगावाट हो और जिन पर 263 करोड़ रुपये व्यय हों।

(ग) बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं।

त्रिपुरा में तेल निकालने की परियोजना

2032. डा० **रानेन सेन :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा में तेल निकालने की एक परियोजना का कार्य अपने हाथ में लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में उस स्थान का पता लगाया गया है, जहां तेल का निक्षेप पाया जाना निश्चित है, अथवा तेल निकालने का यह कार्य नितान्त प्रयोगिक आधार पर किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने साधारणतः यह निर्णय किया है कि मितव्ययिता के लिए केवल उन्हीं स्थानों में खुदाई कार्य किया जायेगा जहां निक्षेप पाया जाना निश्चित समझा जायेगा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो पश्चिम बंगाल में बोडरा परियोजना को छोड़ने तथा त्रिपुरा परियोजना का कार्य आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). त्रिपुरा में तेल के निक्षेपों का पाया जाना अभी तक निश्चित नहीं है और तेल निकालने का कार्य अन्वेषी आधार पर होगा। आशाजनक क्षेत्रों, जहां थोड़े से

समय में अधिक कच्चा तेल उत्पादित करना संभव है, में उपलब्ध सीमिति संसाधनों से मौजूदा प्रयत्नों को केन्द्रित करने का विचार है। त्रिपुरा क्षेत्र में, कई अनुकूल संरचनाएं हैं और वहां गहराई पर संभावित एक फारमेशन के संलग्न क्षेत्रों में हाइड्रोकर्बन्ज के निक्षेपों का पाया जाना माना गया है।

(ख) बोदरा परियोजना में और खुदाई कार्य करना बन्द कर दिया था क्योंकि उस संरचना पर खोदे गये कुए के परिणाम अनुकूल नहीं थे। खुदाई कार्य तब तक बन्द कर दिया है जब तक और भूकम्पीय सर्वेक्षणों के बाद उपयुक्त संरचनाएं मालूम न हो जायें। त्रिपुरा क्षेत्र में जहां कई एक अनुकूल संरचनाएं प्रतीत होती हैं, अन्वेषी कार्य शुरु किये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में गहराई पर संभावित राक फारमेशन में, गैस/तेल के निक्षेपों के पाये जाने का अनुमान है और त्रिपुरा में अन्वेषी खुदाई कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें

2033. श्री ही० ना० मुकर्जी : **डा० रानेन सेन :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने 15 अक्तूबर, 1969 को कलकत्ता में महानिदेशक के कार्यालय के समक्ष एक दिन की सामूहिक सांकेतिक भूख हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) . जी, हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है। अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि यदि इन्हें तर्क संगत समझा गया तो महानिदेशक, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

कीटनाशक दवाइयों तथा औषधियों का निर्माण

2034. श्री वि० प्र० मंडल : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न कीटनाशक दवाइयों तथा अन्य औषधियों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पैनिसिलीन सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में बनाई जाती है ; और

(ग) पैनिसिलीन की प्रति शीशी उत्पादन लागत कितनी है तथा उपभोक्ताओं से प्रति शीशी कितनी कीमत ली जाती है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दोनों गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में आवश्यक दवाइयों के निर्माण के लिए स्वीकृत लाइसैन्सकृत क्षमता और 1968 एवं जनवरी में सितम्बर, 1969 तक वास्तविक उत्पादन का एक विवरण-पत्र संलग्न है। दोनों क्षेत्रों में विभिन्न कीटनाशक दवाइयों तथा औषधियों के निर्माण में हुई प्रगति विवरण पत्र में उल्लिखित है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2161/69**]

(ख) जी हां।

(ग) पैनिसिलीन की उत्पादन लागत उपलब्ध नहीं है लेकिन कुछ फर्मों के कई पैनिसिलीन की वस्तुओं से फुटकर मूल्य संलग्न विवरण पत्र में दर्शाये गये हैं।

गंडक परियोजनायें बिहार

2035. श्री वि० प्र० मण्डल :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गंडक परियोजना योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गंडक परियोजना योजना में केन्द्रीय सरकार का कितना अंशदान होगा तथा बिहार सरकार का कितना ; और

(ग) क्या धन के अभाव के कारण इस समय गंडक योजना के सब कार्य बन्द पड़े हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गंडक बराज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। तिरहुत नहर पर कार्य आर० डी० 553 तक पूरा हो गया है। दोन, शाखा नहर, मुख्य पश्चिमी नहर तथा नेपाल पूर्वी नहर पर कार्य प्रौढ़ अवस्था में हैं। सारन तथा घोड़ासाहन शाखा नहरों पर कुछ कार्य प्रगति पर है। बिजली केन्द्र का नींव की खुदाई सम्बन्धी कार्य पूरा हो चुका है और शीट-पाईलिंग तथा रोड़ी कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) सिंचाई परियोजनाएं राज्य योजनाओं का भाग हैं। बिहार राज्य की वार्षिक योजना में 1969-70 वर्ष के लिए योजना आयोग ने गंडक परियोजना के लिये 9.5 करोड़ रुपये का परिव्यय पृथक्-रक्षित किया है इस परिव्यय को कुछ तो राज्य के संसाधनों और कुछ त्वरित केन्द्रीय सहायता से बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। परन्तु अपेक्षित पैमाने पर संसाधनों के न मिल पाने के कारण, 1967 से सारण नहर तथा घोड़ासाहन शाखा नहर पर कार्य की गति को धीमा कर दिया गया है जिससे उपलब्ध संसाधनों को कार्य के अन्य भागों पर संकेन्द्रित किया जा सके जहां कार्य जोरों पर हैं।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य का संचालन

2036. श्री चि० प्र० मंडल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण दल कार्य कर रहे हैं ;

(ख) ऐसे दलों की संख्या कितनी है और वे किन-किन राज्यों में कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य करने की, विशेष कर हिमालय क्षेत्रों में पर्याप्त सम्भावनाएं हैं; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कार्य को विशाल पैमाने पर करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के चालू वर्ष (1969-70) के क्षेत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित लगभग 570 अन्वेषणों का कार्य सर्वेक्षण दलों द्वारा भारत के लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) हिमालय क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक कार्यवाहियों की पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने हिमालय क्षेत्र में पहले ही अपनी कार्यवाहियां बढ़ा रखी हैं। चौथी योजनावधि के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अतिरिक्त व्यवस्थित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज संसाधनों का निर्धारण, ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन, भू-भाग का मूल्यांकन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ की मांगें

2037. श्री वी० कृ० मोड़क :
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला संगठन (भारत सरकार) कर्मचारी संघ (दरभंगा हाऊस, रांची) ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें कई मांगें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है तो क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांगों से युक्त एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) 1 अक्टूबर, 1969 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर में अकटौती और कोयला उद्योग के लिये वेतन मंडल पंचाट में परिवर्तनशील महंगाई की अदायगी के लिए नियत फार्मूले का संशोधन ;

(2) कोयला उद्योग के लिये केन्द्रीय वेतन मंडल की उन सिफारिशों पर कार्यान्वयन जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं किया है (जैसे कि, उपदान योजना का लागू किया जाना, दैनिक प्रभारित तथा कार्य प्रभारित श्रमिकों को आक्समिक छुट्टी की मंजूरी, कोयला खाने बोनस योजना के अन्तर्गत त्रैमासिक उपस्थिती, बोनस की अदायगी के लिए उपस्थिती की शर्त को हटाना और सभी कर्मचारियों को किराये के बिना आवासन की व्यवस्था) ;

(3) वेतनमानों, वेतन मंडल पंचाट द्वारा निर्धारित वेतनमानों में वेतन नियत करने की विधि और वेतन मंडल की सिफारिशों से परे सेवा शर्तों में सुधार; जून-जुलाई 1967 के दौरान गिडी (ए) कोयला खान के कर्मचारियों की गैर-कानूनी हड़ताल की अवधि के लिये वेतनों की अदायगी ; और

(4) श्रमिकों में से एक कर्मचारी की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निदेशक के रूप में नियुक्ति ;

(5) नौकरी देने के मामले में कर्मचारियों के रिश्तेदारों को तरजीह देना ।

(ग) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (सी) धनबाद ने समझौता बार्ता प्रारम्भ की और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं । इनके परिणाम स्वरूप समझौता हो गया ।

तेल के मूल्य नियत करने की नयी पद्धति

2038. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तेल के मूल्य नियत करने की वर्तमान पद्धति में आमूल परिवर्तन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो नए मूल्य निर्धारण पद्धति का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . तेल मूल्य समिति (आयल प्राईसिज़ कमेटी) ने 1-11-1969 को अपनी मुख्य रिपोर्ट पेश की और यह इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

Irrigation Schemes for Maharashtra

2039. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the Irrigation Commission appointed by Government had a discussion in October 1969 with the Government of Maharashtra in connection with irrigation schemes in that State;

(b) if so, the demands placed by Maharashtra Government before the Commission; and

(c) the action taken by the Commission thereon ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) . The Chairman, Irrigation Commission had preliminary discussions of a general nature with the Chief Minister and the Minister for Irrigation and Power, Maharashtra on irrigation development in the State, in the first week of October, 1969. No specific demands were placed by the State Government before the Chairman during the course of these discussions. The Chief Minister, Maharashtra, however, drew attention to the inadequate provision of funds in the plans for irrigation development and also observed that the programme of groundwater exploitation could be considerably accelerated if assistance could be given to the State in procuring about 200-300 "Tiger rigs" for drilling in hard rock formations. This suggestion of the Chief Minister has been passed on by the Commission to the Ministry of Food and Agriculture for consideration.

महाराष्ट्र को पेय जल सम्भरण योजनायें

2040. **श्री देवराज पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई नगरीय तथा ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन वर्षों के लिये राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को जल सम्भरण तथा सफाई योजनाओं के लिये ऋणों तथा अनुदान के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2162/69]**

(ख) 1168-69 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को नगर जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिए 394.20 लाख रुपये का ऋण तथा ग्राम जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिये 52.70 लाख रुपये का अनुदान दिया।

1969-70 से आगे राज्यों को केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जा रही है न कि किसी विशेष कार्यक्रम/योजना के लिए।

Recovery of Smuggled Goods from Morth City Near Indo-Burma Border

2041. **Shri Shri Chand Goyal : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bansh Narain Singh : Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Central Land Customs Department and the Police Department had raided on a house in Morth city near Indo-Burma border and recovered smuggled goods, gold and valuable jewels in a large quantity;

(b) if so, the total amount of the goods recovered and the quantity of gold jewels out of it; and

(c) the number of persons against whom action was taken in this regard and the nature of that action ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (b). On 3rd September, 1969 the Customs and Police Staff jointly raided one house at Moreh on Indo-Burma Border and recovered 142 gms. of precious stones valued at about Rs. 1420/--and 7 gms. of gold coins valued at about Rs. 125/--only.

(c) Adjudication proceedings are in progress.

Increase in Pensions

2042. Shri Shri Chand Goyal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of pensioners benefited by Government's announcement in August, 1969 in the pensions of the persons drawing a pension of rupees two hundred (Rs. 200/– or less; and

(b) the amount of annual additional expenditure incurred as a result of such increase in the pensions ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . It has been estimated that the number of pensioners benefiting would be about six lakhs and the additional expenditure involved would be of the order of Rs. 7 to 8 croress per annum.

मध्यम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को ऋण

2043. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने का कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत जीवन बीमा निगम की कोई पालिसी लिये बिना ही मकानों का निर्माण करने के लिये उनको ऋण दिये जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जहां तक जीवन बीमा निगम से ऋण का प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी "अपनी मालिकी का घर बनाओ" योजना के अन्तर्गत ऋण ले सकता है, जिसके अन्तर्गत जीवन-बीमा कराना अनिवार्य है; अथवा अचल सम्पत्तियों को बन्धक रखने पर ऋण मन्जूर करने की योजना के अन्तर्गत

भी वह ऋण ले सकता है, जिसके अधीन जीवन-बीमा कराना अनिवार्य नहीं है। किसी नयी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

पेंशनभोगियों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

2044. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशनभोगियों ने सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना सुविधा दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आधार पर सुविधायें दी जाये।

(ख) इस मामले पर जांच-पड़ताल की जा रही है।

Increase in pending Income Tax Cases

2045. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Income-tax cases pending for the past three years;

(b) whether it is a fact that the number of pending cases and the Income-tax arrears are increasing every year; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this connection ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) Year	No. of assessments pending at the end of the year.
1966-67	23,47,513
1967-68	23,29,650
1968-69	15,77,955

(b) and (c). The number of pending Income-tax cases is not increasing but on the contrary is decreasing. Arrears of income-tax have, however, increassed during 1968-69 as compared to 1967-68.

The following steps have been devised for early realisation of the arrears of tax :---

(i) Taking over of recovery work hitherto done by officials of the State Government,

Work taken over fully in Commissioner's charges at Delni, Andhra Pradesh, Gujrat and Rajasthan.

Work taken over partly in Commissioner's charges of West Bengal, Madras, Mysore, Uttar Pradesh, Bombay and Poona.

Efforts are being made for taking over recovery work in the remaining charges also as soon as possible.

(ii) Introduction of Functional Distribution Scheme under which the work of collection of taxes has been made the specific function of one or more Income-tax Officers in the Range.

(iii) A detailed analysis of arrear demand over Rs. 5 lakhs has been carried out with a view to ascertain the reasons for the tax arrears and taking steps for expeditious recovery. This analysis has now been extended to cases of arrear demands over Rs. 1 lakh.

(iv) Responsibility of appropriate action in cases where arrears are outstanding has been fixed on particular officers as under :---

Income-tax Officer.	Cases of arrears below Rs. 1 lakh.
Inspecting Assistant Commissioners.	Cases of arrears over Rs. 1 lakh and below Rs. 5 lakhs.
Commissioners of Income-tax.	Cases of arrears over Rs. 5 lakhs.

(v) Maintenance of arrear sheets in respect of all company cases and non-company cases if the assessed income is over Rs. 20,000/--.

(vi) Creation of Special Recovery Units in the Commissioners' charges to look after the expeditious recovery of outstanding demand.

(vii) Rate of interest in case of delayed payments has been raised from 6% to 9% with effect from 1st October, 1967.

(viii) Acceptance of crossed cheques by the Department and opening of special receipt counters for this purpose in the Income-tax Offices.

(ix) Publication of names of assessees who are defaulters in the payment of taxes over certain prescribed limits.

(x) Arrear Clearance Fortnights are being observed all over the country. During the period, special emphasis will be laid on carrying out pending adjustments/rectifications, giving effect to appellate orders and collecting the net demands due from the assessee.

Ammonia Factory in Iran

* **2046. Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri N. Shivayppa :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent to which the requirement of the fertilizer industry is likely to be met by the ammonia manufacturing factory being set up in Iran in partnership with India as per agreement reached with that country; and

(b) the extent to which it will be cheaper or dearer in the factories in comparison to naphtha based indingenous ammonia ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) . The negotiations with Iran for the

establishment of an ammonia plant in that country as a joint venture are continuing and it is not possible to supply the required information at this stage.

नवाब रामपुर द्वारा विदेशी नियमों का उल्लंघन

2047. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवाब रामपुर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के सन्दिग्ध उल्लंघन में किये कये कुछ लेन देनों की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में रामपुर के नवाब और बेगम द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये थे उनकी छान-बीन की गयी है। मामले में आगे जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, उससे प्राप्त परिणामों को देखते हुए इस्तगासे की कार्यवाही शुरु करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Excise Duty And Registration Tax on Handloom Weavers

2049. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are recovering excise duties and registration tax from the hand-loom weavers on their using powerlooms;

(b) whether any representation has been received to exempt the weavers at Bundelkhand (Madhya Pradesh and Uttar Pradesh) from the above mentioned tax; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) There is no excise duty on grey fabrics manufactured on handlooms. But if a weaver uses powerloom for the manufacture, the fabrics so manufactured are liable to duty. There is also a registration fee for powerlooms,

Yes, Sir, a representation alleging difficulties faced by the Powerloom weavers of Bundelkhand area due to the levy of excise duty has been received from the Hon. Member (Shri Nathu Ram Ahirwar).

(c) The matter is receiving attention.

Drilling Near 'Jyoti Shikha' in Punjab by Indian Oil Corporation

2050. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that drilling was undertaken by the Indian Oil Corporation in the vicinity of 'Jyoti Shikha' in Punjab for the exploration of Petroleum and gas; and

(b) if so, the results thereof and the total expenditure incurred by Government on this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Drilling for oil is done by the Oil and Natural Gas Commission and not by the Indian Oil Corporation.

If 'Jyoti Shikha' refers to Jawalamukhi, the Oil and Natural Gas has drilled three deep wells and some structural wells in this area and also 4 deep wells in surrounding areas of foothills of Punjab.

(b) An expenditure to the tune of Rs. 9 crores was incurred. No oil/gas diposits of commercial significance were dicovered in the area.

औद्योगिक नगरों में नगरीय भूमि के अत्याधिक ऊंचे मूल्य

2051. श्री मधु लिमये : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अधिकांश औद्योगिक नगरों में नगरीय भूमि के अत्याधिक ऊंचे मूल्यों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या भूमि के मूल्यों के अत्याधिक ऊंचे होने का मुख्य कारण लेखा बाह्य धन को वास्तविक बस्तियों में लगाया जाना नहीं है;

(ग) क्या नगरीय भूमि के अधिक मूल्यों का, गृह-निर्माण तथा स्कूल-निर्माण कार्यक्रमों पर कुप्रभाव नहीं पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों तथा नगरपालिका प्रशासनों के सहयोग से नगरीय भूमि का राष्ट्रीयकरण करने अथवा उनका अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई विधान बनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बहुत से कारणों जैसे मांग की अपेक्षा भूमि की कमी, सट्टा आदि में से लेखा-बाह्य धन को वास्तविक बस्तियों में लगाया जाना भी भूमि के मूल्य में वृद्धि का कारण हो सकता है।

(ग) जी हां, एक सामान्य तौर पर।

(घ) तथा (ङ) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद नयी ऋण नीति

2052. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री 24 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 92, 93, 94 और 95 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद ऋण नीति को रोजगार प्रधान बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या योजनायें अथवा प्रस्ताव किये गये हैं; और

(ग) इन योजनाओं तथा प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार की नीति यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक-कार्य सम्बन्धी व्यवहार कुशलता के अनुरूप, जमा के लिए रकमें जुटाने और ऋण देने के रूप में ऐसे कदम उठायें, जिनसे अर्थ-व्यवस्था के शीघ्र और साम्यिक विकास में सहायता मिले और विशेष रूप से ऐसे छोटे लोगों को जो सामाजिक दृष्टि से हितकारी उत्पादन कार्यों में रत हों, संस्थागत धन का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकने में सहायता मिले, अविकसित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दें और विभिन्न क्षेत्रों में अब की अपेक्षा बहुत अधिक बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करें ।

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कई बैंकों ने छोटे ऋण देने वालों के लिए विशेषकर किसानों, खुदरा व्यापारियों, सड़क परिवहन चालकों और अपना काम स्वयं करने वाले व्यक्तियों आदि के लिए नयी योजनाएं तैयार की है ।

(ग) सरकार इस मामले पर और इससे सम्बद्ध अन्य मामलों पर विचार कर रही है ।

यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध तस्करी के आरोप

2053. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच उत्पादन शुल्क कलेक्टर, दिल्ली ने यूनेस्को मिशन के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री एस० पी० दीवान के विरुद्ध लगाये गये तस्करी के आरोपों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय में इस मामले में मुकदमा दायर किया है अथवा इस सम्बन्ध में श्री एस० पी० दीवान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : श्री दीवान के निवास स्थान से पकड़ी गयी विदेशी शराब की 23 बोतलों और बियर की 4 बोतलों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, दिल्ली द्वारा सीमा

शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अधीन पूर्णतः जब्त कर लिया गया है। इस्तगासे की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उनके घर से बरामद की गयी 1,80,000 रुपये की भारतीय मुद्रा, आयकर अधिनियम के अधीन, उचित कार्यवाही करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को सौंप दी गयी है।

मैथेनोल की कमी

2055. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मैथेनोल की बहुत कमी है, जिसके परिणामस्वरूप देश में प्लास्टिक तैयार करने वाले 1000 छोटे कारखाने बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) उन्होंने अपेक्षित मात्रा में इसका शीघ्र आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा दी जाने के लिए जो अभ्यावेदन दिया है, क्या सम्भावित संकट को दूर करने के लिए उस पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या उर्वरक निगम के कारखाने को, जिसके द्वारा मुख्य रूप से मैथेनोल सप्लाई की जाती है, पूरी क्षमता से चलाया जायेगा जिससे कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). देश में मैथेनोल की अस्थायी कमी के कारण, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से पर्याप्त मात्राओं के आयात के बारे में कदम उठाये गये हैं।

(ग) और (घ). कई परिचालन कठिनाइयों के कारण, भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक का मैथेनोल सन्यन्त्र पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर रहा है। सन्यन्त्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके बारे में समय सारिणी तैयार की जा रही है।

विदेशी ऋण भार

2056. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक प्रतिवर्ष विदेशी ऋण भार रुपयों में कितना है ;

(ख) 1966-67 से 1969-70 तक प्रतिवर्ष हमारे (1) निर्यात मूल्य और (2) विदेशी सहायता के अनुपात में ऋण भार कितना है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में ऋण भार पर रुपयों में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें

(i) 1966–67 और 1969–70 के बीच विदेशी ऋण–परिशोधन भार और

(ii) निर्यात और विदेशी सहायता के अनुपात में ऋण परिशोधन भार का ब्यौरा दिया गया है।

ववरण

वर्ष	ऋण परिशोधन भार निर्यात मूल* ब्याज	विदेशी सहायता का उपयोग	निर्यात के अनुपात में ऋण परिशोधन भार	विदेशी सहायता के उपयोग के अनुपात में ऋण परिशोधन भार
	करोड़ रुपयों में	करोड़ रुपयों में	करोड़ रुपयों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1966–67	251	1157	1070	21 प्रतिशत	24 प्रतिशत
1967–68	333	1199	1184	28 प्रतिशत	28 प्रतिशत
1968–69	375	1360	902	28 प्रतिशत	42 प्रतिशत
1969–70*	412*	1406*	976*	29 प्रतिशत	42 प्रतिशत

* अनुमानित

(ग) चौथी आयोजना के मसौदे में आयोजना की अवधि में ऋण परिशोधन के रूप में कुल 2080 करोड़ रुपये की आदायगी की कल्पना की गयी है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा छोटी सिंचाई के लिए चार्टों का तैयार किया जाना

2057. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने छोटी सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता के बारे में राज्यवार कोई सारणियां तथा चार्ट तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में क्या स्थिति है;

(ग) सारणियां तैयार करने के बारे में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण का भावी कार्यक्रम क्या है; और

(घ) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा लिये जाने वाले कार्यक्रमों में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना को भी शामिल किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। कुछ मामलों में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने राज्यवार

सारणियां तैयार की हैं। कुछ राज्यों के मामले में, चुने हुए क्षेत्रों के लिए सारणियां उपलब्ध हैं।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा जल सम्बन्धी सारणियों, जलभृत की गहराई, जल की किस्म आदि की जिलेवार स्थिति बताने वाले भू-जल विज्ञान सम्बन्धी मानचित्र तैयार किये गये हैं और लघु सिंचाई के लिए कम गहरे तथा जलभृतों की सम्भावनाओं तथा विकास के बारे में एक प्रतिवेदन पश्चिम बंगाल सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है।

(ग) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के आगामी कार्यक्रम में सारे देश को भू-जल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण के अन्तर्गत लिया जायेगा और भूमिगत जल साधनों का बेसिन तथा सब-बेसिन-वार मूल्यांकन किया जायेगा।

(घ) पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में भूमिगत जल सर्वेक्षण का कार्य भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के चालू क्षेत्र मौसम-कार्यक्रम (1969-70) में शामिल किया गया है। समन्वेषी ड्रिलिंग के लिए एक ड्रिल का उपबन्ध किया गया है।

भारतीय रक्षित बैंक के अस्थायी कर्मचारी

2058. श्री एस. एम. कृष्ण :
श्री सं० कुन्दू :
श्री ज० अहमद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रक्षित बैंक में बहुत से कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कर्मचारी कि विभागों में नियुक्त हैं ;

(ग) इन कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर कब से रखा गया है; और

(घ) उनको निरन्तर अस्थायी रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31 अक्टूबर, 1969 को स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के कुल कर्मचारियों में से तीसरी श्रेणी के लगभग 24 प्रतिशत और चौथी श्रेणी के 17 प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी है।

(क) अ थायी कर्मचारी सभी विभागों में से हैं

(ग) अस्थायी कर्मचारियों ने पांच वर्ष तक की विभिन्न अवधियों तक काम किया है।

(घ) बैंक द्वारा समय समय पर अस्थायी प्रकार के विभिन्न कार्य, जैसे अनिवार्य जमा योजना, वार्षिकी योजना आदि, हाथ में लिये । हैं ऐसे कामों के लिए भर्ती किये गये कर्मचारियों को बारी-बारी से स्थायी होने के लिए स्थायी पदों के खाली होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पर्यवेक्षी स्टाफ के वेतन मान का पुनरीक्षण

2059. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री लखनलाल कपूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पर्यवेक्षी स्टाफ के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतनमानों में 2 अप्रेल, 1969 को संशोधन किया गया था । बढ़े हुए वेतन-मान पहले की तरीख अर्थात् पहली जनवरी, 1967 से लागू किए गए थे ।

(ख) संशोधित वेतनमानों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2163/69**]

मैसर्स रुबी जनरल इंशोरेन्स कम्पनी द्वारा कमीशन के रूप में मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स को दी गई अत्यधिक धन राशि

2060. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री लखनलाल कपूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात बीमा नियंत्रक के ध्यान में आई है कि मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स को उनकी अपनी सम्बद्ध कम्पनी मैसर्स रुबी जनरल इंशोरेंश कम्पनी लिमिटेड (हैदराबाद शाखा) द्वारा कमीशन के रूप में अत्यधिक धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गैर कानूनी काम करने वाले उन सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध बीमा अधि-नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई थी ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने का एक लाइसेंस मिला हुआ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 (1) के अधीन बीमा नियन्त्रक द्वारा जारी किया गया है । 31-12-1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 31 बी (2) के अधीन दायर किये गये पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण-पत्र से यह पता लगता है कि रुबी जनरल इन्श्योरेस कम्पनी लिमिटेड के कलकत्ता कार्यालय से मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड को, 1968 में एजेन्सी कमीशन

के रूप में, 6,49,707 रुपये 93 पैसे और कम्पनी के बम्बई कार्यालय से 46,009 रु० 79 पैसे अदा किये गये है। आग और विविध बीमा कार्य के मामले में ऐजेंसी कमीशन की अदायगी प्रीमियमों के 15 प्रतिशत की दर से और नौ बीमा कार्य के मामले में 10 प्रतिशत की दर से की गई है। ये दरें, बीमा अधिनियम, 1938 के उपबन्धों के अनुरूप थीं।

छोटे उद्यमकर्त्ताओं को ऋण की सुविधायें

2061. श्री अजमल खाँ : **श्री दे० अमात :**
श्री चं० चु० देसाई : **श्री रा० की अमीन :**
श्री घी० ना० देव : **श्री एस० पी० राममूर्ति :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने छोटे उद्यमकर्त्ताओं तथा उद्योगगपतियों को ऋण की सुविधायें देने के सम्बन्ध में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को हाल में एक परिपत्र भेजा है ; और

(ख) क्या सदस्यों के सूचनार्थ इस परिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी क्योंकि ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि परिपत्र में बैंक एजेंटों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक द्वारा कोई ऐसा परिपत्र जारी नहीं किया गया। फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच 14 अगस्त, 1969 को हुई एक बैठक में यह निश्चय किया गया था कि बैंक अब तक अपेक्षित क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापारियों, कारीगरों, पेशेवर-लोगों और अपना काम खुद करने वाले व्यक्तियों को, वित्तीय सहायता देने के लिए जल्दी से जल्दी योजनाएं बनायेंगे। जहां तक अग्रिमों की सुरक्षा का सम्बन्ध है बैंकों को ऋण लेने वाले की साख, ईमानदारी, तथा योजना की और ऋण वापस करने की उसकी क्षमता तथा योजना की आर्थिक दृष्टि से सक्षमता के बारे में अपनी तसल्ली करनी होगी। अपेक्षित क्षेत्रों को बैंकों द्वारा सहायता में वृद्धि किये जाने का यह अर्थ नहीं है कि इस प्रकार ऋण देने में बैंक व्यवसाय के स्वस्थ सिद्धांतों का पालन नहीं किया जायेगा।

Housing Scheme for Urban and Rural Areas

2062. Shri Ram Gopal Shalwale. Shri Ranjeet Singh :
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Healh and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have formulated a Housing Scheme involving Rs. 500 crores annually;

(b) if so, the amount allocated to be spent in urban and rural areas separately;

(c) whether Government have formulated any scheme for remodelling the villages on the lines of cities and keeping in view the hygienic conditions there;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing ann Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) and (d) A scheme called the 'Village Housing Projects Scheme' is already in operation, since 1957. In consistence with the limited resources available, the scheme aims at progressive improvement of housing conditions and environmental hygiene in selected villages in the rural areas. Broadly, it provides for the following —

(i) loans to villagers and their cooperatives for construction or improvement of houses, to the extent of 80% of the cost, subject to a maximum of Rs. 3000 per house, repayable in easy instalments spread over a period of 20 years;

(ii) 100% grant to State Governments for provision of house-sites to landless agricultural workers;

(iii) 100% grant to State Governments for provision of streets and drains in selected villages, to improve environmental conditions;

(iv) Technical assistance and guidance to villagers and local authorities-including provision of lay-out plans, designs specifications etc. through the State Rural Housing Cells established for the purpose (50% of the cost of pay and allowances of the staff of the Cell is met through Central Grants).

Re-planning of whole villages may be undertaken where it is feas example in the case of villages affected by natural calamities which may shifted to new sites or otherwise have to be totally re-built.

(e) Does not arise.

छोटा परिवार प्रतिमान समिति की सिफारिश

2063. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई छोटा परिवार प्रतिमान समिति ने तीन से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रसूती अवकाश का लाभ नहीं देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या यह निरुत्साहक कार्यवाही केवल महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं है जो समिति द्वारा निर्धारित प्रतिमान के उल्लंघन के लिए अकेली जिम्मेदार नहीं है; और

(घ) क्या यह भेदभाव महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) लघु परिवार प्रतिमान समिति ने सिफारिश की थी कि उन गैर–औद्योगिक सरकारी कर्मचारियों को, जिनके 3 से अधिक बच्चे हैं, मातृ कालीन सुविधाएं देने के सम्बन्ध में फिर से विचार किया जाए, किन्तु उससे पहले यह निश्चय कर लेना होगा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में गर्भ–निरोधक सेवाएं प्रदान की गई हैं और उचित सूचना दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गैर-औद्योगिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मातृत्व अवकाश सम्बन्धी सुविधाएं वापस लेने के प्रश्न पर विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि मौजूदा रियायत को जारी रखा जाए।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

Loss of work in the Hindustan Housing Factory

2064. Shri Shshi Bhushan : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) Government's estimate of the loss of work due to the difference in the Hindustan Housing Factory Labour Union and the Management; and

(b) the action taken by Government to make improvements in the Management ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The estimated loss of work (production including profits) as a result of strike, go-slow tactics of the workers, etc. during the period January, 1969 to September, 1969, amounted to Rs. 6.95 lakhs.

(b) The management of the Company is functioning satisfactorily, and due to initiation of certain measures there has been a distinct improvement in the daily out-put of the factory.

Allegations against Zonal Manager of North Zone of L. I. C.

2065, Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the North Zone of Life Insurance Corporation have submitted a memorandum against the Zonal Manager containing allegations of misuse of office by him;

(b) whether it is also a fact that sometime back when an Insurance Company was merged with the Life Insurance Corporation, some bungling in its assets was made and the said Manager had a big hand in it as has been proved in the said Memorandum; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadikar): (a) The National Federation of Insurance Field Workers of India (North Zone) have submitted such a memorandum.

(b) Allegations to this effect have been made in the memorandum.

(c) The matter has been enquired into by the L. I. C. and a report has been submitted by it to Government. The report is under consideration.

Letters pending for Replies by L. I. C.

2066. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about one and half lakhs letters are lying in the Life Insurance Corporation (North Zone) which have not been replied up till-now;

(b) the time since when aforesaid letters are lying and the reasons for not responding to them; and

(c) the number of such letters which have not been replied in different zones of the Corporation in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance, (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No, Sir. The total number of letters pending in the various offices of the Northern Zone of the L. I. C. were 60,530 on 31.10.1969 as against an inflow of 2,09,776 during the month of October 1969.

(b) Out of 60530 letters pending disposal, 26317 letters had been received less than 7 days prior to 31.10.1969 and 34213 letters had been received more than 7 days prior to 31 10.1969.

(c) the information is not readily available. Moreover the time and labour involved in collecting and compiling the information will not be commensurate with the results expected to be achieved.

Bailadila Project running in Loss

2067. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bailadila Project is still running in loss;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to check the loss ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The iron ore export programme is primarily for the purpose of earning foreign exchange and is canalised through the Minerals and Metals Trading Corporation. To meet the requirement of huge quantities of iron ore for export of preferred chemical composition and in specific sizes, large mechanised mines are being developed in the public sector by the National Mineral Development Corporation viz. Bailadila Project and others. The Minerals and Metals Trading Corporation negotiates commercial transactions in the world market and enters into contracts with buyers. Out of the sale price realised, railway freight, port charges, export duty and Minerals and Metals Trading Corporation's commission is paid. The balance of the amount only is passed on to the National Minral Development Corporation. This amount falls short of the production cost incurred by National Mineral Development Corporation. As a result, this Company has to suffer losses.

(c) The Direct production cost constitutes only 11% of the sales realisation. This admits of very little reduction. This Ministry has, therefore, requested the Ministry of Finance to reimburse the cash losses suffered by the national Mineral Development Corporation as these accrue for no fault of the Company. The whole matter is presently under consideration of the Government.

Import of Medicines and Contraceptives

2068. Shri Ram Charan : Will the Minister **of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the value of medicines and Contraceptives imported from abroad during the last year under the family planning programme; and

(b) the value of additional goods proposed to be imported ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The value of medicines and Contraceptives imported from abroad is as follows :–

Rs. 56.26	lakhs Nirodhs were imported during 1968-69
Rs. 25.20 lakhs	20.00 million pieces were received from USAID for the free distribution Programme.

(b) Rs. 276.65 lakhs will cover the cost of 298.8 million pieces of Nirodh to be obtained as gift from USAID and SIDA and Rs. 60,000 for raw film stock.

Copper Mining in Singhbhum District by Hindustan Copper Limited

2069. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Petroleum aud Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether a scheme of the Hindustan Copper Limited for mining copper in Singhbhum District is under consideration of the Government of India;

(b) if so, the date when this scheme would be implemented; and

(c) the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao): (a) The Government have approved in principle the scheme for development of Rakha Copper Prospect (Phase-I).

(b) As per the present time schedule the scheme is expected to be completed by 1974.

(c) The dewatering and rehabilitation of the old mines is in progress.

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया सोना और मुद्रा

2070, श्री चं० चू० देसाई :　　**श्री अ० दीपा :**
श्री गु० च० नायक :　　**श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गत छः महीनों में कुल कितने मूल्य का सोना, अन्य वस्तुएं और मुद्रा पकड़ी गई; और

(ख) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने निषिद्ध वस्तुओं तथा मूल्यवान माल रखने वाले लोगों पर अपने छापों में कोई गिरफ्तारियां की थीं और यदि हों तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अप्रैल से सितम्बर 1969 तक की अवधि में सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर कोई 179 लाख रुपये मूल्य का 2115 कि० ग्रा० सोना, 44 लाख रुपए मूल्य की भारतीय तथा विदेशी मुद्रा और 984 लाख रुपए मूल्य का अन्य माल पकड़ा गया।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1969 तक की अवधि में सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सीमा शुल्क सम्बन्धी ऐसे अपराधों के कारण, जिनका तलाशियों के दौरान अथवा अन्यथा पता चला, 1160 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

मंत्रियों के करदायित्व का निर्धारण

2071. श्री एन० शिवप्पा :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करदायित्व निर्धारित करते समय मन्त्रियों को दिए जाने वाले बंगले, कार, टेलीफोन तथा अन्य सुविधाओं को उनकी आय में शामिल नहीं किया जाता है;

(ख) क्या सामान्य नागरिक को ये परिलब्धियां प्राप्त होने पर इन पर कर लगाया जाता है; और

(ग) आयकर अधिनियम में ऐसा कौनसा कानून अथवा नियम है, जो मंत्रियों को परिलब्धियों पर कर देने से रोकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, नहीं। इन सुविधाओं को, जैसा कि अन्य सभी मामलों में किया जाता है, अनुलाभ के रूप में माना जाता है तथा उनके मूल्य की, आयकर नियमावली 1962 के नियम 3 में की गई व्यवस्था के अनुसार संगणना की जाती है और कर-योग्य वेतन में शामिल किया जाता है?

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

दक्षिण अरबिया में तट-दूर तेल खुदाई में रियायत देने की पेशकश

2072. श्री एन० शिवप्पा :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण अरबिया में तट-दूर तेल की खुदाई में रियायत दिए जाने की पेशकश की गई थी;

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है और क्या इससे हमारे तेल उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). दोनों देशों के बीच तेल की खोज में सहयोग की संभावना के बारे में बहुत साधारण रूप से बातचीत हुई है। मामले की पैरवी शायद कुछ देर बाद की जाये।

तम्बाकू पर पुनः उत्पादन शुल्क लगाना

2073. श्री क० लकप्पा :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री लखनलाल कपूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू पर पुनः उत्पादन शुल्क लगाने के लिए राज्य सरकार को अधिकार के हस्तान्तरण में परिवर्तन पर व्याप्त असंतोष के संबंध में सरकार को आन्ध्र प्रदेश के राजामुन्द्री, अमलापुरम, येक्कालिवा देपालम, बहरामपुर, श्रीकाकुलम, टूनी, पलास, बाबुबा, पालाकोल के तम्बाकू व्यापारी संघ से अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन तम्बाकू व्यापारियों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश के कुछ तम्बाकू व्यापारी संघों सहित बहुत से व्यापार संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आम तौर पर पांचवें वित्त आयोग की इस विषय से सम्बन्धित सिफारिशों के प्रति विरोध प्रकट किया गया है। इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का विचार है।

त्रिपुरा में तेल खुदाई

2074. श्री क० लकप्पा :
श्री लखनलाल कपूर :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा में तेल की खुदाई का काम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) इस क्षेत्र में तेल-संसाधनों के बारे में क्या अनुमान है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जब तक संरचनाओं का खुदाई से परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक कोई विश्वासनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

Hospitals and Dispensaries in Delhi

2076. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of beds in the hospitals in Delhi and the number of beds actually required;

(b) the number of new hospitals, dispensaries proposed to be opened by Government in Delhi in the next three years and the number of additionals beds to be provided;

(c) the number of T. B. patients in Delhi and the number of beds in hospitals for them; and

(d) the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development : (Shri B. S. Murthy) (a) to (d). The information is furnished as in the attached statement; **(Placed in Library. See. No. L. T. 2164/69]**

पश्चिम बंगाल में बोरदा में तेल की खुदाई

2077. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोरदा क्षेत्र में तेल की खोज का काम समाप्त कर दिया गया है अथवा इस क्षेत्र में तेल की ड्रीलिंग के लिए और प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में और तट से दूर क्षेत्र में तेल खोजने के लिए नया सर्वेक्षण किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कब; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बोदरा के निकट स्थानीय संरचना में और व्यधन करने का विचार नहीं है बशर्ते कि और भूकम्पीय सर्वेक्षण से एसे परिणाम प्राप्त हों जिनसे इस संरचना में और खुदाई करने की जरूरत पड़े ।

खुदाई द्वारा परीक्षण उपयुक्त अनुकूल संरचनाएं मालूम करने के लिए बोदरा के निकटवर्ती क्षेत्र में तथा पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी रखने का विचार है ।

(ख) निकट भविष्य में ऐसे किसी सर्वेक्षण की संभावना नहीं है।

(ग) तटीय क्षेत्र तथा संलग्न तट से दूर क्षेत्रों में कार्य शुरू करने से पहले, अन्दरूनी क्षेत्र में अन्वेषण कार्य करना उचित समझा गया है। इसके अलावा इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास तटीय क्षेत्र में या तट से दूर क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिए सामग्री भी नहीं है।

पश्चिम बंगाल के पोलाशपुरम क्षेत्र में गैस का पाया जाना

2078. श्री समर गुह : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कोन्टाई सब–डीवीजन के पोलाशुपुरम क्षेत्र से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र की गई गैस की जांच करली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). अनुमान है कि "पोलाशपुर" से तात्पर्य "पोलाशुग" से है। इस क्षेत्र से कोई गैस एकत्र नहीं की गई थी। तथापि, कोन्टाई सब डिवीजन के काखुरिया–मंगलचाक गांव के निकट गैस के संकेत की जांच की गई थी। यह मार्श गैस पाई गई।

तेल तथा गैस के लिए अन्दमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वेक्षण

2079. श्री समर गुह : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों में तेल तथा गैस प्राप्त होने की संभाव्यता का पता लगाने के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के प्रारंभिक सर्वेक्षण से वहां तेल तथा गैस प्राप्त होने की संभावना के संकेत मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। इस क्षेत्र के कुछ भागों का सर्वेक्षण किया गया है तथा सर्वेक्षण जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ख) भूगर्भीय सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र के कुछ भागों में अनुकूल संरचनात्मक परिस्थितियों की विद्यमानता की संभावनाओं के संकेत मिले हैं। इस द्वीप समूह को भूगर्भीय मानचित्रण संबंधी कार्य के मुकम्मल होने के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खनिज का सर्वेक्षण

2080. श्री समर गुह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई भू-विज्ञान सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण किया जायगा; और यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणामस्वरूप चूना-पत्थर, क्रोमाइट, ऐस्बैस्टास, गंधक, ज्वालामुखी-राख, लिग्नाइट, कोयले तथा मिट्टियों के प्राप्ति-स्थलों का पता लगाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

World Bank's Opposition for Establishment of Industries by India in Collaboration with Developing Countries

2082. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank has opposed the establishment of industries by India in collaboration with the developing countries; and

(b) if so, the names of other countries where the World Bank has taken similar stand and the reaction of those Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. The World Bank has at no time objected to India's participation in establishing industries in collaboration with the developing countries.

(b) Does not arise.

Gold Smuggling

2083. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold smuggling still continues regularly;

(b) whether it is also a fact that gold smuggled has been seized from time to time; and

(c) if so the value of gold seized from the smugglers during the last one year and the number of smugglers detected and subjected to legal action and those out of them who were convicted ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Many seizures of foreign gold have been made and these indicate that gold continues to be smuggled into the country.

(c) Smuggled gold valued at Rs. 428 lakhs at the international monetary rate was seized under the Customs Act during the period October, 1968 to September, 1969. Besides departmental adjudications, 354 persons were arrested during this period for customs offences involving smuggled gold. 20 of them have been convicted in cases already decided.

मन्त्रियों द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाना

2084. श्री एन० शिवप्पा :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मन्त्रियों के नाम क्या है जिन्होंने कभी भी कोई आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं किया;

(ख) उन मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने कभी आयकर विवरण दिये थे, किन्तु पिछले तीन वर्षों में नहीं दिये; और

(ग) अन्तिम बार पेश किए गए विवरण में आय के रूप में कितनी राशि दिखाई गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ऐसा कोई केन्द्रीय मन्त्री नहीं है, जिसने कभी भी कोई आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं की हो।

(ख), ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ग) संभवतः माननीय सदस्यगण उन मंत्रियों द्वारा किसी भी समय आयकर-विवरणी में दिखायी गयी आय के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्होंने गत 3 वर्षों में कोई विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं। यदि ऐसा है, तो ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

जनता द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया अग्रिम धन

2085. श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले जनता द्वारा बैंकों से लिए गए धन के सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्र किए हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब तक इसमें से कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) शेष अग्रिम धन को वसूल करने में अगर कोई कठिनाइयां हों तो उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि शेष अग्रिम धन को वसूल नहीं किया गया तो इसके लिए किसको उत्तर-दायी ठहराया जायगा और इसको किस प्रकार वसूल किया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . सरकार ने ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं।

(ग) और (घ) . ऋण चुकाने के सम्बन्ध में उधार लेने वालों की ओर से पैदा की गई किसी प्रकार की अड़चन के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

राज्यों की वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

2086. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवें वित्त आयोग की सिफारशों तथा 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्यों को सहायता, ऋण तथा अनुदान, वितरण करने के सम्बन्ध में अपनी नीति को पुनरीक्षित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) . चौथी आयोजना की अवधि में, राज्य सरकारों को उनके आयोजनागत कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बांटी जायगी और यह रकम एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जायगी। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों का या प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने का इस व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कोलार तथा हट्टी सोना खानों के सोने का मूल्य

2087. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार सोना खानों के उपक्रमों का सोना सरकार द्वारा 35 डालर प्रति औंस के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मूल्य पर लिया जाता है, जबकि हट्टी सोना खानों को अपना सोना खुले बाजार में अधिक मूल्य पर बेचने दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो हट्टी सोना खानों के साथ रियायत बरती जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . कोलार की सोना खानें केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और उनके द्वारा निकाला गया सोना बेचा नहीं जाता बल्कि प्रारक्षित राशि के रूप में रखा जाता है। चूंकि उपक्रमों को वाणिज्यिक विभाग माना जाता है इसलिए सोना 35 डालर प्रति औंस की अन्तर्राष्ट्रीय समान दर से सरकारी स्टाक में रख लिया जाता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्य के रूप में सरकार इससे ऊंचे मूल्य पर सोना प्राप्त न करने के लिए बाध्य है। परन्तु हट्टी की सोने की खानों से जो एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित है, निकाला गया सोना सरकार नहीं लेती बल्कि उस सोने को, स्वर्ण नियन्त्रण प्रशासक के द्वारा दिए गए परमिटों के आधार पर और उसके द्वारा निर्धारित दरों पर, औद्योगिक उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बेचने की अनुमति दे दी जाती है। इस सोने की मूल्य-दरें मुख्यतः बाजार भावों पर आधारित एक फार्मूले के अनुसार निर्धारित की जाती है।

हट्टी सोना खानें

2088. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हट्टी सोना खानें अभी भी मैसर्स जान टेलर एण्ड सन्स के प्रबन्धाधीन हैं, यद्यपि वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अलौह धातु तथा खनिज सम्बन्धी कार्यकारी दल ने मन्त्रीमण्डल को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि उनके साथ किये गये प्रबन्ध करार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोलार और हट्टी सोना खानों का विलय करने का है, और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . दी हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड एक ऐसी कम्पनी है जिसके अधिकांश शेयर मैसूर सरकार के पास है और उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कम्पनी का प्रबन्ध मेसर्स जोन टेलर एण्ड सन्स के हाथ में नहीं है। इस कम्पनी के प्रबन्ध के प्रश्न पर विचार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अलौह धातु और खनिज पदार्थ विषयक कार्यकारी दल ने मेसर्स जोन टेलर एण्ड सन्स के साथ हुए "प्रबन्ध-करार" को रद्द करने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति के पास कोई सिफारिश भेजी है।

(ग) दोनों खानों को एक साथ मिलाने का कोई विचार नहीं है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा तैयार किया हल्दिया उर्वरक परियोजना के लिए प्रक्रम प्रोसेस डिजाइन

2089. श्री चेंगलराया नायडू : **श्री मयावन** :
श्री रा० बरुआ : **श्री नि० रं० लास्कर**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौलैण्ड भारतीय उर्वरक निगम द्वारा फ्रांस की डी० ई० बी० एस० ए० के सहयोग से हल्दिया परियोजना के लिए तैयार किए गए प्रक्रम (प्रोसेस) डिजाइन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा उसे पहले अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) वे अब किन शर्तों पर सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(घ) इस कारखाने के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं । अब तक की गई व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय उर्वरक निगम सन्यन्त्र की समस्त जिम्मेवारी सम्भालेगा और पोलैण्ड तथा फ्रांस की फर्मों का कन्सारटिम कई विशिष्ट मदों के लिए प्रक्रम लाईसेंसों एवं विस्तृत इन्जीनियरिंग की सप्लाई करेगा और वह विदेशी साधनों से प्राप्त होने वाली सामग्री एवं उपकरणों की भी सप्लाई करेगा तथा जहां तक आवश्यक होगा निर्माण–कार्य की भी देख–रेख करेगा ।

(ख) ये मामले (विषय) बातचीत से सम्बन्धित हैं और बातचीत के दौरान पार्टियों द्वारा लिए गए विचारों के बारे में कोई कारण पेश नहीं किए जा सकते हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर में सूचना दी गई है ।

(घ) परियोजना अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इतना पहले बताना कठिन है कि कब इसके स्थापित होने की सम्भावना है ।

लौह अयस्क 'पैलेटाइजेशन' कारखाने की स्थापना

2090. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री स० कुन्दू :
श्री मयावन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बैलाडिला में एक "पैलेटाइजेशन" कारखाना अथवा एक खनिज लोहा कारखाना स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बैलाडिला क्षेत्र में लोहा अयस्क सूक्ष्मों तथा नीली धूल पर आधारित एक पैलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना के लिए एक तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ किया है । सम्भाव्यता रिपोर्ट के 1970 के प्रारम्भ में प्राप्त होने की सम्भावना है ।

संयंत्र की पूंजीगत लागत के अनुमान सम्भाव्यता रिपोर्ट के मिलने पर ही ज्ञात होंगे। अन्तिम निर्णय उसके पश्चात् ही लिया जा सकता है।

कच्चे लोहे का संयंत्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

अफ्रीकी देशों के खनिज संसाधनों के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी

2091. श्री र० बरुआ : **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय कई अफ्रीकी सरकारों के अपने जैसे ही संगठनों के साथ बातचीत कर रहा था कि वे अपने देशों में खनिज संसाधनों को निकालने के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी का प्रयोग करें;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'अंकटाड' सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आये अफ्रीकी सरकार के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रारम्भिक सम्पर्क बनाये जाने के बाद में बातें आरम्भ हुई थीं;

(ग) यदि हां, तो किन देशों के साथ बातचीत चल रही है; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मन्त्रालय के तकनीकी विशेषज्ञ नाइजेरिया तथा इथियोपिया देशों को खनिजों के अन्वेषण एवं उपयोग में सहायता देने के लिए उन देशों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए अन्तिम निर्णय इन देशों से विस्तृत प्रस्तावों के प्राप्त होने के पश्चात् ही लिया जा सकता है।

भारत में तेल की खोज के लिए रूस से सहायता

2092. श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस कम गहरे तथा गहरे पानी में तेल की खोज करने, तेल शोधन की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने, अवशिष्ट तेल का उपयोग करने तथा मिट्टी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक सहायता देने को सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी जाएगी तथा भारत को यह सहायता कब दी जायगी और इस सहायता के बाद देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन कितना हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . पूर्व समय में रूस ने भारतीय तट के साथ भूकम्पीय सर्वेक्षण करके, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सहायता दी है। इन सर्वेक्षण से दोनों कम गहरे तथा गहरे पानी में तेल–भण्डारों के लिए अनुकूल संरचनाओं के पता लगने पर, उक्त आयोग ने रूसी सहायता से कम गहरे पानी में विभागीय तौर पर व्यधन कार्य को हाथ में लिया है और कम–गहरे पानी में प्लेट–फार्मों के रूपांकन में तकनीकी सहायता तथा भारतीय–व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए एक ठेका किया है। अल्य बेः में कम–गहरे पानी के पहले कुए का 31 मार्च, 1970 तक खुदाई करने का कार्यक्रम है।

रूस ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप जैसे खोज न किए गए अवसादीय क्षेत्रों का हवाई–चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिए भी इच्छा व्यक्त की है। रूस ने गहरे पानी में व्यधन के लिए कोई सहायता पेश नहीं की है।

रूस ने मानक उपकरण तथा विशिष्ट सामग्री और विशिष्ट प्रक्रियाओं सहित, सरकारी क्षेत्र में एक नई शोधनशाला की स्थापना में इण्डियन पब्लिक सैक्टर डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन को सहायता करने में इच्छा प्रकट की है।

देश में प्रत्येक नई शोधनशाला की स्थापना के साथ मिट्टी के तेल का उत्पादन बढेगा। इस दौरान में मांग और सप्लाई के बीच पाये जाने वाली कमी को रूस से आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

सरकार द्वारा गैर–सरकारी अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण

2093. श्री चेंगल राया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे रोगियों के लिए जिनका सरकारी डाक्टरों द्वारा अन्तरंग रोगियों के रूप में इलाज की सिफारिश की जाती है, ट्रस्टों तथा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल में पलंगों का आरक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या रोगियों को गैर-सरकारी अस्पताल अथवा सरकारी अस्पताल में एक आरक्षित पलंग चुनने की स्वतन्त्रता होगी;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का मुख्य प्रयोजन क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस योजना पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना पड़ेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). ग्राम क्षेत्रों की जनता को चिकित्सा सहायता दे रही सहकारिता तथा लोक-हितैषी संस्थाओं के विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ऐसे निकायों को वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार कर रही है। विस्तृत विवरण अभी तैयार नहीं किया गया है।

अधिक बड़े बिजली घरों की स्थापना तथा पारेषण (ट्रांसमिशन) व्यवस्था

2094. श्री नि० रं० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री मयावन : **श्री वे० कु० दास चौधरी :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत को अधिक बड़े बिजली घर स्थापित करने चाहिए और पारेषण व्यवस्था में सुधार करना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बिजली की लाइन कम हो जायेगी;

(ग) क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि भारत में सोवियत संघ के जैसे बिजली घर होने चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो यह व्यवस्था भारत के लिये कहां तक लाभप्रद होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) से (घ). जब मैं हाल ही में सोवियत संघ में था तो मैने देखा कि इस देश में बिजली विकास में विराट प्रगति हुई है। तापीय बिजली केन्द्रों में समग्र उच्चतर दक्षता की विशालाकार उत्पादन यूनिटें प्रतिष्ठापित करके कम लागत पर बिजली उत्पादन को संभव बनाया गया है। तदनुसार, मेरा यह सुझाव है कि हमारे देश में जहां पर बिजली के लिये भारी मांग है और वह द्रुत गति से बढ़ रही है, उन क्षेत्रों में भविष्य में ताप-केन्द्रों की योजना 200 मेगावाट क्षमता की उत्पादन यूनिटों के आधार पर बनाई जाए। विशालाकार तापीय यूनिटों के प्रतिष्ठापन द्वारा हर प्रतिष्ठापित किलोवाट की पूंजीगत लागत, हर उत्पादन किलोवाट की ईंधन खपत और उत्पादन की लागत के कम होने की संभावना है।

राज्यों के खर्चे में कमी

2095. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीन राज्यों से खर्चा कम करने के लिये कहा है क्योंकि वे रिजर्व बैंक से लगातार उनके नाम पर जमा राशि से अधिक धन निकालते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने इन राज्यों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने उनके लिये कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो वे सिफारिशे क्या हैं और वे उनके लिये कितनी सहायक हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने असम, उड़ीसा और राजस्थान के सामने उपस्थित वित्तीय समस्याओं के बारे में बात–चीत करने के लिये मई/जून 1969 में इन राज्यों का दौरा किया। दल की सिफारिशें, मुख्य रूप से, व्यय में कमी करने, बकाया रकमों को और अच्छी वसूली करने और दरों को फिर जांच करने के बारे में थीं। ये सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारों को सूचित कर दी गयी है।

फिल्मी सितारों से पकड़ा गया लेखा-बाह्य धन

2096. श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में फिल्मी सितारों से कितना लेखा-बाह्य धन पकड़ा गया;

(ख) किन-किन फिल्मी सितारों से लेखा-बाह्य धन पकड़ा गया;

(ग) इनमें से कितने मामलों में अभियोग चलाये गये; और

(घ) कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31-10-1969 को समाप्त हुए पिछले एक वर्ष में फिल्मी कलाकारों से कोई लेखा-बाह्य धन नहीं पकड़ा गया था।

(ख) से (घ). ये सवाल नहीं उठते।

एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के पुत्र के आय कर सम्बन्धी कागजात का गुम होना

2097. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वित्त मंत्री भूतपूर्व मुख्य मंत्री के पुत्र के आय–कर कागजातों के गुम हो जाने के बारे में 4 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागजातों की चोरी की जांच और इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने का काम इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इसमें आयकर की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा यदि भूतपूर्व मुख्य मंत्री के पुत्र पर जुर्माना किया गया, तो वह कितना है और उसके विरुद्ध ये मामले कब से लम्बित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 तक के नियमित कर-निर्धारण पूरे हो चुके हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1955-56 से 1964-65 के सम्बन्ध में लगाये गये कर तथा दण्ड नीचे बताये अनुसार हैं :—

आयकर	14,02,256 रु०
धन कर	57,970 रु०
दान कर	40,150 रु०
दण्ड तथा दण्डरूप लगाया गया ब्याज	7,94,934 रु०
	22,95,310 रु०

उपर्युक्त कर-निर्धारण मार्च, 1965 में पूरे किये गये तथा आय छुपाने के सिलसिले में 27 जुलाई 1966 को अभियोजन की कार्यवाही की गयी। अभियोजन का मामला अभी भी अदालत के सामने है।

भटिंडा में उर्वरक कारखाना

2098. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3759 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भटिंडा में उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इसे चौथी योजना में शामिल किये जाने की सम्भावना है, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि अन्य राज्यों की तुलना में भारी उद्योगों में पंजाब का अंश बहुत कम रहा है और यह राज्य देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा कर सकता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंजाब की राज्य सरकार तथा अन्य सम्बन्धित पार्टियों की सलाह से प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। परियोजना को राज्य की चौथी योजना में शामिल करने के प्रश्न पर

विचार राज्य सरकार को करना है। परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना

2099. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने के बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रवर्तन सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; **और**

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में कोई निर्णय करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) . जी, हां। केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में ?? रूप से वसूल नहीं हो सकने योग्य बकाया मांगों को बट्टे खाते डालने के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को, कुछ कार्य विधि सम्बन्धी संशोधनों के साथ मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। क्षेत्रीय समितियां, जिसमें क्षेत्र के तीन आयकर-आयुक्त होंगे, प्रत्येक मामले में, 1 लाख रुपये से ऊपर की बाकी पड़ी मांगों को, यदि वे स्पष्टतः वसूल नहीं होने योग्य पायी जाती हैं, बट्टे खाते डालने के प्रश्न पर विचार करेंगी। एक लाख रुपये से नीचे की रकम को बट्टे खाते डालने के मामले के लिये समितियां नियुक्त की जा रही हैं, जिनमें आयकर-आयुक्त, सम्बन्धित निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त तथा सम्बन्धित आयकर अधिकारी होंगे।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का पूरा प्रभाव कुछ समय बाद ही मालूम हो सकेगा और इसलिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण, बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित रकम को बताने का सवाल नहीं उठता।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

New Thermal Power Station at Motipur (Bihar)

2100. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Irrigation and Pawer** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government experts are making investigations for opening a new Thermal Power Station between Muzzaffarpur and Motihari at Motipur or Chakiya with a view to make up the shortage in the supply of electricity in North Bihar ;

(b) if so, the results thereof ;

(c) whether Government propose to set up such a power station between Motipur and Chakiya and thus Co-operate in the development of North Bihar ;

(d) if so, the outcome of the investigation ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (e). In connection with the proposed installation of a new thermal power station in North Bihar, detailed investigations are being carried out by the Bihar State Electricity Board at present. The results of the investigations, the proposed location of the power station and the details of the scheme will be known after the investigations are completed.

Representation of Legislators against the Accumulation of water on the Gandak Canal areas in Champaran District.

2101. Shri K. M. Madukar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be Pleased to state :

(a) whether some M. L. As. and Members of Parliament had drawn the attention to the question of floods and accumulation of waters in the areas covered by Gandak canal in Champaran district of Bihar in the Meeting of Champaran District Relief Committee held during this year and whether they urged upon the solution of the problem ;

(b) if so, whether the District officers of Champaran have taken any action in consultation with the higher authorities of Gandak canal in this regard ;

(c) if so, the results thereof ;

(d) whether it is not possible for the Central Government to issue orders to the authorities of the areas where water aceumulates ; and if so, the action proposed to be taken by Government in this regard and the time by which the action is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). There was accumulation of water and flooding in the command areas of the Gandak Canal in Champaran district in August, 1969. This was on account of abnormally heavy rain fall particularly during the period from the 23rd August, 1969 to the 7th September 1969, when as much as 30" to 40" rain fall was recorded. This heavy down pour led to accumulation of water in low lying areas and the Chaurs (natural depressions) over flowed. The rivers were also in spate at that time, and therefore, the out flow of this accumulated water into the natural Drainage Channel was slow because of high flood level obtaining in these Drainage channels.

There is separate provision in the Gandak Project estimate for improvement of Drainage System in the Gandak Canal command. Detailed investigation for this work has been taken up Proposal for strengthening the present staff for expeditious field investigation and planning of Drainage system in the whole Gandak Canal command is also under active consideration of the River Valley Project Administration. In the mean time detailed investigation for proper planning and investigation of drainage works in the command have been issued to field officers. Union Minister of Irrigation

and Power during his recent visit to Patna of 29th November has also emphasised on these investigations being done early.

More Funds for Gandak Project

2102. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether after the nationalisation of the banks some more funds are likely to be given to the Gandak Project with a view to complete the work of the project at the earliest so that Muzaffarpur and Saran districts are benefited ;

(b) whether it is a fact that in October, 1969 the Chief Engineer of the Gandak Project was called to Delhi so that necessary funds could be released for the completion of the project ;

(c) if so, the progress made in this regard ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Nationalisation of the major banks will not by itself add to the resources which are available for distribution among the States. The policy of the nationalised banks is to lend and invest their deposit resources in conformity with national policy and objectives. This will include lending support to the borrowing programmes of the State Governments.

(b) to (d). In October, 1969, the requirements of additional funds for the Gandak project were discussed with officials of the State Government including the Chief Engineer of the Project. This matter is under consideration.

कृषि क्रान्ति को तेज करने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा 'लाइट डीजल पम्पों' का लगाया जाना

2103. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम शीघ्र कृषि-क्रांति लाने के लिये कृषकों के निवास स्थानों के निकट सारे देश में चुने हुए स्थानों पर 'लाइट डीजल तेल की सप्लाई के लिये पम्पों की स्थापना करने के बारे में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में जिले वार ऐसे कितने पम्प स्थापित किये जायेंगे और उनको कब तक स्थापित किया जायेगा ;

(ग) राजस्थान में इस प्रकार के तेल की वार्षिक खपत क्या है ; और

(घ) उक्त योजना से लाभ उठाने के बारे में कृषकों को प्रेरित करने के लिए देश में क्या प्रचार किया जाता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान के विभिन्न जिलों (अर्थात उदयपुर-5, जोधपुर-1, पाली-4, नागौर-1 बाड़मेर-3, जालौर-4 और सिरोही 3) में 20 लाइट डीजल तेल के बैरल फुटकर केन्द्रों (पम्पों) की स्थापना पहले से है और दिसम्बर, 1969 के अन्त तक 5 और ऐसे केन्द्रों (जालौर-2 तथा सिरोही-3) की स्थापना की आशा है।

(ग) 1968 के दौरान राजस्थान में 65,000 मीटरी टन लाइट डीजल तेल बेचा गया था और वर्तमान वर्ष के अक्तूबर के अन्त तक 43,868 मीटरी टन उक्त तेल भेजा गया है।

(घ) प्रचार प्रेस के जरिये विशिष्ट श्रोतागण को भाषण द्वारा और उद्घाटन उत्सवों द्वारा (जिनमें किसान, जिला और पंचायत अफसर होते हैं) किया जाता है। यह भी विचार है कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में छोटे इश्तिहार से किसानों में प्रचार किया जाए और इसलिए अखिल भारतीय आकाश वाणी (आल इण्डिया रेडियो) में फार्मरस फोरम का भी प्रयोग किया जाए।

हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर

2104. श्री रा० कृ० बिडला : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर में स्थापित की गई मशीनें अपनी पूरी स्थापित क्षमता से कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वे कब से कार्य नहीं कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस स्मैल्टर का 80 लाख रुपये की लागत का एक खनन उपकरण बम्बई बन्दरगाह में दो साल तक पड़ा रहा तथा उसको छुड़ाया नहीं गया ;

(घ) क्या बम्बई में उचित भाण्डागार व्यवस्था न होने के कारण तथा वर्षा के कारण वे उपकरण खराब हो गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस लापरवाही के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जस्ता प्रद्रावक सितम्बर 1968 से अपनी निर्धारित क्षमता के लगभग 70 प्रतिशत पर चल रहा है। प्रारम्भ में कम उत्पादन सिंगल सुपरफास्फेट, जो कि एक उपोत्पाद है, के उठान में कमी के कारण था। परन्तु बाद में भी उत्पादन पर नियन्त्रण जस्ता संकेन्द्रकों की कमी के कारण जारी रखा गया।

(ग) जावर खानों में उपयोग में लाये जाने वाले 80 लाख रुपये के मूल्य के खनन उपकरण 28 महीने बम्बई बन्दरगाह पर पड़े रहे क्योंकि मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के पिछले प्रबन्धकों द्वारा छुड़ाये न गये थे।

(घ) जी हां। लम्बे समय तक रखे रहने के कारण उपकरणों के कुछ भाग खराब हो गये। विशेष रूप से बिजली के उपकरण तथा जटिल उपकरण अधिकतर जंग लगने के कारण बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये।

(ङ) बम्बई बन्दरगाह पर लम्बे समय तक उपकरणों का पड़े रहना पिछले प्रबन्धकों अर्थात मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के समय घटित हुआ, जो सीमाशुल्क तथा पत्तन प्रभारों को अदायगी के लिए राशि इकट्ठी करने में समर्थ न थे। सरकार द्वारा उपक्रम के अभिग्रहण के पश्चात उपकरणों को सीमाशुल्क विभाग तथा पत्तन अधिकारियों से छुड़ाने तथा उन्हें जावर खानों तक पहुंचाने के प्रबन्ध किये गये। आवश्यक मरम्मतों तथा बदलियों के पश्चात उपकरण अब स्थापित किये जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर

2105. श्री रा० कृ० बिडला : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर से यह आशा की जाती है कि वह अपनी क्षमता को दुगुनी कर 36,000 टन जिंक कर ले, यदि हां, तो कब तक ; और

(ख) क्या इसकी क्षमता को दुगुनी करने के लिये आवश्यक मशीनों तथा उपकरणों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं, यदि हां, तो इसमें स्वदेशी उपकरण कितने हैं और विदेशी उपकरण कितने हैं और उनको स्थापित करके कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) . जी, हां। वर्तमान जस्ता प्रद्रावक की क्षमता को दुगुना करने के लिए इस समय एक प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके मार्च/अप्रेल, 1970 तक प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रद्रावक का विस्तार 1973-74 के अन्त तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है। विस्तार के लिए अपेक्षित उपकरणों तथा मशीनरी के स्वदेशी तथा विदेशी भागों के सम्बन्ध में ब्यौरे प्रायोजना रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही ज्ञात होंगे।

विदेशों की यात्रा के लिये संसद् सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा

2106. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों, पर्यटकों व्यापारियों और शिष्टमण्डलों के सदस्यों को उनकी विदेश यात्राओं के दौरान प्रतिदिन डालर अथवा स्टर्लिंग के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ;

(ख) क्या विदेश जाने वाले अन्य वर्ग के व्यक्तियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की तुलना में संसद् सदस्यों को सब से कम विदेशी मुद्रा दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या संसद् सदस्यों को अधिक विदेशी मुद्रा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). संसद सदस्यों को विदेश यात्रा के लिये उद्योगपतियों या अन्य लोगों के समान विदेशी मुद्रा का विशेष कोटा दिया जाता है। कुछ समय पहले, प्रत्येक सदस्य के सदस्यता-काल के लिये कोटे की यह रकम 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपया कर दी गयी थी। इस कोटे में से सदस्य के अनुरोध के अनुसार 100 रुपया अथवा 150 रुपया दैनिक के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी जाती है।

यदि कोई सदस्य, वर्तमान नीति की शर्तों के अनुसार मान्य विदेशों से प्राप्त आतिथ्य के आधार पर विदेश जाता है तो उसे व्यक्तिगत प्रासंगिकव्य के लिये अन्य व्यक्तियों को सामान्य तौर पर ऐसे ही प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा से अधिक रकम दी जाती है।

यदि कोई सदस्य व्यापारी या किसी शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में विदेश-यात्रा करे तो उसे उसी दर से विदेशी मुद्रा मिलती है जो उस वर्ग के अन्य व्यक्तियों पर लागू होती है। इस प्रकार दी गयी विदेशी मुद्रा संसद सदस्य के रूप में उसके कोटे के अतिरिक्त होती है।

सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें अन्य वर्गों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा का व्यौरा दिया गया है।

विवरण

विदेश-यात्रा के लिये दी जाने वाली विदेशी-मुद्रा की वर्तमान दरें

		अमेरिका और कनाडा	अन्य सभी देश
(I)	**व्यापार-यात्रा**		
	1. चोटी के व्यापारी	45.00 डालर दैनिक	15-0-0 पौंड दैनिक
	2. दरमियाने व्यापारी	40.00 डालर दैनिक	12-10-0 पौंड दैनिक
	3. यात्री विक्रेता	30.00 डालर दैनिक	9-0-0 पौंड दैनिक
(II)	**सम्मेलनों में भाग लेना**		
		30.00 डालर दैनिक	9-0-0 पौंड दैनिक

टिप्पणी:—व्यापारिक सम्मेलनों में भाग लेने वाले या शिष्टमण्डलों के सदस्यों के रूप में आने वाले दरमियाने व्यापारियों को उपर्युक्त मद 1(2) के सामने दिखायी गयी दरों के अनुसार विदेशी मुद्रा दी जाती है।

(III) **पर्यटक**

केवल छुट्टी के लिये या पर्यटन के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती।

(घ) वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Nizam Palace Central Government Hostel at Calcutta

2107. Shri Yeshpal Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nizam Palace Central Government Hostel in Calcutta is running under the supervision of Government ;

(b) whether it is also a fact that such rules as are applicable to other employees working in similar central organisations have not so far been made applicable to all the employees working in this hostel ;

(c) whether it is also a fact that there is discontent among these employees because rules governing pay, accommodation and leave of these employees have not so far been adopted by the hostel as in the case of other Government hostels ;

(d) whether it is also a fact that all the facilities of leave, pay etc. are available to the employees of Public Works Department working in the hostel like other Government employees working at other places but these facilities have not so far been extended to the other employees ; and

(e) the time by which uniform rules would be enforced in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . All such rules as are applicable to other employees working in similar Central Organisations are applicable to the employees of this Hostel except regarding holidays.

(d) The C. P. W. D. Staff consists of regular staff and work charged staff. The work charged staff are governed by a different set of rules. There is no work charged staff in the Hostel. All facilities of leave and pay etc. as are available to other Government employees in similar organisations are available to these employees except in the matter of closed holidays.

(e) The matter regarding extending the full facilities of holidays to the staff as are available to staff working in similar organisations, to the staff of the Central Government Hostel in Calcutta is under examination and a decision would be taken soon.

Awards for seizure of smuggled Goods

2108. Shri Yashpal Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Drivers of vehicles belonging to Ministry of Finance in the border cities like Calcutta, Madras and Bombay have at times to work more than expected of them in seizing smuggled goods etc.,

(b) whether it is also a fact that some years ago awards used to be given to these drivers for seizing trucks carrying smuggled goods which used to encourage them a great deal ;

(c) whether it is also a fact that this practice has been abandoned some time back and the grades of these drivers are also lower than those of the Drivers working in other Government departments : and

(d) if so, whether these Drivers had also submitted a memorandum to Government in this regard and if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. When they work beyond the prescribed hours of duty, they get overtime.

(b) Class III staff including drivers of the Customs & Central Excise Departments, are eligible for Presidential Awards. They are also eligible for cash rewards on merits, in seizure cases.

(c) The practice, as indicated above, has not been abandoned. Regarding the grades of pay of the drivers working in the Customs and Central Excise Departments, the Second Pay Commission had recommended two different scales of pay for Motor Car Drivers, namely, Rs. 110-3-131-4-139 for Drivers of Light and Medium Motor Vehicles and Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180 for Drivers of Heavy Vehicles or "where the duties involve very long hours regularly or are exceptionally orduous." The pay scales of Drivers in various Departments of the Government have been fixed taking into account the guidelines suggested by the Pay Commission. In the Customs and Central Excise Departments, Motor Drivers are borne on the lower pay scale of Rs. 110-139 and this is the normal pay scale prescribed for Drivers working in various attached and subordinate offices of the Government.

(d) Representations received from some of the drivers were considered by Government and rejected.

Family Planning Centre in Pauri Garhwal of Uttar Pradesh

2109. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the local difficulties of Pauri. District Garhwal in Uttar Pradesh regarding health keeping in view that it is a backward area ;

(b) whether it is also a fact that the people fall victim to death due to lack of facilities in the said District.

(c) if so, whether Government propose to open Family Planning Centres at different places in the area keeping in view the situation prevailing there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chander Sekhar) : (a) and (b) . These are matters which are entirely the concern of the State Government. They have been requested to furnish the required information which will be furnished to the Sabha when received.

(c) According to the information available with the Central Government 14 Rural Family Welfare Planning Centres and 2 Urban Family Welfare Planning Centres are already functioning in Pauri Garhwal District of Uttar Pradesh.

(d) Does not arise.

Pauri Hospital of Pauri Garhwal

2110. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the doctors of the Pauri Hospital of district Pauri, Garhwal of Uttar Pradesh do not supply the medicines to the patients and advise them to purchase them from the market and the medicines of the Hospitals are sold in the market; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri **B. S. Murthy**) : (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

Income tax due to Government from Modi Enterprises

2111. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of money payable by Modi Enterprises to Government on account of Income-Tax and other items and the details of various items and years to which it relates ?

(b) whether certain cases in this regard are also pending in the Court; and

(c) the action being taken by Government to ensure that the said money does not increase further in future ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (**Shri P. C. Sethi**) : The information regarding (i) income-tax dues, (ii) cases pending in courts and (iii) action being taken to ensure that the arrears of income-tax do not increase; in the Modi Group of cases as mentioned in Monopolies Inquiry Commission Report, 1965 is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

5 लाख रुपये से अधिक आय कर की बकाया राशि

2112. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री 4 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महलनवीस आयोग द्वारा उल्लिखित एकाधिकारियों के 75 परिवारों के मामले में 5 लाख रुपये से अधिक आय कर की बकाया राशि के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाहीं की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । सूचना अभी भी इकटठी की जा रही है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

उच्च अध्ययन के लिए डाक्टरों का विदेश-गमन में जाना

2113. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अध्ययन के लिए विदेश गये डाक्टरों सम्बन्धी जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों में 452 भारतीय डाक्टरों को (जिसमें 14 पशु चिकित्सक भी शामिल हैं) उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए विदेशी मुद्रा दी गई थी। वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :-

1966	–	143
1967	–	154
1968	–	106
1969 (जून तक)	–	49

उड़ीसा में हीरे, निकल और सीसे के निक्षेप

2114. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ भागों में हीरा, निकल तथा सीसे के बड़े भंडार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भंडारों की कुल मात्रा का निर्धारण कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा कटक जिले की सुखिन्दा तहसील में निकल अयस्क की प्रचुर मात्रा की उपलभ्य राशियों और सुन्दरगढ़ जिले के सरगीपल्ली क्षेत्रों में सीसा अयस्क के एक विस्तृत निक्षेप का पता लगाया गया है। हीरों के किसी निक्षेप का पता नहीं लगा है।

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अब तक किए गए समन्वेषण से सुखिन्दा में 140 लाख मैट्रिक टन निकल अयस्क का पता लगा है। सरगीपल्ली में सीसा अयस्क की उपलभ्य राशियों का अनुमान 10 लाख मैट्रिक टन है। सिद्ध करने संबंधी और कार्य प्रगति पर है।

Reservation of Government accommodation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees

2115. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the Estate Office Memorandum No. 12035 (S)/69-Poll (2) dated the 8th September, 1969 the information has been

asked for from the various Ministries regarding the reservation of Government accommodation for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees of the Central Government; and

(b) if so, the details received, Ministry-wise and the nature of action being taken ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) . (a) Yes, Sir.

(b) The information has been received from some of the Ministries/Departments only. In the meantime, it has been decided that 5% of the vacancies in types I and II should be made available for allotment to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees entitled to these types. For this purpose applications from various Ministries/ Departments have been invited and the concession will be given to those who specially apply for this benefit. Besides, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees entitled to these types who are senior enough and are covered on the general waiting list in their turn will be given allotment out of the general pool quota.

उत्तरी क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी मांग पूरी करने के लिए आवश्यक उपकरण की सप्लाई

2116. श्री हिम्मतसिंहका : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने इस वर्ष सितम्बर में उदयपुर में हुई अपनी बैठक में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जबकि उपकरणों का मिलना अनिश्चित हो गया है, उनके मूल्य 25 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, इस क्षेत्र की बिजली की मांग पूरी करने के लिए आवश्यक उपकरण सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो मांगें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संकल्प में भारी बिजली संयंत्र तथा उपस्कर की अधिक लागत और सप्लाई में देरी तथा विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक तथा अन्य सामग्री की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

2. भारत सरकार ने सिंचाई व बिजली मंत्रालय में बिजली उत्पादन उपस्कर तथा पुर्जों के अपने देश में ही बनाने और सप्लाई करने के कार्य की प्रगति का पुनरावलोकन करने तथा संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति के साथ उपस्कर बनाने की प्रगति का समन्वय करने के लिए एक समिति बनाई है। मूल्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिए और देशी बिजली उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर के उपयुक्त मूल्य निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी स्थापित की गई है। जहां तक दुर्लभ सामग्री की सप्लाई का सम्बन्ध है, सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए लिखा पढ़ी की जा रही है। इस संबंध में समय समय पर प्रगति का अवलोकन किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन

2117. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 से जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन कम होता जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो गैर–सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के पहले से ही कम विनियोजन के उक्त अवधि में और कम होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह कमी जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति में परिवर्तन की सूचक है, यदि हां, तो नीति में क्या परिवर्तन किया गया है; और

(घ) क्या चालू वर्ष में कार्यकरण को देखते हुए–गैर सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम का विनियोजन कम हो जाने की आशा है, यदि हां तो कितना तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को जीवन बीमा निगम के विनियोजन का उचित अंश सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) यह बात सही है कि जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली पूंजी का प्रतिशत (यद्यपि कुल मात्रा नहीं) जो 1967–68 के अन्त में 19 प्रतिशत था, घटकर 1968-69 में 17.8 प्रतिशत रह गया। पर इस प्रतिशत के कमी होने की प्रवृत्ति बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। 31 दिसम्बर, 1961 को यह कुल पूंजी 98.1 प्रतिशत थी। 31 मार्च 1963 और 31 मार्च 1968 के बीच यह पूंजी 19.2 प्रतिशत और 19.7 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रही तथा 31 मार्च, 1967 और 31 मार्च, 1968 को घटकर यह 19 प्रतिशत हो गयी।

(ख) जैसा कि पहले बताया गया है, जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली पूंजी की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है। इस तथ्य का पता इस बात से चलता है कि जीवन बीमा निगम ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अन्त में, गैर–सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार पूंजी लगा रखी थी :–

	(करोड़ रुपयों में)
31 मार्च, 1967	189.19
31 मार्च, 1968	211.98
31 मार्च, 1969	223.98

जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली पूंजी का अनुपात घटने के कारण ये हैं:–

(1) शेयरों की बिक्री का जिम्मा लेने और सावधिक ऋणों के संबंध में पहले की अपेक्षा कम प्रस्तावों का होना।

(2) बाजार में अच्छे शेयरों की कमी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार चालू वर्ष में जीवन बीमा निगम द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली पूंजी में कमी होने की संभावना नहीं है।

पी. एल. 480 निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

2118. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत इस समय कितनी धन राशि जमा है;

(ख) अब तक कितने धन के विनियोग का अधिकार दिया गया है और वह राशि कैसे तथा किन-किन उत्पादों पर कितनी खर्च की जायेगी और उनमें से प्रत्येक पर कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी; और

(ग) क्या इन निधियों के बड़े पैमाने पर विनियोग या अन्य कार्यों पर खर्च करने के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार से प्राप्त हुए कोई विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पी० एल० 480 के अधीन आयातों के सम्बन्ध में 30 सितम्बर, 1969 तक अमेरिका को 2168.37 करोड़ रुपये अदा किये गये थे। इस रकम में से 30 सितम्बर 1969 तक 1940.64 करोड़ रुपये की रकम का उपयोग किया गया था और पहली अक्टूबर, 1969 को 227.73 करोड़ रुपये की रकम उपयोग के लिए उपलब्ध थी। इन रकमों का उपयोग-वार वितरण इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपयों में)

	उपार्जित	व्यय	शेष
1. भारत सरकार को ऋण	1359.23	1300.25	58.98
2. भारत सरकार को अनुदान	387.40	349.33	38.07
3. भारत अमरीकी उद्यमों को कुल ऋण	138.44	74.18	64.26
4. अमरीका द्वारा उपयोग	283.30	216.88	66.42
जोड़ :	2168.37	1940.64	227.73

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न के भाग (ख) में टंकण की गलती से "प्रयोजनाओं" (प्रोजेक्ट्स) शब्द की बजाय "उत्पादों (प्रोडक्ट्स) शब्द छप गया है। 30 सितम्बर, 1969 तक उपयोग (अर्थात् व्यय) की गई रकमों के ब्यौरे अनुबन्ध I, II, III, IV में दिये गये है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2165/69**] शेष रकमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए रखी गयी हैं।

(ग) अमरीकी सरकार ने, हाल में, गांवों में बिजली लगाने के लिए नव स्थापित निगम को अमरीकी उपयोग के लिए नियत रुपयों में से 150 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी दी है। इन रकमों के थोड़े से हिस्से को, उर्वरक वितरण के लिए पोषक ऋण के रूप में, उपयोग में लाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। इन निधियों के बड़े पैमाने पर विनियोजन या इन्हें दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में कोई अन्य विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों का गुण स्तर तथा प्रभाव कायम रखने की आवश्यकता

2119. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 सितम्बर, 1969 के पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री डा॰ कनाईलाल भट्टाचार्य के एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें भारत में निर्माताओं द्वारा उत्पादित उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों का गुण स्तर तथा प्रभाव कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों के गुण स्तर को कायम रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या भारतीय मानक संस्था या किसी अन्य संस्था ने ऐसे मानक निर्धारित किये हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे मानक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा॰ रा॰ चव्हाण) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

Branches of Nationalised Banks in Urban and Rural Areas

2121. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Finance** be Pleased to state :

(a) the percentage of Urban and Rural branches of each nationalised bank at the time of Nationalisation;

(b) the number of branches opened by each of these banks in urban and rural areas, separately, after the nationalisation; and

(c) the action proposed to be taken by Government to increase banking facilities in the rural areas ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . The information is given in Annexures I and II. **[Placed in Library. See No. LT-2166/69]**

(c) The Reserve Bank of India has been urging banks to open new offices in rural areas of which at least 50% should be at unbanked rural centres. The banks have also been encouraged to provide banking facilities to rural centres by opening satellite offices to serve clusters of villages or by mobile vans.

A Committee of Bankers which was appointed by the Reserve Bank of India to draw up coordinated programmes of branch expansion has submitted its report recently and the same is under Reserve Bank's consideration.

Supply of Electricity to Birla Company

2122. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the leader of the opposition in Uttar Pradesh Legislative Assembly sent a telegram to the Prime Minister on the 17th October, 1969 requesting that the Central Government should take immediate action for the cancellation of the agreement to supply electricity on rate lower that the actual cost to a Birla Company by the Uttar Pradesh Government; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No. The telegram states that the Uttar Pradesh Government is proposing to sell another 55,000 K.W.s power to Birlas for a long term at 40% below the cost of generation and seeks Prime Minister's intervention to stop the transaction.

(b) Facts are being ascertained from the State Government.

Loans taken by Congress Party from various Banks

2123. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an amount of Rs. 15 lakh stands against the Congress Party in various banks as loan;

(b) the amount of the repayable loan and interest to each bank and the time since when it is outstanding; and

(c) the action taken by the nationalised banks after the nationalisation to recover the loan and its interest and the rusults thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). In accordance with the practices and usages customary among bankers, such information relating to the accounts of particular constituents is not divulged by banks.

Foreign Exchange Sanctioned for International Conference of Communist Parties Held in June, 69

2124. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Qnestion No. 2113 the 4th August, 1969 and state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned by Government to each of the Indian delegates, who participated in the International Conference of Communist Parties held in Moscow in June, 1969; and

(b) the amount of customs duty recovered from them for the articles brought by them from abroad ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P.C. Sethi) : (a) Out of the three persons who were allowed passage clearance specifically for attending this Conference, Shri Indrajit Gupta was given £ 15 for incidental expenses; the other two were given passage clearance only.

(b) Oral clearance regarding baggage was obtained from them in the normal course. On the basis of this oral declaration, no customs duty was chargeable on the baggage brought by them.

Income Tax Assessment of the Directors of Ashoka Marketing Ltd.

2125. Shri Narain Swarup Sharma : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2211 on the 5th August, 1969 and state :

(a) the amount of Income-tax assessed during the last 3 years on the Directors of the Ashoka Marketing Limited which was established on the 17th July, 1948; and

(b) the amount of Income-tax realised from them during this period and the steps proposed to be taken by Government to realise the balance ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . S/Shri Madan Lal Pandya, Brij Mohan Bagaria and Nilratan Khaitan were Directors of the Ashoka Marketing Ltd. as on 31st August 1967, the date mentioned in the answer to the earlier question referred to. They still continue to be the directors.

Assessments for the last 3 assessment years i. e. 1967-68, 1968-69 and 1969-70 have not been completed in the case of any one of the directors of the company. However, the information in regard to the last completed assessments is given in the Annexure. [Placed in the Library. See No. LT 2167/69]

वर्ष 1969-70 में राजस्व की प्राप्ति

2126. श्री गु. च. नायक : श्री रा. रा. सिंह देव :
श्री अ. दीपा : श्री रा. की. अमीन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रेल, 1969 से प्रारम्भ होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के रूप में कुल कितनी धन राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) राजस्व के विभिन्न स्रोतों से कितनी आय होने का लक्ष्य था और क्या वास्तविक प्राप्तियां लक्ष्यों के अनुसार हुई हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 1969 से 31 अक्तूबर, 1969 तक सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से प्राप्त कुल रकम लगभग 1050 करोड़ रुपये (अनन्तिम) हैं।

(ख) विभिन्न राजस्व-शीर्षों के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत बजट अनुमान नीचे दिये गये हैं:–

		(करोड़ रुपयों में)
1.	सीमा-शुल्क	435.20
2.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (कुछ उपकरों को छोड़कर)	1,499.64
3.	आयकर (निगम-कर सहित)	688.50
4.	सम्पदा-शुल्क	7.50
5.	धन-कर	12.00
6.	दान-कर	1.50

चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त रकमें स्वीकृत बजट अनुमानों का क्रमश: 53.6 प्रतिशत तथा 54.4 प्रतिशत आती हैं जबकि यथानुपात 58.33 प्रतिशत की आशा थी। कम आयात के कारण, सीमा-शुल्क से प्राप्त रकम में मुख्यत: आयात-शुल्क के अन्तर्गत गिरावट आई है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से उगाहियां अब तक आशा के अनुरूप नहीं रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि मद्रास की शोधन शाला (रिफाइनरी) ने जून, 1969 के आखिर में ही उत्पादन शुरू किया है जब कि इससे मार्च, 1969 से राजस्व प्राप्त होने की आशा की गई थी।

जहां तक प्रत्यक्ष-करों से प्राप्तियों का प्रश्न है, वे स्वीकृत बजट अनुमानों के अनुरूप ही रही है।

अन्तरिम बजट तैयार करना

2127. श्री गु० च० नायक : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री अ० दीपा : श्री रा० की० अमीन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वरिष्ठ अर्थ शास्त्रियों ने जिनमें डा० आर० के० हजारी भी शामिल हैं, जिन्होंने औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस नीति पर हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है, अन्तरिम बजट तैयार किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र. चं. सेठी) : (क) और (ख). डा० आर० के० हजारी ने बम्बई की रोटरी क्लब में एक भाषण में अन्तरिम बजट तैयार करने की वकालत अवश्य की थी। परन्तु सरकार इस समय ऐसा करना आवश्यक नहीं समझती।

फर्मों, कम्पनियों तथा उद्योगपतियों द्वारा आय-कर का भुगतान

2128. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों, कम्पनियों, सार्थो या उद्योगपतियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने वर्ष 1967, 1968 और 1969 में (अक्तूबर तक) पचास हजार रुपये से अधिक आयकर दिया है या जिन्होंने पचास हजार रुपये आय-कर के या जुर्माने के दिये हैं और यदि कुछ पिछली राशि बकाया थी, तो कितनी थी;

(ख) इन वर्षों में कितनी राशि वसूल हुई;

(ग) किन-किन पर जुर्माने किये गये और कितनी राशि वसूल की गई है; और

(घ) उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने एक लाख रुपये से अधिक दिया है और कितने पक्षों को एक करोड़ रुपये से अधिक देने का आदेश दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये अथवा 1 करोड़ रुपये जैसी निर्धारित आर्थिक सीमाओं से ऊपर के सम्बन्ध में

गई मांगों तथा करों की वसूली और दण्डों के अलग आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। मांगें भिन्न-भिन्न किस्मों की हैं जैसे अग्रिम कर, अनन्तिम कर-निर्धारण तथा नियमित कर-निर्धारण। उगाहियां भी अग्रिम कर, अनन्तिम कर-निर्धारण, स्वयं निर्धारण, चालू और बकाया मांग आदि के कारण हैं। इसी प्रकार, दण्ड भी कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत लगाए जाते हैं जैसे आय-विवरण देर से प्रस्तुत करना, लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करना, आय छिपाना, देय अग्रिम-कर का गलत अनुमान प्रस्तुत करना तथा जिस व्यक्ति का कर-निर्धारण पहले नहीं किया गया हो उसके सम्बन्ध में देय, अग्रिम-कर का अनुमान प्रस्तुत नहीं किया जाना। उपर्युक्त आंकड़ों के संकलन में काफी समय और श्रम लगेगा।

लेकिन, 1966-67 से 1968-69 तक के वर्षों के दौरान आयकर की शुद्ध उगाहियां इस प्रकार थीं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आयकर राजस्व की कुल उगाहियां
1966–67	637.43
1967–68	635.95
1968–69	673.23

Seizure of Smuggled Goods

2130. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the quantity of smuggled goods seized in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras since the 1st January, 1969 todate;

(b) the particulars of goods recovered and the quantity of gold therein;

(c) the total value of the recovered gold; and

(d) the number of persons arrested in this connection and the number of gazetted and non-gazetted officers among them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) A statement showing the broad description, quantity and the value of smuggled goods including gold seized at Bombay, Delhi, Calcutta and Madras, during the period from 1-1-1969 to 21-11-1969 is annexed. **[Placed in Library. See No. LT 2168/69]**

(d) The number of persons arrested for Customs offences during the period from 1-1-1969 to 21-11-1969, is 484 which includes one non-gazetted officer.

हुन्डी–सौदे

2132. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुण्डी-सौदों के बारे में बम्बई शर्राफ संस्था से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) बम्बई सर्राफा संस्था से हाल ही का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन, 1965 में शिकारपुरी सर्राफा संस्था, बम्बई से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जो आयकर विभाग द्वारा उन दिनों ली गयी तलाशियों के कारण उन्हें हुई कठिनाइयों के सम्बन्ध में था।

(ग) मामले पर विचार किया गया था तथा यह आश्वासन दिया गया था कि जिन व्यक्तियों को विभाग द्वारा स्वीकृत सूची से बाहर निकाल दिया गया था, उनके मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

बर्मा आयल कम्पनी द्वारा आयल इंडिया लिमिटेड का नियन्त्रण

2133. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयल इन्डिया लिमिटेड के नियन्त्रण के सम्बन्ध में बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) लोक सभा में 11–11–69 को दिये गये अता० प्रश्न संख्या 70 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण के बारे में बर्मा आयल कम्पनी से कोई और बातचीत शुरू नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस को जमा से अधिक राशि दी जाना

2134. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अखिल भारतीय कांग्रेस दल के कोषाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मन्त्री के चुनाव दौरे के व्यय के सम्बन्ध में कांग्रेस दल ने लाखों रुपये खर्च किये थे जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस दल ने बैंकों से जमा राशि से 5 लाख रुपये की राशि अधिक निकाली थी;

(ख) यदि हां, तो किन–किन बैंकों ने कांग्रेस दल को जमा से अधिक राशि दी थी; और

(ग) किन–किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अन्य राजनैतिक दलों को उनकी जमा राशि से अधिक राशि दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). किसी बैंक के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के लेनदेनों की सूचना सरकार के पास नहीं है। चाहे उनका सम्बन्ध प्रधान मन्त्री के पार्टी के नेता के रूप में उनके चुनाव-दौरों से हो या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं के चुनाव-दौरों से। बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण)

अधिनियम, 1969 की धारा 16(1) के अन्तर्गत बैंकों से इस प्रकार की सूचना देने की अपेक्षा नहीं की जाती ।

इन प्रश्नों का सम्बन्ध किसी राजनीतिक दल के आन्तरिक मामलों से है, जो मुख्यतः सरकार का विषय नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में सदन की प्रक्रिया और कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम संख्या 41(2) (vii) और 41(2)(xviii) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजनैतिक दलों को ओवर ड्राफट (जमा से अधिक राशि देने) के सम्बन्ध में नीति

2135. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजनैतिक दलों, व्यापार गृहों, सामाजिक संगठनों को जमा से अधिक राशि देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे ओवरड्राफ्टों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . ऋण देने के बारे में बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन के मामले के गुणावगुणों से सन्तुष्ट हों और दिये जाने वाले ऋणों की सुरक्षा के बारे में भी आश्वस्त हों । बड़े व्यवसायियों को ऋण देने के सम्बन्ध में नीति यह है कि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिये कि सभी उत्पादक उद्योगों की ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जाय ।

श्रीमती स्वेतलाना द्वारा कालाकोकर में बनाया गया प्रसूती अस्पताल

2136. श्री दे० अमात : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या श्रीमती स्वेतलाना ने कालाकोकर में महिलाओं तथा बच्चों के लिए प्रसूती व्यवस्था करने के निमित्त अपने भारतीय पति स्वर्गीय श्री ब्रजेश सिंह नी स्मृति में एक अस्पताल बनवाया है, जिसका प्रबन्ध यह स्वयं करना चाहती है ताकि उसे सरकार तथा राजनितिज्ञों के प्रभाव से मुक्त रखा जा सके; और

(ख) इन आरोपों का ध्यान रखते हुये कि विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल धर्म परिवर्तन की राजनीति का गढ़ बने हुये हैं, क्या यह प्रसूती केन्द्र किसी अवांछनीय राजनीतिक प्रभाव से, जो दानशीलता के नाम में लाया जा सकता है, मुक्त रहेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) . अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । विवरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा जा रहा है ।

ताप बिजलीघर बोकारो को उपकरण सप्लाई करने के लिये रूस के मंत्री के साथ वार्ता

2137. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में जब वह मास्को गये थे तो वहां उनकी रूस के विद्युत् शक्ति विकास तथा विद्युतीकरण मंत्री के साथ क्या वार्ता हुई थी; और

(ख) ताप बिजलीघर जो बोकारो में धातुकर्मक संयंत्र को बिजली की सप्लाई करेगा, के लिये उपकरण भारत में कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तिबिलिसी जाते समय मैं मास्को भी गया था जहां मैंने राष्ट्र संघ के विशेषतः निमंत्रित व्यक्ति के रूप में बाढ़ हानि, प्रति-कारात्मक उपाय और प्रबंध के बारे में हुई एक अंतः क्षेत्रीय विचार गोष्ठी में भाग लिया था। इस अवसर पर मैंने सोवियत बिजली एवं विद्युतीकरण मंत्री के साथ सोवियत संघ में बिजली उत्पादन, परेषण और बिजली के ग्रिड प्रचालन के क्षेत्रों में अद्यतन प्रवृत्तियों के ऊपर विचार-विमर्श किया था।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र के तापीय बिजली केन्द्र के लिये उपकरण की सप्लाई के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ।

मंगलौर तथा कांडला उर्वरक परियोजनाओं के लिये ब्रिटेन से सहायता

2138. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अपनी हाल की विदेश यात्रा के दौरान ब्रिटेन के समुद्र पार विकास मंत्री के साथ मंगलौर तथा कांडला उर्वरक परियोजनाओं के लिये परियोजना सहायता के बारे में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भूतपूर्व वित्त मंत्री ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की थी। सितम्बर, 1969 में मेरी पिछली लन्दन यात्रा के दौरान यह मामला उठाया गया था। उन दो उर्वरक प्रायोजनाओं के संदर्भ में, जिन्हें ब्रिटेन के ऋणों से पूरा करने के लिये पहले ही प्रस्ताव किया जा चुका है, मैंने ब्रिटेन के समुद्रपारीय विकास मंत्री को उर्वरक उत्पादन के लिये कारखाने स्थापित करने के हमारे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया था और उनसे कहा था कि हमारे अनुरोध पर गम्भीरतापूर्वक शीघ्र विचार किया जाय। ब्रिटेन के अधिकारी दोनों प्रायोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं।

देहरादून में तिब्बती मठ

2139. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून मे एक तिब्बती मठ बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन खर्च होगा; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार कितना धन देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). देहरादून में केन्द्रीय सरकार के द्वारा तिब्बती मठ (टिब्यतियन मौनेस्ट्री) बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह मालूम हुआ है कि स्वयं तिब्बतियों के द्वारा एकठ्ठी की गयी निधियों के द्वारा इस प्रकार का मठ बनाने का प्रस्ताव है। इस मठ पर कितना व्यय होगा इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नांगलोई (दिल्ली) ले-जाये गये अनधिकारियों की दयनीय स्थिति

2140. श्री दि० नरसिंहा राव : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई ले जाये गये अनधिवासियों की दयनीय स्थिति के लिये दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पारषद् ने केन्द्र पर दोष लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि नांगलोई में रहने वाले लोगों की स्थिति अमानवीय है; और

(घ) वहां के लोगों की रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मुख्य कार्यकारी पार्षद से ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नांगलोई में ईंटों के फर्श की सड़कें, सड़क की रोशनी, सामुदायिक शौचालय और जल-सम्भरण की व्यवस्था कर दी गई है। सफाई के प्रबंध के सुधार के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। एक संस्था द्वारा स्वेच्छा से एक औषधालय चलाया जा रहा है तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा एक पाठशाला की व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Shifting of Inundated Part of Mandsaur City, Madhya Pradesh

2141. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state whether Madhya Pradesh Government have been advised to formulate and implement a scheme for shifting that part of Mandsaur city which has been inundated several times, to a higher place ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : No such advice has been given by the Central Government. It has been ascertained from the Government of Madhya Pradesh that they also do not have any proposal under consideration for shifting part of Mandsaur City to a higher place. The State Government are, however, considering some schemes for affording protection to the city from frequent floods.

Capital Invested on Exploration of Diamonds in Madhya Pradesh

2142. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the amount of public and private capital invested in the works of the National Mineral Development Corporation and the amount of capital out of that invested in Madhya Pradesh in the work of the exploration of diamonds from the mines;

(b) the details of the conditions for getting diamonds from the diamond explorers;

(c) whether the target of the Corporation is to monopolise the exploration of diamonds; and

(d) the value of the diamonds sent abroad during the last three years and the value of those sold in the country and the amount of the foreign exchange thus earned ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The entire share capital in the National Mineral Development Corporation has been invested by the Government of India and there is no share holding by the general public. The equity and loan capital so far invested in the N. M. D. C. is Rs. 4747.03 lakhs, of which Rs. 253 lakhs relates to the diamond mining project, Panna (Madhya Pradesh).

(b) National Mineral Development Corporation does not procure any diamonds from private explorers.

(c) There is no such proposal.

(d) The export figures of cut and polished diamonds during the last three years are as under :-

Year	(Value in Rs./lakhs).
1966-67	1106.65
1967-68	1801.88
1968-69	3074.46

The National Mineral Development Corporation have not sold any of their diamonds abroad during the last three years. The amount realised by sale of diamonds produced by N. M. D. C. within the country since the beginning is Rs. 106 61 lakhs.

कांगड़ा ग्रिड स्टेशन

2143. **श्री हेमराज** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोगीन्द्रनगर-अमृतसर लाईन पर कांगड़ा ग्रिड स्टेशन हिमाचल प्रदेश संघराज्य क्षेत्र में स्थित है, परन्तु उसका कार्य संचालन पंजाब बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश विशेषकर कांगड़ा जिले के भागों को बिजली कांगड़ा ग्रिड स्टेशन से सप्लाई की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कांगड़ा ग्रिड स्टेशन में ट्रान्सफार्मरों की कमी होने के कारण इस क्षेत्र में बिजली बार बार गुल हो जाती है; और

(घ) इस कमी को उत्तर क्षेत्र-ग्रिड के माध्यम से दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . जी, हां।

(ग) और (घ) . गत दो वर्षों के दौरान मांग के बढ़ जाने के कारण कांगड़ा उप केन्द्र व्यस्तम समय में पूरी बिजली की सप्लाई करने में असमर्थ है और बिजली भार को क्षेत्र-वार बांटना जरूरी हो जाता है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से प्रार्थना की जा रही है कि वे उप केन्द्र की क्षमता को जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र बढ़ा दें।

कर्मचारियों को क्षेत्रीय ग्रिडों के कार्यसंचालन का प्रशिक्षण

2144. श्री हेमराज : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की स्थापना के बाद उनके लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों से कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जाती है; और

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे क्षेत्रीय ग्रिडों के कार्यसंचालन से परिचित हो सकें ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विविध क्षेत्रीय बोर्डों में राजपत्रित पदों पर नियुक्तियां केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और संघीय प्रदेशों से संघ लोक सेवा आयोग को स्वीकृति से उपयुक्त अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) के आधार पर की जाती है। अराजपत्रित पदों को सम्बद्ध क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा स्थानीय आधार पर ही भर लिया जाता है।

(ख) विविध राज्य बिजली बोर्डों, संघीय प्रदेशों और केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के इन्जीनियरों को उन्नत देशों में समेकित बिजली प्रणालियों को चलाने में प्रशिक्षण लेने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधीन भेजा जा रहा है। भार प्रेषण तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, जो कि क्षेत्रीय ग्रिडों में प्रचालन के लिए अत्यावश्यक है,

चौथी योजना के दौरान भारत में ही भार-प्रेषण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार है।

Future Organisation of Bihar Bank

2145. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have sent a Memorandum to her in regard to the future Organisation of the Bihar Bank;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Goverment have considered it; and

(d) if so, the decision arrived at ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) The suggestion made was that for preserving the regional character of the Bank of Bihar, it may be merged with one of the nationalised banks instead of the State Bank of India.

(c) and (d). Since the Bank of Bihar was bound to lose its identity as a result of merger with any other bank, and the State Bank of India was willing, better equipped to provide adequate supervision and infuse confidence, it was decided to sanction the seheme of amalgamation with the State Bank of India under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, with effect from the 8th November, 1969.

Shifting of Sulphur Factory from Amjhore (Bihar) to Faridabad near Delhi

2146. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are reconsidering any proposal for shifting the Sulphur Factory from Amjhore (Shahabad, Bihar) to Faridabad near Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the persons responsible for this proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) Attention is invited to the reply to Unstarred Question No. 7018 by Shri Ramavatar Shastri given in the Lok Sabha on the 21st April, 1969. Pending further consideration of all issues involved, it has been decided not to pursue the question of shifting of the headquarters of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited for the present.

(b) and (c). Do not arise.

Memorandum to Prime Minister on Heavy Floods in Bihar by M. Ps. and M. L. As.

2147. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a delegation of Communist Members of Parliament and M. L. As. from Bihar met the Prime Minister towards the end of August in order to make her aware of the situation arising out of the heavy floods in Bihar;

(b) if so, the names of the members of the delegation;

(c) whether it is also a fact that they submitted a memorandum to the Prime Minister;

(d) if so, the details thereof: and

(e) the action taken so far by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Some MPs/MLAs of Bihar met the Prime Minister on the 30th August, 1969,

(b) No names were recorded.

(c) and (d). A letter signed by 11 Members of Parliament whose names are given in the statement given below, was sent to the Prime Minister. The letter drew the attention of the Prime Minister to the heavy damages caused in Bihar by the floods of 1969 and the need for urgent rescue and relief measures. It also requested to Prime Minister to pay a visit to the flood affected areas and see for herself the terrible devastation wrought over extensive areas of the State.

The letter also suggested some measures to be taken which included sanction of an *ad hoc* grant of Rs. 5 crores to finance various relief measures, distribution of foodgrains and other essential commodities at cheap rates and immediate suspension of collection of all Government dues in the flood affected areas. The memorandum also suggested the constitution of All Parties Flood Advisory Committees at various levels and visit of an official team to Bihar to assess the damages. The execution of certain irrigation, flood control schemes and taking up of longterm measures were also suggested.

Statement

1. Shri Yogendra Sharma
2. Shri Bhogendra Jha
3. Shri K. M, Madhukar
4. Shri Shiva Chandra Jha
5. Shri Sheopujan Shastri
6. Shri Ramavatar Shastri
7. Shri Gunanand Thakur
8. Shri S. M. Joshi
9. Shri Nihal Singh
10. Shri Ramshekhar Prasad Singh
11. Shri Chandra Sekhar Singh

(e) The Prime Minister visited Bihar on 11th and 12th September, 1969, but bad weather prevented her from flying over the flood affected areas. However, the Union Minister for Irrigation and Power inspected the flood affected areas later on. Pending a full assessment of the financial requirements of the State, the Government of India released an *ad hoc* loan assistance of Rs. 1 crore to the State Government for undertaking immediate flood relief measures.

The State Government had already taken action to provide free rations to the people of the flood affected areas. In addition, recovery of loans, rent/and other certificate arrears have been suspended in areas where standing crops had been damaged by floods upto 50 percent and above. It is understood that there are already committees at district level and Thana level consisting of officials and non officials to co-ordinate relief measures. The other suggestions in the letter are receiving attention.

बरौनी उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य

2148. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अराजकता बढ़ जाने के कारण बरौनी उर्वरक परियोजना के निर्माण-कार्य को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सर्वोच्च अधिकारियों को हत्या किये जाने की धमकी दी गई है तथा उन्होंने तबादला किये जाने की मांग की है ;

(ग) क्या परियोजना अधिकारियों ने गृह-कार्य मंत्रालय की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की रक्षा करने तथा काम आरम्भ करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। किन्तु प्रगति कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। कार्य को पुनः आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कार्य हो रहा है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में काम करने वाले आशुलिपिकों के वेतनमान

2149. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में नियुक्त आशुलिपिकों के, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के समकक्ष आशुलिपिकों से कहीं अधिक और कठिन काम करना पड़ता है; वेतन-क्रम उपरोक्त कार्यालयों में नियुक्त आशुलिपिकों से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इस विषमता को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां तो वह कब तक दूर कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में आशुलिपिकों के पदों के वही वेतनमान, अर्थात् 270-425 रु० तथा 130-300 रु० हैं जो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित अन्य गैर-सचिवालयी कार्यालयों में समकक्ष पदों पर लागू हैं। लेकिन, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वेतनमान भिन्न हैं।

यह सवाल नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय सचिवालयी आशुलिपिक सेवा पर लागू होने वाले वेतनमान, गैर-सचिवालयी कार्यालयों के आशुलिपिकों पर लागू नहीं किये जा सकते।

भारत के रिजर्व बैंक से निकाली गई अधिक धनराशि को चुकाने के लिये राज्यों को दिया गया धन

2150. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा जमा से अधिक निकाली गई धनराशि को चुकाने के लिये राज्य सरकारों को चालू वर्ष में भारत सरकार ने 102 करोड़ रुपये दिये थे ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों अधिक राशि निकालने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति ली थी ; और

(घ) केन्द्र द्वारा उपरोक्त सहायता दी जाने के बाद जमा से अधिक निकाली गई कितनी राशि अभी भी शेष रह जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी हां। ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	जून 1969 में मंजूर किये गये अर्थोपाय अग्रिम
असम	38 करोड़ रुपया
उड़ीसा	16 करोड़ रुपया
राजस्थान	48 करोड़ रुपया

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे रिजर्व बैंक में अपने खाते में जमा रकम से अनधिकृत रूप से ज्यादा रकमें नहीं निकालेंगे। राज्य सरकारों ने अपने खाते में जमा रकम से अधिक रकमें निकालने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति नहीं ली थी।

(घ) रिजर्व बैंक से जमा से अधिक निकाली गयी रकमों का 22 नवम्बर का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	जमा से अधिक निकाली गयी रकम (करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	10.80
बिहार	5.07
केरल	1.54
मैसूर	2.37
राजस्थान	50.04
तमिलनाडु	28.51

त्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्स, अलवाये के कार्य संचालन में कथित हस्तक्षेप

2151. श्री मंगलाथुमाडोम : **श्री क० लकप्पा :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री लखन लाल कपूर :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि केरल सरकार के राजस्व बोर्ड के सदस्य, श्री के० के० रमनकुट्टी ने त्रावनकोर कोचीन, कैमिकल्स, अलवाये संबंधी अपने जांच प्रतिवेदन में जो उन्होंने केरल सरकार को प्रस्तुत किया था यह बताया है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकौर लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक श्री एम० के० के० नायर उस फर्म के कार्य संचालन में अनियमित रूप से हस्तक्षेप करता है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कारखाने में उनके अधिकारी द्वारा अनियमित रूप से हस्तक्षेप न किया जाये, इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां, केस के तथ्यों को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके पश्चात् इस पर विचार किया जायेगा कि क्या कोई कार्यवाही करना आवश्यक है।

जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट

2152. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 से आने वाले 10 वर्षों में विश्व की जन संख्या में संभावित अत्यधिक वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ेगा;

(ख) इस रिपोर्ट में लगाये गये पूर्वानुमान पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जनसंख्या में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को रोकने के वर्तमान प्रयास 1970 से आने वाले दष वर्षों में उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त होंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या विशेष उपाय करने का विचार है तथा 1970 से आने वाले दष वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न के इस भाग में संयुक्त राष्ट्र संघ की किस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। यह अनुमान किया जाता है कि विश्व की जनसंख्या 1970 से आगामी दस वर्षों में 1970 से पिछले दस वर्षों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी।

(ख) जी हां। 1970 से आगामी दस वर्षों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने की संभावना की ओर सरकार का ध्यान गया है।

(ग) जी, हां। भारत सरकार का वर्तमान लक्ष्य जन्म दर को घटाकर 1978–79 तक 25 प्रति हजार पर लाना है। कुछ प्रसिद्ध जनविद्याकारों ने यह हिसाब लगाया है कि अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य हर वर्ष पूरे किये जाते रहें तो 1978–79 तक जन्म दर में उतनी ही कमी हो जाने का अनुमान है।

(घ) भारत की परिवार नियोजन नीति पर लगातार ध्यान दिया जाता है और जिन नये कार्यों को आवश्यक समझा जाता है; वे समय-समय पर आरम्भ कर दिये जाते हैं। परिवार नियोजन आंदोलन को और अधिक जोरदार बनाने के संबंध में जो कार्य किये जा रहे हैं, उनका विवरण लोक सभा में 24 नवम्बर, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1144 के उत्तर के भाग (ग) में दिया जा चुका है।

जीवन बीमा निगम द्वारा अदा की गई पालिसियों की धनराशि

2153. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी बीमा पालिसियों का निपटारा तथा अदायगी की गई तथा उन बीमा पालिसियों की धनराशि क्या है तथा कितनी बीमा पालिसी अभी अनिर्णित हैं ;

(ख) क्या कुछ दावों के निर्णय करने के बारे में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उन पालिसियों की संख्या तथा धनराशि कितनी है, जिनका निर्णय 6 महीने से अधिक की अवधि में भी नहीं हो सका; और उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) वर्ष 1965–66, 1966–67, 1967–68 तथा 1968–69 में निपटाये गये तथा इनमें से प्रत्येक वर्ष के आखिर में निपटान के लिए बकाया पड़े दावों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–

(रकम करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान निपटाये गये दावे		वर्ष के आखिर में बकाया पड़े दावे	
	सं०	रकम	सं०	रकम
1965–66	2,53,733	57.72	1,03,001	17.41
1966–67	2,62,263	60.94	99,606	19.33
1967–68	2,53,936	60.52	1,04,860	21.39
1968–69	(उपलब्ध नहीं है)	66.80	(उपलब्ध नहीं है)	24.21

(ख) जी, हां। कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है।

(ग) जिन पॉलिसियों का छः महीने से अधिक अवधि तक निपटान नहीं किया जा सका, 31 मार्च, 1968 को उनकी संख्या तथा रकम क्रमशः 51,943 तथा 9.60 करोड़ रुपये थी। कारण-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है :–

(रकम हजार रुपयों में)

कारण	मृत्यु सम्बन्धी दावे		परिपक्वता दावे	
	सं०	रकम	सं०	रकम
1. दावों के फार्म, पालिसी अथवा रसीद बाउचर प्राप्त नहीं हुए।	13045	36,254	19740	22,228
2. उम्र का सबूत नहीं प्राप्त हुआ	509	1718	2135	3699
3. हक का सबूत नहीं प्राप्त हुआ	3721	11204	—	—
4. क्षतिपूर्ण बन्ध तथा विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों आदि से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताएं	1132	3690	2592	7006
5. दावेदारों का पता नहीं चलना	300	560	7143	4692
6. जांच पड़ताल सम्बन्धी रिपोर्ट अथवा प्रत्यक्ष पूछताछ के उत्तर नहीं मिले।	1626	8993		
	20,333	62,419	31,610	33,625

देश में हृदय रोग के विशेषज्ञों की कमी

2154. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि देश में हृदय रोग विशेषज्ञों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि भारत में दिल के दौरे पड़ने की घटनायें बढ़ रही हैं इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) . जनसंख्या की आवश्यकताओं के हिसाब से डाक्टरों की कमी है और हृदय विशेषज्ञों की कमी इस समस्या का एक अंग है। देश में विभिन्न विशिष्टताओं में जिनमें हृदय रोग शास्त्र भी सम्मिलित है उपस्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा सुविधायें उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही हैं। देश के विभिन्न भागों में हृदय रोगों के उपचार के लिए अनेक विशेषज्ञकेन्द्र खोल दिये गये हैं। मामूली हृदय रोगों का इलाज सामान्य चिकित्सक कर लेते हैं।

खेतरी तांबा क्षेत्रों के पट्टेधारियों को मुआवजे की अदायगी

2155. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेतरी तांबा परियोजना में खेतरी तांबा क्षेत्रों के पहले पट्टाधारियों को, उनके पट्टा अधिकारों को अपने हाथ में लेने पर मुआवजे के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया था;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों, फर्मों अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनको कितनी-कितनी राशि दी गई है; और

(ग) उक्त कम्पनियों, फर्मों अथवा व्यक्तियों के किन-किन तिथियों को आरम्भ में पट्टे लिये थे और प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

		पट्टाधारी का नाम	अदा की गई राशि
(ख)	(1)	मैसर्स जयपुर माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड।	भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा जयपुर माइनिंग कारपोरेशन के मध्य हुए समझौते की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपये की रकम अदा की गई थी।
	(2)	श्री नंद लाल अग्रवाल	पंच-निर्णय की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में 1,40,925.14 रुपये की राशि अदा की गई थी।
(ग)	(1)	मैसर्स जयपुर माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड।	14-2-45 को 100 वर्ग मीलों पर उन्हें एक पूर्वेक्षण लाईसेंस दिया गया था। 4-3-49 को 8.27 वर्ग मील क्षेत्र पर एक खनन पट्टा दिया गया था।
	(2)	श्री नन्दलाल अग्रवाल।	30-10-56 को उन्हें 1600 एकड़ क्षेत्र पर एक खनन पट्टा दिया गया था।

धनकर के लम्बित मामलों का निपटारा

2156. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में धन-कर के कितने मामले, वर्षवार लम्बित थे और बकाया सहित कितने मामलों का निपटारा किया गया ;

(ख) मामलों को निपटाने में यदि कोई विलम्ब हुआ तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके शीघ्र निपटारे के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) निपटान के लिए बाकी पड़े और पिछले तीन वर्षों में निपटाये गये धन-कर के मामलों की संख्या (बकाया मामलों सहित) नीचे लिखे अनुसार हैं :–

वित्तीय वर्ष	**निपटान के लिए बाकी**	**निपटाये गये**
1966-67	161927	87695
1967-68	185148	92764
1968-69	226540	105874

(ख) यद्यपि धन-कर निर्धारण के निपटाये गए मामलों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तथापि धन-कर निर्धारण के बकाया मामलों में भी निम्नलिखित कारणों से वृद्धि की प्रवृत्ति दिखायी देती है :–

(1) पिछले पांच वर्षों में धन-कर के नए मामलों की संख्या में एक दम वृद्धि हुई है, जिससे धन-कर अधिकारियों के काम के भार में काफी वृद्धि हो गयी है।

(2) धन-कर निर्धारणों में, आमतौर से, विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की जटिल समस्याएं होती हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने हाल ही में धन-कर अधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं कि वे इस बात का इतमीनान कर लें कि कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 और उससे पहले कर-निर्धारण के कोई मामले यथासम्भव 31-12-1969 के बाद नहीं रखे जाते हैं। अधिकारियों को यह हिदायतें भी दी गयी हैं कि कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 से सम्बन्धित धन-कर-निर्धारण का कोई मामला 1-4-1970 के बाद बाकी नहीं रखा जाय।

जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त शिकायतें तथा उन पर कार्यवाही

2157. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त की गई तथा उनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई तथा कितनी शिकायतों पर कार्यवाही होना अभी शेष है;

(ख) क्या शिकायतों पर कार्यवाही करने में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें है जो छ: महीने से अधिक अवधि से विलम्बित हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय में पिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार थी :

1966-67	16,295
1967-68	18,340
1968-69	19,587

वर्ष 1968–69 में प्रभागीय कार्यालयों में सीधे अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 42,008 थी। वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 के सम्बन्ध में इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 30–9–1969 को निगम के प्रभागीय कार्यालयों में विचाराधीन शिकायतों की संख्या 5977 थी, शेष शिकायतें इससे पूर्व निपटा दी गयीं थी।

(ख) जी नहीं। शिकायतों के निम्नलिखित मामलों के निपटान में अन्य मामलों की अपेक्षा अधिक समय लगता ही है :–अर्थात जिन मामलों में पुरानी जमा का पता लगाना होता है, मृत्यु–दावों के जिन मामलों में जांच-पड़ताल आवश्यक होती है, मृत्यु तथा परिपक्वता–दावों के जिन मामलों में आवश्यक शर्तें समुचित रूप से पूरी नहीं की जाती हैं, बहुत पहले समायोजित प्रीमियमों पर कमीशन से सम्बन्धित शिकायतों के मामले, आदि।

(ग) जिन शिकायतों पर 3 महीने से अधिक समय से कार्यवाही नहीं की जा सकी, 30-9-1969 को उनकी संख्या 1925 थी। मोटे तौर पर, उनके बाकी पड़ी होने के कारण वही हैं जो ऊपर (ख) में बताये गये हैं। जिन शिकायतों पर छः महीने से अधिक समय तक कार्यवाही नहीं की जा सकी, उनकी वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगों को ऋण

2158. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968-69 में भारत के जीवन बीमा निगम के द्वारा गैर-सरकारी बड़े पैमाने के उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्यवार कितना ऋण दिया गया;

(ख) उक्त अवधि में सहकारी समितियों को राज्य–वार कितना ऋण दिया गया; और

(ग) इस अवधि में गैर-सरकारी बड़े पैमाने के उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों ने राज्य-वार कितनी राशि मांगी थी ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र०के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पश्चिम बंगाल में आयकर, केन्द्रीय बिक्री–कर, उत्पादन–शुल्क की वसूली

2159. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य में कर-दाताओं से आय-कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा उत्पाद-शुल्कों की वसूली काफी कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) राज्य में वर्ष 1965-1966 से 1968-69 के दौरान आय-कर, उत्पाद-शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री-कर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई है और बकाया धनराशि का वर्षवार तथा मदवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). आय-कर पश्चिम बंगाल I, II और III के आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1969 से 31 अक्तूबर 1969 तक वसूल किए आय-कर की रकम विभागीय आंकड़ों के अनुसार 56.31 करोड़ रुपये थी, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में वसूल की गयी यह रकम 52.19 करोड़ रु० थी। चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राजस्व के इस शीर्ष के अन्तर्गत वसूली कम नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल I, II और III के आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में, वर्ष 1965-66 से 1968-69 के दौरान वसूल किये गए आय-कर की कुल रकम और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वसूली के लिए बकाया रही आय-कर की वसूली सकल मांग की रकम नीचे दी गयी हैं :-

वर्ष	राजस्व	वसूली के लिए बकाया रही सकल मांग
	(करोड़ रुपयों में)	
1965-66	139.53	107.87
1966-67	137.06	168.26
1967-68	120.33	185.50
1968-69	128.77	245.63

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

पश्चिम बंगाल राज्य में 1 अप्रैल 1969 से 31 अक्तूबर 1969 तक वसूल किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, विभागीय आंकड़ों के अनुसार 113.81 करोड़ रु० था, जबकि इसके पहले के वर्ष की इसी अवधि में 99.44 करोड़ रुपये वसूल किए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राजस्व के इस शीर्ष के अन्तर्गत वसूली कम नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 1965-66 से 1968-69 के दौरान वसूल किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का राजस्व और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वसूली के लिए पड़ी बकाया नीचे दी गयी हैं :-

वर्ष	राजस्व	राजस्व की बकाया
	(करोड़ रुपयों में)	
1965-66	142.87	1.08
1966-67	148.45	0.78
1967-68	158.59	0.99
1968-69	177.40	1.08

केन्द्रीय बिक्रीकर :

सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जायगी।

विदेशी मार्के वाली विलास की वस्तुओं की तस्करी

2160. श्री गार्डिलिंगन गौंड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपये के मूल्य के छोटे ट्रांजिस्टर जापानी सैट, चीन के बने फाउण्टेन पेन, टरीलीन का कपड़ा, खिलौने, रूस तथा यूरोप की घड़ियां ग्रादि चोरी छिपे भारत में लाई जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वस्तुग्रों का तस्कर व्यापार रोका जा सकता है यदि उसी किस्म की वस्तुएं ग्रथवा सस्ते दामों में बढ़िया वस्तुएं देश में उपभोक्ताग्रों के लिए उपलब्ध की जा सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान देगी तथा भारत में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्राथमिकता के ग्राधार पर नये उपाय करेगी; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो वे नये उपाय किस प्रकार के हैं तथा इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सीमा-शुल्क ग्रधिकारियों द्वारा समय–समय पर पकड़ी गई तस्कर ग्रायात की वस्तुग्रों से ऐसा पता चलता है कि जापान में बने ट्रांजिस्टर, टेरीलीन का कपड़ा; स्विटजरलैंड की घड़ियां ग्रौर चीन में बने फाउन्टेन पेन चोरी छिपे रूप में देश में लाए जाते हैं। तस्करी जैसे मामले में चोरी छिपे रूप में लायी गयी ऐसी वस्तुग्रों की मात्रा ग्रथवा परिमाण के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय ग्रांकड़े प्रस्तुत करना कठिन है। रूसी घड़ियों के तस्कर–ग्रायात का कोई मामला ध्यान में नहीं ग्राया है।

(ख) देश में ही ग्रपेक्षाकृत सस्ती दरों पर बेहतर किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराने से ग्रधिकांश तस्कर–ग्रायात रोका जा सकता है। लेकिन विशेष रूप से शराब ग्रौर सिगरेट जैसी वस्तुग्रों के मामले में उपभोक्ता की रुचियों का ग्रवश्य बहुत बड़ा हाथ होता है।

(ग) तथा (घ). ग्रौद्योगिक नीति निर्धारित करते समय, केवल उपभोक्ता वस्तुग्रों के तस्कर ग्रायात से उत्पन्न समस्या को ही नहीं बल्कि देश की ग्रार्थिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रावश्यकताग्रों से सम्बन्धित ग्रन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी दृष्टि में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण ग्रपनाया जाना होता है जिससे ग्रार्थिक ग्रौर विदेशी मुद्रा के उपलब्ध साधनों को देश की ग्रार्थिक प्रगति के हित में सर्वाधिक लाभकारी दृष्टि से जुटाया जा सके। ग्रौद्योगिक नीति से सम्बन्धित समस्याएं, ग्रौद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के समक्ष हाल ही में एक "ग्रध्ययन" का विषय रही हैं। इस समिति की रिपोर्ट ग्रौर सिफारिशों पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

Damage to Ramganga Project, Kalagarh due to floods

2161. Shri Deven Sen : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Ramganga Project in Kalagarh (Bijnor) has been left in the lurch by the Central Water and Power Commission while it was started in the year 1262 and was to be completed by the end of 1969 and its cost has now reached upto Rs. 107 crores but only one third of the project has so far been completed;

(b) whether the dam has been badly damaged by the recent floods causing a loss of Rs. 9,00,000 a large number of machinery and euqipment;

(c) whether 'Dharehula Flood Control Centre' has warned the Ram Ganga Project officials about the sudden rise in the level of the floods but the failure on the part of the concerned officers to take timely action caused a heavy loss to Government;

(d) if so, whether Government would appoint a Commission to conduct an enquiry; and

(e) if not, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir. The work on the Project which was formally started in 1961-62 began in right earnest from 1964 with the arrival of requisite imported heavy machines. The Project is now estimated to cost Rs. 110 crores and is expected to be completed by June, 1973. An expenditure of about Rs, 58 crores has been incurred till September, 1969.

(b) and (c) . There was no damage to any structure of the dam due to floods in Ramganga in August, 1969. Arrangements had been made to move all the heavy equipment out of the danger zone. Only some essential minor equipment required to continue the construction work was installed at high spots. These were retrieved and brought to working condition after minor repairs and overhaul.

(d) and (e) . As there was no loss and as adequate precautions had been taken by the Project authorities, the question of appointing any Commission to conduct an enquiry does not arise.

गन्दी बस्तियों के निवासियों को आधारभूत सुविधायें

2162. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गन्दी बस्तियों में रहने वालों को यथासम्भव आधारभूत सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से गन्दी बस्तियों को समाप्त करने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) प्रदान की जाने वाली आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या-क्या हैं;

(घ) आधारभूत सुविधायें प्रदान करने का कार्य कब शुरू होगा; और

(ङ) आधारभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए चालू वर्ष में सरकार का विचार कितनी धन राशि खर्च करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . जी, नहीं। किन्तु समस्या की महत्ता तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य विचार अभिव्यक्त किया गया है वह यह है कि गन्दी बस्तियों को हटाने की अपेक्षा उनके सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(ग) गन्दी बस्तियों के सुधार में वातावरणीय दशा का सुधार तथा गन्दी बस्तियों में बने पक्के मकानों का सुधार शामिल है।

वातावरणीय दशा : –

पानी के पाइपों (मेन्स), सीवर तथा बरसाती पानी की नालियों को डालना, सामुदायिक स्नान गृहों, शौचालयों तथा पानी के नलों की व्यवस्था, वर्तमान सड़कों तथा गलियों को चौड़ा करना तथा पक्का करना तथा नई सड़कें और गलियां बनाना, सड़कों की रोशनी, कटावों की भराई तथा समतलीकरण तथा क्षेत्र का भू-दृश्य-निर्माण, इसमें उद्यान कार्य शामिल हैं, की व्यवस्था।

गन्दी बस्तियों के पक्के मकान :—

शौचालयों (डब्लू०सी०), स्नान गृहों तथा पानी के नलों की व्यवस्था, बिजली का लगाया जाना, शौचागारों का "वाटर बोर्न सिस्टम" में परिवर्तन, रसोईघरों में धुआं रहित चूल्हों तथा सिन्क्स की व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश तथा रोशनदानों की व्यवस्था, आंगन को पक्का करना तथा नालियों की व्यवस्था, छतों आदि की ऊंचाई के आकार को बढ़ाना।

(घ) और (ङ). विभिन्न विकास योजनाओं जो कि अब राज्य क्षेत्र में हैं, इसमें गन्दी बस्ति सफाई/सुधार योजनायें शामिल हैं, के लिए खण्ड ऋणों (ब्लाक लोन्स) तथा खण्ड अनुदानों (ब्लाक ग्रान्ट्स) के द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ऋणों तथा अनुदानों को किसी विशेष विकास योजना के शीर्ष के अन्तर्गत नहीं रखा जाता तथा यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त किसी भी या सभी योजनाओं पर खर्च करें।

मंगलौर तथा कांडला उर्वरक कारखानों के लिये विश्व बैंक की सहायता

2163. श्री हेम बरुआ : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने दो उर्वरक कारखाने एक मंगलौर में तथा दूसरा काण्डला में, स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की हमारी सरकार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) 'यदि हां, तो विश्व बैंक ने कितनी धन राशि की वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है तथा सम्बन्धित कारखानों पर कितना परिव्यय होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : **(क)** मंगलौर और काण्डला परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शान-शौकत के खर्चे को अवरुद्ध करने का प्रश्न

2164. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री 21 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "शानशौकत का खर्च" के अधीन क्या-क्या मदें शामिल हैं;

(ख) यदि उनके उपभोग को अवरुद्ध करना है तो उनके उत्पादन के लिए लाइसेंस क्यों दिये गये हैं;

(ग) क्या इस अवरोध से मूल्यों तथा बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होगी;

(घ) जब संवैधानिक दृष्टि से यह व्यवहार भेदमूलक है तो छोटे स्वामियों के साथ अधिमान्यता का व्यवहार सरकार न्यायालय के किस निर्णय के आधार पर करती है; और

(ङ) क्या सरकार की नीति भूमि के मूल्यों तथा सम्पत्ति पर कर लगाकर गृह-निर्माण को प्रोत्साहन न देने की है जो कि अलाभकारी नीति है, जबकि किरायों का बढ़ना पहले ही रुक गया है तथा अन्य प्रकार से धन लगाने की तुलना में सम्पत्ति से सबसे कम लाभ होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) "शानशौकत के खर्च (कान्सपिकुअस स्पेंडिग)" की बिल्कुल नपे तुले शब्दों में परिभाषा करना मुश्किल है। इसकी व्याख्या सापेक्ष रूप से और देश में रहन-सहन के औसत स्तर, सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं और आयोजनाओं में निर्धारित सामाजिक तथा आर्थिक प्राथमिकताओं को देखते हुए ही करनी पड़ेगी। स्पष्टतः इसमें व्यक्तियों और कम्पनियों द्वारा शौकीनी की वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च, मनोरंजन आदि पर किया जाने वाला अतिव्यय, शानदार मकान बनाने पर किया जाने वाला खर्च और शानशौकत की अन्य वस्तुओं पर इतने बड़े पैमाने पर और इस तरीके से किया जाने वाला खर्च शामिल है; जिसका उद्देश्य धन-सम्पत्ति की और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन-यापन का प्रदर्शन करना हो।

(ख) सरकार की नीति योजना और हमारी सामाजिक-आर्थिक नीतियों के सामूहिक उद्देश्यों को देखते हुए औद्योगिक क्षमता के पूरे पूरे उपयोग को बढ़ावा देने की है। औद्योगिक लाइसेंस, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में शामिल उद्योगों को और 25 लाख रुपये से अधिक स्थिर पूंजी वाले एककों को ही दिये जाते हैं। लाइसेंस दिये जाने के उद्देश्यों से इस सूची में उन उद्योगों को शामिल किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण समझा जाता है।

(ग) शौकीनी की वस्तुओं के उपभोग पर पाबन्दी लगाये जाने से उन वस्तुओं के उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने पर प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें समाज के एक बिल्कुल ही सीमित वर्ग की दिलचस्पी है। लेकिन इससे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और लोगों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से न केवल इसका प्रतिसन्तुलन हो जाएगा बल्कि इससे उत्पादन में कुल मिला कर वृद्धि होगी।

(घ) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि कोई ऐसा भेदभाव हुआ है जिसे कानून या संविधान की दृष्टि से गलत कहा जा सकता है।

(ङ) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने के विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां बनायी गई हैं। जहां तक मकान-निर्माण का सम्बन्ध है, सरकार के प्रयत्नों का उद्देश्य विशेष रूप से, कम और दरमियानी आमदनी वाले वर्गों के लोगों, औद्योगिक श्रमिकों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाना है।

चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप के अनुसार, चौथी आयोजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत मकान–निर्माण और शहरी विकास के लिए 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी है, जबकि तीसरी आयोजना में इसके लिए 127 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इसी प्रकार, अनुमान है कि गैर–सरकारी क्षेत्र में मकान निर्माण पर चौथी आयोजना की अवधि में, तीसरी आयोजना की अवधि में किये गये 1400 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में, 2700 करोड़ रुपये का निवेश किया गया जायेगा।

लेकिन सरकार एश्वर्यपूर्ण मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। जैसा कि सभा को मालूम है, शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

महाजनों से ऋण लेना

2165. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिता अथवा सहकार द्वारा अन्य साधनों से ऋण देने की सुविधायें प्रदान किये जाने के बाद भी अत्यधिक दरों पर महाजन व्यवस्था से ऋण लेने को देखते हुए, इस प्रकार ऋण लेने की व्यवस्था को अनिवार्य मानने और इस व्यवस्था में सुधार न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) ब्याज की इतनी ऊंची दरों का कारण पूंजी की कमी है, इसलिए सरकार उन महाजनों को जो निरीक्षण करवाने के लिए हिसाब–किताब रखने को तथा ब्याज की दरें भी एक विशिष्ट सीमा से नीचे रखने को राजी हैं, वरीयता के आधार पर अग्रिम धन क्यों नहीं देती हैं; और

(ग) क्या सरकार पुराने ऋणों के मामले में मैसूर अधिनियम जैसा विधान जिसका ब्याज की दरों पर, जो कि कानूनी कठिनाइयों जिसमें न्यायालयों के माध्यम से वसूली शामिल है, प्रभाव पड़ने के कारण इस समय न्यायालय में लेख याचिका के रूप में विचाराधीन है, विधान बनाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यद्यपि लोग अभी महाजनों से ब्याज की ऊंची दरों पर ऋण लेते है फिर भी सहकारी ऋणों का विस्तार किये जाने और राज्य सरकारों द्वारा कानून बना कर ऋण देने के व्यवसाय को विनियमित किये जाने से पिछले 20 वर्षों में इस प्रकार के ऋणों का आकार कम हुआ है। आशा है कि, सहकारी ऋण क्षेत्र का और विस्तार हो जाने और देहाती इलाकों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खुल जाने और किसानों, कारीगरों, खुदरा व्यापारियों तथा गांवों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने से साहूकारों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरें भविष्य में और कम हो जायेगी जिससे साहूकारों का काम और भी कम आकर्षक हो जायेगा।

(ख) चूंकि सरकार की नीति यह रही है कि साहूकारों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के विकास के रूप में सहकारी और अन्य संस्थागत का अभिकरणों का विकास करके उनके आधार

से ऋण दिये जायें, इसलिए ऋण देने वाले अभिकरणों के रूप में साहूकारों को प्रोत्साहित करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) चूंकि ऋण सम्बन्धी राहत दिये जानेके सम्बन्ध में कानून बनाने का विषय राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा फिर से इस प्रश्न पर विचार किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

मिट्टी हटाने वाली सरकारी मशीनों का उपयोग

2166. श्री लोबो प्रभु : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 सितम्बर, 1969 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 5100 में से 1700 मिट्टी हटाने वाली सरकारी मशीनें फालतू न होने के कारण बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो 25 करोड़ रुपये की लगायी पूंजी से उसका लाभ उठाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) सरकार ने देश में फालतू पुर्जे बनवाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है तथा उनकी लागत कितनी होगी;

(घ) क्या इन मशीनों की सरकारी कार्य के लिये आवश्यकता नहीं है और यदि हां, तो उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्रों को विशेषकर कृषि उत्पादन के लिये न बेचने के क्या कारण हैं; और

(ङ) मिट्टी हटाने वाली मशीनों की इस समय सरकार की मांग कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जून, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए गणना के अनुसार, विविध श्रेणियों की कुल 5100 मशीनों में से लगभग 1750 मशीनें फालतू पुर्जों की कमी के कारण खाली पड़ी थी।

(ख) बेकार और खराब उपस्कर को शीघ्र चालू करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) शीघ्र अपेक्षित फालतू पुर्जों के आयात में जल्दी लाने के लिए जून, 1969 में 150 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का विशेष आवंटन किया गया है।

(ii) निर्माण उपस्कर और फालतू पुर्जों को प्राप्त करने में जल्दी लाने के उद्देश्य से क्या क्या पग उठाए जांए उनकी सिफारिश करने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है।

(ग) मिट्टी हटाने की मशीनों के फालतू पुर्जों की आवर्तक मांग का बहुत बड़ा भाग तो टायरों, ट्यूबों, इंजन के पुर्जों तथा अण्डर कैरेज पुर्जों का है। बहुत से मापों के टायर और ट्यूबें अपने देश में ही उपलब्ध हैं। आमतौर पर प्रयोग में लाये जाने वाले इंजनों के निर्माण की स्कीम देश में स्थापित की जा चुकी है। अण्डर-कैरेज पुर्जों को बनाने के लिए तीन फर्में लगी हुई हैं। किन्तु मिट्टी हटाने वाली मशीनों के हरएक, किस्म और आकार के लिए

धीरे-धीरे चलने वाली मदों का उत्पादन व्यवहार्य नहीं है। अनुमान है कि देश में बनने वाले फालतू पुर्जों की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है।

(घ) ये मशीनें उन नदी घाटी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य के लिए आवश्यक होती हैं जो कि पहले से कार्यान्वियनाधीन हैं और इसलिए उन्हें युक्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल, नदी घाटी परियोजना का फालतू सामान अन्य परियोजनाओं पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल में लाया जाता है।

(ङ) चौथी योजना के दौरान चालू अनुमानित मांग प्रति वर्ष निम्नलिखित रूप से है :—

1. क्रालरट्रैक्टर 1355
2. डम्पर 575
3. मोटराइज्ड़ स्क्रेपर्स 75
4. फ्रंट-एण्ड लौडर्स 50
5. मोटर ग्रेडर्स 50
6. एक्सकेबेटर/शावल्स 154
7. मोबाइल क्रेन्स 75

बंगलौर की कैंसर निवारण संस्था तथा मानसिक रोगों के अस्पताल के लिये केन्द्रीय अनुदान

2167. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर की कैंसर निवारण संस्था के लिये मांगे गये 5 लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी देने में देरी करने के क्या कारण हैं जबकि राज्य दक्षिण की जनसंख्या की सहायता के लिये शेष 35 लाख रुपये की राशि को वहन कर रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बंगलौर के मानसिक रोगों के अस्पताल के लिये 5 लाख रुपये का अनुदान शीघ्र मंजूर करने का है; यदि नहीं, तो इस राज्य को ऐसी संस्था से वंचित रखने के क्या कारण हैं जो अधिकांश राज्यों की राजधानी में है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और केन्द्रीय सरकार अस्पतालों के निर्माण और उनकी व्यवस्था के लिए विशेष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं देती। केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी विकास योजनाओं के लिए समेकित सहायता देती है।

राष्ट्रमंडल वित्त मंत्री सम्मेलन

2168. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 में वैस्ट इंडीज में बारबोडोज में हुए राष्ट्रमंडल वित्त मंत्री सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या निर्णय किये गये; और

(ग) क्या भारत ने सम्मेलन में कोई प्रस्ताव नहीं रखा था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रमण्डल के सामान्य आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिए हर साल यह सम्मेलन बुलाया जाता है । इस वर्ष के सम्मेलन में मन्त्रियों ने स्थूल रूप से विश्व की आर्थिक स्थिति की हाल की घटनाओं, स्टर्लिंग क्षेत्र के शोधन-शेष की स्थिति, विशेष आहरण अधिकार योजना के प्रस्तावित सक्रियकरण और विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से सम्बद्ध मामलों पर विचार किया था । सम्मेलन की विज्ञप्ति की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है, जिसमें इन विषयों से सम्बद्ध निर्णय दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2169/69]**

(ग) जी, नहीं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

2169. डा० प० मंडल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश के 23 प्रतिशत से कम हो कर 17 प्रतिशत हो जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के लिए गैर-सरकारी फर्मों की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेना कठिन है क्योंकि इसकी पूंजी 1,000 से अधिक कम्पनियों में लगी हुई है; और

(ग) जिन कम्पनियों में जीवन बीमा निगम की 10 प्रतिशत से अधिक पूंजी लगी हुई है उनकी प्रबन्ध व्यवस्था में जीवन बीमा निगम के निदेशकों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा, गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश की गई उसकी निधियों के अनुपात में हुई गिरावट, नीति के तौर पर, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में अधिक भारी निवेश के कारण हैं ।

(ख) तथा (ग) . जीवन बीमा निगम द्वारा जिन कम्पनियों में बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है उनके प्रबन्ध में उसके भाग लेने का सवाल सरकार के विचाराधीन है ।

प्रधान मन्त्री के निवास स्थान की मरम्मत तथा नवीकरण पर खर्च

2170. डा० प० मण्डल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1 सफदरगंज रोड पर जब से प्रधान मन्त्री वहां पर रहने के लिये गई अर्थात् जनवरी, 1966 से 31 अगस्त 1966 तक हुई मरम्मत, विशेष मरम्मत तथा नये निर्माण कार्य अथवा संबर्धन । परिवर्तन पर कुल कितना धन व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जनवरी 1966 से 31 अगस्त, 1969 तक की अवधि में चालू मरम्मत, मजदूरों पर हुआ व्यय, विशेष मरम्मतों और परिवर्धन/परिवर्तनों, निवास स्थान और कार्यालय भाग में किये हुए कार्य तथा सुरक्षा उपायों पर हुए व्यय के ब्यौरे का विवरण (I से IV तक) सभा पटल पर रख दिया जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2170/69]**

राजस्थान में व्यक्तियों/फर्मों के नाम आयकर की बकाया राशि

2171. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं जिनके नाम पच्चीस लाख रुपये से अधिक आयकर बकाया राशि है; और

(ख) उक्त बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयकर आयुक्त राजस्थान के अधिकार क्षेत्र में केवल एक ही मामला है, और वह है मैसर्स डुडुवाला एण्ड कं०, भिलवाड़ा जिनके मामले में 25 लाख रुपये से अधिक आयकर की रकम बकाया है। आज की तारीख में वसूली के लिए बकाया पड़ी वास्तविक रकम 29,18,875 रुपये है।

(ख) इस मांग के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है। फर्म की परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है।

नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत क्षेत्र को सुन्दर बनाना

2172 श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत क्षेत्र को सुन्दर बनाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) जब से इस क्षेत्र को सुन्दर बनाने का नया अभियान आरम्भ किया गया है तब से लेकर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है तथा यह व्यय केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली नगरपालिका अथवा किसी अन्य स्त्रोत द्वारा कितना कितना वहन किया जाता है; और

(ग) इसके क्या कारण है कि एक ही व्यय को बार-बार तैयार किया जाता है, इसे नष्ट किया जाता है तथा एक से अधिक बार पुनः बनाया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारिता क्षेत्र का विकास

2173. श्री स० चं० सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न होने देने की दृष्टि से 15 सितम्बर, 1969 को प्रधान मन्त्री के साथ हुई इनकी बैठक में गृह-कार्य मन्त्री के इस आशय के सुझाव पर उनके मन्त्रालय का क्या दृष्टिकोण अपनाने का विचार है कि सहकारी क्षेत्र का महाराष्ट्र की भांति जहां इस आन्दोलन ने बहुत तरक्की की है अन्य राज्यों में विकास किया जा सकता है; और

(ख) उपरोक्त बैठक तथा उसके बाद हुई अन्य बैठक में अन्य क्या सुझाव दिये गये थ और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . प्रधान मन्त्री और उनके सहयोगियों के बीच विचार-विमर्श होना मंत्रीमण्डलीय सरकार की एक सामान्य बात है। लोक–सभा का सम्बन्ध तो सरकार के स्वीकृत मन्तव्यों और निर्णयों से ही होता है, न कि परामर्श की उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा ऐसे निर्णय किये जाते हैं। विभिन्न नीति सम्बन्धी मामलों पर जब भी सरकार द्वारा निर्णय किये जाते हैं, उनकी सूचना लोक–सभा को दे दी जाती है।

Family Planning Programme in Madhya Pradesh

2174. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons who got sterilised in Madhya Pradesh and the number of loops used in the rural and urban areas during the last two years;

(b) the amount of financial assistance provided by Government to the State Government during the aforesaid period; and

(c) the number of additional family planning centres proposed to be opened by Government during the financial year of 1969–70 in the rural and urban areas ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) . A statement containing the consolidated information is attached. **[Placed in Library See No. L.T. 2171/69]**

(c) The following additional Family Planning Centres are proposed to be opened during the financial year 1969-70.

Rural	
Main Centres at Primary Health Centres	2
Sub–Centres	100
Urban	Nil

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जांच

2175. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राजनीतिक दलों से सम्बन्धित 40 संसद सदस्यों ने प्रधान मन्त्री से फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, के प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाये गए आरोपों का अच्छी तरह से जांच करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों का ब्यौरा क्या है और कौनसा सरकारी विभाग इन आरोपों की जांच कर रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). 17-8-1969 को कुछ संसद सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को लिखा था और उनसे फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड के लेखों में अच्छी तरह से जांच करने का अनुरोध किया था। घोर अनियमितताओं, अपव्यय तथा लेखों में हेर फेर करने के आरोप लगाए गए थे तथा आडिट बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन कराए जाने का सुझाव दिया गया था।

सरकार ने भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक से फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड का आडिट बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन कराये जाने का अनुरोध किया है।

सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ाना

2176. श्री मोलहू प्रसाद : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु अनेक उपाय किए हैं, जैसाकि 6 सितम्बर, 1969 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में छपा है; और

(ख) यदि हां, तो उन सुधार सम्बन्धी उपायों का पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत "हिन्दुस्तान" के 5 सितम्बर 1969 के अंक में प्रकाशित समाचार की ओर है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा समय-समय पर की गई समीक्षा के संदर्भ में सरकार के निर्णयों के अनुसार सरकारी उद्यमों में प्रबन्ध तथा कार्यचालन सम्बन्धी कुशलता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों को अधिकाधिक अधिकार सौंपना;

(2) योग्य प्रबन्धकों की सेवाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान-करना और प्रबन्ध विकास सम्बन्धी वैज्ञानिक नीतियों को अपनाना;

(3) प्रबन्ध सम्बन्धी आधुनिक तकनीक अपनाना;

(4) किए गए कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करना।

इनमें से कुछ उपायों का संक्षिप्त विवरण "सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बद्ध ज्ञापन" में दिया गया है। यह ज्ञापन 28 फरवरी 1969 को बजट-पत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया था।

जस्ते और ताम्बे की कमी

2178. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जस्ते और ताम्बे की बहुत कमी है और आगामी वर्षों में उद्योगों के अग्रतर विकास के साथ-साथ यह कमी और बढ़ जायेगी;

(ख) इन महत्वपूर्ण धातुओं के विकास का क्या कार्यक्रम है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आयात पर कहां तक निर्भर करना पड़ेगा और योजना की अवधि में प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी;

(घ) कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा और कितनी मात्रा में देश में ही उत्पादन होगा; और

(ङ) ऐसी महत्वपूर्ण धातुओं के बारे में सरकार द्वारा सावधानी से योजना न बनाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) जी हां, । आने वाले वर्षों में भी इन धातुओं की कमी होती रहेगी ।

(ख) **जस्ता** : आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित प्रति वर्ष 20,000 मैट्रिक टन क्षमता के गैर-सरकारी क्षेत्र में एक जस्ता प्रद्रावक ने 1967 में उत्पादन प्रारम्भ किया। स्वदेशी अयस्क पर आधारित प्रति वर्ष 18,000 मैट्रिक टन क्षमता के सरकारी क्षेत्र में एक अन्य प्रद्रावक ने जनवरी 1968 में उत्पादन प्रारम्भ किया । वर्तमान स्थापित क्षमता को चौथी योजनावधि के अन्त तक दुगुना किये जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, विशखापत्तनम में आयतित संकेन्द्रकों पर आधारित प्रति वर्ष 30,000 मैट्रिक टन क्षमता के एक प्रद्रावक की स्थापना का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है, जिसके लिए एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

तांबा : बिहार में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थिति एकमात्र वर्तमान एकक की क्षमता प्रति वर्ष 9600 मैट्रिक टन तांबा धातु से प्रति वर्ष 16,560 मैट्रिक टन तक बढ़ाई जा रही है । इसके 1971 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष 31,000 मैट्रिक टन तांबा धातु की क्षमता का एक अन्य एकक राजस्थान में खेतड़ी में स्थापित किया जा रहा है । इसके द्वारा चौथी योजनावधि के अन्त के निकट उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है । राखा तांबा संभावना-क्षेत्र (प्रावधान एक) के विकास की एक योजना, जिससे प्रतिवर्ष 3,500 मैट्रिक टन धातु के प्राप्त होने की सम्भावना है, प्रारम्भ की गई है । इसके 1974 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है । आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुन्डला स्थान के तांबा-सीसा निक्षेपों के विकास तथा राखा तांबा संभावना क्षेत्र से उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित स्वदेशी उत्पादन, आयात तथा उनका मूल्य नीचे बताया गया है :-

	जस्ता			तांबा		
	उत्पादन (मैट्रिक टन)	आयात (संकेन्द्रकों को निकाल कर)	आयातों का मूल्य लाख रु० में (मैट्रिक टन)	उत्पादन (मैट्रिक टन)	आयात (मैट्रिक टन)	आयातों का मूल्य (लाख रु० में)
1969–70	38,000	58,800	1764	9,600	66,800	6346
1970–71	38,000	68,500	2055	9,600	74,900	7116
1971–72	38,000	79,100	2373	12,000	81,000	7695
1972–73	38,000	90,900	2727	16,500	85,500	8123
1973–74	76,000	66,000	1980	50,000	62,000	5890

Annual Reports of Life Insurance Corporation

2179. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the annual and evaluation reports of the Life Insurance Corporation have not been given to the Members of Parliament for the last several years;

(b) if so, the reasons therefoı and the period lapsed since the last reports were given; and

(c) whether Government would issue instructions to the Corporation in this regard that like other Government Undertakings they should also submit their reports to the Members of Parliament regularly ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No, Sir. In compliance with Section 29 of the L. I. C. Act, 1956, the Central Government lay periodically the annual accounts and reports and the valuation reports of the L. I C. on the Table of the House. The twelth annual report for the year ended 31–3–1969 **was** laid on the Table of the House on 17-11–69 and the report of the valuation **as at** 31-3-67 which is the latest report available was laid on the Table of the House on 20–2–68.

(b) and (c) . Do not arise.

दिल्ली में मोम की कीमतें निश्चित करना

2180. श्री श्रीधरन : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री देवेन सेन : **श्री किकर सिंह :**
श्री स० कुण्डू : **श्री ओंकारलाल बेरवा :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मोमबत्ती निर्माता संघ (पंजीकृत) के कुछ पदाधिकारी दिल्ली के लिए मोम की दरों को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में मोम की दरों के समान निर्धारित करने के सम्बन्ध में कुछ समय पहले उनके मन्त्रालय के एक अधिकारी से मिले थे;

(ख) यदि हां तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या उपर्युक्त अधिकारी ने उस प्रतिनिधि मण्डल को कोई आश्वासन दिये थे और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार को बातचीत के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में उपर्युक्त संघ की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो क्या उस पत्र की तथा सरकार के उत्तर की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायगी; और

(ङ) उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा. रा. चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) . प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था कि तेल-मूल्यों के कार्यकारी दल द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्य पद्धति (व्यवस्था) के अन्तर्गत, सरकार मोम के विक्रय-मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। इसके बाद 16-10-1969 को संघ के अवैतनिक सचिव को उक्त लाइनों पर सरकारी उत्तर दिया गया था। इस स्थिति में इस विषय पर आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम

2181. श्री बाबू राव पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महा मन्त्री श्री एच० एन० बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों से परिवार नियोजन कर्मचारियों को वापिस बुलाने तथा इसकी बजाय अधिकतम-बालकों की माता (मदर हीरोइन्स) को इस आधार पर पुरस्कार तथा प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है कि वह क्षेत्र सेना के लिए जवान भेजता है;

(ख) यदि हां तो सरकार उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में "अधिक बच्चे पैदा करो" आन्दोलन कब तक आरम्भ करेगी; और

(ग) इस सीमावर्ती क्षेत्र में परिवार नियोजन के तरीकों को लोकप्रिय बनाने में गत दो वर्षों में अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है तथा कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं के आपरेशन किए गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में श्री एच० एम० बहुगुणा ने मुझसे बातचीत की थी।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्पूर्ण देश के लिए है और इस प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों में इसे न चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। "अधिक बच्चे पैदा करो" अभियान शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए वर्ष 1967–68 और 1968–69 में उत्तर प्रदेश सरकार को क्रमशः 293.27 लाख रुपये और 327.44 लाख रुपए का सहाय्युदान अस्थायी तौर पर दिया गया। उत्तराखन्ड के सीमावर्ती क्षेत्र में कार्यक्रम पर किए गए व्यय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1967–68 और 1968–69 में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में किये गये नसबन्दी आपरेशनों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2172/69**]

मैसर्स फाइजर एण्ड कम्पनी द्वारा टेट्रासाइक्लीन की बिक्री में कथित धोखा

2182. श्री बाबू राव पटेल : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फाइजर एण्ड कम्पनी, साइनमाइड एण्ड सक्विट्स फर्मों ने टेट्रासाइक्लीन की कीमतें बढ़ाकर दस वर्षों में भारत को 29 करोड़ रुपये का धोखा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित के विरुद्ध मुनाफाखोरी के इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1953 से 1966 के दौरान एकरूप स्तर पर कुछ एण्टीबायोटिक्स (प्रति जीवाणु) के मूल्यों को बढ़ाने के बारे में, उस देश में लागू एण्टी–ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन के लिए कुछ अमरीकी फर्मों को दोषी ठहराया गया है। अमरीकी फर्मों द्वारा अधिक लिये गये दामों का निर्धारण करने हेतु, सरकार उक्त अवधि के दौरान भारतीय पार्टियों द्वारा कथित दवाइयों के आयात की जांच कर रही है।

(ख) जी नहीं। क्या भारतीय आयातकर्ता या उनकी ओर से सरकार, नियम के अन्तर्गत, हानियों के लिए मुकदमा दायर हो सकता है; यदि हां तो कैसे; इससे सम्बन्धित प्रश्न की जांच हो रही है। मामला कुछ जटिल सा है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्णय लेने से पूर्व, इसके सारे पहलुओं पर ध्यान पूर्वक विचार करना पड़ेगा।

Conversion of Black Money in Foreign Banks into White Money

2183. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of Indian black money is deposited in foreign banks; and

(b) if so, whether Government propose to adopt any special policy for the conversion of the black money into white money so that the unutilized black money is utilized in the trade ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) It is not possible to estimate the amount of Indian black money deposited in Foreign Banks, as these deposits are illegally held.

(b) No, Sir. Government, however. is constantly engaged in devising measures to check violation of Foreign Exchange Regulations and also curb tax evasion which is the principal source of unaccounted money. Attention in this connection is also invited to the statement laid on the Table of the House as part of reply to the Starred Question No. 19 on the 17th November, 1969.

Extension of Power from Barauni to Purnea upto Kishanganj Sub--Division

2184. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the local people of Kishanganj in the Purnea District of Bihar State are not getting regular supply of electricity as the electric generator there has become very old;

(b) whether Government propose to extend the power from Barauni to Purnea upto Kishanganj Sub--division; and

(c) if so, the time by which this scheme would be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) At present power supply to Kishanganj is being made available from a diesel power station which has become old and unreliable

(b) A 132 K.V. transmission line from Barauni to Purnea has been constructed and is in operation. For extension of power supply from Purnea to Kishanganj, a 33 K.V. line from Purnea to Kishanganj via Palkota is under construction

(c) The 33 K.V. line and the step-down sub-station at Kishanganj are expected to be completed during 1970--71.

Electricity from Kosi Dam Project

2185. Shri Lakhan Lal Kapoor · Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the time by which the work regarding producing electricity from the Kosi Dam Project is likely to be completed; and

(b) the reasons for delay in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Powar (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) . The Kosi Power House consists of four units. Erection work of the first unit was completed by July, 1969; but the turbines could not be rotated as the gate at the outlet of the machine could not be lifted to pass water on account of silt. Since supply of water in the Canal could not be stopped during the Kharif irrigation season. desilting operations could commence only recently and the first unit of the Power House is expected to be commissioned in January, 1970.

Construction of Canal from U. P. to Bihar

2186. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a canal from U. P. to South Bihar alongside the Vindyachal Hills after constructing a barrage near Mirzapur (U. P.) in order to provide irrigation facilities from the water of Ganga and to control floods; and

(b) whether Government propose to give it priority in the Fourth Five Year Plan keeping in view the irrigation facilities and the control in floods ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No such proposal is under consideration at present.

(b) Does not arise.

चौथी योजना में सम्मिलित मैसूर सिंचाई परियोजनायें

2187. श्री एन० शिवप्पा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए मैसूर सरकार द्वारा योजना आयोग को भेजी गई विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ग) क्या हेमावती परियोजना को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मैसूर सरकार ने अपनी चौथी योजना के मसौदे में दिए गए प्रस्तावों में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया है :–

परियोजना का नाम	**अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)**
हेमावती जलाशय	1630.00
हरंगी जलाशय	1100.00
बिज्जुर परियोजना	131.00
स्वर्णवती परियोजना	187.00
चंद्रमपल्ली परियोजना	99.84
चितवादगी परियोजना	36.02
दुर्गढाला परियोजना	45.00
तराका जलाशय	170.00
मंचनावेले बहुधन्धी परियोजना	237.00

(ख) से (घ) . मनचनावेले परियोजना को योजना आयोग अपनी स्वीकृति दे चुका है। मैसूर की चौथी योजना के सिंचाई कार्यक्रम में शामिल होने वाली अन्य नई स्कीमों की सूची पर चौथी योजना में शामिल करने से पहले विचार विमर्श किया जाना है तथा उन्हें स्वीकार्य किया जाना है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे से पुस्तिकायें तथा विवरणिकायें

2188. श्री एन० शिवप्पा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभों के बारे में जनता को अवगत कराने तथा निहित स्वथों द्वारा इस कार्यवाही के विरुद्ध जारी किए जा रहे प्रचार का मुकाबला करने के लिये कोई पुस्तिकायें विवरणिकायें, आदि प्रकाशित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक, समाचार पत्रों की सूचना के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा इस विषय पर प्रकाशित "पृष्ठ भूमिका" (बैंक ग्राउन्डर) के अतिरिक्त, आम लोगों की सूचना के लिए बैंक राष्ट्रीयकरण पर एक पुस्तिका भी निकाली गई है। मासिक पत्रिका 'योजना का विशेषांक भी अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला और तमिल में निकाला गया है।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना

2189. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रविराय :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष दो उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष यथा सम्भव दो उर्वरक कारखाने लगाने का है।

(ख) इस समय सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजना का निर्माण हो रहा है :-

दुर्गापुर	152,000 मीटरी टन नाइट्रोजन
कोचीन	152,000 मीटरी टन नाइट्रोजन
मद्रास	190,000 मीटरी टन नाइट्रोजन
बरौनी	152,000 मीटरी टन नाइट्रोजन
नामरुप विस्तार	152,000 मीटरी टन नाइट्रोजन
फैक्ट विस्तार	22,000 मीटरी टन नाइट्रोजन

इसके अतिरिक्त, 132,000 मीटरी टन की क्षमता के लिये ट्राम्बे के विस्तार तथा 229,000 मीटरी टन (प्रत्येक) क्षमता के लिए रामागुंडम, तालचर तथा कोर्बा में उर्वरक

कारखाने लगाने की अनुमति दे दी गई है। दुर्गापुर, कोचीन तथा फैक्ट (विस्तार) स्थित परियोजनाओं में 1970–71 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा और मद्रास, बरौनी तथा नामरूप विस्तार में 1971–72 तक उत्पादन शुरू होने की आशा है।

विभिन्न पत्तनों पर पकडे गये विदेशी सामान का मूल्य

2190. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बन्दरगाहों में 1967–68 में पकड़े गए सामान के मूल्य की तुलना मे 1968–69 में सरकार द्वारा पकड़े गये, चोरी छिपे लाए गये विदेशी माल का मूल्य कितना है;

(ख) क्या क्या सामान पकडा गया तथा वह किन–किन देशों का बना हुआ है;

(ग) सरकार ने पकड़े गये सामान को कैसे बेचा था; और

(घ) इन बन्दरगाहों में तस्करी रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1968–69 में सीमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, गोआ, कांडला तथा विशाखापत्तनम बन्दरगाहों पर लगभग 828 लाख रुपये मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा, जबकि इसकी तुलना में 1967–68 में 396 लाख रुपये का माल पकड़ा गया था। छोटे बन्दरगाहों पर पकड़े गये माल के मामलों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) इस प्रकार पकड़े गये माल पर लगे निशानों से, यह पाया गया है कि यह माल सामान्यतः नीचे बताये गये देशों से आता है :

पदार्थ	उद्गम स्थान
(क) सोना	ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्विटजर लैंड
(ख) कलाई घड़ियां	स्विटजर लैंड
(ग) नायलोन सूत तथा संश्लिष्ट वस्त्र	जापान
(घ) अन्य विलास सामग्रियां (सौन्दर्य प्रसाधन वस्तुएं, कैमरे, ट्रांजिस्टर, रेडियो, सिगरेट, टेप–रिकार्डर आदि)	जापान तथा यूरोपीय देश

(ग) पकड़े गये माल को जब्त किये जाने तथा यदि कोई अपील और नजरसानी की दरख्वास्तें हों तो उनको रद्द कर दिये जाने के बाद, माल का निम्नलिखित रूप से निपटान किया जाता है :–

सोने तथा चांदी को टकसाल में जमा कर दिया जाता है। अन्य उपभोक्ता तथा विलास वस्तुओं को राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा नामित संस्थाओं की मार्फत निपटाया जाता है। सिगरेट आदि जैसा बिगड़ने वाला माल सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा खुदरा बिक्री करके

निपटाया जाता है। सूत जैसे कच्चे माल को आम नीलामी द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।

(घ) निवारक तथा तस्करी–विरोधी प्रयासों को सुदृढ़ किया गया है; । गुप्त सूचना एकत्रित करने के बेहतर तौर–तरीकों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति से मुख्यतः तटवर्ती इलाकों में बेहतर सतर्कता बरती जाती है। तस्कर आयात–निर्यात को रोकने तथा चोरी छिपे रूप में लाई गई वस्तुओं का पता लगाने में सहूलियत पहुँचाने की दृष्टि से, हाल ही में, सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 में भी संशोधन किया गया है।

Theft of Cement from Central Stores, Netaji Nagar, New Delhi

2191. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state whether he proposes to conduct a secret enquiry into the fact that cement is stolen regularly from the Central Stores Division No. 1 and 2, Netaji Nagar, New Delhi at the time of its loading in the trucks for being taken to other places ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : No, Sir.

Insanitary Conditions near Brigadier Hoshiar Singh Road, Sarojini Nagar, New Delhi

2192. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the New Delhi Municipal Committee has decided to turn New Delhi into an ideal city;

(b) if so, whether it is a fact that hundreds of persons respond to the calls of nature every morning on the triangular plot of land lying vacant at the end of Brigadier Hoshiar Singh Road in Sarojini Nagar, New Delhi where the sign-boards of the Central Radio Stores and the Central Stores Division No. 1 and 2, Netaji Nagar, New Delhi have been installed and thus creat insanitary conditions there which tell upon the health of the persons residing nearby; and

(c) whether Government propose to take action in this regard and construct permanent latrines so that problem of health hazards to public could be solved for ever ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c) . The New Delhi Municipal Committee has reported that the area is befouled by the inmates of a nearby camp. They have sanctioned necessary conservancy staff for the area and it is also proposed to construct lavatories for the use of the residents of the camp.

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में स्वर्ण की तस्करी

2193. श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 तथा 1969 में अब तक गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में स्वर्ण तथा घड़ियों की तस्करी के अब तक कितने मामले पकड़े गये हैं;

(ख) पकड़े गये माल की कीमत क्या है; और

(ग) राज्य में स्वर्ण तस्करी को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . वर्ष 1968 और 1969 में (अक्तूबर 1969 तक) गुजरात के समुद्रतट के साथ-साथ सोना और घड़ियों के तस्कर आयात-निर्यात के पकड़े गये मामलों की संख्या और पकड़े गये माल का मूल्य निम्न प्रकार से है। जांच-पड़ताल करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और रूबरू सुनवाई के बाद जब्ती की जाती है।

	वर्ष 1968		वर्ष 1969 (अक्तूबर 1969 तक)	
	सं०	मूल्य लाख रुपयों में	सं०	मूल्य लाख रुपयों में
सोना	91	6.2	49	6.3
घड़ियां	90	12.0	134	100.1

(ग) विश्वसनीय सूत्रों के जरिये गुप्त सूचना इकट्ठी करना, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना, समुद्रतट के साथ-साथ सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त लगाने जैसे तस्कर विरोधी उपायों में तेजी लाई गयी है। तस्करों की गतिविधियों को रोकने में सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिये कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस की यूनिटों को भी तैनात कर दिया गया है।

G. P. F. Accounts of Government Employees

2194. Shri Narain Swarup Sharma : Will the Minister of **Finance** be **pleased to state :**

(a) whether Government are aware that the officers and staff of A. G. C. R., New Delhi do not keep the G. P. F. Accounts of Central Government employees up to date deliberately and in most of the cases lesser amount is shown in the accounts than the actual subscriptions made by the employees and the Accounts are not corrected until and unless the concerned emyloyees approach them in the matter;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether lesser amount to the tune of lakhs of rupees are deposited with the Government by the said officer of A. G. C. R. and the employees are dissuaded from enhancing their subscriptions;

(d) whether G. P. F. is proposed to be maintained on the lines of P. F. of Factory workers; and

(e) whether appropriate action is proposed to be taken against the defaulting officers and staff ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . The Office of the A G.C.R. is responsible for the maintaenance of Provident Fund

Accounts of Central Government employees who are under its audit jurisdiction except those of Class IV employees.

Some of the accounts may remain incomplete for sometime due to the late receipt of credits through exchange accounts, misclassification in the accounts of origin, incomplete details of recoveries furnished by the Drawing and Disburbing Officers etc. However, records are maintained showing the items which remain unposted in the accounts. These are posted later on as soon as the information becomes available. The accounts are also sought to be made uptodate in all respects by furnishing the subscribers with an acccunts statement every year with the request to point out errors and ommissions, if any.

(c) All Provident Fund recoveries made from pay bills are deposited in the Government Account immediately. This is effected by means of deductions in the pay bills prepared by the various Drawing and Disturbing Officers and Officers in the Office of A. G. C. R. cannot deposit lesser amounts to the credit of Government. Any amouut received by means of cheques or demand drafts in the A. G. C. R.'s Office is remitted to the Reserve Bank of India within 3 days of receipt.

Under the rules, a subscriber has to fix his subscription for the year by means of deduction from his pay for the month of March (paid in April) and the amount of the subscription so fixed may be enhanced or reduced once at any time during the course of the year. Thus, the subscribers are given two opportunities during the year to change their subscriptions.

(d) There is no proposal to make any change in the existing system of keeping the G. P. F. accounts.

(e) Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खाद्यान्नों के क्रय के लिय धन दिया जाना

2195. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आपात भण्डार बनाने हेतु खाद्यान्न की खरीद के लिये राष्ट्रीय बैंकों को बड़े पैमाने पर धन देने का अनुरोध करने का है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों को अनुमानत: कितनी धनराशि देने के लिये कहा जायेगा; और

(ग) ये प्रबन्ध किन शर्तों पर किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र. चं. सेठी) : (क) सरकार ने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है ।

(ख) और (ग) . ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

Under Ground Pucca Canal for Irrigation Purposes

2196. **Shri Nihal Singh** . Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the State-wise number of underground pucca canals constructed for irrigation purposes and the expenditure incurred thereon ; and

(b) the amount provided by the Central Government to the States for the construction of such canals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) . The information being collected and will be laid on the Table of the House.

Maintenance of Office Records of Class IV Staff In Hindi

2197. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the practical difficulties being faced by Government in maintaining the office records of the Class IV employees and in corresponding with them in Hindi without the aid of translation when almost percent of these employees know Hindi and do not know English;

(b) whether it is a fact that more than 50 percent of officers and employees in the Administration Section of his Ministry know Hindi;

(c) if so, whether it is also a fact that Hindi work is being hampered due to the anti-Hindi attitude of the officers of the Administrative Section of his Ministry; and

(d) if not, whether it is proposed to switch over to the use of Hindi for the entire office work relating to class IV employees ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) To a considerable extent, the records of class IV employees are already being maintained in Hindi. Correspondence with them is also being done in Hindi wherever possible.

(b) In some Departments it is more than 50 percent while in others it is less.

(c) No, Sir.

(d) Yes; as soon as possible.

Use of Hindi in office work relating to Class IV Employees of Ministry of Health and Family Planning

2198. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the practical difficulties being faced by Government in maintaining the office records of the class IV employees and in corresponding with them in Hindi without the aid of translation, when almost cent percent of these employees know Hindi and do not know English;

(b) whether it is a fact that more than 50 percent of officers and employees in the Administrative Section of his Ministry know Hindi;

(c) if so, whether it is also a fact that Hindi work is being hampered due to the anti-Hindi attitude of the Officers of the Administrative Section of the Ministry; and

(d) if not, whether it is proposed to switch over to the use of Hindi for the entire office work relating to class IV employees ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) None.

(b) Yes.

(c) No.

(d) All general orders regarding terms and conditions of service of class IV employees, instructional orders concerning them and replies to their applications/letters received from them in Hindi, are being issued in Hindi.

Printing of Government Publications in Diglot Form

2299. **Shri Ram Swarup Vidyarathi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of such notifications, resolutions and Office Memoranda as were issued at first in English and Hindi thereafter; and

(b) the time by which all the communications relating to the Government of India and published in all parts and Sections of the Gazettes of India and all the administrative letters circulated by the Administrative Division of the Ministry will be published originally in Hindi and English simultaneously ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B S. Murthy) : (a) The Question is vague as it does not specify the period for which and the Ministries/Departments/Offices in respect of which the information is desired.

(b) Efforts are being made to complete arrangements for the simultaneous printing of all notifications, excepting judgements of Election Tribunals and awards of Labour/Industrial Tribunals, in Hindi and English by April, 197..

Noting and Drafting in Hindi in Finance Ministry

2200. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of Sections, units etc. in her Ministry;

(b) the names of the Sections and units out of them in which there are 50 to 80 percent employees respectively having working knowledge of Hindi;

(c) the time by which noting and drafting is proposed to be started in Hindi in those Sections where there are 50 to 80 percent Hindi knowing employees; and

(d) the measures proposed to be taken to remove the impediments in the proc ss ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d) The information, which is being collected from the different Departments of the Ministry of Finance, will be laid on the Table of the House as early as possible

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : श्रीमान, मैं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कस्तूरबा गांधी मार्ग और तिलक मार्ग के बीच गांधी की प्रतिमा के लिये स्थल के बारे में मन्त्रीमण्डल द्वारा हाल ही में लिया गया कथित निर्णय"

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब. सू. मूर्त्ति) : महोदय, राजधानी में महात्मा गांधी की मूर्ति के लिये उपयुक्त स्थान के प्रश्न पर सरकार पिछले कुछ समय से विचार कर रही है। **(व्यवधान)**....

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Why the Prime Minister left the House ? Was there any proposal to instal her statue ? **(Interuptions)** ..

Shri Randhir Singh (Rohtak) : What has been done by Shri Shashi Bhusan ?

श्री मनुभाई (डभाई) : यह बहुत आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रणधीर सिंह जी कृपया बैठ जाइये। मैं आप से कह रहा हूँ कि आप बैठ जायें। मैं आप को चेतावनी देता हूँ कि आप हर बात में हस्तक्षेप न किया करें।

Shri Randhir Singh : Are you warning me ? It is very bad. मै तो आप का काम कर रहा हूँ। आप सभा पर नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं। मैं सभा पर नियंत्रण कर रहा हूँ।

Shri Narendra Kumar Salve (Betul) : Mr. Speaker, Sir, whatever has happened is very unfortunate. In fact, Shri Sashi Bhusan should not have said whatever had been said by him. But the beginning was made by Shri Madhu Limaye when he said whether there was any proposal to instal the statue of the Prime Minister...**(Interruptions)** .....

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के आचरण को खराब मानता हूँ।

Shri Randhir Singh : Do you mean to say that we should hear calmly whatever is said by them. They are insulting our leader and you are also warning us. We can not tolerate it.**(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य फिर गलत व्यवहार कर रहे हैं। मुझे उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी होगी। श्री लिमये मैं आप को भी चेतावनी देता हूँ। मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूँगा।

श्री रणधीर सिंह : मै इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा । (**व्यवधान**)....

श्री रणधीर सिंह सभा भवन से बाहर चले गये ।
Shri Randhir Singh then left the House.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चूंकि श्री रणधीर सिंह ने अध्यक्षपीठ की शक्ति को चुनौती दी है तथा गलत व्यवहार करके सभा में कुछ कठिनाइयां पैदा की है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उन्हें निलम्बित किया जाये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापतनम्) : मैं समझता हूँ हमें जल्दबाजी मे ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Mr. Speaker, Sir, Shri Madhu Limaye is a very good friend of mine. I do not want to say anything against his dignity. But when he said that Prime Minister's statue should be installed, I retorted that Sahu Jain's statue should be installed. He has branded me a Gunda. This word should be withdrawn. It is my submission to you.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलीन) : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोई कड़ी कार्यवाही न करें ।

अध्यक्ष महोदय : कोई कड़ी कार्यवाही करने अथवा किसी सदस्य को निलम्बित करने अथवा चेतावनी देने का प्रश्न नहीं है । मैं यह देखता रहा हूँ कि दो अथवा तीन माननीय सदस्य ऐसे हैं जो हर बात पर हस्तक्षेप करते हैं । एक–आध बार ऐसी बातें बर्दाश्त की जा सकती हैं, बार बार नहीं । यदि श्री लिमये, श्री शशि भूषण अथवा किसी अन्य माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो सभा की कार्यवाही को देखकर यह निर्णय करना कि उसे वापस लिया जाये, मेरा काम है न कि उन माननीय सदस्यों का । परन्तु कुछ माननीय सदस्य ऐसे है जिन्हें अपने नेता के सम्मान का इतना ध्यान है जितना कि स्वयं उनके नेता को नहीं है । भविष्य में मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा ।

डॉ. कर्णी सिंह (बीकानेर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री मधु लिमये तथा श्री शशि भूषण दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, परन्तु क्या श्री लिमये का एक अन्य सदस्य को **कहना संसदीय परम्परा के अनुरूप है अथवा इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दूंगा, परन्तु यदि श्री लिमये इन शब्दों को वापस ले लें तो अच्छा होगा ।

Shri Madhu Limaye : There is nothing to be expunged.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही से हटा दिया गया ।
Expunged as directed by the Speaker.

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मैं समझता हूँ कि सभा की कार्यवाही से किसी शब्द को निकालना गलत परम्परा होगी। यदि माननीय सदस्य स्वयं उसे वापस लेता है तो ठीक है, अन्यथा, उसे सभा के कार्यवाही वृतान्त में ज्यूं का त्यूं रहने देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं तैयार हूँ परन्तु कभी आप ही कहेंगे कि इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। यदि इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो उसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य आरम्भ से पढ़ें।

श्री ब० सू० मूर्ति : राजधानी में महात्मा गांधी की मूर्ति के लिए उपयुक्त स्थान के प्रश्न पर सरकार पिछले कुछ समय से विचार कर रही है। गांधी जी का जो हमारे राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है उसके अनुरूप तथा इसके साथ-साथ लालित्य एवं अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए यह स्वाभाविक है कि गांधीजी की मूर्ति के प्रयोजन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त स्थान होना चाहिए, इस मामले को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती है।

2. पहले यह निर्णय किया गया था कि गांधीजी की मूर्ति इण्डिया गेट के निकट उस स्थान पर स्थापित की जाये जहां पहिले जार्ज पंचम की मूर्ति स्थापित थी। एक समिति जिसमें विशेषज्ञ तथा गांधीजी के निकट के कुछ अनुयायी थे, ने कुछ विचार अभिव्यक्त किये थे। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए संशोधित निर्णय लिया गया था। सरकार का अब भी यह दृढ़ विचार है कि इस विशेष स्थान पर यदि कोई भी मूर्ति स्थापित की जाये तो वह महात्मा गांधी की ही होनी चाहिए और किसी की नहीं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान से रखते हुए कि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या में जिसमें कि विशेषज्ञों के साथ-साथ अनेक संसद सदस्य शामिल हैं, गांधीजी की मूर्ति के लिए उपयुक्त स्थान के प्रश्न पर विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं, सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक छोटी सी समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसमें संसद सदस्य शामिल होंगे। इसमें वास्तुकला तथा स्थापत्य कला के विशेषज्ञ तथा गांधी स्मारक निधि एवं गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधी भी शामिल होंगे। समिति से एक माह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा जायेगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : महोदय जिस प्रकार से उत्तर दिया गया है, उसे सुनकर बड़ा खेद हुआ है। यह आशा की जाती थी कि कम से कम इस साधारण तथा स्पष्ट प्रश्न का उत्तर तो सीधा एवं स्पष्ट दिया जायेगा। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि इस प्रकार उत्तर दिये जाते है। यह मामला लोक सभा में भी उठाया गया था और राज्य सभा में भी उठाया गया था। परन्तु सरकार द्वारा उस समय इस बात का कोई खण्डन नहीं किया गया था। अब जब कि इस मामले पर सभा में विचार किया जा रहा है तथा हमने ध्यान आकर्षण नोटिस दे रखा है, तो इस प्रकार से इस समाचार को प्रकाशित किया गया है। इस से सभा का अपमान हुआ है। यह विशेषाधिकार का भंग करने का मामला है। सूचना देने का यह गलत तरीका है। उत्तर देने का सरकार का यह गलत तरीका है। एक समिति नियुक्त की गई थी,

जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य थे और मैं समझती हूँ उप-राज्यपाल श्री ए० एन झा भी उस के सदस्य थे। उस समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि इण्डिया गेट के निकट जहां जार्ज पंचम की मूर्ति थी, वहां महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाये, मैं समझती हूँ कि उस सर्वसम्मत सिफारिश को देखते हुए मन्त्रीमंडल द्वारा निर्णय किया गया था ? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई निर्णय किया गया था ? यदि कोई निर्णय किया गया था तो विशेषज्ञों की एक समिति तथा गांधी जी के सहयोगियों द्वारा विभिन्न मत कैसे प्रकट किये गये ? हमें केवल एक समिति की जानकारी है, जो नियुक्त की गई थी। हमें इस समिति की जानकारी नहीं है। हमें पता है कि समिति ने एक सर्व सम्मत निर्णय दिया था। हमें पता नहीं है कि दूसरी समिति कब नियुक्त की गई थी तथा उनकी सलाह को देखते हुए उस निर्णय को बदला गया था। दूसरा निर्णय कब तथा किस द्वारा लिया गया था ? मैं जानना चाहती हूँ कि मंत्रीमंडल ने अपने पहले निर्णय को कब बदला था, तथा नई समिति क्यों नियुक्त की गई थी और कब नियुक्त की गई थी ?

फिर यह कहा गया है कि संसद सदस्यों ने विभिन्न मत व्यक्त किये है। मैं जानना चाहती हूँ कि किन-किन संसद् सदस्यों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। क्या देश की जनता का प्रतिनिधित्व केवल प्रधान मन्त्री का छोटासा दल ही करता है और क्या इसे इतना भी ज्ञात नहीं है कि गांधीजी देश के महानतम नेता थे और गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी मूर्ति इण्डिया गेट पर, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, लगाई जानी चाहिये ? निर्णय में परिवर्तन क्यों किया गया है और कब किया गया है कौनसी समिति नियुक्त की गई थी, और उसके सदस्य कौन कौन थे ? गांधी के वे सहयोगी कौन कौन हैं जिन्होंने कहा है कि वहां गांधीजी की मूर्ति नहीं लगाई जानी चाहिये ? नई समिति नियुक्त किये जाने के क्या कारण है ? वास्तव में हमें यह कहना चाहिए कि यदि वे नई समिति नियुक्त करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इसका निर्णय सभा द्वारा किया जाना चाहिये। यह निर्णय संसद द्वारा किया जाना चाहिये कि गांधीजी की मूर्ति कहां लगाई जाये।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, अवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : महोदय, यह विवाद अनावश्यक रूप से खड़ा किया गया है। निर्णय किये जाने के बाद यह निर्णय करने के लिये किस प्रकार की मूर्ति लगाई जाये एक समिति नियुक्त की गई थी जिस के सदस्य श्री एम० एल० नन्दा, मुख्य अभियन्ता, श्री बृज किशन चांदीवाला, चीफ आरचीटैक्ट, श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री ब० सी० सन्याल, श्री जी० आर० मल्ला तथा श्री एच० रामन थे। यह समिति 26 जून, 1968 को नियुक्त की गई थी। समिति ने यह प्रस्ताव किया था कि मूर्ति के बारे में निर्णय करते समय हम यह महसूस करते हैं कि छतरी को हटाया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : उसे हटा दीजिये।

श्री के० के० शाह : दूसरे उन्होंने कहा था कि यदि आप छतरी को हटाते हैं और जीवित आकार से दुगनी ऊंची मूर्ति लगाना चाहते हैं तो इण्डिया गेट के कारण उसकी दिखावट में बाधा पड़ेगी, जब तक कि जार्ज की मूर्ति की भांति बैठे हुए रूप में मूर्ति न लगाई जाये। क्योंकि आप जीवित आकार से 2½ गुना ऊंची मूर्ति लगाना चाहते हो, इसलिये उसकी

दिखावट में बाधा पड़ेगी। अतः उन्होंने कहा था कि मूर्ति को छतरी के सामने लगाया जा सकता है और उस स्थान पर फव्वारे आदि कोई अन्य वस्तु बनाई जा सकती है। जब यह सुझाव प्राप्त हुआ तो मैंने पहली बैठक बुलाई थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि संसद् मूर्ति को इस स्थान पर लगाना चाहता है। मैंने कहा था कि स्थान के बारे में कोई परिवर्तन न किया जाये और यदि कोई परिवर्तन किया भी गया तो उसे संसद् के समक्ष रखा जायेगा। इसलिए आपको एक नोट तैयार करना होगा, जिसे मैं संसद् में ले जाऊंगा। इसलिये मैंने कहा था कि यदि निर्णय लेने में विलम्ब होता है, तो भी मूर्ति तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये, ताकि समय बर्बाद न हो। हमने आवेदन पत्र में आमंत्रित किये हैं और प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में से 9 आवेदन पत्रों को चुना गया है। यह निर्णय कि किस प्रकार की मूर्ति लगाई जाये एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष श्रीगजेन्द्रगडकर हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या वह मूर्तियों के विशेषज्ञ हैं?

श्री के० के० शाह : श्री गजेन्द्रगडकर के अतिरिक्त श्री राजमनार भी······· **(व्यवधान)** कृपया आप मेरी बात सुनिये। यह मूर्ति के बारे में है, न कि उसके आकार के बारे में **(व्यवधान)** ············जब उन्होंने सुझाव दिया, तो मैं इस सुझाव को मंत्रिमंडल में ले गया था। उन्होंने कहा कि यदि समिति सहमत नहीं है तो उन्हें कस्तूरबा मार्ग और तिलक मार्ग के बीच की भूमि दे दी जाये।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री के० के० शाह : आप कृपया मेरी बात सुनिये। जब यह सुझाव दिया गया था तो मैंने इस बारे में उन्हें सूचित कर दिया था। वे सहमत नहीं हुए थे। वे अपने प्रस्ताव पर अड़े हुए थे। अन्त में उन्होंने कहा था, यह मूर्ति वहां होनी चाहिए जहां राष्ट्रपति बैठते हैं और राष्ट्रपति के पीछे होनी चाहिए; ताकि जब सलामी हो, वह महात्मा गांधी के सामने हो। यह समिति की राय है। मैंने कहा था कि आप एक नोट तैयार कर दीजिये, मैं उसे संसद् के सामने ले जाउंगा। मैं उस समय आप में समिति में शामिल हो सकते हैं। मैं नहीं समझ सका कि यह इस प्रकार की भावना कैसे पैदा हो गई। यह प्रश्न केवल सरकार का नहीं है। यह सब दलों का प्रश्न है। इसलिए इकतरफा निर्णय लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 16 मई, 1969 को मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : हम चाहते थे कि गांधी जन्मशताब्दी वर्ष में वहां गांधीजी की मूर्ति लगाई जाये। गांधी जन्म शताब्दी वर्ष समाप्त होने जा रहा हैं। सरकार जानबूझ कर विलम्ब क्यों कर रही है?

श्री के० के० शाह : सरकार कोई विलम्ब नहीं कर ही है। यदि वे लोग जो विशेषज्ञ हैं और गांधीवादी है, कोई सुझाव देते हैं तो मुझे वह सुझाव अन्ततः संसद् के समक्ष रखना है। यदि मैं संसद की सलाह के बिना कोई कार्यवाही करूं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु क्या मुझे संसद के समक्ष यह कहने का अधिकार भी नहीं है कि विशेषज्ञों की यह राय है?

श्री समर गुह (कन्टाई) : आपने श्री गजेन्द्रगडकर का नाम बताया है । कृपया दूसरे सदस्यों के नाम भी बताइये ।

श्री के० के० शाह : मैं पहली समिति का उल्लेख कर रहा था । पहली समिति वर्ष 1966 में नियुक्त की गई थी । उसके सदस्य थे श्री मोहरचन्द खन्ना, श्री ब्रह्म प्रकाश, श्री एच० सी० माथुर, श्री गंगा शरण सिन्हा, श्री नुरुद्दीन अहमद, श्री वि० विश्वनाथन, सरदार मोहनसिंह, श्री एन० दी० दीवान, श्री एस० के० जोगलेकर और श्री एस० चौधरी उस समिति ने कहा था कि जार्ज पंचम की मूर्ति हटाई जाये । जिसे इस बीच हटा दिया गया है और उसके स्थान पर गांधीजी की मूर्ति लगाई जाये ।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) । जब एक बार एक समिति द्वारा यह निर्णय किया जा चुका है, तो आप इस मामले को पुनः क्यों उठा रहे हैं ?

श्री के० के० शाह : मैं इस मामले को पुनः नहीं उठा रहा हूँ । परन्तु मुझे जो सुझाव प्राप्त हुआ है उसे संसद् के समक्ष रखने का अधिकार तो है । यदि मैं स्वयं कोई निर्णय करता तो मेरी भर्त्सना की जा सकती थी, परन्तु जो मत व्यक्त किये गये हैं, उन्हें संसद् के समक्ष रखने का तो मुझे अधिकार है । मैंने संसद् की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं किया है । संसद के समक्ष इस मामले को रखने का सरकार को अधिकार है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह ठीक है कि संसद के समक्ष इस मामले को रखना चाहते हैं, परन्तु क्या उनके पास कोई ठोस प्रस्ताव है कि मूर्ति को किस स्थान पर लगाया जाये ?

श्री के० के० शाह : मैं यह बात अध्यक्ष महोदय पर छोड़ने को तैयार हूँ कि वह इस सम्बन्ध में सदस्यों तथा विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करें ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस सदस्य का नाम सूची पर नहीं है, उसको प्रश्न पूछने की अनुमति आप कैसे दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है मैं उससे सहमत हूँ, परन्तु वह भी इस बात से सहमत होंगे कि पति को पत्नी की सहायता करने का अधिकार है ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : गांधीजी के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है । यदि उनके सिद्धान्तों का अनुकरण नहीं किया जाता तो इन मूर्तियों का कोई महत्व नहीं है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : हमें आशा है कि समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही सर्वसम्मति से यह निर्णय किया है । अतः उसकी सिफारिश को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है, दूसरे सरकार इस मामले में बिलम्ब करती जा रही है । क्या सरकार इस वर्ष के अन्तर्गत इस कार्य को समाप्त कर देगी ।

श्री के० के० शाह : इस मामले में विलम्ब न हो इसी कारण मैंने कहा है कि आर्किटेक्टों को भी बुलाया जाये और साथ साथ टैण्डर भी मांगे जायें ।

श्री जी० भा० कृपालानी : मैं सभा से निवेदन करूंगा कि इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाये। इससे गांधीजी तथा देश को कोई सम्मान नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने कहा है कि वह मुझे एक अन्य संसदीय समिति नियुक्त करने को कहेंगे। मेरे विचार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सभा की यह इच्छा ज्ञात होती है कि पहली संसदीय समिति द्वारा सर्वसम्मत रूप से लिये गये निर्णयों को स्वीकार किया जाये। केवल तकनीकी सलाह के कारण एक नयी स्थिति पैदा हो गयी है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि यहां पर गर्मा-गर्मी उत्पन्न करने से यह आशा है कि वह संसद की इच्छाओं का पालन करने के लिए कोई मार्ग निकालें।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या ऐसे महत्व पूर्ण मामले को जिस पर संसद द्वारा पहले निर्णय किया जा चुका हो, पुनः ऐसे ढंग से संसद में उठाने का अधिकार है जिससे हम सबका एक प्रकार से अपमान हो। अतः मैं चाहता हूँ कि इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाये।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : जो लोग इस मामले में तकनीकी जानकारी नहीं रखते उनको इस मामले पर निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस मामले में राजनीति को लाना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोडी अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पीलु मोडी : मैं राजनीति (सकल डग्गरी) के शब्दों को वापस लेता हूँ।

श्री म० ला० सोंधी : हम सब लोग गांधीजी का बहुत सम्मान करते हैं। मैं इस बात पर श्री मोडी से सहमत नहीं हूं। ऐसे विषयों पर अन्तिम शब्द जनता के होते हैं। विशेषज्ञ केवल मार्ग दर्शन कर सकते हैं, परन्तु ऐसे मामलों पर निर्णय करना जनता का परम अधिकार है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उनमें कला की बुद्धि नहीं है। हम गांधीजी के बारे में उनसे अधिक जानते हैं।

श्री पीलु मोडी : संसद सदस्यों को कलाकारों तथा विशेषज्ञों की राय का सम्मान करना चाहिए।

डॉ० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि सभा की इच्छा जान ली गई है जब कि केवल पांच सदस्यों को ही बोलने का अवसर दिया गया है। जहां पर एक ब्रिटिश राजा की मूर्ति लगी हुई थी उसी चबूतरे पर गांधीजी की मूर्ति लगाना गांधीजी का अपमान करना है, अतः इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक साधारण ध्यान दिलाने वाली सूचना थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी के अलावा सूची पर तीन अन्य सदस्यों के नाम थे, जिनको प्रश्न पूछने की अनुमति

दी गई। मैंने यह कहा था कि इसके लिए पहले ही एक समिति बनी हुई है जो अपनी सिफारिश दे चुकी है। अतः और अधिक व्यवस्था के प्रश्नों को रोकने के लिए ही मैंने कहा था कि सभा की ऐसी इच्छा है कि इस मामले को और अधिक न बढ़ाया जाये। मैंने यह भी कहा था कि माननीय मन्त्री सभा की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कोई हल निकाले।

श्री के० के० शाह : मुझे सभा के प्रति अपना कर्तव्य निभाने दिया जाये ताकि माननीय सदस्य मेरी बात को समझ सके तथा दृष्टिकोण की सराहना कर सके।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री का उत्तर स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : माननीय मंत्री ने कहा था कि उनकी बात सुनने के बाद सभी संदेह दूर हो जायेंगे परन्तु मुझे खेद है कि उनकी बात सुनने के पश्चात मेरे मन में और भ्रम उत्पन्न हो गया है क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर भी निर्णय करने में विलम्ब करना आरम्भ कर दिया है। पिछले चार वर्षों में लाला लाजपतराय की मूर्ति लाजपत भवन में पड़ी हुई है। मैं अनेक बार माननीय मंत्री से इस बारे में सम्पर्क स्थापित कर चुका हूँ, परन्तु अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के मामले को भी इसी प्रकार लटकाया जायेगा। प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में कहा था कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के प्रश्न पर अन्य मूर्तियों की स्थापना के प्रश्न के साथ ही निर्णय किया जायेगा। इस प्रकार इस राष्ट्रपिता की मूर्ति के प्रश्न को अन्य प्रश्नों के साथ जोड़ा जा रहा है।

जार्ज पंचम के स्थान पर महात्माजी की मूर्ति लगाने का निर्णय किया गया था और इसी कारण जार्ज पंचम की मूर्ति को वहां से हटाया गया था। अतः उस स्थान पर अब कोई अन्य मूर्ति लगाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। माननीय मन्त्री का कहना है कि अब एक अन्य समिति नियुक्त की जायेगी। परन्तु पहले भी इस बारे में सुझाव देने हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी और मन्त्रिमन्डल ने भी इस मामले पर निर्णय किया था। अतः मैं माननीय मन्त्री से इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि उस स्थान पर अन्य कोई मूर्ति स्थापित नहीं की जायेगी।

श्री के० के० शाह : विशेषज्ञों की समिति से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी मैंने उस जानकारी को सभा के समक्ष रखा है। अन्तिम निर्णय करना सभा का ही काम है। जहां तक अन्य मूर्तियों की स्थापना का सम्बन्ध है उन पर गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जा रहा है। इस मामले पर सभा में चर्चा की जा सकती है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि राजनैतिक दलों के नेता विशेषज्ञों की बात को सुने तथा उसके पश्चात् कोई निर्णय करें।

श्री मनु भाई पटेल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जार्ज पंचम के स्थान पर महात्मा जी की मूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य नेता की मूर्ति स्थापित नहीं की जायेगी।

श्री के० के० शाह : मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उस स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगाई जायेगी।

Shri Ram Kishan Gupta (Hissar) : May I know whether the functions of the Committee appointed earlier was to suggest the type and the way, the statue is to be installed or the Committee had to suggest the site of its installation also.

Shri K. K. Shah : The hon. Member is right in his observation but it is a matter to be decided by the hon. House whether to give importance to the point of view expressed by the Committee or not. In order to save time I have asked the architect to prepare the statue and on the other hand I have put forth the views of the Committee before the House. So that there may not be any mistake about the site of the statue of the great man.

श्री आर० एस० अरुमुगम (टेंकासी) : यदि उक्त स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कर दी गई तो हजारों लोग इसका विरोध करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। इस बात को तथा माननीय अध्यक्ष के परामर्श को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० के० शाह : विशेषज्ञों की राय है कि यदि स्थान पर महात्मा जी की मूर्ति लगाई जाती है तो महात्मा जी को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए जाने वाले हजारों लोगों को उसके पास बनी सड़क को पार करना पड़ेगा। अतः मेरा निवेदन है कि राजनैतिक दलों के नेता विशेषज्ञों से मिलकर उनकी बात सुन लें।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :—

(1) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968–69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा–परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1968–69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे, और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2151/69**]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 2087 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 2219 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 13 सितम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 2658 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 28 मई, 1960 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 575 में एक संशोधन किया गया है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०2152/69**]

(2) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, सीमा–शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य)चालीसवां संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2659 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2153/69**]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्त–र्गत; केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम,1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाक 15 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधि–सूचना संख्या जी० एस० आर० 2635 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2154/69**]

(4) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत, दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन, आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण, लाभ तथा हानि लेखे और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक–एक प्रति तथा उसका हिन्दी संस्करण, जो दिनांक 18 सितम्बर, 1969

के दिल्ली के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या एफ 6/9/69–फिन (जी) में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2155/69**]

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चोधरी राम सेवक) : मैं इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, इलायची (लाइसंस देना तथा रजिस्ट्रीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 1969, की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2156/69**]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : पिछले शुक्रवार सभा के कार्य की घोषणा करते समय मैंने कहा था कि संविधान (तेइसवां संशोधन) पर 9 तारीख को चर्चा की जायेगी और सभा इस बात पर सहमत हो गई थी, अत: इस पर मतदान 10 तारीख को होना था, परन्तु कुछ मुस्लिम सदस्यों ने बताया है कि उस दिन ईद है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको एक दिन पहले ले सकते हैं

श्री रघुरामैया : इसको अब आठ तारीख को लिया जायेगा और मतदान 9 तारीख को होगा।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir may I know the time by which the matter regarding to the sugarcane will be taken up in the House ?

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान प्रश्न मुसलमान सदस्यों के इस निवेदन से सम्बन्धित है कि 10 तारीख को छुट्टी होनी चाहिए। आशा है सभा को यह मान्य है। इस समय इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं है।

सदस्यों द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)

उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : महोदय ! मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। 26 नवम्बर, 1969 को श्री मनुभाई पटेल ने मेरे विषय में यह कहा था कि :

"परसों ही कांग्रेस वर्किंग में जो तीन नये सदस्य लिये गये हैं, अर्थात् श्री चन्द्रजीत यादव, श्रीमती नन्दिनी सत्पथी और श्री गणेश, उनके बारे में श्री चिन्तामणी पाणिग्रही, श्री वेदव्रत बरुआ आदि ने जाकर प्राइम मिनिस्टर से यही शिकायत की है कि वह कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि वह कम्युनिस्ट है। मैं इसलिए विरोध नहीं करता हूं। मैं विरोध इसलिए करता हूं कि **दे आर एम्बैसी पीपल**। इस का जवाब क्या है ? (**व्यवधान**) एम्बैसी पीपल होने की वजह से उसी दल के साथियों ने उनकी शिकायत की है।"

महोदय ! मैं इन आरोपों का कि मैं साम्यवादी हूं या किसी विदेशी दूतावास से सम्बन्ध रखती हूं दृढ़ शब्दों में खण्डन करती हूं। ये आरोप मिथ्या हैं, निराधार हैं। साथ ही मैं माननीय सदस्य को चुनौती देती हूं कि वह इन आरोपों के समर्थन में एक भी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

मेरी प्रार्थना है कि सभा केवल तथ्यों को ग्रहण करें तथा निराधार आरोपों का विरोध करे।

श्री के० आर० गणेश (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय ! मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिये खड़ा हुआ हूं। 26 नवम्बर को श्री मनुभाई पटेल ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाये थे कि मैं साम्यवादी हूं तथा विदेशी दूतावासों से मेरा अवांछनीय सम्बन्ध है।

मैं इन आरोपों का खण्डन करता हूं। मैं साम्यवादी नहीं हूं और न मेरा किसी दूता-वास से ऐसा सम्बन्ध है। ये आरोप उत्तरदायित्वपूर्ण, शरारतपूर्ण और बदनाम करने वाले हैं। मैं इनका खण्डन करता हूं तथा सुरक्षा के लिये निवेदन करता हूं।

श्री मनुभाई पटेल(डभाई) : मैं कल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि आप इस स्पष्टीकरण के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दें।

श्री मनुभाई पटेल : मैंने केवल कही गई बात को ही उद्धृत किया था **(व्यवधान)**

शपथ विधेयक—जारी

OATHS BILL---Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब शपथ विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मैं अपने संशोधनों पर बोल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन के उपरान्त अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok-Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock-)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पाँच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok-Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.)

{श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*}

श्री लोबो प्रभु : सभापति महोदय ! जहां तक मैं समझ सका हूँ खंड 8 का शपथ न लेने की आकस्मिक गलती के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्त्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ अधिक स्पष्टीकरण दें।

इस विधेयक पर बोलने वाले लगभग सभी माननीय सदस्यों ने खण्ड 7 पर आपत्ति की है। वास्तव में प्रश्न यह है कि यदि शपथ न लेने की भूल क्षम्य हो सकती हैं तो इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता ही क्या है? इस सदन में भी इस विधेयक के खण्ड 7 पर आपत्ति की गई है। मेरा निवेदन है कि जब दोनों सदनों की इसके प्रति ऐसी प्रतिक्रिया है तो सामान्य जनता और न्यायालयों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब शपथ न लेने की गलती क्षम्य हो सकती है तो न्यायालय भी इसकी विशेष चिन्ता नहीं करेंगे।

कानून बनाने का उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से दुर्बल और गरीब लोगों की रक्षा हो सके। मेरा आग्रह है कि स्वयं कानून को ही दुर्बल नहीं बना देना चाहिये। उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं छोड़नी चाहियें जिसका धनी अथवा सक्षम लोग अनुचित लाभ उठा सकें।

दूसरे, मन्त्री महोदय 'ओमीशन' (भूल) के स्थान पर आकस्मिक भूल रखदें, जैसा कि उन्होंने स्वयं सुझाया है, तो कानून अधिक स्पष्ट हो जाता है। यदि कानून को अधिक स्पष्ट तथा समर्थ नहीं बनाया जायेगा तो उससे गरीब और सच्चाई में विश्वास रखने वाली जनता का अहित होगा।

श्री गोविन्द मैनन : मैं नहीं समझता इसमें गरीब और अमीर का प्रश्न कहां से आ गया। मैंने विधेयक के खण्ड 8 के सम्बन्ध में कहा था कि साधारणतः गवाह आदि को शपथ दिलाई जाती है। किन्तु घटनावश यदि किसी को शपथ दिलाना रह जाता है तो भी खण्ड आठ के अन्तर्गत व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति को न्यायालय में सच ही बोलना है। भारतीय दंड संहिता में झूंठी गवाही की परिभाषा न केवल शपथ पूर्ण गवाही को ही समाविष्ट करती है अपितु शपथ विहीन गवाही को भी समाविष्ट करती है।

श्री लोबो प्रभु : क्या कानून की अभिव्यक्त व्यवस्था है?

श्री गोविन्द मेनन : जी हां। खण्ड आठ में यह अभिव्यक्त व्यवस्था है कि न्यायालय में गवाह सच बोलने के लिये बाध्य है। अतः यदि किसी को गलती से शपथ नहीं दिलाई जाती तो भी गवाह झूंठी गवाही के अपराध से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि खण्ड आठ तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 में दी गई झूंठी गवाही की परिभाषा के अन्तर्गत वह कानून के सिकंजे में फंस जाता है।

सामान्यतः सभी गवाहों आदि को शपथ दिलाने की प्रक्रिया न्यायालयों में है तथापि यदि गलती से किसी को शपथ दिलाना रह जाता है तो ऐसी स्थिति में खण्ड 7 उन गवाहों आदि पर लागू होता है। अतः 'ऐक्सीडेन्टल' (घटनावश) शब्द को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि खण्ड 7 वर्तमान अधिनियम की धारा 13 का वास्तविक पुनर्प्रस्तुतीकरण है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय का मत है कि साक्ष्य की क्षमता इस अधिनियम पर आधारित नहीं है, वरन यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 पर आश्रित है।

शपथ अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय का कहना है "कि उपयुक्त उपबन्ध को साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 तथा इस अधिनियम की धारा 13 के साथ पढ़िये।"

धारा 13 वर्तमान खण्ड 7 ही के अनुकूल है "मेरे मत से, एक वयस्क गवाह को शपथ न दिलाने की भूल उसकी गवाही की विश्वसनीयता के विरुद्ध जा सकती है किन्तु उसकी सक्षमता के प्रतिकूल नहीं जाती।"

यदि कोई गवाह शपथ उठाने से इन्कार करता है तो न्यायालय उसकी गवाही को कम विश्वसनीय कह सकता है, किन्तु फिर भी वह व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। यही उच्चतम न्यायालय का कहना है।

शपथ अधिनियम के उद्देश्य के विषय में न्यायालय का कहना है :

> "कि शपथ अधिनियम का सक्षमता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति झूंठी गवाही देते हैं उनके विरुद्ध खण्ड 7 और 8 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। यह सच है कि इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि गवाह को अवसर की पवित्रता का ध्यान दिलाया जाय तथा उसे सच बोलने के कर्तव्य का ध्यान दिलाया जाय।"

खण्ड 7 के अंतर्गत गवाह को शपथ दिलायी जाती है अथवा वह प्रतिज्ञान करता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि शपथ उठाने या सच बोलने की घोषणा करने के उपरांत भी यदि कोई गवाह झूंठी गवाही देता है तो वह इस प्रकार एक अपराध करता है।

साथ ही यदि कोई गवाह न्यायालय में शपथ उठाने से इन्कार करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। उसकी गवाही को भी समान विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती। भारत में यह कानून पिछले 96 वर्षों से चला आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री लोबो प्रभु के संशोधन को मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड सात विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड सात को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड आठ

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Sir, I beg to move my amendment No. 26 and request that it should be accepted.

श्री लोबो प्रभु : महोदय ! मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय मन्त्री ने मेरे न्यायालय सम्बन्धी अनुभव की सराहना की है। मैं उनका आभारी हूँ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत झूठी गवाही देने का अपराध तब बनता है जब किसी ने शपथ उठाई हो, या सच बोलने का स्पष्ट कानूनी उपबन्ध हो अथवा कोई व्यक्ति घोषणा करने के लिये बाध्य हो। जहां तक शपथ का संबंध है मन्त्री महोदय ने उच्चतम न्यायालय के तर्क को उद्घृत किया है तथा बताया है कि शपथ से अवसर की पवित्रता का ध्यान दिलाया जाता है तथा गवाही के विश्वसनीयता को बल मिलता है। मुझे इससे प्रसन्नता है। यह भी सच है कि यह कानून भारत में 1871 से लागू है। ऐसी बहुत सी बातें है जो बहुत दिनों से भारत में चली आ रही हैं किन्तु अब उन्हें बदल दिया गया है।

जहां तक अभिव्यक्त उपबन्ध की बात है मेरा निवेदन है कि प्रवर्ती शब्दों के अनुसार 'ऐसे मामलों में किसी न्यायालय या व्यक्ति के समक्ष सच बोलने के लिये बाध्य है'। इस व्यवस्था को सामान्य व्यवस्था कहा जा सकता है और मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था का उपबंध अभिव्यक्त नहीं है। मेरा संशोधन संख्या 32 बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सन्देह की गुंजाइश नहीं रहती।

श्री गोविन्द मेनन : जहां तक पहले संशोधन का सम्बन्ध है, वर्तमान खण्ड के अन्तर्गत ग्राम न्यायालय तथा पंचायतें भी आ जाती हैं क्योंकि ग्राम न्यायलय या पंचायत न्यायालय भी एक न्यायालय है। इसलिये पंचायत न्यायालय शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक श्री लोबो प्रभु के संशोधन का प्रश्न है, खण्ड 8 इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। माननीय सदस्य के संशोधन की कतई आवश्यकता नहीं है। वह कृपया अपना संशोधन वापस ले लें।

संशोधन संख्या 32 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 32 was, by leave, withdrawn.

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 26 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

अनुसूचि

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 5, 6, 7 और 8 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Om Prakash Tyagi : I move my amendment Nos. 11 to 16.

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri K. M. Madhukar : I move my amendment No. 27.

Shri Shiva Chandra Jha : I am for the deletion of words ' I swear in the name of the God." There was a time when it was said that "If there is no God, it is necessary to make one." But now we have advanced very much from that age. It is the age of science and space exploration. Man has set foot on the moon and scientists are planning to make moon their abode. It is the need of the hour that we give up this out moded outlook. If we have to amend the Constitution for this purpose, we should not hesitate to do so. Wherever the words "I swear in the name of God" occur, they should be deleted. Then only we shall be in tune with the modern times and be able to help in the development of science and technology.

Shri Om Prakash Tyagi : It would have been better if my hon. friend Shri Jha had not raised this thing in the House. He has laid all the emphasis on science and has ignored the other side completely. What have the scientists been doing ? They have been exploring the mysteries of the Almighty God. They have not created anything now. His scientists cannot even create a blade of grass. Man has not been able to discover and unravel the laws of God even to this day. He is still engaged in this pursuit. It is beyond the power of man to comprehend His mysteries. It is nothing but foolishness and ignorance to make a suggestion that God does not exist and that we should not obey His command.

I congratulate the Government for preserving the soul of the nation. It is a matter of great regret that politicians of today have said good-bye to their conscience and religious tenets. They have no fear while telling a lie or indulging in dishonesty. I may make it quite clear that I have no faith in those politicians who swear by the Constitution and then talk of wrecking it from within. I do not mean that Shri Jha is one of them.

There are three types of persons-(1) Those who believe in God and religion, (2) Those who have faith neither in God nor in religion and (3) Those who have faith in religion but do not believe in God. The wording used in the Bill covers the first two categories of persons but the third category has been completely left out. To cover those persons I am suggesting that the wording should be like this :

"I do swear in the name of God or faith."

Jains and Buddhists belong to this category and it will be a mistake to leave them out.

The persons who are responsible for the translation of this Bill have done great injustice to the very sanctity of the word 'oath.' The English wording says ; 'I do swear in the name of God.' Its Hindi translation should have been like this.' ईश्वर को हाजिर नाजिर मान कर मैं शपथ लेता हूँ।" we do not swear by God but in the name of God, having in mind that He is a witness to whatever we say. So instead of.'मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ।' it should have been "ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर मैं शपथ लेता हूँ।"

There is no difficulty in accepting the amendment. The oath should be in such form that it should be applicable to all. The necessary amendment in the section should be made.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सदस्यों के आग्रह पर अभी हाल से यह प्रथा आरम्भ की गयी है कि प्रत्येक विधेयक की हिन्दी में अनुदित प्रति प्रस्तुत करने के कारण कभी कभी गल्तियां हो जाती है। लेकिन अधिनियम की वास्तविक अनुदित प्रतियां प्राप्त होने पर इस मामले की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई आलोचना को सम्बद्ध व्यक्तियों तक पहुँचा दूंगा।

विधेयक की खंड संख्या 4, 5, 6 और 7, जिसमें 'शपथ' या 'प्रतिज्ञान' शब्द है, को पहले ही पारित किया जा चुका है। अतः अनुसूची के सम्बन्ध में श्री झा का संशोधन असंगत है। श्री त्यागी यह चाहते हैं कि शपथ भगवान के नाम पर या एक व्यक्ति की भावना के नाम पर ली जानी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है, कि जो प्रतिज्ञान करें उनका नास्तिकवाद में विश्वास न हो। शायद वे इस मामले में भगवान को घसीटना पसन्द न करें। अतः यह हमारे प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।

सभापति महोदय : अब श्री शिवचन्द्र झा द्वारा सभा में मतदान के लिए रखे गये संशोधन 5 को प्रस्तुत करूंगा।

श्री गोविन्द मेनन : कृपया संशोधन को पढें ताकि माननीय सदस्यों को संशोधन की जानकारी हो सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 5 में "Swear in the name of God" (ईश्वर के नाम पर शपथ) शब्द को हटायें।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में	:	5	विपक्ष में	:	111
Eyes	:	5	Noes	:	111

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

सभापति महोदय : अब मैं अन्य सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

अनुसूची विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अनुसूची को विधेयक में जोड़ा गया

The Schedule was added to the Bill

(खंड 1-संक्षिप्त नाम और विस्तार) संशोधन किया गया

पृष्ठ संख्या 1, पंक्ति 3, "1968" के स्थान पर "1969" रखा जाय

(श्री गोविन्द मेनन)

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री गोविन्द मेनन : शपथों के बारे में विधेयक का विषय समवर्ती सूची की 12 प्रवष्टि के अन्तर्गत आता है। अतः संसद को शपथों के बारे में जम्मू और कश्मीर पर कानून लागू करने का अधिकार नहीं है।

संविधान को वर्ष 1950 में लागू किया गया था जब कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में विचाराधीन था। हमारा यह कहना था कि कश्मीर भारत में मिला दिया गया है। इस बारे में वहां के शासक ने विलय संलेख किया था। इसी के आधार पर उन्होंने संविधान अपनाया था।

26 जनवरी, 1950 को जो दो अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को लागू होते थे, वे थे अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 370 में यह निहित है कि भारत का राष्ट्रपति संघ राज्य की सूची में दी गई अन्य प्रविष्टियों और समवर्ती सूची को भी, राज्य सरकार की सहमति से जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकता है।

धीरे धीरे हम संघ सूची में आने वाली सब प्रवष्टियों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करेंगे, अतः मै इस विधेयक को यह कह कर पुरःस्थापित नहीं कर सकता कि यह विधेयक जम्मू और कश्मीर को भी लागू होता है । जब यह विधेयक पास हो जायेगा तो हम जम्मू और कश्मीर सरकार से इसको स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे । अतः मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वह श्री झा के संशोधन को स्वीकार करें ।

Shri Abdual Ghani Dar (Gurgaon) : The Hon. Minister has just stated that the acceptance of the State Government with regard to extension this Act to Jammu and Kashmir will be taken. I want to know whether permission of the State Government was taken at the time of arrest of Seikh Abdulla and prosecuting Bakshi Gulam Mohammad ?

The law of taking oath should be applicable to the Courts of Jammu and Kashmir. It had past 23 years since we got independence. We had spent crores of rupees for Jammu and Kashmir, still we feel it difficult to apply our laws to the State of Jammu and Kashmir. Their minds in relation to Jammu and Kashmir is not clear. They want to ruin the country. When Jammu and Kashmir is part and parcal of India, all union laws should also apply to the State of Jammu and Kashmir.

Government should make it clear that this law will be applicable to Jammu and Kashmir.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : This question was once before raised and in its reply Shri Chavan stated that Jammu and Kashmir like other States is a part of India. Therefore, the words 'except to' Jammu and Kashmir should not be written. In its place now it should be written "including the State of Jammu and Kashmir." Government should take into consideration the way in which it is made applicable to that part of Kashmir. Which is in the possession of Pakistan. The Government have not been able to give any convincing reply to my amendment. So I press my amendment.

श्री गोविन्द मेनन :– जैसे संविधान से क्रान्ति नहीं लाई जा सकती उसी प्रकार कानून द्वारा भी क्रान्ति नहीं लाई जा सकती ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री शिवचन्द्र झा का संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 1 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया
Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र
(संशोधन किये गये)

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'Nineteenth' (उन्नीसवें) के स्थान पर
'Twentieth' (बीसवां) रखा जाये (श्री गोविन्द मेनन)

सभापति महोदय—प्रश्न यह है कि :
अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
The Title was added to the Bill

श्री गोविन्द मेनन : मै प्रस्ताव करता हूँ :
"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : An oath has some force only when there is some recognition, some high social value behind it. The standard of humanity, equality, well-being of human beings brings force in the oath. These are relative terms. May I ask the hon. Minister whether he is prepared to stick to the oath of loyality which he look in favour of former Congress President, Shri Nijalingappa. When humanity and society can be uplifted by other methods, all the past values and talks of morality become redundant and new methods have to be adopted.

The Bill has pointed out many drawbacks. In fact, if you want this to be implemented, it is necessary that the standard of morality was raised. The standard of morality would be high only when there was equality in society and the disparity was rooted out.

Our social set-up is such that several people have no employment, livelihood and they are forced to resorts to theft or other nefarious activities. Many social ills will be removed if inequality and such other disparties were rooted out. In advanced countries, like U.S.A., money is deposited in banks and a few articles are kept in houses. As such there are less cases of thefts. Similarly, they would not tell a lie on brimal matters, but here in India we tell lies on even ordinary things. If the condition of the society is good, standard of morality would automatically rise. "Hord truth, Nothing but the Truth" will remove the tendency of speaking lie.

The Prime Minister has also taken an oath for socialism but late Pt. Nehru never did so. All this is being done to mislead the public. This is double-dealing and it would not serve the purpose. I have some reservations and doubt about this Bill.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I congratulate the hon. Minister for bringing forward a legislation to amend the 100 years old Indian Oaths Act.

I do not want to enter into any controversy about the percentage of people speaking lies. Very few people have been prosecuted for prejury under section 191 of Indian Penel Code. As such, it would have been better, had we amended the section on prejury in I. P. C. We should take it for granted that everybody speaks the truth, unless he is proved otherwise. Only section 8 was sufficient and there was no necessity of all other sections. I fail to understand the justification for deleting sections 9 to 12 which are good ones.

The old provision that if the plaintiff and respondent agreed for a settlement, if one of the parties took an oath and said something by remembring God, was good and a short-cut way for the disposal of cases, which are otherwise very costly and time-consuming. These provisions should find place in law in the interest of 90 per cent of our population living in villages.

Day any night laws are enacted here and it is provided that they would not be applicable to the State of Jammu and Kashmir although the Prime Minister and Home Minister have declared it many times in unequivacal terms that Jammu and Kashmir is an integral part of India I will suggest that the hon. Minister should bring forward a Constitution Amendment Bill so that this sentence is not required to be added every time. This will solve many problems and remove the atmosphere of uncertainty created by elements like Sheikh Abdullah.

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : I doubt the usefulness of this Bill. What is good for one, is bad for the other and what is bad for one is good for other. It is the experience of courts that in our country people speak lies to the greatest extent. If things are to be improved, social evils will have to be removed. More punishment cannot achieve the goal. The need is to remove the causes of all such ills. All these things would go away after the achievement and socialistic economy. With the advancement of the society, old social values also change and new values take their place. Therefore, I do not feel any necessity of this legislation.

श्री गोविन्द मेनन : श्री शिवचरण झा के भाषण के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

सभा में पहले हुई चर्चा के दौरान सभा ने यह निर्णय किया था कि विशेष शपथ का उपबन्ध समाप्त किया जाना चाहिये लेकिन चूंकि इस सभा में अनेक सदस्यों द्वारा इस मामले को तीव्र भावना से उठाया गया है। अतः मैं इस बारे में विधि-आयोग के प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिलाऊंगा उसमें कहा गया है कि हमें विशेष शपथों के पक्ष में इस दावे की जांच करना चाहिए कि इस बात का कोई प्रभारण नहीं है कि विशेष शपथों से कोई हानि नहीं हुई है। इस दावे का कोई कोई आधार नहीं मालूम होता। विधि आयोग ने इस बारे में इन्द्रप्रसाद और जगमोहन दास के बीच बटबारे के मुकदमें में लाई ब्लैनिस्बरों द्वारा दिये गये प्रिवीकौंसिल के निर्णय का भी उल्लेख किया है। जिसमें उपरोक्त दावा सही सिद्ध नहीं होता।

इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस मामले में वादी को काफी नुक्सान उठाना पड़ा परन्तु प्रिवी-कौंसिल सहित न्यायालयों के सामने भारतीय शपथ अधिनियम की 8 से 11 तक की धाराओं के बाध्यकारी उपबन्धों को लागू करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था। परन्तु प्रिवी कौंसिल के निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रिवीकौंसिल अपील के परिणाम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी।

इस प्रकार की घटनायें न्यायालयों में होती रहती हैं। मुझे स्वयं भी इसका अनुभव है। एक मुकदमें में, जिसकी पैरवी मैं कर रहा था, वादी ने कटघरे से कहा कि यदि प्रतिवादियों में से फलां प्रतिवादी यह बात कह दे 'कि मैं थारवाड़ का सदस्य नहीं हूँ तो मैं अपना दावा छोड़ दूंगा। भाग्यवश प्रतिवादी इस प्रकार की शपथ लेने के लिये तैयार नहीं हुआ अन्यथा इस वादी को परिवार की सम्पति में अपने हिस्से से हाथ धोना पड़ता।

श्री वेणी शंकर शर्मा : माननीय मन्त्रीजी को इस बात की आशंका है कि इन मामलों में न्याय नहीं होगा। परन्तु मेरे विचार से इस बात की भी सम्भावना है कि बहुत अक्षम न्यायालयों द्वारा भी न्याय न किया जा सके।

श्री वेणी शंकर शर्मा : आप यह देखिये कि जिस धारा को निकाल दिया गया है उसे यदि पुनः जोड़ दिया जाये तो क्या अधिक लाभ होगा? ऐसा होने से ग्रामीणों के साथ न्याय न होने की बहुत कम सम्भावना रहेगी। न्याय न मिलने की थोड़ी आशंका तो वर्तमान कार्य प्रणाली में भी है।

श्री गोविन्द मेनन : हमारी वर्तमान न्याय पद्यति के अन्तर्गत मुवक्किलों में से किसी एक के पक्ष में शपथ ग्रहण करने से न्यायालय के निर्णय उसी के पक्ष में हो सकते हैं। विवेक शून्य मुवक्किल कभी-कभी ऐसा करते है, और यदि दूसरे भी इसे मानलें तो अन्याय होने की सम्भावना है।

विधि आयोग ने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है। इसलिये मेरा सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक को पारित किया जाये, जिससे यह कानून बन सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक
INDIAN REGISTRATION (AMENDMENT) BILL

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

यह एक खण्ड का साधारणसा विधेयक है। वर्तमान कानून के अनुसार भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30(2) के अन्तर्गत प्रेसीडेन्सी नगरों सहित किसी जिले का रजिस्ट्रार, धारा 28 में निर्दिष्ट सम्पति सम्बन्धी दस्तावेजों की रजिस्ट्री करता है। यह सम्पति भारत के किसी भी भाग में हो सकती है। सम्पति चाहे तिरुचिरापल्लि में हो किन्तु उसे मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भी रजिस्टर कराया जा सकता है। विभाजन पूर्व लाहौर भी इस सूचि में सम्मिलित था। ऐसा करने का कारण यह था कि व्यावसायिक अथवा अन्य कारणों से देश के सभी भागों के लोग इन प्रेसीडेन्सी नगरों में रहते हैं। इस संशोधन का उद्देश्य यही है कि दिल्ली को भी इस सूची में सम्मिलित किया जाये।

श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana ***in the Chair***

दिल्ली को इस सूचि में सम्मिलित करने के कई कारण हैं। देश के सभी भागों के भारतीय नागरिक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से भी दिल्ली में आकर स्थायी रूप से रहते है। संसद सदस्य भी वर्ष भर में अधिकांशतया दिल्ली में ही रहते हैं। अन्य अधिकारियों की भांति हमारे लिये भी यह सुविधा होनी चाहिये कि अपनी अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिल्ली में ही कोई कार्यवाही कर सकें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा परित रूप मे, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री लोबो प्रभु (उड्डीपी) : मैं विधेयक के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार कर रहे हैं। आप खण्डों पर ही बोल सकते हैं।

खण्ड 2 (धारा 1 और 30 में संशोधन)

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं। मन्त्री महोदय सम्भवतया भूल गये है कि "भारतीय" शब्द को भी उन्होंने हटाना है।

श्री गोविन्द मेनन : वर्तमान वैधानिक प्रथा यही है।

श्री लोबो प्रभु : मैं विधेयक के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्व पूर्ण विषय है और उपरजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : इस विधेयक में केवल एक खण्ड है। आप खण्ड 2 पर बोल सकते हैं।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : महोदय, यह विधेयक बहुत साधारण है। यह बहुत अच्छा है कि दिल्ली जिला इसमें सम्मिलित किया गया है। अन्य अनुवर्ती संशोधनों पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। लेकिन मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूँ।

कृषि-क्षेत्र का तीव्र गति से यंत्रीकरण किया जाना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे ट्रेक्टर, पम्पिंग सेट तथा ऐसी ही अन्य वस्तुएं प्राप्त हों। भूमि बन्धक बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य बैंक कृषकों की सहायता करने को तत्पर हैं और देश में काफी रजिस्ट्रीकरण का कार्य किया जाना है। किन्तु कृषक उसकी कार्य प्रणाली से परिचित नहीं है। न्यायालय में उन्हें न जाना पड़े इसके लिये वे 500 से 1000 रुपये तक भी देने को तैयार हो जाते हैं। धन उधार लेने की प्रकिया काफी पेचीदा है। इसलिये रजिस्ट्रीकरण के महानिरीक्षक को यह अनुदेश दिया जाये कि इस प्रक्रिया को संक्षिप्त बनाया जाये और कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण मिलना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं विधेयक के अति-सरलीकरण के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे दो संशोधन है। पहले मै उन्हीं पर बोलूंगा और इसके पश्चात रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देश के गरीब ग्रामीणों का इससे सम्बन्ध है।

मन्त्री महोदय ने पहला संशोधन यह प्रस्तुत किया हैं कि इस विधेयक में से "भारतीय" शब्द को हटा दिया जाये। उनका तर्क यह है कि इस देश में सभी कुछ भारतीय है। अतः इस शब्द की आवश्यकता नहीं। मैं चाहता हूँ कि वह इस प्रश्न पर कुछ भिन्न दृष्टिकोण से विचार करें। इंगलैंड में भी लगभग सभी अधिनियमों को ब्रिटश·······अधिनियम कहने की वैधानिक प्रथा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि एक स्पष्ट बात को ही पुनः कहने का प्रयत्न करते है बल्कि ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यह अधिनियम समूचे देश के लिये है और यदि किसी अन्य देश में इस अधिनियम के सम्बन्ध में चर्चा हो तो वहां कोई भ्रम उत्पन्न न हो और स्पष्ट पता चल सके कि इस अधिनियम का सम्बन्ध भारत से। "भारतीय" शब्द प्रयोग करने का पहला प्रयोजन यही है।

मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय का दूसरा संशोधन यह होगा कि भारतीय संविधान को केवल संविधान कहा जाये। किन्तु भारतीय शब्द की अपनी एक गरिमा है। पाकिस्तान को भारतीय शब्द से घृणा हो सकती है किन्तु हमें तो उस शब्द पर गर्व है, इसके लिये एक और भी व्यावहारिक कारण है। जिसकी सम्भवतया उत्तर सदन में उपेक्षा की गई है। एक अधिनियम केवल मद्रास राज्य के लिए हो सकता हैं तथा दूसरा समूचे देश के लिये ; बहुत से अधिनियमों के शीर्षक भी समान हो सकते है। यह अधिनियम राज्य के लिये है और यह सारे देश के लिये, इस अन्तर को स्पष्ट करने के लिये भी भारतीय शब्द आवश्यक है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमारे विधान की गरिमा को भंग न किया जाये और 'भारतीय' शब्द को विधेयक से न निकाला जाये।

मेरे दूसरे संशोधन का सम्बन्ध इस अधिनियम की शक्ति के विस्तार से है। मंत्री महोदय ने दिल्ली को भी सूची में सम्मिलित करने के पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किये है। मेरा प्रश्न यह है कि आप केवल दिल्ली तक ही क्यों सीमित रहते हैं; उसमें लखनऊ और बंगलौर को भी सम्मिलित क्यों नहीं करते ? वे भी दिल्ली के समान बड़े नगर हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं।

राज्य-सभा में मन्त्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राज्य सरकारें जिला मुख्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सहमत नहीं थी। इसीलिये उनसे परामर्श नहीं किया गया। मैंने अपने संशोधन को इस रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे यदि राज्य चाहें तो अपने-अपने जिला मुख्यालयों में उस सम्पत्ति को रजिस्टर करने की सुविधा प्राप्त कर सकें जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हों। मेरा विचार है कि यह बहुत उचित प्रस्ताव है और लोगों को इससे बहुत सुविधा होगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि छोटे स्थानों की अपेक्षा बड़े स्थानों में रजिस्ट्रीकरण अधिक सुगम है। छोटे स्थानों पर अधिक भ्रष्टाचार है। हम मन्त्री महोदय के अत्यधिक आभारी हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया है। उन्होंने हमें रजिस्ट्रीकरण से परिचित होने का अवसर दिया है। भ्रष्टाचार के संगठित रूप का ही दूसरा नाम रजिस्ट्रीकरण है। मुझे इसका काफी अनुभव है।

श्री गोविन्द मेनन : क्या आप महानिदेशक रह चुके हैं ?

श्री लोबो प्रभु : मैं महानिदेशक तो नहीं रहा।

मैं स्वयं भूमिधर रहा हूं मुझे भी अपनी सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराने का अवसर मिला है। मुझे पता है इस प्रक्रिया में किन बातों का सामना करना पड़ता है। मैं स्वयं जिला अधिकारी और सब रजिस्ट्रार के पदों पर काम कर चुका हूँ। वहां मुझे ऐसी अनेक शिकायतें मिली थी कि 'मामूल' दिये बिना एक दस्तावेज भी रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता। इस समय यह राशि लगभग 10 रुपये है। यह मुन्शी या कर्लक के मारफत दी जाती है। यदि आप 'मामूल' नहीं देते तो आप को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक अपने काम के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

अधिनियम की धारा 52 में यह उपबन्ध है कि रजिस्ट्री करने के लिये दस्तावेज पेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, दस्तावेज पेश करने की तिथि समय तथा स्थान का उल्लेख करेगा तथा ऐसे प्रत्येक दस्तावेज पर दस्तवेज पेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हस्ताक्षरों का सत्यापन किया जायेगा। मैं समझता हूँ कि आरम्भ में यह उपबन्ध इसलिये किया गया था ताकि आवेदन पेश करने की प्राथमिकता को निर्धारित किया जा सके। परन्तु समय तथा तिथि का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाया जाना चाहिए अथवा कोई निदेश दिया जाना चाहिये कि आवेदन पत्रों को उसी क्रम से लिया जाये जिस क्रम से वे पेश किये गये हैं। इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। मैं माननीय विधि मन्त्री से कहना चाहता हूँ कि उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिये कि रजिस्ट्री कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है और उसे दूर करने के लिये कुछ नियम बनाये जाने चाहिये।

इस बात के प्रति जागरुक होते हुए कि रजिस्ट्री कार्यालयों में पैसा लिया जाता है और वहां पर्याप्त भ्रष्टाचार है, एक संसद सदस्य के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सर्तकता आयोग तथा राज्य सतर्कता आयोग को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिये। मेरे मतदाताओं ने शिकायतें की थी कि उन्हें एक विशेष स्थान में इस संबंध की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः वहां से एक कर्मक और एक चपरासी का तबादला कर दिया गया है। फिर भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया ऐसा प्रतीत होता है। जैसाकि कर्मचारियों को रिश्वत लेने की पूरी छूट मिली हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री कार्यालयों से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केन्द्रीय सर्तकता आयोग तथा राज्यो के सतर्कता आयोग को कार्यवाही करनी चाहिये। सर्तकता आयोग को इन कार्यालयों पर लगातार निगाह रखनी चाहिये तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सतर्कता आयोग अधिक से अधिक प्रयास करता है।

उप खण्ड (घ) में एक वर्ष से अधिक समय के लिये सम्पत्ति को पट्टे पर देने के बारे में उल्लेख किया गया है। उक्त उपखण्ड के परन्तुक में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे जहां आवश्यक समझें छूट दे सकती हैं। हमें ज्ञात है कि हमारे भूमि सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण हैं। हमें ज्ञात है कि भूमि सुधार के मामले में हम असफल रहे हैं। भूधृति आदि का कोई रिकार्ड नहीं है। जो कुछ भी रिकार्ड हैं वह केवल पटवारियों के पास उपलब्ध है। इस अधि-नियम में कहा गया है कि उन रिकार्डों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराया जाये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भूधृति दस्तावेज रिकार्ड को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है और उसे ठीक किया जाना चाहिये। रजिस्ट्री करने के लिये काश्तकारों से कम फीस ली जानी चाहिये, चूंकि जब तक काश्तकारों से ली जाने वाली फीस को कम नहीं किया जायेगा, तब तक भूमि सुधार को सफलता नहीं मिल सकेगी। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि रजिस्ट्रार के कार्यालयों में कम से कम लागत पर भूधृति रिकार्ड को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है ?

** **श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : सभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं सरकार से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस विधेयक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण विधेयक को दिल्ली पर लागू किये जाने की व्यवस्था हैं। पहली बात यह है कि इस विधेयक के दिल्ली पर लागू हो जाने से लोगों को आयकर का अपवंचन करने और अधिकारियों को अधिक भ्रष्टाचार करने के अधिक अवसर प्राप्त हो जायेंगे। लोग यहां पर अपनी सम्पत्ति की रजिस्ट्री करायेंगे और अपनी सम्पत्ति को छिपा कर आयकर बचायेंगे। क्या सरकार ने इसकी रोक थाम के लिए कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की है।

मेरी समझ में यह भी नहीं आया कि सरकार इस विधेयक को लाने में इतनी जल्दी क्यों कर रही है ? मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट किया था कि चूंकि दिल्ली में अन्य राज्यों के बहुत अधिक लोग नौकरी के लिहाज से या अन्य कारणों से रहते हैं। इसलिए उन्हें दिल्ली में ही अपनी अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री आदि कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह अधिनियम दिल्ली पर भी लागू किया जा रहा है, इससे उन्हें रजिस्ट्री कराने के लिए अपने राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। किन्तु बंगलौर और त्रिवेन्द्रम आदि नगर भी ऐसे हैं जहां विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न कारणों से रहते है। अतः उन लोगों को भी ऐसी सुविधा देने के लिए यह अधिनियम उक्त नगरों पर भी लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? सभा को यह भी बताया जाय कि भ्रष्टाचार सम्पत्ति को छिपाये जाने और कर–अपवंचन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्टाचार और कर–अपवंचन आदि की बड़ी सम्भावना है ?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I am happy to see that this Bill does not contain the words "except Jammu and Kashmir". May I know the reasons why the eutension of this Act is limited only to big cities like Madras, Culcatta, Bombay and Delhi and it is not being extended to smaller cities like Lucknow, Bangalore, Patna, Kanpur and Allahabad ? This facility should be made available to people in small cities too.

In my opinion it is not right to delete the word 'Indian' from the Indian Registration Act. What is wrong with the word 'Indian'. While there are in existence a number of such acts have 'Indian' adjective in their titles--Indian Trade Union Act and etc. It is a common experience that stamps are not available with the stamp venders. This breeds corruption. In order to check the corruption more stamp vendors should be appointed and more stamps should be released for sale. The Government should pay attention to these points. Otherwise the very purpose of the Bill will be defetaed.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं माननीय मन्त्री का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में मुसलमानों को, जब वे उनसे बैनामा कराने जाते हैं, परेशान किया जाता है। इसके लिए उन्हें किसी स्थानीय गण्यमान व्यक्ति का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है और इसके लिए भी उन्हें फीस देनी पड़ती हैं ? क्या मन्त्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे और उनकी परेशानी को दूर करेंगे ?

** मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित
English Translation of the speech delivered in Malyalam.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Sir. there is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The Bill is being rung......Now, there is quorum. Srhri. Randhir Singh.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I think section 17 is the most important in all the sections of Registration Act. Thereunder, the documents are required to be registered compulsorily. While getting their documents registered the small farmers are being fleeced by the authorities concerned. They have to purchase stamps, they have to make payment to lawyers. Thus they have to spend a great deal for getting their documents registered. On registration of saledeed of property worth rupees fifty thousand, one has to spend one thousand rupees. Percantage is fixed for all including the Registrar in Registration Office. Moreover, the contribution for some cultural show or Red Cross is also collected in Registration Offices from the poor farmers and labourers. Shri Lobo Prabhu has rightly said that these Registration Offices are the den of corruption. Poor should be protekted against this corruption. I want that this act should be extended to Bangalore, Lucknow etc. along with Delhi.

I hop the Minister will pay attention to my observations.

श्री गोविन्द मेनन : इस विधेयक पर अच्छा वाद–विवाद हुआ है और चर्चा में उठाये गये प्रश्नों तथा सदस्यों द्वारा दिये सुझावों से मैं लाभान्वित हुआ हूं। एक एक बात को लिया जाये। श्री लोबो प्रभु भारतीय होने में जितना गर्व अनुभव करते हैं, मैं भी उतना ही गर्व अनुभव करता हूं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विधेयक के साथ "भारतीय" शब्द जोड़ा जाये या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को 'भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम' ही कहा जाये। वस्तुत: प्रत्येक भारतीय विधान के साथ 'भारतीय' शब्द लगाने से उन दिनों की याद आने लगती है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। जब भारत से ब्रिटिश शासन था तो उस समय अंग्रेजों ने ब्रिटेन के कानून और भारत के उसी विषय के कानून में अन्तर करने के लिए भारत के कानून के साथ 'इंडियन' (भारतीय) शब्द लगाना शुरू किया था। उस समय हमारे कम्पनी अधिनियम को भारतीय कम्पनी अधिनियम और हमारे लिमिटेशन अधिनियम को भारतीय लिमिटेशन अधिनियम कहा जाता था, जबकि ब्रिटेन वाले अपने अधिनियमों को केवल कम्पनी अधिनियम और लिमिटेशन के नाम से जाने जाते थे। अब भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद चूंकि भारत का कानूनी क्षेत्र प्रिविकौंसिल के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गया है इसलिए अब हमें अपने देश के अधिनियमों के साथ 'भारतीय' शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कानून से 1964 लिमिटेशन अधिनियम, 1961 में आयकर अधिनियम पास किये गये हैं। इनके साथ 'भारतीय' शब्द नहीं जोड़ा गया है। स्वाधीनता के बाद संसद द्वारा पारित किये गये किसी भी विधान में शब्द "इण्डियन" (भारतीय) नहीं है।

श्री लोबो प्रभु द्वारा उठाया गया यह प्रश्न भी कि केन्द्रीय अधिनियमों तथा राज्य अधि–नियमों में परस्पर भेद किया जाना चाहिये, कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता क्योंकि प्रत्येक राज्य के अधिनियम में उस राज्य का नाम लिया रहता है। अत: मेरा निवेदन है कि शब्द "इन्डियन (भारतीय) हटा देने में कोई हानि नहीं है। उपनिवेशों के समय में प्रचलित प्रक्रिया को अब केन्द्र सरकार ने छोड़ दिया है।

एक कारण यह भी है कि उन दिनों अनेक भारतीय राज्य होते थे। उन राज्यों तथा भारत सरकार के विधानों में परस्पर भेद करने के लिये शब्द "इन्डियन" (भारतीय) प्रयुक्त किया जाता था। कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया (भारत का संविधान) में शब्द "इन्डिया" (भारत) शब्द इसलिए है क्योंकि यह भारत का संविधान है।

अतएव श्री लोबो प्रभु द्वारा की गई आलोचना निराधार है।

फिर, श्री लोबो प्रभु तथा अन्य सदस्यों ने यह भी कहा है कि यह अधिनियम अन्य शहरों में भी लागू किया जाये। दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास की अपेक्षा भी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। फिर यह प्रत्येक राज्य की स्वेच्छा पर है कि वह इस अधिनियम को अपनी राजधानी में लागू करे।

श्री रणधीर सिंह ने सम्पत्ति कानून से सम्बन्धित धारा 17, जो कि इस रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, के बारे में कहा है। इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया है। यह भी पूछा गया है कि कौन–कौन से कागज़ात का पंजीकरण होना चाहिये तथा कौन–कौन से कागज़ात का नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि इस ओर राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में धारा 78 के अधीन राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कुछ राज्यों ने पंजीकरण मैनुअल बना भी रखें है। संसद का कार्य तो केवल विधान बनाना है, उन्हें लागू तो राज्य सरकारों ने ही करना है। अतः भ्रष्टाचार आदि के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

एक माननीय सदस्य ने कृषकों को शीघ्र ही अपने पत्र पंजीकृत कराने की सुविधा के बारे में प्रश्न उठाया था। श्री लोबो प्रभु ने पंजीकरण में कठिनाई की बात भी कही थी। इस बारे में भी राज्य सरकारों को ही उचित कार्यवाही करनी है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आप हमारी भावनाओं को राज्य सरकारों तक पहुंचा दीजिये।

श्री गोविन्द मेनन : अवश्य।

सभापति महोदय : क्या सरकार श्री लोबो प्रभु द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 तथा 8 को स्वीकार करती है।

श्री गोविन्द मेनन : नहीं श्रीमन्।

श्री लोबो प्रभु : ग्रामीणों तथा निर्धन लोगों से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण बातें हैं? पहली भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है तथा दूसरी पंजीकरण की सुविधाओं के बारे में है। केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकारों का नाम लेकर सारी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। यह केन्द्रीय अधिनियम है और राज्य सरकारें भी इस केन्द्रीय अधिनियम के आधार पर कार्यवाही करती है। मैं चाहता हूं कि आप हम सब की ये भावनाएं राज्य सरकारों तक पहुंचा दें।

श्री गोविन्द मेनन : यह तो सरलता से हो जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : फिर मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 7 और 8 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।
Amendment Nos. 7 and 8 were by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हू कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,–

"1968" **के स्थान पर** "1969" रखा जाये। (2)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"1968 **के स्थान पर** "1969" रखा जाये। (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1. संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 1 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1—

"Nineteenth" (उन्नीसवां) **के स्थान पर** "Twentieth" (बीसवां) रखा जाये। (1)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"Nineteenth" (उन्नीसवां) **के स्थान पर** "Twentieth" (बीसवां) रखा जाये। (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

चाय (संशोधन) विधेयक

TEA (AMENDMENT) BILL

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

भारत का चाय उद्योग सारे विश्व के सर्वाधिक सुयोजित उद्योगों में से एक है। चाय अधिनियम, 1953, जो कि 1 अप्रेल, 1954 से लागू हुआ, का उद्देश्य चाय उद्योगों को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रखना तथा इस उद्देश्य के लिए एक चाय बोर्ड गठित करना था। इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार इस उद्योग का विकास करने का उत्तरदायित्व चाय बोर्ड पर है। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए चाय बोर्ड ने चाय उद्योग के लिए ऋण योजनायें तथा किराया खरीद पर मशीनें प्रदान करने की योजनायें बनाई हैं। चाय बोर्ड विस्तृत रूप से चाय–रोपण के लिए चाय–उद्योग को लम्बी अवधि के ऋण भी देता है। इन योजनाओं के लिए चाय–बोर्ड को केन्द्रीय सरकार ऋण देती है। चाय उद्योग की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करके चाय–पुनरारोपण हेतु भी सरकार राज सहायता देती है ताकि अपेक्षित स्तर तक अत्यन्त पुराने पौधों के स्थान पर नये पौधों का पुनरारोपण हो सके। परन्तु वर्तमान चाय अधिनियम में ऐसा विधान नहीं है कि चाय बोर्ड केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान अथवा ऋण स्वीकार कर सके। इसी उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में संशोधन करना चाहती है।

इस विधेयक के खण्ड 2 में यही उपबन्ध रखा गया है कि क्योंकि 1953 के अधिनियम की धारा 25 के अधीन एकत्रित किया जाने वाला शुल्क चाय उद्योग के विकास के लिए अपर्याप्त होता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार चाय बोर्ड को अनुदान या ऋण दे। इन अनुदानों तथा ऋणों की सहायता से चाय उद्योग को अपनी प्रगति में बड़ी मदद मिलेगी।

इस संशोधन विधेयक से इस अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (3) में भी संशोधन करने का अवसर मिलेगा जिससे कि इस उद्योग से सम्बन्धित नियम बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेने का उपबन्ध हो जाये।

उपरोक्त शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चाय अधिनियम 1953 में आगे संशोधन करने वाले इस विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु !

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अस्वस्थ होने के कारण मैं इस विधेयक पर विस्तार से नहीं बोल सकूंगा, परन्तु फिर भी कुछ बातें स्पष्ट करूंगा जिन पर सरकार कुछ ध्यान दे।

अनुदान या ऋण देने के बारे में सरकार कुछ वरीयतायें तय करे तथा विदेशी कम्पनियों और विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनियों की बजाय भारतीय कम्पनियों या फिर शुद्ध रूप से भारतीय मुद्रा में व्यापार करने वाली कम्पनियों को यह सहायता प्रदान करे। छोटी छोटी भारतीय कम्पनियों को विशेष रियायत तथा सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि इन्हें अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है।

मैं जानना चाहूँगा कि इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कम्पनियों ने हमारे देश से कमाकर कितना रुपया वापस अपने देश भेजा है तथा वहां से कितनी विदेशी मुद्रा कमा कर दी है। फिर, आप इस ऋण तथा राज सहायता प्रणाली को किस प्रकार लागू करेंगे ?

पहले तो मैं यह आरोप लगाता हूँ कि सरकार ने दो प्रतिशत की दर पर पुनरोपण हेतु राज-सहायता के रूप में 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। परन्तु यह राज-सहायता केवल उन्हीं उत्पादकों को दी गई जिन्हें चाय-रोपण वित्त योजना से भी निर्धारित सीमा से अधिक ऋण मिल सकता है, या जिन्हें अपने क्षेत्रों अथवा कागजात को दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह बड़ी गम्भीर बात है। ऐसी अनियमितताओं की जांच करने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है। उन लोगों को अत्यन्त थोड़ी दरों पर धन दिया जा रहा है परन्तु उस धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है।

चाय बोर्ड के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्थापित की गई मशीनरी तथा चाय उद्योग के विकास के लिए उसके सदुपयोग के बारे में जांच कर सके। फिर विदेशों को निर्यात की जाने वाली चाय के स्तर की भी जांच की व्यवस्था नहीं है, मेरा अभिप्राय यह है कि चाय बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों व कर्त्तव्यों का समुचित रूप से पालन नहीं कर रहा है। वहां पर पक्षपात का बोलबाला है।

चाय बोर्ड ने अभी हाल हीं में चाय-रोपण वित्त योजना के अधीन पक्के ठग मूलजी सिक्का एण्ड कम्पनी की एवनग्रोव टी एस्टेट को अग्रिम धनराशि के रूप में की गई 1,80,000 रुपये की धनराशि को बट्टे-खाते में डालने की स्वीकृति दी है। इस सारे मामले में गोल-माल दिखाई देता है। प्रश्न तो यह है कि उन्हें यह ऋण दिया ही क्यों गया ? ऋण बाजार में उनका कोई मान नहीं है। न जाने इतनी धनराशि को बट्टे खाते में डालने की अनुमति क्यों तथा कैसे दी गई ?

चाय उद्योग के मजदूरों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह भी संतोषजनक नहीं है। कोई मजदूर खुश नहीं है। वे अत्यन्त शीत तथा गर्मी में काम करते हैं तथा उन्हें हर समय जंगली हिंसक पशुओं का खतरा बना रहता है। उनके साथ सहानुभतिपूर्वक उचित व्यवहार किया जाना चाहिये। चाय रोपण जांच समिति 1950 में स्थापित की गई थी और उसने अपना प्रतिवेदन भी पेश कर दिया है, परन्तु सरकार ने व्यापारियों तथा एकाधिकारियों के दबाव में आकर उस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार का मजदूरों के प्रति बड़ा ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार है।

चाय-उद्योग श्रम-प्रधान उद्योग है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्थिक विभाग के अध्यक्ष डा० शिव स्वामी ने कहा है कि उत्पादकों की सहकारी समितियां संगठित करने तथा मशीनरी की सप्लाई तथा क्रय-विक्रय व उत्पादन के लिए सहकारी समितियां संगठित करने के लिये चाय-उद्योग एक आदर्श स्थान है। परन्तु चाय-बोर्ड ने, जिस पर कि देश का बहुत धन खर्च होता है; इस बारे में कुछ नहीं किया है। चाय उद्योग के मजदूरों को विश्व में सब से कम मजदूरी मिलती है जबकि चाय-उद्योग को मजदूर प्रधान उद्योग कहा जाता है, और यह देश में सर्वाधिक लाभ देने वाला दूसरा उद्योग है।

चाय बोर्ड बहुत कम मूल्य पर चाय बैच रहा है। विश्व के किसी भी भाग में हम जो चाय 20 रुपये पाउंड पर बैचते हैं उस पर अधिक से अधिक 2.75 रुपये मुनाफा लेते हैं।

चाय बोर्ड ने अपने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये बड़े-बड़े अतिथि-गृह बना रखे हैं, परन्तु तीसरे अथवा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को बाहर जाकर या तो पटरियों पर सोना पड़ता है और या अपने किसी रिश्तेदार की शरण लेनी पड़ती है।

किसी समय चाय बोर्ड का अध्यक्ष एक सिविल अधिकारी था। उसके बाद किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को उस पद पर नियुक्त कर दिया गया तथा मन्त्री के पद पर एक वस्त्र इन्जीनियर को रखा गया। अतः चाय बोर्ड के प्रबन्धक इस प्रकार के होते हैं।

कलकत्ता के चाय बोर्ड में अधिकांश लोग ब्रुक बांड के हैं। अतः मुझे बताया गया है कि उस बोड की बैठकों में उनका प्रतिनिधि जो कुछ कह देता है उसे अस्वीकार करने की न तो अध्यक्ष की हिम्मत होती है और न किसी अन्य सदस्य की।

इस समय हमारी चाय नीलामी तथा दलालों के माध्यम से बेची जाती है। कलकत्ता में आज भी नीलाम घरों पर अधिकतर अंग्रेजों का नियंत्रण है। सारे व्यापार में से 42.11 प्रतिशत पर जे० थौमस एण्ड कम्पनी का नियंत्रण है। डा० सिवास्वामी की रिपोर्ट के अनुसार वे लोग चाय की बिक्री इस प्रकार से करते हैं कि हमें दाम कम मिले परन्तु हम प्रसन्न भी रहे तथा बाहर वाले कम दामों पर चाय खरीद कर रुपया बनायें।

चाय बोर्ड को अलाभ प्रद काम करने की बजाय (एक) किस्म सुधार (दो) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा (तीन) चाय को कृत्रिम ढंग से खुशबूदार और गाढ़ा करने की सम्भावनाओं के बारे में अनुसन्धान करना चाहिये। इन पहलुओं में कमी होने के कारण हमारी चाय कम बिक रही है। इस प्रकार से एक दिन ऐसा भी आ जायेगा जब आप चाय बिल्कुल नहीं बेच सकेंगे। बिक्री बढ़ाने के बारे में कोई अनुसन्धान नही किया गया है अथवा आयात शुल्क में कमी करने के लिये विदेशी सरकारों से कोई बातचीत नहीं की गई है। इसके अलावा इस बारे मे भी कोई अनुसन्धान नहीं किया गया है कि उपभोक्ताओं की चाय की कैसी रूचि है।

चाय बोर्ड में कर्मचारी बहुत कम हैं। हमारे सारे देश में कर्मचारियों की बहुत मांग है।

चाय बोर्ड एक सरकारी संस्था है परन्तु उसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि का हिसाब-किताब ठीक नहीं रखा जाता है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रुगढ़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे सरकार चाय बोर्ड को ऋण दे सकेगी तथा चाय बोर्ड चाय बागान को ऋण तथा राज सहायता दे सकेगा। मैं श्री बसु की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चाय उद्योग को सहायता की आवश्यकता नहीं हैं। गत वर्ष भी चाय उद्योग को संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार ने करों में कुछ रियायत दी थी जिसके फलस्वरूप चाय उद्योग कुछ चल सका। परन्तु अभी भी आशंका है कि विभिन्न कठिनाइयों के कारण यह उद्योग कहीं समाप्त न हो जाये। चूंकि इस विधेयक से सरकार इस उद्योग की सहायता कर सकेगी इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ।

{ श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए }
{ **Shri Vasudevan Nair** *in the Chair* }

मैं नहीं जानता कि इस उद्योग का भविष्य क्या होगा। पश्चिम बंगाल में 15 दिन तक श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने से उद्योग को 6 करोड़ रुपये की हानि हुई है। 1964 तक उत्पादन में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु उसके बाद उत्पादन कम हो गया है। इन वर्षों में करों में 12.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1960 में उत्पादन शुल्क प्रति किलोग्राम 16 पैसे था जो 1969 में 47 पैसे हो गया, अर्थात् तिगुना हो गया। दूसरी ओर निर्यात शुल्क 1960 में 53 पैसे से कम होकर केवल 48 पैसे हुआ अर्थात् प्रति किलोग्राम 5 पैसे ही कम हुआ। इस तरह चाय पर कुल भार 1960 में 102.18 पैसे से बढ़कर 1969 में 114.78 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। इसलिये चाय उत्पादकों के लिये कर में कटौती की मांग करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

चाय उद्योग की सफलता श्रम की तुलना में समय पर उर्वरक मिलने तथा मौसम के अनुकूल होने पर अधिक निर्भर करती है। हाल ही में सर्वेक्षण करने पर रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चाय उद्योग को 5.2 प्रतिशत मुनाफा हुआ है जो सभी उद्योगों से कम है। मुनाफा बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। गत वर्ष ब्रिटेन में चाय का मूल्य बहुत गिर गया था तथा उद्योग को बहुत संकट का सामना करना पड़ा था। इस वर्ष कुछ मूल्य बढ़े हैं- वे भी चाय बोर्ड के प्रयास के कारण नहीं बल्कि इसलिये कि उस देश में चाय का उत्पादन कम हुआ था। इसके साथ मेरा निवेदन यह है कि देश में चाय का मूल्य नहीं बढ़ा है जिससे चाय उद्योग की स्थिति वही है जो गत वर्ष थी।

देश की लगभग सभी संस्थाओं ने यह मांग की है कि उत्पादन शुल्क बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिये तथा निर्यात शुल्क बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि उत्पादन शुल्क समाप्त नहीं किया जाना चाहिये परन्तु उसमें कमी अवश्य की जानी चाहिये। निर्यात शुल्क में भी कमी की जानी चाहिये। सरकारी आंकड़ो के अनुसार भी हमारे देश में विदेशी मुद्रा कम अर्जित हुई है। चाय उद्योगों के मालिक कहते हैं कि करों में कुछ कमी की जानी चाहिये ताकि वे विदेशों में अधिक चाय भेज सकें और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को आवास देने की व्यवस्था की गई है। मैं नहीं समझता कि बागान मालिक उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : हमारे देश में केवल चाय उद्योग ही ऐसा उद्योग है जिसे हम निर्यात उद्योग कह सकते हैं। इस उद्योग ने 115 अथवा 120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं इस उद्योग की सभी बातों की सराहना करता हूँ। इसमें कुछ खामियां भी हैं। इस उद्योग में विदेशी स्वार्थ निहित है। हम तो वास्तव में चाय में कच्चा माल ही सप्लाई करते हैं। ब्रुक बांड या लिपटन कम्पनियां हमारे से चाय खरीदती हैं

और विश्व में कई सौ प्रतिशत मुनाफे पर उसे बेच देती हैं। हम चाय को पैकेटों में बेचने का काम भारतीयों को अभी तक नहीं सौंप सके हैं। यह काम अभी भी विदेशियों के हाथ में हैं। यदि हम भारत में पैकेट बनाने लग जायें तो हम कुछ अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। परन्तु यह काम इंग्लैंड में किया जाता है क्योंकि वह हमारे से प्रचुर मात्रा में चाय खरीदता है।

अब मैं कुछ बातें चाय बोर्ड के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। जब चाय बोर्ड बनाया गया था तो हमने उसमें 7 या 8 यूरोपियों को रखा था। यही लोग चाय उद्योग पर नियंत्रण रखते हैं। यह बात अच्छी नहीं है।

जहां तक चाय बागान की दशा का सम्बन्ध है मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि सरकार ने चाय उद्योग की सहायता करने के लिये कुछ उपाय किये हैं। परन्तु यह बात विचित्र सी लगती है कि उनको पुनः बागान लगाने के लिये धन दिया जायेगा तथा उनका विस्तार करने के लिये नहीं। मैं समझता हूँ कि धन की व्यवस्था इन दोनों कार्यों के लिये ही की जानी चाहिये।

मैं नहीं समझता कि चाय बोर्ड कोई ऋण देता है। आसाम वित्त निगम, जिसका काम आसाम में औद्योगिक उपक्रमों का विकास करना था, अधिकतर धन आसाम में चाय बागानों के विस्तार, मशीनों तथा कारखाने खरीदने आदि पर खर्च कर रहा है। चाय उद्योग जब मुनाफा कमाता है तो उसे अपने पास नहीं रखता परन्तु बाद में सरकार से सहायता मांगता है। परन्तु कुछ ऐसे भी चाय बागान हैं जिनको मुनाफा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अच्छा होता यदि हम ऐसे बागानों में कारखाने लगा देते। मेरा यह सुझाव है कि सरकार को ऐसे बागान के मामले में ऋण देने की नीति पर फिर से विचार करना चाहिये जो मुनाफा कमाने के लिये प्रयास कर रहे हैं परन्तु कमा नहीं सके हैं तथा ऋण वापिस देने की स्थिति में भी नहीं हैं।

चाय बोर्ड केवल बड़े बागानों के बारे में ही सोचता है। सरकार को छोटे चाय बागानों की समस्याओं का पता लगाने तथा उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिये।

यूरोपीय लोग बहुत मुनाफा कमा रहे हैं तथा धन अपने देश में भेज रहे हैं।

इस के अलावा अन्य कई समस्यायें हैं। चाय बोर्ड का क्षेत्र सीमित है। अतः एक उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय बनाया जाना चाहिये जो चाय उद्योग के सभी पहलुओं पर विचार करे। मैं प्रसन्न हूँ कि चाय के पैकेटों के सम्बन्ध में एक समिति बनाई गई है।

मैं कुछ शब्द उत्पादन शुल्क के बारे में भी कहना चाहूँगा। छोटे चाय बागानों की दृष्टि से उत्पादन शुल्क उचित नहीं है। यह उनके हितों के विरुद्ध है। इसके अलावा यह बात भी अच्छी नहीं है कि घटिया किस्म की चाय तथा बढ़िया किस्म की चाय दोनों पर उत्पादन शुल्क समान हो।

हमारी समूची कर प्रणाली छोटे बागानों तथा छोटे चाय उत्पादकों के विरुद्ध है। हमें हमेशा बढ़िया किस्म की चाय का उत्पादन करने की बात सोचनी चाहिये। घटिया किस्म की चाय के उत्पादन से कोई लाभ नहीं है। यह अच्छी प्रवृति नहीं है कि अधिक चाय का उत्पादन करने के नाम पर घटिया किस्म की चाय का उत्पादन किया जाये। अतः चाय बागान के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि जब वे नये पौधे लगायें अथवा अपने बागान का विस्तार करें, तो केवल बढ़िया किस्म की चाय के उत्पादन के लिये ही ऐसा किया जाये।

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : सभापति महोदय, मैं चाय उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर भारत में चाय उद्योग की स्थापना मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई है। जब आसाम के लोगों ने काम करने से इन्कार कर दिया था, तो मेरे क्षेत्र के लोग उत्तर आसाम और उत्तर बिहार में गये थे, तथा उन्होंने चाय उद्योग की स्थापना की थी। इन बातों को सौ वर्ष से अधिक समय बीत गया है। परन्तु मेरे क्षेत्र के लोगों को क्या मिला है? आसाम में मेरे क्षेत्र के 30 लाख व्यक्ति हैं, परन्तु उनके लिए आसाम वालों द्वारा क्या किया गया है। आसाम वाले अब आन्दोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगालियों से हमें छुटकारा दिलाओ, आसाम आसाम वालों के लिए है।

अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारे चाय उद्योग को पुनः वही स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है, जो उसे पहले प्राप्त थी। चाय से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती थी, परन्तु अब ऐसा नहीं है। मेरा चाय उद्योग से घनिष्ट समम्बन्ध रहा है और मेरा सम्बन्ध न केवल ब्रिटिश चाय उद्योग से अपितु भारतीय चाय उद्योग से भी रहा है। मेरे माननीय दोस्त यह भूल जाते हैं कि इस समय अधिकांश चाय बागान भारतीय हैं, केवल उनके नाम ही ब्रिटिश हैं।

चाय उद्योग पर विचार करते समय हमें श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका, उत्तर बंगाल तथा आसाम और दक्षिण भारत के बारे में भी विचार करना होगा। आप इनके आपसी सम्बन्धों को अलग नहीं कर सकते हैं। इस समय मैं चाय बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और मुझे खेद है कि मुझे चाय बोर्ड की कटु शब्दों में आलोचना करनी पड़ रही है। भारतीय चाय बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा है। अतः सरकार को उसे समाप्त कर देना चाहिए।

यदि माननीय मन्त्री चाहते हैं कि इस विधेयक से चाय उद्योगों को कोई सहायता मिले, तो उन्हें चाहिए कि चाय पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाये। चाय पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दीजिए, फिर भारतीय चाय श्री लंका की चाय के निर्यात को मात कर देगी। हम भारत श्री लंका करार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, परन्तु वास्तव में होता क्या है? हम बर्मा को ऋण देते हैं और वर्मा लंका से चाय खरीदता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रिटिश लोग कीनिया में चाय बागान का विकास क्यों कर रहें हैं और वे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर रहें हैं, जबकि वे यहां सैंकड़ों वर्ष रहे हैं और उनकी जड़ें इस देश में हैं तथा वे ब्रिटिश होते हुए भी भारतीय हैं? उनकी स्थिति ऐसी ही है, जैसे बंगाल में टाटा की, टाटा बंगाल छोडकर कहां जा सकता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रिटिश लोगों ने भी कुछ क्षेत्रों का विकास किया है। माननीय सदस्य ने चाय बागान नहीं देखें हैं, फिर भी वह जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि कहना बहुत

आसान होता है । मैं वास्तव में चाय बागान में रहा हूं हमें वस्तु स्थिति को समझना चाहिये । मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूँ, परन्तु सामान्य स्थिति को देखते हुए मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

सभापति महोदय : वाद विवाद कल जारी रहेगा । अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे ।

---

*पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का बसाया जाना

SETTLEMENT OF EAST PAKISTAN REFUGEES

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, मैं पूर्वी बंगाल के उन बदकिस्मत लोगों के बारे में, जिन्हें दोहरी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है, चर्चा उठाना चाहता हूँ । देश के विभाजन के समय 15 अगस्त, 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि पूर्वी बंगाल के लोगों के सुख और दुख में हम पूरी तरह उनके साथ हैं । उसी दिन आकाशवाणी पर बोलते हुए सरदार पटेल ने भी कहा था कि हम सीमा पार के अपने भाइयों को नहीं भूलेंगे और उनमें यह भावना पैदा नहीं होने देंगे कि हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं । हम हर प्रकार से उनकी मदद करेंगे । परन्तु वास्तव में जो कुछ हुआ है, वह इन आश्वासनों के उलट है । उन्हें धोखा दिया गया है और उन्हें पुनर्वास की उचित सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम पाकिस्तान से कुल 47.4 लाख शरणार्थी आये हैं और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 51.1 लाख शरणार्थी आये हैं जिनमें मैं 10 लाख शरणार्थी और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मध्यम-वर्ग अथवा उच्च वर्ग के जो शरणार्थी आये थे, उन्होंने अपने नाम शरणार्थियों में पंजीकृत नहीं कराये थे और स्वयं अपने बल बूते पर और अपने प्रयासों से अपने पुनर्वास की व्यवस्था की थी ।

मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के साथ सरकार ने सौतीली मां जैसा व्यवहार किया है । सरकार द्वारा यह बताया गया है कि अब तक पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर 204.11 करोड़ रुपये तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर 277.45 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं, परन्तु ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं । यदि हम 47300 सैंडर्ड एकड़ देहाती भूमि तथा 9 लाख एकड़ शहरी भूमि और भारत में मुसलमानों द्वारा छोड़े गए मकानों की कीमत, जिन्हें पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिया गया है, का हिसाब लगायें और उसमें 190 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता की राशि जोड़ें तथा वर्ष 1967–68 में दिए गए अनुदान की 60 लाख रुपये की राशि भी जोड़ें, तो यह पता चलता है कि पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर अब तक 2135.1 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं ।

---

* आधे घण्टे की चर्चा

* Half-an-Hour Discussion.

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास कार्य वर्ष 1958 में आरम्भ हुआ था। उससे पहले तो लगभग 10 लाख व्यक्तियों को लगभग 65 शिविरों में रखा गया था और सरकार के अनुसार उन पर 122 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। यदि हम इस 122 करोड़ रुपये की राशि को, जिसे उनकी राहत पर न कि पुनर्वास पर खर्च किया गया है, कुल राशि में से घटा दें, तो स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर केवल 156.55 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जबकि पश्चिम पाकिस्तान से आये प्रत्येक शरणार्थी के पुनर्वास पर 4,640 रुपये खर्च किये गये हैं, पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रत्येक शरणार्थी पर केवल 260 रुपये खर्च किए गए हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के साथ सरकार द्वारा सौतीली मां जैसा व्यवहार किया गया है ?

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का वास्तविक पुनर्वास 1958 में आरम्भ किया था, क्योंकि तब तक तो सरकार यह समझ रही थी कि नेहरू लियाकत अली करार के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आये यह शरणार्थी वापस चले जायेंगे और स्थिति सामान्य हो जायेगी। स्थिति यह है कि लगभग 50 लाख शरणार्थी जैसे तैसे पश्चिम बंगाल में बस पाये हैं, 4 लाख आसाम में बसे हैं, लगभग 4 लाख त्रिपुरा में, लगभग एक लाख बिहार में और बाकी सारे भारत में एक लाख से अधिक शरणार्थियों को नहीं बसाया गया है। भारत का विभाजन एक राष्ट्र के नाम पर हुआ था परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आये इन अभागे व्यक्तियों को केवल कुछ ही स्थानों पर बसाया गया है तथा बाकी देश में उनके लिये कोई स्थान नहीं है।

मैंने अन्डमान का दौरा किया है। जब शरणार्थी अन्डमाद नहीं जाना चाहते थे, तो सरकार उन्हें वहां भेजने को बहुत इच्छुक थी। परन्तु अब जबकि शरणार्थी वहां जाना चाहते हैं, तो उनके वहां जाने पर रोक लगा दी गई है। अब सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि वहां आगामी चार अथवा पांच वर्षों में पूर्वी पाकिस्तान से आये केवल 3,000 शरणार्थियों को भेजा जायेगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि आगामी पांच अथवा छः वर्षों में अन्डमान में कम से कम दो लाख शरणार्थियों को भेजा जायेगा, ताकि उन्हें वहां बसाया जा सके।

अगला, प्रश्न है, प्रतिकर का। पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को प्रतिकर दिया गया है। मुझे उनसे कोई इर्ष्या नहीं है। यदि आप देना चाहें तो उन्हें और भी प्रतिकर दीजिये क्योंकि वे भी अभागे व्यक्ति हैं। परन्तु यह खेद की बात है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है। हालांकि उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नेहरू लियाकत अली करार में यह तय हुआ है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी, उन्हें वहां जाने के लिए किसी पारपत्र की जरूरत नहीं होगी तथा पूर्वी बंगाल में स्थित उनकी सम्पत्ति को नहीं छीना जायेगा एवं उनकी आस्तियां तथा व्यापार पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु अब हालांकि पूर्वी बंगाल के अल्प संख्यकों की सम्पत्ति पर पूर्वी पाकिस्तान में बलात अधिकार कर लिया गया है, वहां जाने के लिए उन्हें पारपत्र चाहिये उनका व्यापार

आदि पूर्णतया नष्ट हो गया है, फिर भी उन्हें प्रतिकर न देने का क्या औचित्य हैं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 75 प्रतिशत देहाती सम्पत्ति 67 प्रतिशत भूमि, 90 प्रतिशत व्यापार तथा लगभग सब कपड़े की मीलें, चीनी की मीलें, तेल की मीलें, पटसन की मीलें तथा अन्य कारखाने आदि अल्पसंख्यकों के थे, जिन्हें पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा छीन लिया गया है। ऐसी स्थिति होते हुए भी पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को प्रतिकर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वर्ष 1961 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए अल्पसंख्यकों के कत्ले-आम के बाद लगभग 10 लाख व्यक्ति भारत आये हैं इन दस लाख व्यक्तियों में से केवल 3 लाख व्यक्तियों के पास भारत आने के वैध परमिट हैं तथा शेष 7 लाख व्यक्तियों के पास भारत आने के परमिट नहीं हैं, क्योंकि उनके लिये यह सम्भव नहीं था कि वे ढाका जाकर भारतीय उच्चायुक्त से भारत आने के परमिट प्राप्त करें। भारत सरकार ने परमिट प्राप्त और गैर परमिट प्राप्त व्यक्तियों में भेद-भाव बरता है। मैं मांग करता हूँ कि सरकार को परमिट प्राप्त और गैर-परमिट प्राप्त व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। यह भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिये।

मैं मांग करता हूँ कि उन शरणार्थी परिवारों को दिया गया ऋण जिनकी मासिक आय 500 रुपये से कम है, माफ कर दिया जाये। वयोवृद्ध तथा कमजोर तथा उन शरणार्थियों को जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया है, जीवन भर पेंशन दी जानी चाहिये। पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कुछ और वर्षों तक शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा दी जाती रहनी चाहिये। छोटे पैमाने के उद्योगों तथा व्यापार आदि के लिए पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को और अधिक अनुदान दिये जाने चाहिये। पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये तथा इस उपबन्ध को तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

पश्चिम पाकिस्तान से 9 लाख शरणार्थी आये थे तथा उन सब व्यक्तियों ने अपने नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज कराये थे। उनमें से लगभग 4 लाख व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिल गई है। पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए केन्द्रीय नौकरियों में कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी सहायता लेनी चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोगों के पुनर्वास के बारे में यूरोप तथा पश्चिम एशिया में बहुत अच्छा काम किया है। भारत सरकार को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता लेनी चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों में निराशा की भावना फैल गई है, और पश्चिम बंगाल में अशांति तथा अव्यवस्था की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका मुख्य कारण निराशा की भावना ही है और यदि समय रहते कोई उचित कार्यवाही न की गई तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी, जिससे देश की एकता ही खतरे में पड़ जायेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर उचित ध्यान दिया जाये।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच–बिहार) : यह बड़े दुःख की बात है कि भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्या को अलग अलग ढंग से लिया है । पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को घटिया समझा गया है तथा उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है । सरकार के अनुसार वर्ष 1964 तक पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 50 लाख व्यक्ति आये थे और जनवरी 1964 के बाद लगभग 10 लाख व्यक्ति आये इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 60 लाख व्यक्ति भारत आये हैं । वास्तव में पूर्वी पाकिस्तान से 80 अथवा 90 लाख व्यक्ति भारत आये हैं, क्योंकि 20 अथवा 30 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने शरणार्थियों के रूप में अपने नाम पंजीकृत नहीं कराये हैं । इन शरणार्थियों में से लगभग 75 प्रतिशत व्यक्ति पश्चिम बंगाल में रहते हैं । इन व्यक्तियों को कितना प्रतिकर दिया गया है तथा इन व्यक्तियों को सुविधायें देने के लिए कितना धन खर्च किया गया है, यदि इसकी तुलना हम पश्चिमी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को दिये गये प्रतिकर और उनको दी गई सुविधाओं पर खर्च किये गये धन से करें, तो यह पता चलता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों पर बहुत कम धन खर्च किया गया है । पश्चिमी पाकिस्तान से आये व्यक्तियो पर 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि खर्च की गई है जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों पर केवल 200 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, हालांकि पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों की संख्या पश्चिमी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों की संख्या से अधिक है ।

प्रतिकर देने के बारे में नेहरू-लियाकत अली खान संधि 1950 में हुई थी । यह सर्वविदित है कि इस करार पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे कूड़ेदान में डाल दिया गया था । 1954 में विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर अधिनियम पारित किया गया था और यह पाया गया था कि यह एक ऐसा करार है जिसका पालन नहीं किया जायेगा फिर भी इस सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर देने के बारे में कुछ भी विचार नहीं किया, अतएव हमने वैदेशिक कार्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह को पत्र लिखा जिन्होंने दिनांक 3 जुलाई 1969 के पत्र में यह उत्तर दिया कि यह मामला विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार पाकिस्तान सरकार से प्रतिकर वसूल करने के लिए क्या कर रही है और क्या वह केवल विरोध पत्र ही भेज रही है ? कई ऐसी सुविधायें हैं जो हमें पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को उपलब्ध करानी हैं । निकट भविष्य में उन पर लागू होने वाली सेवा सम्बन्धी रियायतें इस वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त हो जायेंगी । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सेवा सम्बन्धी रियायत की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए और बढायेगी ताकि विस्थापित व्यक्तियों को आयु सीमा सम्बन्धी छूट तथा अन्य वरीयता के कारण रोजगार मिल सके ? पश्चिमी बंगाल सरकार ने 30 करोड़ रुपये की मांग की है तो क्या सरकार यह मांग पूरी करेगी ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I want to know whether there are any unemployed persons out of those who have been rehabiliated. If so, then how many got employment and what steps the Government are taking to give employment to the unemployed persons ? I want to know how many new migrants have come to West Bengal after 1964 and how much money was spent on the education of their children ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) . भारत का विभाजन स्वीकार करना एक गलत निर्णय था, यह हमारी राष्ट्रीय तथा धर्मनिरपेक्षता की भावना के विरुद्ध था। जो भी हो, हमने इसे इस आशा के साथ स्वीकार किया था कि बाद में स्थिति सामान्य हो जायेगी। परन्तु ऐसा न हुआ, कम से कम 65 लाख व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आये। परन्तु वे जिस दशा में आज रह रहे है उसे देख कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत से हिन्दू अपनी सम्पत्ति पूर्वी पाकिस्तान में छोड़कर यहां आये। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति दी गई तथा उनका पुनर्वास किया गया। परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों का कुछ न किया गया, समांज विरोधी तत्व स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और यह समस्या जटिल होती जा रही है। सरकार जो सहायता देती है उसको वैज्ञानिक रीति से प्रयोग में नहीं लाया जाता है। यदि हम बकुरा, बीरभूम और मिदनापुर जैसे जिलों में कार्य को भली प्रकार हाथ में लें और सुन्दरबन क्षेत्र का विकास करें तो लाखों व्यक्तियों को बसा सकते हैं तथा उन्हें रोजगार दे सकते है। राज्य सरकारों के पास संसाधनों की कमी होती है, अतएव केन्द्र को चाहिए कि वह राज्य सरकार को विस्थापितों को पश्चिमी बंगाल में ही बसाने के लिए धन की सहायता दे। इन विस्थापितों को राज्य से बाहर जाने में भाषा तथा संस्कृति संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि उन्हें पश्चिमी बंगाल में ही उचित रूप से बसाने में मदद की जाये।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : माननीय सदस्यों ने तीन बातों को उठाया है। पहली क्षतिपूर्ति के बारे में, दूसरी पुनर्वास सम्बन्धी और तीसरी अण्डमान द्वीप समूहों में पुनर्वास के बारे में।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय निष्ठान्त सम्पत्ति कानून पूर्वी क्षेत्र में लागू नहीं होता और 1950 में हुए नेहरू लियाकत अली करार में शरणार्थियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों का उल्लेख नहीं है। परन्तु इस बात पर सहमति हुई थी कि वे शरणार्थियों; जिनका अचल सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार है, वहां छोड़ी हुई अपनी सम्पत्ति को इच्छानुसार बेच सकते हैं। अतएव उनके मामले में क्षतिपूर्ति दे देने की बात लागू नहीं होती। हमें आशा थी कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार यहां आए हुए शरणार्थियों को यह सुविधा देगी कि वे वापिस जाकर अपनी सम्पत्ति को बेच सकते हैं, परन्तु हमारी यह आशा झूठी सिद्ध हुई। पाकिस्तान सरकार ने इस कार्य में सहायता देने की बजाय रुकावटें डालनी आरम्भ कर दी ताकि वे अपनी सम्पत्ति को न बेच सकें। उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है जिससे शरणार्थियों को अपनी अचल सम्पत्ति को बेचना अत्यन्त दुष्कर हो गया है। चूंकि इस अधिनियम के कारण हमारे लिए क्षतिपूर्ति के बारे में कहना संभव न था। अतः हम पाकिस्तान को इसके लिए राजी कर रहे हैं। यह सच है कि हम विरोध पत्र भेज रहे हैं। हम केवल उन्हें इस बात के लिए राजी कर सकते हैं अथवा याद दिला सकते हैं कि सरकार के नाते उन्हें 1950 के करार का आदर करना चाहिए और यहां आए हुए शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान में अपनी छोड़ी हुई अचल सम्पत्ति को इच्छानुसार बेचने की सुविधा देनी चाहिए। परन्तु हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत हम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को क्षतिपूर्ति दे सकें।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : आप अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी के पास इस मामले को क्यों नहीं भेजते हैं ?

श्री समर गुह : क्या आप इस समस्या पर पुनर्विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इस कानून को पूर्वी क्षेत्र में भी लागू करेंगे ? आप सरकार का दृष्टिकोण बताइये ।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने बताया है कि हम पाकिस्तान सरकार को 1950 की संधि मनाने के लिए कह रहे हैं । मैंने वह स्थिति स्पष्ट कर दी है और इसमें कुछ नहीं छिपाया है । ये कठिनाइयां है और इस तरह की कार्यवाही की जा रही है ।

माननीय सदस्य ने इस पर पुनर्विचार करने को कहा है । हम निश्चय ही इस पर पुनर्विचार करना चाहते है ताकि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति के मामले में सहायता दी जा सके ।

मार्च 1958 तक हमारे देश में 41.47 लाख शरणार्थी थे । उनमें से 31 लाख पश्चिम बंगाल में रहे । वर्ष 1964 से 10 अक्तूबर 1969 तक 8,52,000 नए शरणार्थी आए ।

श्री समर गुह : इन आंकड़ों में वे शरणार्थी नहीं है जिनका पंजीकरण नहीं किया गया है । लगभग 10 लाख व्यक्तियों ने अपना नाम शरणार्थियों के रूप में पंजीकृत नहीं कराया, परन्तु वे अपने प्रयास द्वारा बस गए हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार को अपने शिविरों और पुलिस जांच से जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार मार्च 1958 को यह संख्या 41,47,000 थी और 31 अक्तूबर 1969 को नए शरणार्थियों की संख्या 8,52,000 थी । यह सम्भव हो सकता है कि यह संख्या अधिक हो । हम वही संख्या बता सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है ।

1967–68 तक हमने 258.43 करोड़ रुपये इसके लिए व्यय किये । इसमें से लग भग 15 करोड़ रुपये केवल पश्चिमी बंगाल पर व्यय किये गये । हमने यह कभी नहीं कहा था कि जो सरकार ने किया है वह पर्याप्त है । पूर्वी पाकिस्तान के इन शरणार्थियों को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा उसको धन से नहीं मापा जा सकता है । मेरा कहना केवल यह है कि 258 करोड़ रुपयों में से 159 करोड़ रुपये केवल पश्चिमी बंगाल में ही व्यय किये गये ।

वर्ष 1960–61 में हमने पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ इस समस्या पर पुनर्विचार किया । पश्चिमी बंगाल सरकार ने शेष समस्याओं को निबटाने के लिए 21.88 करोड़ रुपये की मांग की । इसमें से हमने 16.55 करोड़ रुपये दिये और उन्होंने 14 करोड़ रुपये व्यय किए हैं ।

उसके बाद जनवरी 1967 में प्रसिद्ध संसदीय श्री नि० चं० चटर्जी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति की स्थापना की गई । उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग 41.64 लाख रुपये

की आवश्यकता है। इसमें से हमने उन्हें 20 लाख रुपया दिया है। हमें आशा है कि आवश्यकता पड़ने पर हम और धन देंगे।

उन्होंने अपने दूसरे प्रतिवेदन में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का उल्लेख किया है तथा इसके लिए 265 लाख रुपयों की मांग की है। हम योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं।

अंदमान द्वीपसमूहों के बारे में यह कहना है कि अन्तर-विभागीय समिति ने यह सुझाव दिया है कि 1971 तक 1965 की जनसंख्या, जो 75,000 है; दुगुनी हो जाएगी और यह सम्भव होना चाहिए कि 1976 तक 1 लाख अधिक व्यक्तियों को बसाया जाये और 10-15 वर्षों में 1.25 लाख एकड़ भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। यह एक बड़ी योजना है जिस पर कार्य आरम्भ किया गया है।

ग्रेट निकोबार द्वीपसमूहों में हमने भूतपूर्व सैनिकों को भेजा है। मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि अंदमान द्वीपसमूह में शरणार्थियों को बसाने की काफी संभावनाएं हैं। हम इस दिशा में हर संभव कार्यवाही कर रहे हैं। मैं स्वयं वहां जाकर इस बात को देख रहा हूं कि पुनर्वास की क्या-क्या संभावनाएं हैं। मैं श्री गुह के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि लोग अंदमान द्वीप समूहों में जाना पसन्द नहीं करते हैं। लोगों के वहां न जाने का कारण परिवहन के समुचित विकास का अभाव है। हम वहां घाट तथा बांध बनाकर यातायात व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। मेरे विचार में इसमें समय लगेगा। केवल परिवहन व्यवस्था में सुधार लाकर लोगों के मन में वहां जाकर बसने का उत्साह पैदा किया जा सकता है। हम माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और हमारे प्रयत्न आशानुकूल नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम इस समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 दिसम्बर 1969/11 अग्रहायण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 2nd December, 1969/Agrahayana 11, 1891 (Saka)

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर-3